खण्ड-243, अंक-7
शुक्रवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(13 दिसम्बर, 1963 ई0)

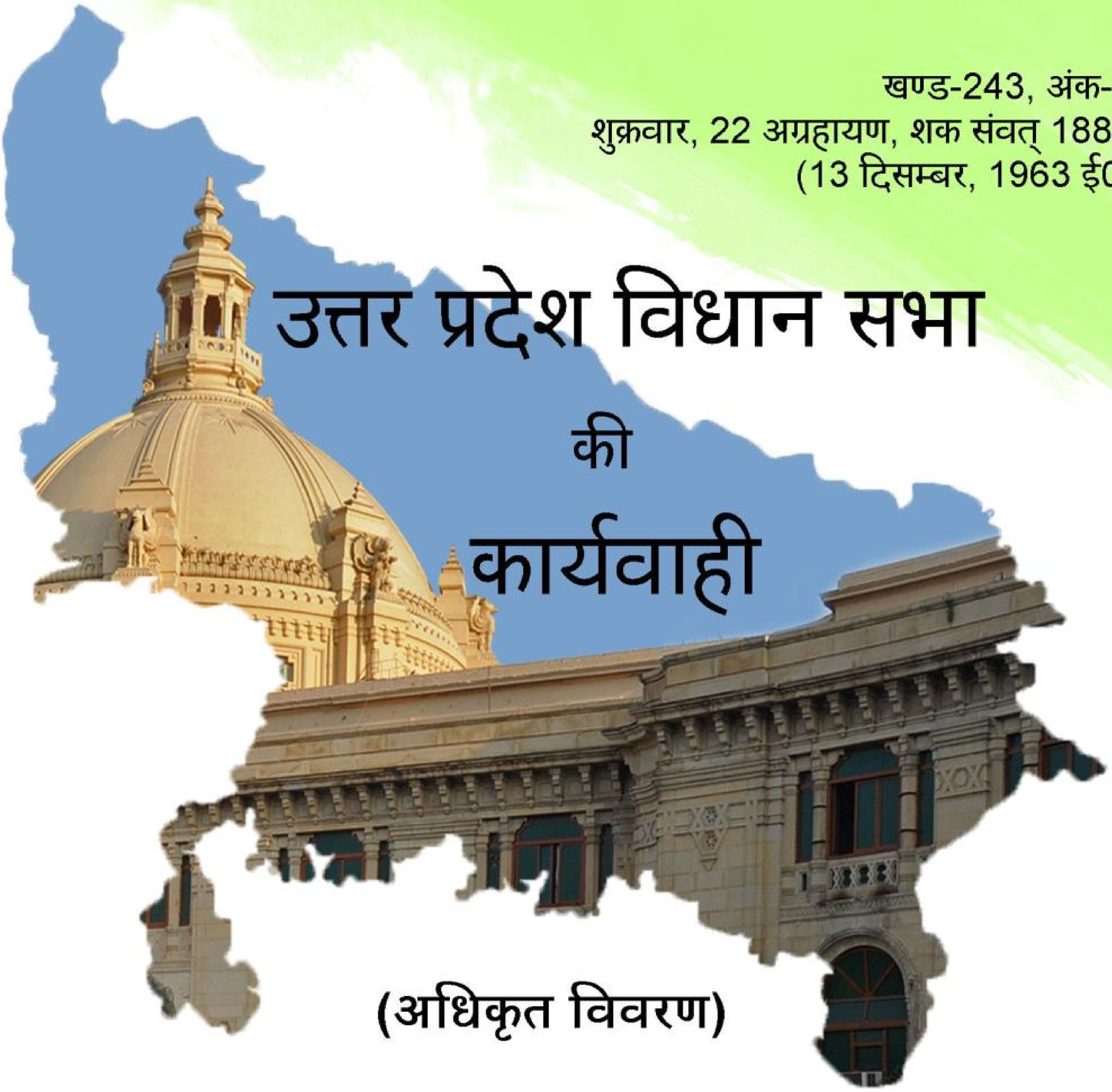

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	९३७–९४१
प्रश्नोत्तर (जारी)	९४१–९४४
८ मार्च, १९६३ को श्री विजयसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ५७ के उत्तर में संशोधन	९४४–९४५
प्रश्नोत्तर	९४५—१०१२
कार्य सूची के अधिक प्रश्न होने के कारण पूरे प्रश्न न लिए जा सकने पर आपत्ति	१०१२–१०१३
तृतीय विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (उपस्थित किया गया)	१०१३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायमंत्री द्वारा खेद प्रकाशन	१०१३–१०१४
बापू इंटर कालेज, कोपागंज के एक विद्यार्थी के पुलिस द्वारा गायब किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१०१४
बिजनौर जिले तथा गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील में धान (सहठी) पर लेवी लगाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	१०१५
प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०१५–१०२६
गन्ने के मूल्य, गुड़ तथा खांडसारी पर प्रतिबन्ध, चीनी वितरण तथा रिजर्व एरिया के किसानों के ऊपर दो-तिहाई गन्ना मिल में देने वाले प्रतिबन्ध के विषय पर चर्चा	१०२६–१०६४
नत्थियां	१०६५–१०८८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा , श्री
अवेधनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊधल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह, नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रिनाथ, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयालु करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री

रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामभूति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सूखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सूखलाल, श्री (लखनऊ)

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शक्कर वितरण आदेश

**१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि अन्तिम आदेश चीनी के वितरण के संबंध में सरकार के जिला अधिकारियों को क्या हैं ? क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

चीनी वितरण संबंधी अन्तिम आदेश जिलाधिकारियों को शक्कर वितरण आदेश संख्या ३९/६३, दिनांक २६ नवम्बर, १९६३ द्वारा दिये गये थे । इसमें २२ नवम्बर, १९६३ से २२ दिसम्बर, १९६३ तक के लिये जिलावार चीनी का वितरण किया गया है । इस आदेश की एक †प्रतिलिपि संलग्न है ।

**२—श्री गेंदासिंह—

क्या उक्त आदेश के अनुसार शहरों में प्रति व्यक्ति १ किलो प्रतिमास चीनी मिलेगी और वह भी सप्ताह-सप्ताह की अलग-अलग ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

नहर क्षेत्रों में कार्ड पर प्रति यूनिट प्रतिमास एक किलोग्राम दिये जाने का आदेश है किन्तु चीनी सप्ताह-सप्ताह दी जाय इस प्रकार का कोई आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री गेंदासिंह---

क्या माननीय मंत्री जी आज ही ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि चीनी लेने के लिये महीने में १ ही बार बुलाया जाया करे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जिलाधिकारियों को हक है कि अवस्था के अनुसार वे वितरण करें। सप्ताहवारी लखनऊ में ही हुआ है उसे हम टाल नहीं सकते थे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

क्या खाद्य मंत्री को मालूम है कि हरदोई में चीनी मिल होते हुए भी वहां के लिये कोटा बरेली से उठाने का सरकारी आदेश था, जिसके कारण पूरी दिवाली हलवाइयों की और आम जनता की खाली चली गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इतनी डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन यह सच है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

सप्ताहिक वितरण के आदेश से गांव के लोग भी लाभान्वित हों, वहां के लिये भी ऐसा आदेश देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

सप्ताहिक वितरण की स्कीम से लाभ होता है या हानि यह देखने और सोचने की बात है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

क्या देहातों के लिये सरकार के आदेश ऐसे हैं कि प्रति व्यक्ति आधा किलो चीनी दी जाय लेकिन जो कोटा दिया जाता है वह प्रति परिवार हाफ किलो के हिसाब से भी कम है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

यह बात कुछ अंशों में सही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय खाद्य मंत्री को सूचना है कि लखनऊ में सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों के लिये यहां एक चीनी की कोआपरेटिव की दूकान थी और अब उसे हटाकर बार्डों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे यहां वापस देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

क्या जिलाधिकारियों से ऐसा आदेश दिया गया है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

जी हां।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

सरकार से ऐसा कोई आदेश नहीं है। जिलाधिकारियों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार किया होगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या माननीय मंत्रीजी को पता है कि बलिया जिले में सरकारी आदेश के नाम पर देहात के लोगों को चीनी, प्रति परिवार आधा किलो, एक बार देने के आदेश हैं और उसमें भी परिवार के प्रत्येक आदमी को दूकान पर आना अनिवार्य कर दिया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यूनिट के हिसाब से चीनी मिलती है, परिवार के हिसाब से नहीं। जिस यूनिट के नाम चीनी होगी उसे आना ही पड़ेगा।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

अगर कोई हफ्तेवार चीनी न ले सके तो क्या सरकार आदेश देगी कि उसे आखिरी हफ्ते तक महीने की सारी चीनी दे दी जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

आदेश तो यही हैं कि महीने में एक बार दी जाय। कभी-कभी जिलों में असाधारण स्थिति हो जाने से जिलाधिकारी साप्ताहिक वितरण की व्यवस्था कर देते हैं। यह लखनऊ के सिवाय और कहीं नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि देहात में आधा किलो के हिसाब से जनसंख्या के १/१० को भी शकर नहीं मिल पाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्रीजी कोई ऐसा आदेश जिलाधीशों को देंगे कि देहातों में उचित समय पर और उचित मात्रा में चीनी लोगों को मिले ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसे आदेश देने से पहले हमें अपनी चीनी की स्थिति देखनी होगी। यह मानी हुई बात है कि जितनी चीनी हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलती है वह नाकाफी है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या फैजाबाद जिले में १,००० की आबादी पर एक महीने में सिर्फ १ बोरा चीनी दी जाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसी सूचना नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

देहातों में, जहां सम्मिलित परिवार हैं, चाचा व भाई वगैरह सब एक साथ रहते हैं, वहां के लिये क्या सरकार ये आदेश देगी कि एक परिवार की चीनी एक आदमी ही आकर ले जावे और सबके आने की जरूरत नहीं है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, यह ठीक है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

यह जानते हुए कि लोगों को निश्चित दिन बुलाया जाता है परन्तु उस दिन शकर नहीं मिल पाती, कुछ लोगों को दफ्तर के लिये देर होती है और स्त्रियों को अधिक दिक्कत उठानी पड़ती है, तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि जिस दिन लोगों को कोटा लेने के लिये बुलाया जाय उसी दिन चीनी उन्हें मिल जाया करे।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सूचना मेरे पास नहीं है कि कोटा लेने के लिये आमंत्रित किया जाता है वे अपनी जरूरत के मुताबिक लेने के लिये स्वयं ही आते हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप खास माननीय सदस्यों को ही बोलने का या प्रश्न करने का अवसर देते हैं । उन्हीं के पीछे चांद और सूरज की रोशनी नहीं है बल्कि हर व्यक्ति को यहां चुनकर भेजा गया है । कुछ लोगों के लिये ही यह सदन है या सबके लिये है ?

श्री अध्यक्ष—

किसी माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिये कि वह दूसरे सदस्यों के मुकाबले में ज्यादा वकत रखता है । जिन लोगों को मैंने मौका दिया उनको उतना ही पूछने का अधिकार है जितना कि प्रश्नकर्त्ता को है । प्रश्नकर्त्ता को यह नहीं समझना चाहिये कि वही प्रश्न पूछ सकते हैं ।

*३—५—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

[स्थगित किये गये ।]

८ मार्च, १९६३ को श्री विजयसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ५७ के उत्तर में संशोधन

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी आज्ञा से ८ मार्च, १९६३ को श्री विजयसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ५७ का संशोधित उत्तर पढ़ता हूं—

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
*५७—श्री विजयसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि १ जुलाई, १९५२ से १ जुलाई, १९६० तक प्रदेश में कितना रुपया सरकार के खजाने में जमा हुआ है जो भूमिधरी के संबंध में है और उनकी सनदें जमा करने वाले व्यक्तियों को नहीं दी गई हैं और क्यों ?	१ जुलाई, १९५२ से १ जुलाई, १९६० तक भूमिधरी संबंधी केवल २,६९,३८९ रुपये की धनराशि ऐसी थी जिनकी सनदें जमा करने वाले व्यक्तियों को नहीं दी गईं क्योंकि सनदों के फार्म राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से देर से छप कर प्राप्त हुये । **संशोधित उत्तर** १ जुलाई, १९५२ से १ जुलाई १९६० तक भूमिधरी संबंधी केवल २,१८,२८३ रुपये की धनराशि ऐसी थी जिनकी सनदें जमा करने वाले व्यक्तियों को नहीं दी गईं क्योंकि सनदों के फार्म राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद से देर से छप कर प्राप्त हुये ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या मंत्री जी ऐसे कोई आदेश जारी करेंगे कि जिन तहसीलों में अभी तक लोगों को सनदें नहीं मिली हैं उनको तहसीलदार स्वयं बुलाकर अब सनदें दे दें ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अब सनदें आ गई हैं और इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था हर तहसील में हो गई है कि वह दी जायं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि मुद्रणालय में छपने वाले फार्मों की तहसीलों व परगना में बहुत कमी हो रही है तो क्या उस कमी को भी जल्द पूरा करने की कृपा की जायगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अब कोई कमी नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पुराने जमींदार बिना सनदों के ही भूमिधर बन गये तो दस गुना दाखिल करने के बाद भी सनदों की व्यवस्था रहने के नाते और भूमिधर अधिकार प्राप्त करने के बावजूद भी उनको मुकदमों की और दूसरी जगह तमाम दिक्कतें उठाना पड़ती हैं तो क्या मंत्री जी यह सनद देने की व्यवस्था ही समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी ऐसी कितनी धनराशि बाकी है जिसके संबंध में सनदें जारी नहीं की गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय राजस्व मंत्री का यह उत्तर सुन नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि सूचना की आवश्यकता है ।

प्रश्नोत्तर—(क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मैनपुरी की स्टेशन रोड कालोनी में पानी का जमाव

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर के स्टेशन रोड वाली कालोनी में वर्षा का बहुत पानी भरा हुआ है जिसके कारण लाखों रुपये के मकान जो सरकार से ऋण लेकर बनाये गये थे । वह सब औरमील भी पानी में डूबे खड़े हैं और एक १८ वर्षीय बालक जो आई० टी० आई० में शिक्षा पा रहा था वह भी पानी में डूब कर मर गया है ? इस मामले में क्या हो रहा है ?

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

मैनपुरी की स्टेशन रोड वाली कालोनी की भूमि का स्तर नीचा होने से और पानी के सुचारु रूप से न निकलने के कारण इस वर्ष उक्त कालोनी में पानी भरा था। पानी निकालने का समुचित प्रबन्ध किया गया जिसके पश्चात अब वहां का पानी सूख गया है और कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।

एक १८ वर्षीय बालक १७ अगस्त, १९६३ को स्टेशन के समीप एक गढ़े में, जो रास्ते से हटकर था, रास्ता चलते हुये अचानक डूब गया। इस घटना का उक्त कालोनी में पानी जमाव से कोई संबंध नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पानी निकालने का इन्तजाम किया गया था उस में कुछ तो निकाला गया था और कुछ सूख गया था तो क्या वहां पानी न भरे उस का कोई स्थाई इन्तजाम सरकार कर रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

इसके लिये म्युनिसिपल चेयरमैन को ५०० रुपया दिया गया था ग्रान्ट के तौर पर उसका इन्तजाम करने के लिये, कुछ होज पाइप के लिये दिया गया था और कुछ लेबर चार्जेज का दिया गया था और वह सब इन्तजाम हो गया।

बाढ़ से क्षति

*२—श्री चन्द्रबली सिंह, (जिला देवरिया), श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर), श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर), श्री कल्पनारसिंह, श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा) तथा श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार स्वसंतुष्टी कृपया बतायेंगे कि ३१ अगस्त, १९६३ तक प्रदेश भर के किन-किन जिलों में उनके किन-किन गांवों में किन किन नदियों से बाढ़ के कारण फसल आदि को कितना-कितना नुकसान हुआ है?

*३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक गांव को कितनी-कितनी क्या-क्या सहायता दी गई?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस संबंध में विस्तृत सूचना बाढ़ के संबंध में वक्तव्य के साथ सदन के समक्ष १८ अक्तूबर, १९६३ को प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रश्नों में मांगी गई सूचना अधिक विस्तृत है और इसे एकत्र करने में जो समय एवं धन का व्यय होगा, वह उस सूचना से मिलने वाले लाभ की तुलना में बहुत ही अधिक होगा।

राप्ती पर बर्डघाट पुल तोड़ना

*४—श्री विजयसिंह तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोरखपुर में बर्डघाट पर पीपे का पुल जब राप्ती नदी का जलस्तर इस वर्ष सबसे अधिक था तब तो चालू था और जब जलस्तर काफी नीचे चला गया तब पुल तोड़ दिया गया है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी हां, ऐसा अवश्य इस वर्ष हुआ, किन्तु जिस समय जल-स्तर सबसे अधिक था उस समय पुल को तोड़ना संभव न था। यदि उस समय पुल तोड़ा जाता तो उसके बह जाने का भय था।

श्री विजयसिंह—

क्या मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि उसका कारण जल स्तर नहीं था बल्कि सरकारी अधिकारियों की सांठ गांठ उस ठेकेदार से थी जिसको लाखों रुपये का फायदा हुआ है, स्टीमर से लाने ले जाने में ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में कुछ तथ्य बतायेंगे तो मैं जरूर कार्यवाही करूंगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मंत्री जी को जानकारी है कि जिस तारीख को सबसे अधिक जल स्तर था, जैसा मंत्री जी ने कहा, उस तारीख को तो यह पुल चालू रखा गया लेकिन जब नदी घट गयी थी जब भी लोगों की मांग के बाद भी वह पुल क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह स्थायी आदेश है कि २४० फीट जब जल स्तर हो उससे पहले ही पुल तोड़ दिया जाया करे क्योंकि उसके बाद पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि पुल का तोड़ना संभव नहीं होता। इस मतलब २४० फीट तक नहीं तोड़ा गया और पानी बढ़ गया। जब पानी कुछ कम हो गया तब इसलिये तोड़ा गया कि पानी बढ़ने की सम्भावना थी और ऐसा हुआ भी कि पुल तोड़ने के बाद २४७ फिट तक जलस्तर बढ़ गया था।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जब उक्त पुल २४० फीट जल स्तर रहने तक मौजूद था उसके बाद फिर जब बढ़ा ही नहीं तो लगातर दो महीने तक उस पुल को जारी न रख कर ठेकेदार के माध्यम से जो पबलिक का नुकसान किया गया ऐसा क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

उसका तो जवाब मंत्री जी ने दे दिया। वह कह रहे हैं कि जब कुछ नदी घटी हुई थी, फिर बढ़ गई, इसलिये तोड़ दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि जहां-जहां भी पीपे के पुल बनते हैं जब वह पानी कम हो जाता है तब बनते हैं और साल में ६ महीने चलते हैं, बरसात में नहीं चलते, तो इस बर्ड घाट पर क्या उस तरह की व्यवस्था है आपकी तरफ से कि नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिन्होंने भी पुल बनते हैं सभी में व्यवस्था है कि अमुक स्तर तक पानी आने से पहले पुल को तोड़ देना चाहिये। इसको २३९ पर तोड़ देना चाहिये था और नहीं तोड़ा गया यह गलती थी। उसके बाद उसको रखना इसलिये खतरनाक था कि पुल बह जाता अगर कायम रखते। तो जब पानी का स्तर कम हुआ और जैसे ही मौका मिला उसको तोड़ दिया गया।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मंत्री जी बतायेंगे कि पुल चालू करने के लिये, फिर से बनाने के लिये कौन सा जल स्तर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था और उस जल स्तर पर पानी आ जाने के बाद पुल फिर से उसी तारीख में बनाया गया कि नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह पुल तोड़ कर दोबारा कब बनाया गया इसकी सूचना नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

बावजूद इस आदेश के कि २४० फीट जलस्तरपर पुल तोड़कर दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं तोड़ा गया और जिस अधिकारी ने ऐसा किया क्या उसकी साठ गांठ उस ठेकेदार से नहीं थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इसके दो कारण हैं एक कारण असावधानी हो सकती है उस पर कार्यवाही होगी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जिसकी ओर माननीय सदस्यों ने संकेत किया है कि किसी ठेकेदार द्वारा नाजायज फायदा उठाने के सिलसिले में। तो मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय सदस्य अगर सहायता करेंगे तो शायद मैं कुछ कार्यवाही करने में समर्थ हो सकूं।

श्री विजयसिंह---

अधिकारियों की गलती के कारण पुल नहीं तोड़ा गया तो क्या सरकार बतलायेगी कि जिन अधिकारियों ने गलती की थी उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

अभी तक कोई इस तरह का संकेत नहीं मिल रहा था।

श्री विजयसिंह---

मेरा प्रश्न था कि माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि अफसरों की गलती के कारण पुल देर में तोड़ा गया तो जिन अफसरों की गलती के कारण पुल देर में तोड़ा गया उनके खिलाफ कार्यवाही न करने क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कह तो दिया है कि कार्यवाही होगी।

बदायूं जिले में गंगा का बांध टूटने से क्षति

*५---कुंवर शकुमारसिंह राठौर (जिला बदायूं) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना उसहत, जिला बदायूं में गंगा का बांध टूटने से बहुत से गांव बह गये हैं और लगभग सौ गांवों में खेती, पशु तथा मनुष्यों को अति क्षति पहुंची है ? सरकार ने इस संबंध में क्या सहायता दी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां। इस वर्ष उसहत बांध के कट जाने से ९२ ग्रामों की खेती बिलकुल बरबाद हो गई। किसी मनुष्य या पशु की जीव-हानि नहीं हुई। बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में से २८५८ व्यक्ति सुरक्षित स्थानों पर लाये गये। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सहायता दी गई---

		रु०
(१)	अहेतुक सहायता	२८,८००
(२)	भवन निर्माण हेतु	१३,०००
(३)	तकावी हेतु	३०,०००
(४)	आकस्मिक व्यय	४,४००
(५)	आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं	
(६)	आरम्भ में लोगों को गुड़, चना, मिट्टी के तेल, दियासलाई तथा दूध आदि दिया गया।	

इसके अतिरिक्त गुन्नौर तहसील के दो ग्रामों को फिर से बसाने के लिये व्यवस्था की जा चुकी है।

*६—कुंवर रुकुमसिंह राठौर तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार को पता है कि यह सैलाब, ट्यूबवेल ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा बांध के इन्चार्ज ओवरसियर के बांध की मरम्मत न करने से हुआ है ? क्या सरकार इस क्षति को पूरा करने के लिये इंजीनियर इत्यादि के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी और इन लोगों को आदर्श दंड देने की कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उसहत बांध की पूर्णतया मरम्मत इस वर्ष मानसून के पूर्व ही कर दी गई थी परन्तु गंगा नदी में अत्यधिक बाँध आने के साथ-साथ नदी की धारा प्रवाह में भी आकस्मात बांध की ओर परिवर्तन होने से कटाव हुआ, जिसके फलस्वरूप, नदी की मुख्य धारा ने बांध पर आक्रमण किया जिसे सिंचाई विभाग के समस्त कर्मचारियों के अथक प्रयत्नों के उपरान्त भी न रोका जा सका। अतएव किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जून में जिलाधीश, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर इन्चार्ज इस बांध पर गये लेकिन बावजूद, शोरगुल करने के कोई परवा नहीं की गयी। २ अगस्त को फिर जिलाधीश इंजीनियर को ले कर पहुंचे.....

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके प्रश्न आप पूछिये थोड़े से शब्दों में ताकि उसका उत्तर मिल सके वर्ना उत्तर नहीं मिल सकेगा और न आपको संतोष ही हो सकेगा।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

२ अगस्त, को जिलाधीश और इंजीनियर महोदय से कहा गया लेकिन कोई परवा नहीं की गयी और न मरम्मत ही की गयी....

श्री अध्यक्ष—

अब आप उत्तर सुन लीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जहां तोड़ हुआ उसकी मरम्मत करने के लिये हर प्रकार की व्यवस्था करने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और इरिकेशन डिपार्टमेंट के लोग गये और जितनी सामग्री वहां उपलब्ध थी उससे रोकने का प्रयास किया गया।

कुंवर रुकुम सिंह राठौर—

क्या सरकार को पता है कि दो महीने बाद उसकी मरम्मत के लिये बल्ले लगाये गये लेकिन उसी बांध के करीब में जो शीशम और बबूल के पेड़ खड़े थे उनकी शाखें काटकर बांध के लिए लगा दिया गया और वे दरख्त कहीं और बेच दिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जितनी बातें माननीय सदस्य ने बतायीं उसकी इत्तला मेरे पास है नहीं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

जैसा कि उन्होंने फरमाया कि मानसून के पहले उस बांध की मरम्मत कर दी गयी थी तो क्या वाकई मरम्मत की गयी थी या महज कागज पर मरम्मत की गयी थी जैसी कि हुआ करती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हुआ करती है, इन सब बातों का जवाब मैं नहीं देना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि मरम्मत की गयी थी और ठीक मरम्मत की गयी थी।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

मानसून आने के पहले जब बंधे की मरम्मत की गयी तो कितना धन व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि अहेतुक सहायता दी गयी, भवन निर्माण हेतु तकावी दी गयी, आवश्यक दवायें पहुंचायी गयीं लेकिन बीज का कुछ इन्तजाम किया गया था नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सम्भवतः नहीं किया गया नहीं तो मैं बता देता।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या राजस्व मंत्री इस बात का जवाब देंगे कि १०० गांवों की खेती का नुकसान हजारों काश्तकारों से संबंधित था और जितनी मदद आपने दी वह बहुत नाकाफी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि बांध टूटने का कारण क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मजबूर हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मंत्रीजी ने अभी कहा कि १०० गांव बह जाने पर वहां केरोसिन तेल और चना बांटा गया, तो क्या उनको सूचना है कि जितने रुपये का केरोसिन तेल और चना बांटा गया उससे अधिक रुपया उनके कर्मचारियों के भत्ते और आवागमन पर नहीं व्यय हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी सूचना इस वक्त नहीं है।

इटावा में राजघाट के ठेकेदार को स्टीमर चलाने की अनुमति

*७—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा के यमुना तट स्थित राजघाट के ठेकेदार को सरकार ने स्टीमर चलाने की अनुमति दी है ? यदि हां, तो क्या जो संविदा सरकार और ठेकेदार के बीच नाव चलाने के सिलसिले में हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

राजघाट के ठेकेदार को सरकार ने वर्षा ऋतु में स्टीमर चलाने की अनुमति दी है। कथित संविदे को रद्द नहीं किया गया है।

*८—श्री सहदेवसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ठेकेदार द्वारा नाव चलाना बन्द कर देने और स्टीमर से उतराई चौगुनी होने के कारण जमुना पार करने वाले यात्रियों की कठिनाइयों बहुत बढ़ गई हैं ? यदि हां, तो सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने का क्या उपाय कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी में विधायकों का प्रतिनिधित्व न होना

*९—श्री रामायण राय तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्यों यू० जी० सी० (उत्तर प्रदेश) में विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी हां। संकटकालीन परिस्थिति के कारण।

*१०—श्री रामायण राय तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री इसके उद्देश्य तथा कार्य में जो परिवर्तन किये हैं उन्हें सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वर्तमान यू० जी० सी० के उद्देश्य तथा कार्य वही हैं जो इस से पहले की कमेटी के थे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री रामायणराय—

पहले की विश्वविद्यालय अनुदान समिति में कितने सदस्य थे और उनकी सदस्यता का क्या आधार था और वर्तमान समिति के कितने सदस्य हैं और उनकी सदस्यता का क्या आधार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो पहले की समिति थी उसके सदस्य इस आधार पर थे। एक चेयरमैन, ८ शिक्षा विशेषज्ञ जो यूनिवर्सिटी के होने चाहिये थे और एक कालेज का प्रतिनिधि, एक अर्थ व्यवस्था का जानकार व्यक्ति, ३ विधान सभा के सदय और एक विधान परिषद का सदस्य। अब इस तरह से समिति निर्माण की गई है कि इलाहाबाद विश्वविविद्यालय के २, लखनऊ विश्वविद्यालय के २, आगरा और गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक-एक सदस्य तथा एक सेक्रेटरी।

श्री रामायणराय—

विश्वविद्यालय अनुदान समिति का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं रहा है रखना कैसे उचित समझा गया है जब कि इस आयोग का संबंध कुलपतियों से होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि इस प्रदेश में जो शिक्षा दी जाती है उसमें ऐसे विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं जो रेजीडेंशियल तरीके से शिक्षा देते हैं और ऐसे भी विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं जो और कालेजों को एफीलियेट करके शिक्षा देते हैं। जिन माननीय सदस्य को

इस समिति के चेयरमैन नियुक्त किया गया है वह शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं तथा किसी अन्य प्रदेश में शिक्षा निदेशक भी रह चुके हैं और आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत एक बड़ा कालेज है उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेष जानकारी भी है और शिक्षकों के प्रतिनिधि होकर विधान परिषद् में रह चुके हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के जो ७ आदमी रखे गये हैं उनके क्या नाम हैं और किस आधार पर रखे गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, पूरी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुये कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में विधान मंडल का प्रतिनिधित्व होना उचित है, यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधित्व को घटाकर सदन के एक दो प्रतिनिधि रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---

इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायकों का भी स्थान महत्वपूर्ण है लेकिन एक चीज में निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस परिस्थिति के कारण हुआ कि संकट का समय आगया और इस समिति का खर्च कम करना पड़ा है ।

श्री रामायण राय---

संकटकालीन परिस्थिति में, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात होगा, हिन्दी समिति आदि की कटौती की गई थी और उनको फिर से पुनर्जीवित किया गया, तो इस प्रयोग को पुराने रूप में लाने में क्या कठिनाई है, जब कि बहुत सी कटौतियां समाप्त कर दी गई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---

कठिनाई तो वही है जो मैं निवेदन कर चुका हूं ।

(अध्यक्ष के द्वारा अगले प्रश्न को लेने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

विधान सभा का प्रतिनिधित्व समाप्त किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

हमारे इतने सारे प्रश्न रहते हैं, अगर किसी प्रश्न के संबंध में असंतोष हो तो आपके लिये रास्ता है । यह तो अच्छा नहीं मालूम पड़ता ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब सरकार की तरफ से लीपापोती होती है तब तकलीफ होती है ।

श्री अध्यक्ष---

आप भी लीपापोती करते हैं ।

हाई स्कूल परीक्षा में माध्यम अंग्रेजी करने पर आपत्ति

*११—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि पिछले अनेक वर्षों से हाई स्कूल में अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें हिन्दी अर्थ के माध्यम से पढ़ायी जाती थीं और उसी ढंग से परीक्षा भी होती थी, इस वर्ष नवीं कक्षा में अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों का पठन-पाठन अचानक अंग्रेजी माध्यम से कराने के आदेश को रद्द करके पुराने क्रम से पढ़ाई कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है । परिषद इसमें पुनः संशोधन करना उचित नहीं समझता ।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्तमान नवीं कक्षा के विद्यार्थी आठवीं कक्षा तक अंग्रेजी का बहुत हल्का कोर्स कर आये और यकबयक अगस्त के महीने में इस आदेश के द्वारा उनको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा है जिससे विद्यार्थी और अध्यापकों में बहुत परेशानी और चिन्ता व्याप्त है और दूसरे विषयों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, क्या परिषद् को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सब पहलुओं पर परिषद विचार कर चुकी है । केवल प्रश्न इतना है कि अब तक जो अंग्रेजी में एक परचा हुआ करता था उसमें ८ नम्बरों के जो सवाल होते थे और जिनके लिये विद्यार्थियों को यह आज्ञा थी कि चाहे वे हिन्दी में उत्तर दें या अंग्रेजी में दें अब केवल यह कर दिया गया है कि इन ८ नम्बरों के जो दो सवाल होंगे उनका उत्तर उन्हें अंग्रेजी में देना पड़ेगा । तो परिषद को इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । मैं इतना यह भी निवेदन कर दूं कि यह नियम १९६५ की परीक्षा से लागू होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी जिसके कारण माननीय मंत्री जी ने उन दोनों प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देने के लिये बाध्य किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि इस बात की बार बार चर्चा उठायी जाती है कि हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों का अंग्रेजी स्तर गिरता चला जाता है । यद्यपि अंग्रेजी के दो परचे भी होते थे, वैसे परिषद का नियम तो यह है कि जिस भाषा के परचे हैं उनका उत्तर उसी भाषा में दिया जाता है किन्तु अंग्रेजी के परचों में विशेषकर यह प्राविधान रखा था कि ७० अंकों में केवल ८ अंकों का यदि वे चाहें तो उत्तर हिन्दी में लिख सकते हैं । इस चीज को सामने रखते हुये कि अंग्रेजी की पढ़ाई भी आवश्यक है, उसका स्तर कायम रखने की भी आवश्यकता है, यह उचित समझा गया परिषद के द्वारा कि अब विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी कर दिया जाय कि वे ८ अंकों का उत्तर अंग्रेजी में दें ।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रयोग कब तक चलता रहेगा । आये दिन इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और उससे विद्यार्थियों को कठिनाई होती है, क्या कोई नीति इस दिशा में तय कर पायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---

शिक्षा जीवन से संबंधित है । जीवन विकसित होता रहा है इस वजह से उसमें भी अंतिम बात नहीं कही जा सकती, तो शिक्षा में अंतिम बात क्या कही जा सकती है ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि १९६४ की परीक्षाके लिए टेंथ क्लास के विद्यार्थी अंग्रेजी गद्य पद्य का अनुवाद हिन्दी में सीख रहे हैं और नाइंथ क्लास के विद्यार्थी अंग्रेजी गद्य पद्य का अनुवाद अंग्रेजी में सीख रहे हैं । केवल ८ नवम्बर का प्रश्न नहीं है बल्कि अंग्रेजी गद्य पद्य का अर्थ और प्रश्नों का अंग्रेजी में जवाब देना पड़ेगा, जो कि ८ नम्बर का नहीं उससे अधिक का प्रश्न है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, यह बात तो सही है कि जो विद्यार्थी सन् १९६५ में हाई स्कूल की परीक्षा देंगे उनको इन प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना पड़ेगा किन्तु माननीय सदस्य ने जो यह बात कही कि केवल ८ अंकों का मामला नहीं है उसके लिये मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये परचे कहे गये हैं उन परचों में अंग्रेजी के २ प्रश्न केवल ८ अंकों के हो ऐसे होते थे जिनके लिये विद्यार्थियों को छूट थी कि वह हिन्दी में उत्तर देंगे । अब उसको अंग्रेजी में कर दिया गया है ।

श्री मैनेजरसिंह---

अंग्रेजी के गिरते हुए स्तर को ठीक करने के लिये यह व्यवस्था की गयी है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आज अपने प्रदेश में हिन्दी का भी स्तर गिरता जा रहा है । वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो स्तर पहले प्राइमरी का था वह आज मिडिल का है और जो मिडल का था वह आज हाई स्कूल का है; तो हिन्दी के गिरते हुए स्तर को ऊंचा करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, मेरी जानकारी में यह बात नहीं है ।

नये प्राइमरी स्कूलों के लिये केन्द्रीय सहायता

*१२---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिये अक्तूबर, १९६३ के प्रथम सप्ताह में कितना अनुदान दिया है और इस धनराशि के प्राप्त होने पर कुल कितने अध्यापक रक्खे जायेंगे तथा प्रत्येक का वेतन-क्रम क्या होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---

भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इस वित्तीय वर्ष में ५०.५७ लाख रुपये की सहायता इस शर्त पर देने को कहा है कि राज्य सरकार उतनी ही धनराशि अपने साधनों से उपलब्ध करेगी । इस कुल धनराशि से लगभग ११,२६५ अर्द्धशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जा सकेगी जिनको ४० रु० मासिक वेतन मिलेगा । उनको वार्षिक बढ़ोतरी नहीं मिलेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस धनराशि का उपयोग सरकार के द्वारा किया जा चुका है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस धनराशि का उपयोग किया जायगा ।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूलों में जो अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं उनमें अधिकांश अन्ट्रेंड होते हैं जबकि ट्रेंड टीचर बैठे रह जाते हैं ? ऐसा क्यों किया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य को यह ज्ञात ही है कि शिक्षकों की नियुक्ति जिला परिषद् के द्वारा होती है । यहां से यही बात कही जाती है कि जब ट्रेंड टीचर उपलब्ध हैं तो अन्ट्रेंड टीचर न रखे जायं । यदि माननीय सदस्य की जानकारी में किसी जिले में ऐसी परिस्थिति है कि वहां ट्रेंड शिक्षकों को तो नहीं रखा गया है और वह मौजूद है और अन्ट्रेंड को रखा गया है तो उसे मैं देखने का प्रयास करूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अदीक्षित अध्यापकों की नियुक्ति जो इतनी बड़ी तादाद में प्रदेश में कई वर्षों से हो रही है, क्या उनको दीक्षित करने की कोई योजना प्रदेश में है ? यदि है, तो कब से ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में काफी साधन रखे गये थे किन्तु फिर भी जिस विस्तार से प्राइमरी शिक्षा बढ़ रही है और शिक्षकों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति उससे नहीं हो पाती है । अब सरकार के विचाराधीन योजना है जिससे कि और अधिक संख्या में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा सके ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

जैसा कि मंत्री जी ने कहा, क्या ४० रुपये के अन्दर ट्रेंड मास्टरों की नियुक्ति हो सकती है ? यह ४० रुपये इतने कम है कि इसमें ट्रेंड अध्यापक मिल ही नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस करने लगे । आपको यह पूछना चाहिये कि ४० रुपया वेतन कम है, उसको बढ़ाने के ऊपर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, यदि मुझसे पूछा जाता है तो यह अनट्रेंड का ही नहीं ट्रेंड का भी वेतन में बहुत कम समझता हूं और उसको बढ़ाने की सरकार की सदा इच्छा रहती है । किन्तु वेतन तो बढ़ सकता है जब पैसा हो और पैसे की हमेशा कठिनाई प्रतीत होती है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री इन प्राइमरी टीचरों की जो कि अस्थायी तौर पर जिला-परिषदों के चेयरमैन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, उनकी योग्यता आदि को निर्धारित करने की कृपा करेंगे और ऐसा सर्क्युलर निकालेंगे ताकि पक्षपात न हो सके और भ्रष्टाचार न बढ़े ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शासन की सदा यह कोशिश रहती है कि अच्छे शिक्षक नियुक्त हो सकें और वैसे तो निम्नतम योग्यता निर्धारित है किन्तु शासन इस तरीके का भी प्रयास कर रहा है कि जिला अध्यक्ष

से इस बात का निवेदन करे कि यदि हाई स्कूल शिक्षक उपलब्ध हों तो उन्हें वह रखें। मैं माननीय सदस्य से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सब जिला परिषदों के सदस्य हैं और वह यदि इस बात में सहयोग दें और परिषद के स्तर पर इस बात को देखें तो यह काम सुविधापूर्वक हो सकता है।

उन्नाव जिला परिषद् से हटाये गये अध्यापकों का शेष वेतन

*१३—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अन्तरिम जिला परिषद, उन्नाव के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये गये २३०४ अध्यापकों को वर्तमान अध्यक्ष द्वारा एक महीना का नोटिस देकर उनकी नौकरी ३१ जुलाई से समाप्त कर दी गयी है और क्या इन अध्यापकों का प्रायः छः छः महीने का वेतन बाकी है ? यदि हां, तो यह वेतन नोटिस प्राप्त अध्यापकों को देने की सरकार ने क्या कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वेतन कब तक मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा अनियमित रूप से तथा स्वीकृत संख्या से अधिक २२०४ अध्यापकों को नियुक्त किया गया था। इन अध्यापकों को एक माह का नोटिस देकर १-६-६३ से परिषद् की सेवा से पृथक कर दिया गया है। ३१ अक्टूबर, १९६३ की सूचना से ज्ञात हुआ था कि उक्त अध्यापकों का सितम्बर, १९६२ से ३१ मई, १९६३ तक का वेतन बकाया था। इसके भुगतान के लिए शिक्षा विभाग द्वारा, दिनांक [illegible]-८-६३ की राजाज्ञा द्वारा परिषद् को यह आज्ञा दी गई है कि वह अपने शिक्षा कोष की [illegible] से [illegible] लाख रुपये इस मद पर व्यय करें।

दिनांक २३-११-६३ की राजाज्ञा द्वारा पंचायती राज्य विभाग ने इस मद में परिषद् को ६ लाख का ऋण भी स्वीकार किया है।

बकाया वेतन का भुगतान परिषद् द्वारा आरम्भ कर दिया गया है।

श्री देवदत्त मिश्र—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ६ लाख रुपया और २ लाख रुपया आपने उल्लेख किया है उसमें ८ माह का बकाया वेतन इन २३०४ अध्यापकों का हो जायगा ? यदि नहीं होगा तो उसके लिये क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार केवल ८ लाख रुपये में पूरा नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी इतना दिया गया है और वह इसे भुगतान करेंगे। उस समय तक परिषद का भी निर्माण हो जायगा और शासन तो है ही, वह विचार करेगा।

श्री देवदत्त मिश्र—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे जिन अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है उनमें से जो सूची अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा बनायी गयी है उस में सब को सम्मिलित नहीं किया गया है और इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो २३०४ अध्यापक निकाले गये उसमें किस तरह की अनियमितता बरती गयी थी ? क्या ऐसे अध्यापक रखे गये थे जो योग्य नहीं थे इस पद के लिये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मेरे पास इस समय तमाम ब्योरा नहीं है । लेकिन एक अनियमितता यह थी कि जिला परिषद् ने उस संख्या से अधिक, जो उनके लिए निर्धारित थी, शिक्षक रख लिये थे । इससे ज्यादा ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है ।

बरेली के परीक्षार्थी, श्री अनोखेलाल का परीक्षा-फल गलत घोषित हो जाना

*१४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग द्वारा श्री अनोखेलाल गंगवार, आत्मज श्री नरायन दास, परीक्षा केंद्र, एफ० आई० इंटर कालेज, बरेली को इंटरमीडियेट विज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की मार्क्स शीट दिये जाने के बाद फिर अनुत्तीर्ण घोषित करके दूसरी मार्क्स शीट व टी०सी० लेने के लिये परिषद् द्वारा बाध्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किन नियमों के आधार पर किया जा रहा है तथा गलत परीक्षा फल घोषित करने का उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । सारणीयकों द्वारा त्रुटिवश अधिक क्रमांक दे दिये जाने के कारण श्री अनोखे लाल गंगवार को अनुत्तीर्ण के बजाय उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया । गलती जांच में पकड़ी जाने पर परिषद् के कैलेन्डर के अध्याय ३ के विनियम ५-ए के अन्तर्गत छात्र के परीक्षाफल में संशोधन करते हुये उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया और उसे अशुद्ध मार्कशीट वापस करने का आदेश दिया गया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सहायक चकबन्दी अधिकारी, कुंवरपुर के विरुद्ध जांच

*१—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ए० सी० ओ० कुंवरपुर के विरुद्ध किन-किन विभागीय उच्च अधिकारियों को कब और कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उसके विरुद्ध अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सहायक चकबन्दी अधिकारी कुंवरपुर के विरुद्ध तीन शिकायती पत्र, दिनांक १८–९–६१, ५–१२–६१ तथा १८–१–६३ जिला उप-संचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, कानपुर को प्राप्त हुये थे तथा तीन शिकायती पत्र दिनांक १२–९–६२, १३–९–६२ तथा ४–१२–६२ चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे ।

जिला उप-संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, कानपुर को प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक १८–९–६१ की जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, कानपुर द्वारा की गई थी तथा शेष दो शिकायती पत्रों की जांच सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारियों द्वारा की गई थी । चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक ४–१०–६२ की जांच जिलाधीश, कानपुर द्वारा तथा शेष दो शिकायती पत्रों की जांच सम्बन्धित क्षेत्रीय उप-संचालक, चकबन्दी द्वारा कराई गई ।

इस समय सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रहे हैं।

*२—श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि ए० सी० ओ० कुंवरपुर के विरुद्ध जांच करने हेतु डी० डी० सी० गये थे? यदि हां, तो उन्होंने प्रार्थना-पत्र की जांच करके कितने समय में उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

जी हां। डी० डी० सी० ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट लगभग २-२ १/२ मास में दिया था किन्तु एक महत्वपूर्ण साक्षी, जो एक अन्य जिले का निवासी है तथा व्यापार के सम्बन्ध में इधर-उधर घूमता रहता है, के साक्ष्य (Evidence) के अभाव में तथा सम्बन्धित कृषकों के असहयोग के कारण शिकायती पत्र दिनांक १२-९-६२ तथा १३-९-६२ की अन्तिम रिपोर्ट ७-११-६३ को प्रस्तुत की गई।

*३—श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या ए० सी० ओ०, कुंवरपुर के शिकायती पत्र में निर्णय न देने के कारण किसी विधायक द्वारा मन्त्रियों व अधिकारियों को विरोध पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र दिनांक २६-१२-६२ की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०६५ पर)

गोरखपुर क्षेत्र में राजकीय आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की भर्ती

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के उपशिक्षा संचालक ने सन् १९६२ में माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के चुनाव के सम्बन्ध में कोई नया आदेश निकाला है, जिसके आधार पर बाहर के भी उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। राजकीय आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी भरती के लिये मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने ऐसा विज्ञापन सितम्बर, १९६२ में जारी किया, प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०६६-१०६७ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि सितम्बर, १९६२ के पहले चुनाव की पद्धति क्या थी और इसे बदलने का क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश—

इससे पूर्व यह नियुक्ति निदेशक द्वारा हुआ करती थी और विकेन्द्रीकरण को सामने रखते हुये अब यह अधिकार उपनिदेशक को दिया गया है।

श्री रामायणराय—

क्या निदेशक महोदय बाहर के लोगों को भी प्रधानाध्यापक बनाते समय आमंत्रित किया करते थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। यह बात पहले से है कि आधे आधे रखे जाते थे, आधे उन शिक्षकों में से और आधे बाहर से। अब भी वही प्रणाली है।

तरबगंज तहसील में चकबन्दी के अन्तर्गत छोड़ी गयी जमीन

*५—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में कितने एकड़ भूमि चकबन्दी में मतरूक पाई गई है और उक्त मतरूक नम्बरों का जो आर्डर द्वारा काश्तकारों को मिले हैं, उनका रकबा क्या है ? और उनका रकबा क्या है जो बिना आर्डर काश्तकारों को दिये गये हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील के जिन ४५३ ग्रामों को चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लिया गया था उनमें कुल २८२०.३७ एकड़ भूमि मतरूक पायी गयी जिसमें से २५३०.९९ एकड़ पर सम्बन्धित कृषकों के तथा २८९.३८ एकड़ पर सम्बन्धित ग्राम समाजों के नाम मुकद्दमों में हुए आदेशों के आधार पर दर्ज किए गए। बिना आदेश के कोई मतरूक रकबा किसी काश्तकार को नहीं दिया गया है।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह खाते छोटे कृषकों के थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद—

जो २८९ एकड़ के करीब जमीन ग्राम सभा के नाम से है, क्या उस को बड़े-बड़े लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो फैसला हुआ उसके मुताबिक काम हुआ। अब किसने कब्जा कर लिया, इसकी सूचना नहीं है।

सुल्तानपुर जिले में पाठशाला भवन निर्माणार्थ धन

*६—श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—

२७ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न सं० ७२ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में जिन गांव सभाओं को पाठशाला भवन निर्माण हेतु जो रुपया सन् १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में स्वीकृत किया गया था वह उनके एकाउन्ट में जमा करा दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

स्कूल भवन निर्माणार्थ रुपया स्कूलों के नाम से स्वीकृत किया जाता है, न कि ग्राम सभाओं के नाम से। स्वीकृति के पश्चात् यह रुपया संबंधित ग्राम सभाओं के एकाउन्ट में जमा हो जाता है।

जिला सुल्तानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला भवन निर्माणार्थ रुपया जो १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में स्वीकृत किया गया था वह कुछ संबंधित ग्राम सभाओं के एकाउन्टों में या तो पूरा का पूरा नहीं जमा हुआ है या उसका कुछ भाग हस्तान्तरित नहीं हुआ है।

*७—श्री उमादत्त—

जिन गांव सभाओं ने अब तक निर्माण-कार्य जारी नहीं किया है, क्या उनका पूरा रुपया उनके एकाउन्ट में जमा है? यदि नहीं है, तो किन गांव सभाओं का रुपया नहीं है और क्या उनके विरुद्ध गबन की कार्यवाही की गयी है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिन स्कूल-भवनों का निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है उनके हेतु स्वीकृत रुपया कुछ संबंधित गांव सभाओं के एकाउन्टों में पूरा जमा नहीं हुआ है। इनकी सूची संलग्न है। संबंधित ग्राम सभाओं के विरुद्ध गबन की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पूरा रुपया अभी उन्हें मिला ही नहीं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०६८–१०७० पर)

देवरिया जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

देवरिया में दिनांक ३० जुलाई, १९६३ तक के बाढ़ पीड़ित गांवों को क्या सहायता दी गयी, क्या सरकार विकास क्षेत्र बाढ़ पीड़ित ग्रामों की संख्या और सहायता का विवरण देगी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

दिनांक ३० जुलाई, १९६३ तक बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ ८२ नावों की व्यवस्था की गई थी।

उक्त तिथि तक देवरिया तहसील के केवल रुद्रपुर विकास क्षेत्र में अहेतुक सहायता के रूप में १५६ मन ८ सेर चना, ३९ मन १५ सेर नमक, ४४ टिन मिट्टी का तेल व ४४ दर्जन दियासलाइयां बाढ़ पीड़ित असहायों में वितरित की गई थीं तथा तहसील सलेमपुर के बरहज विकास क्षेत्र में २४० रु० नक़द खैरात के रूप में बांटा गया।

विकास क्षेत्र बाढ़ प्रभावित ग्रामों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०७१ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के ओवरसियरों के विरुद्ध शिकायतें

*९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्लू० डी० टेम्पोरेरी डिवीजन गोरखपुर के कुछ ओवरसियरों के विरुद्ध ठेकेदारों ने १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में शिकायतें की हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०७२–१०७३ पर)

श्री कल्पनाथसिंह—

दूसरे नम्बर के ओवरसियर श्री राधेश्याम के खिलाफ क्या शिकायतें थीं और जांच किस अधिकारी ने की तथा शिकायत करने वाले का भी क्या कोई बयान लिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जांच एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने की।

श्री कल्पनाथसिंह—

उनका बयान भी लिया गया या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उनसे पूछताछ की गयी थी।

श्री मैनेजरसिंह—

ठेकेदारों की शिकायतें क्या थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

भिन्न-भिन्न ठेकेदारों की अलग-अलग शिकायतें थीं। जिस शिकायत के बारे में आप सवाल करें, बता दूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या यह शिकायत थी कि वे कोयला आदि बेचते हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी फिर से जांच करायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

शिकायतें कई हैं। जिस शिकायत के बारे में आप जानना चाहें उसका नाम बता सकता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह—

प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की भी शिकायत थी कि ओवरसियर साहब कोयला, सीमेंट और लोहा बाजार में बेचते थे। फिर जिस व्यक्ति ने शिकायत की क्या उसका कोई बयान लिया गया और लिया गया तो उसने क्या क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—

बयान के बारे में तो अलग से पूछताछ की गयी।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या-क्या थे, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जब उनके बयान यहां नहीं पढ़े जायेंगे। दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्री बब्बन लाल के खिलाफ जो विजय प्रताप सिंह ने शिकायत की उसमें इसको तो सरकार ने माना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो २०० रुपये की वसूली का आदेश दिया जा रहा है वह २०० रुपये क्या सरकारी खजाने में जमा होंगे या इस ठेकेदार को वापस किया जायगा, सरकार का क्या विचार है ?

श्री जगनाथप्रसाद रावत---

रुपया तो सरकार के खजाने में जमा होगा और जो ठेकेदार का वाजिब होगा वह उसको मिलेगा।

मिर्जापुर के "जनता-पत्र" में भ्रमपूर्ण समाचार

*१०---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ४ अप्रैल, १९६३ के मिर्जापुर के "जनता-पत्र" के अंक ३२ के पृष्ठ १, २ और ४ पर "जिला विद्यालय निरीक्षक की कम अकली से ६,००० रुपया स्वाहा" शीर्षक समाचार की सत्यता क्या है और इस क्षति की पूर्ति किस प्रकार की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जनता-पत्र में प्रकाशित समाचार भ्रमपूर्ण है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रति न्याय संगत नहीं है। यह सही है कि कुछ यात्रा भत्ता बिल वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में भुगतान नहीं हो पाये किन्तु वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के कारण यात्रा भत्ता बिल भुगतान न किये जाने का यह अर्थ नहीं होता कि कर्मचारियों के क्लेम्स व्यपगत हो जायं। वास्तव में इन सभी क्लेमों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में हो चुका है।

माल विभाग, आजमगढ़ से सेवा-मुक्त कर्मचारी

*११---श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के माल विभाग के कितने कर्मचारी ३१ मार्च, १९६३ को ५५ वर्ष समाप्त होने पर सेवा-मुक्त कर दिये गये तथा ३१ मार्च, १९६३ को सेवावधि समाप्त होने पर जिनकी अवधि ३० जून, १९६३ तक बढ़ाई गई है क्या उनकी कार्यक्षमता सेवामुक्त कर्मचारियों की अपेक्षाकृत अच्छी है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

केवल दो कर्मचारी ५५ वर्ष समाप्त होने पर क्रमशः २१ मार्च, १९६३ व ३१ मार्च, १९६३ को सेवा-मुक्त कर दिये गये। ३१ मार्च, १९६३ को सेवा अवधि समाप्त होने पर जिनकी अवधि ३० जून, १९६३, तक बढ़ाई गई उनकी कार्यक्षमता सेवा-मुक्त किये गये कर्मचारियों की अपेक्षा अच्छी है।

बुलन्दशहर जिले की तहसीलों में दलित वर्ग के चपरासी

*१२---श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

तहसील बुलन्दशहर, तहसील खुर्जा, तहसील सिकन्दराबाद, तहसील अनूपशहर, इन चारों तहसीलों में कुल पृथक्-पृथक् कितने चपरासी हैं, उनमें स्थायी कितने चपरासी हैं, अस्थायी कितने चपरासी हैं, उनमें दलित वर्ग के कितने चपरासी हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०७४ पर)

*१३—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार जिला बुलन्दशहर के जिलाधीश को इस प्रकार का आदेश देगी कि सुरक्षित स्थान चपरासियों के १८ प्रतिशत से पूरे किये जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधीशों को आवश्यक आदेश पहले से ही दिये जा चुके हैं।

ग्राम समाज, बरईगढ़ की भूमि

*१४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला कानपुर की घाटमपुर तहसील के ग्राम समाज अथवा ग्राम पंचायत, बरईगढ़ के पास उस क्षेत्र में चकबन्दी कार्य आरम्भ होने के पूर्व कितनी भूमि रिकार्ड में थी तथा कितनी भूमि के मामले अदालत में थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम समाज, बरईगढ़ के पास चकबन्दी कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व कुल ९६९ बीघा १७ बिस्वा १५ बिस्वांसी भूमि रेकर्ड थी तथा ६८ बीघा ९ बिस्वा १२ बिस्वांसी भूमि संबंधी ६६ मामले अदालत में थे।

राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, निशातगंज, लखनऊ

*१५—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, निशातगंज, लखनऊ में सन् १९६१–६२ व १९६२–६३ के कक्षा ६ में कुल कितने छात्र थे और इस वर्ष १९६३–६४ में कुल कितने छात्र हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१९६१–६२ में ४१ तथा १९६२–६३ में ५० छात्र थे और १९६३–६४ में ४५ हैं।

*१६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शासन को यह शिकायत मिली है कि प्रधानाचार्य महोदय छात्रों को जिनका प्रारम्भ में तीन दिन अनुपस्थित रहने के कारण नाम कट गया है, पुनः प्रवेश नहीं दे रहे हैं, ? यदि हां, तो क्या कारण है जब कि स्थान की पूर्ति अभी नहीं की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, शिक्षा निदेशक को ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है। पुनः प्रवेश न देने का कारण यह है कि इस कक्षा में छात्रों के बैठने के लिये काफी जगह नहीं है। अतः ४५ से अधिक छात्र रखना उचित नहीं समझा गया।

*१७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या और कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता ।

राप्ती कछार जन सम्मेलन, रुद्रपुर के बाढ़ संबंधी सुझाव

*१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक १७ जुलाई, १९६३ को दिनांक १२ जुलाई, १९६३ को संपन्न हुये सातवें रुद्रपुर राप्ती कछार जन-सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव कि "बाढ़ आने पर सहायता कैसे हो" भेजा है ? यदि हां, तो उन सुझावों पर अमल करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दिनांक १२ जुलाई, १९६३ को संपन्न हुये सातवें रुद्रपुर राप्ती कछार जन सम्मेलन में दिये हुये सुझावों को यथासाध्य नियमानुकूल कार्यवाही की जा रही है ।

शाहजहांपुर तथा अन्य स्थानीय निकायों की समाप्त जमींदारी का मुआवजा

*१९—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के कौन-कौन से Town Areas Municipal Board में स्थित जमींदारी कौन-कौन दिनांक को समाप्त (abolish) की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

शाहजहांपुर जिले के तिलहर म्यूनिसिपल बोर्ड तथा कटारा, पुवायां और जलालाबाद टाउन एरियाओं में जमींदारियां १ जुलाई, १९६१को तथा शाहजहांपुर म्यूनिसिपल बोर्ड में १ जुलाई, १९६३ को समाप्त की गईं ।

*२०—श्री भगवानसहाय—

क्या इन नगरक्षेत्र के अन्दर के मुआवजे के कागज बन गये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी केवल पुवायां टाउन एरिया के मुआवजे के कागज बने हैं पर अभी उनका अंतिम किया जाना बाकी है ।

प्रतिकर निर्धारण के मामले अदालती होने के कारण सरकार इस स्थिति में नहीं है कि प्रतिकर के कागज प्रतिकर अधिकारी द्वारा क्यों अब तक न बनाये जाने अथवा अन्तिम किये जाने के विषय में सूचना दे सके ।

*२१—श्री भगवानसहाय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में नागर क्षेत्र में जमींदारी के कहाँ-कहां अभी मुआवजे के कागज नहीं बने और जहां नहीं बने उनके क्या सरकार जमींदारी abolition की तारीख देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

अभी तक केवल निम्न पांच नागर क्षेत्रों में प्रतिकर तालिकायें अन्तिम हुई हैं —

मुरादाबाद—

(१) हसनपुर म्यूनिसिपल बोर्ड,
(२) बच्छरावं टाउन एरिया,
(३) घनौरा टाउन एरिया ।

इटावा—

(क) इकदिल टाउन एरिया ।

राय बरेली—

(१) महाराजगंज टाउन एरिया ।

उन क्षेत्रों में जहां प्रतिकर तालिकायें अभी तक अन्तिम नहीं हुई जमींदारी विनाश की तारीखें निम्न प्रकार हैं :—

१६३ नागर क्षेत्र	..	१ जुलाई १९६१
४१ नागर क्षेत्र	..	१ जुलाई १९६२
९० नागर क्षेत्र	..	१ जुलाई १९६३
२९४		

गोंडा जिले में भड़सही–बनकटवा सड़क निर्माण योजना

*२२—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा बरदौलिया, पोस्ट इसनापुर, ग्राम भड़सहिया विकास क्षेत्र (शिवपुरा, हुर्रेया सतधरवा) जिला गोंडा के अन्तर्गत तुलसीपुर से चौधरी-डीह जाने वाली सड़क से बनकटवा रेंज हेडक्वार्टर से गुजरने वाली फारेस्ट रोड से भड़सहिया ग्राम के खेतों के बीच से सड़क निकाल कर मिलाने की योजना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां ।

*२३—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क के बनाने से उक्त ग्राम के अधिक खेत निकल जायेंगे जबकि दो नालों के बीच में बसे रहने के कारण ग्राम सदैव बाढ़ से पीड़ित रहता है ? यदि हां, तो जब एक सड़क उसके पश्चिम से बनकटवा जाती है तो इसको न बनाकर उसी से मिलाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां । कुछ खेत अवश्य सड़क में पड़ेंगे । वर्तमान सड़क को पक्का करने में एक पुल लगभग २ लाख रुपये की लागत का निर्माण कराना पड़ेगा । इस व्यय के अतिरिक्त पुल निर्माण के कारण सड़क तैयार होने में भी समय अधिक लगेगा । इस कारण भड़सही से बनकटवा तक सीधी सड़क बनाने का ही निश्चय किया गया है ।

मैनपुरी तथा एटा जिलों में मार्गों को पक्का करने की प्रार्थना

*२४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ६, दिनांक १६ फरवरी, १९६० के पूरक प्रश्नोत्तरों के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में घिरौर से अलपुरा घाट २२ मील कच्चा रास्ता और एटा जिले में अलीगंज से अलपुरा घाट तक ९ मील कच्चा रास्ता कुल मिला कर ३१ मील जो कच्चा रास्ता है उसे पक्का करने के लिये अन्तरिम जिला परिषद्, मैनपुरी से जो राय मांगी थी वह क्या राय आयी है और यह सड़क कब तक पक्की हो जावेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अन्तरिम जिला परिषद्, मैनपुरी, ने घिरौर, अलपुरा घाट सड़क के कुछ भाग को तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत निर्माण करने की सिफारिश की थी परन्तु इस सड़क को नीची प्राथमिकता दी थी। अलीगंज–अलपुराघाट सड़क को तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित करने के लिये कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी। अतः इन सड़कों को तृतीय आयोजना अथवा किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। अतएव इन सड़कों को इस समय पक्का करने की कोई योजना नहीं है।

शिक्षा विभाग में परिगणित जातीय प्रशिक्षार्थी

*२५—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कुल कितने एल० टी०, जे० वी० टी० सी०, जे० टी० सी०, पी० टी० सी० के छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उनमें परिगणित जाति के छात्रों की संख्या क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस समय कुल १५,२०५ छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिनमें परिगणित जाति के छात्रों की संख्या १,३९९ है।

नहर शाख, फर्रुखाबाद सड़क को पहरा तक बढ़ाना

*२६—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जिला एटा की नहर शाख फर्रुखाबाद पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क बनायी गयी है उसे नहर निरीक्षण भवन पहरा तक मिला देने की कृपा करेंगे जिससे फर्रुखाबाद एवं कानपुर तक के लिये सीधा मार्ग हो जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। धनाभाव के कारण इस सड़क का निर्माण कराना इस समय सम्भव नहीं है।

उन्नाव जिले में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल

*२७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में कितने रिकग्नाइज्ड जूनियर हाई स्कूल हैं ? उनमें कितने-कितने ट्रेण्ड अध्यापक हैं और विद्यार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उन्नाव जिले में १३१ रिकग्नाइज्ड जूनियर हाई स्कूल हैं। ट्रेण्ड अध्यापकों एवं छात्र की संख्या की सूची† संलग्न है।

---

†छापी नहीं गई।

बिन्दकी तहसील के जाफराबाद गांव में चकबन्दी

*२८—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जाफराबाद, परगना कोटिया गुनीर, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर चकबन्दी की आयतीकरण योजना के अन्तर्गत रखा गया और आयतीकर्त्ता ने चक निर्माण की सुविधा हेतु नक्शे पर पैमाइश कर के आधार रेखायें खींचीं तथा अन्य इनकी समानान्तर रेखायें भी खींची किन्तु बाद में उक्त ग्राम आयतीकरण योजना से अलग कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किस आधार पर किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त ग्राम आयतीकरण योजना के अन्तर्गत रखा गया था परन्तु पूरे गांव में आयत रेखायें खींचने के पहले ही यह पता लगा कि पूर्ण सर्वेक्षण किये बिना ग्राम में सही आयतीकरण करना सम्भव नहीं होगा। सर्वेक्षण करने पर ग्राम के चकबन्दी कार्य की प्रगति में अनावश्यक विलम्ब होने की सम्भावना थी इसलिये उसे आयतीकरण योजना से निकाल दिया गया।

*२९—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी में उक्त ग्राम जाफराबाद के नक्शे में कितने प्रतिशत गलती मिली और क्या इस गलती को दूर करने के लिये ग्राम का रि-सर्वे कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या रि-सर्वे कराने के लिये उक्त ग्राम के श्री रामधनी सिंह आदि का कोई प्रार्थना-पत्र सन् १९६१ ई० में डाइरेक्टर चकबन्दी, लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी के अन्तर्गत नक्शे की दुरुस्ती में उक्त ग्राम में १.५ प्रतिशत गलतियां मिलीं। चूंकि गाटों के रकबों की दुरुस्ती के लिये पूर्ण सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं थी अतः इस संबंध में प्राप्त श्री रामधनी सिंह आदि का प्रार्थना-पत्र चकबन्दी निदेशक द्वारा निक्षेप कर दिया गया।

*३०—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी, उक्त ग्राम जाफराबाद के चकों की आकृति आकार में आयताकार तथा रकबे में बलिहाज मौका सही है ? क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इस ग्राम के सभी चकों का डिमार्केशन नक्शे पर बने चक के अनुसार ही जमीन पर किया गया है और क्या इस संबंध में भी ग्राम जाफराबाद के निवासी रामधनी सिंह, अध्यक्ष, फरीदपुर संयुक्त सहकारी कृषि समिति तथा अन्य सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने कोई प्रार्थना-पत्र डाइरेक्टर चकबन्दी, लखनऊ तथा माल मंत्री, उत्तर प्रदेश के पास जुलाई सन् १९६३ को भेजा है ? यदि हां, तो इस पर जो कार्यवाही हुई है, उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त ग्राम के चक तथा सम्भव आयताकार ही बनाये गये हैं। चकों के नक्शों के अनुसार ही मौके पर निशानदेही कर दी गई है। इस विषय में श्री रामधनी सिंह आदि का एक प्रार्थना-पत्र शासन को जुलाई, १९६३ में प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच के फलस्वरूप अधिकांश आरोप असत्य पाये गये। श्री रामधनी सिंह ने अपना पूर्ण सन्तोष व्यक्त करते हुये अपनी शिकायत वापस ले ली है।

आजमगढ़ जिले की शिक्षा संस्थाओं को मान्यता

*३१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् (मान्यता समिति), इलाहाबाद के पास इस वर्ष आजमगढ़ जिले के किन-किन शिक्षा संस्थाओं को प्रार्थना-पत्र मान्यता संबंधी प्राप्त हुआ और उनमें से किन को मान्यता दी गयी तथा शेष को नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

३४ विद्यालयों के ३७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे । जिन संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई उनके नाम परिशिष्ट (१)† में तथा जिनको मान्यता नहीं दी गई उनके नाम परिशिष्ट (२)† में कारणों सहित अंकित हैं ।

के० के० जैन इन्टर कालेज, खतौली के प्रिन्सिपल की नियुक्ति

*३२—श्री रामचन्द्रसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि के० के० जैन इन्टर कालेज, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के श्री कामता प्रसाद जैन की आचार्य के पद पर १५ जून, १९६२ को हुई नियुक्ति वैधानिक है ? श्री कामता प्रसाद जैन का दिनांक ३ मार्च, १९६२ को आचार्य पद से त्याग-पत्र स्वीकार हुआ था और पुनः उनका १५ जून, १९६२ को अपने उसी पुराने पद पर पुराने वेतन के अतिरिक्त दो और इन्क्रीमेन्ट देकर रखा गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

(क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) श्री जैन को उनके पुराने वेतन पर आचार्य पद पर पुनः रखा गया है किन्तु कोई अतिरिक्त इन्क्रीमेन्ट नहीं दिया गया है ।

राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में नियुक्ति के लिये श्री एच० के० शर्मा की क्वालीफिकेशन्स

*३३—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में वाइस-प्रिंसिपल के पद के चयन करने के हेतु श्री एच० के० शर्मा ने जो इस समय जन विद्यापीठ हल्द्वानी में हैं, अपने प्रार्थना-पत्र में ऐसा सार्टिफिकेट दिया है कि नागपुर मसाज क्लिनिक से मसाज तथा रेमेडियल जमनास्टिक की शिक्षा प्राप्त हैं और उस शिक्षण काल का समय १ जनवरी, १९५२ से ३० जून, १९५२ तक लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस शिक्षण काल की कोई प्रामाणित जानकारी हासिल की है कि उन्होंने यह शिक्षण उपरोक्त काल में प्राप्त किया अथवा नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री एच० के० शर्मा ने अपने प्रार्थना-पत्र में नागपुर मसाज क्लीनिक से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि दी है किन्तु उसका शिक्षण काल १ जनवरी, सन् १९५१ से ३० जून, १९५१ उल्लिखित है ।

---

† छापा नहीं गया ।

श्री शर्मा राजकीय सेवा में १६-१०-५१ से आये। अतएव उक्त शिक्षण काल की जानकारी का प्रश्न नहीं उठता।

*३४---श्री राममूर्ति 'अंचल'---

क्या यह सही है कि श्री एच० के० शर्मा, १ जनवरी, १९५२ से १० अप्रैल, १९५२ तक इलाहाबाद मे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में मसाज और रेमेडियल एक्सरसाइजेज के लेक्चरर रहे और वहीं से उन्होंने अपना वेतन क्रमशः १ फरवरी, १९५२ को २०० रुपये वेतन व ३५ रुपये डी० ए०, कुल मिलाकर २३५ रुपये और इसी प्रकार १ मार्च, १९५२ को २३५ रु० और १० अप्रैल, १९५२ को २३५ रुपया वेतन के रूप में लिये? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न १ अथवा २ में से कौन-सी बात ठीक है?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां। शिक्षण काल तथा सेवा काल भिन्न हैं, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

*३५---श्री राममूर्ति 'अंचल'---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मसाज क्लिनिक और मसाज जमनास्टिक क्लिनिक, नागपुर में हैं अथवा नहीं और यदि है, तो क्या भारत सरकार या प्रदेशीय सरकार की मान्यता उसे प्राप्त है और यदि इस प्रकार की कोई क्लिनिक नहीं है, तो श्री एच० के० शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---

आवश्यक जानकारी के लिये संबंधित प्रदेश के शिक्षा विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है। सही सूचना प्राप्त होने के बाद ही आवश्यक कार्यवाही का प्रश्न उठेगा।

जलालाबाद-दखौड़ी सड़क पर कृष्णा नदी का पुल न होना

*३६---श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में जलालाबाद से दखौड़ी सार्वजनिक मार्ग पर कृष्णा नदी में पुल एस्टीमेट आदि बन जाने के बाद भी नहीं बनाया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री जगनप्रसाद रावत---

प्रश्नगत पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और नहीं कभी उसका आगणन इस विभाग द्वारा बनाया गया।

वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् के अतिरिक्त अध्यापकों का वेतन

*३७---श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् को कई वर्ष से सरकार द्वारा १७५ अतिरिक्त अध्यापक दिये गये हैं जिनका प्राविडेंट फंड तथा पूरे वर्ष की तनख्वाह सरकार देती है? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इन अतिरिक्त अध्यापकों की सन् १९६१-६२ के जून की तनख्वाह नहीं दी गयी और उनकी सर्विस प्रतिवर्ष टर्मिनेट कर दी जाती रही है और १९६२-६३ में सर्विस से अलग नहीं किये गये तो भी जून, सन् १९६३ की तनख्वाह नहीं दी गयी? इसका क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश---

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् वाराणसी के लिये १९६१-६२ व १९६२-६३ में १०५ अतिरिक्त अदीक्षित अध्यापक स्वीकृत किये गये थे। इस वर्ष ८७ अध्यापक और स्वीकृत किये गये हैं।

इन अध्यापकों को पूरे वर्ष का वेतन, महंगाई भत्ता व प्रावीडेन्ड फंड देने के लिये शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। प्राप्त सूचना से विदित होता है कि जिला परिषद् वाराणसी उन्हें माह जून का वेतन नहीं देती इसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुरादाबाद जिले में सड़कों का निर्माण

*३८---श्री रियासत हुसैन---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ब्लाक मुढ़ा भगतपुर और मुरादाबाद सिटी में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी-कितनी नई सड़कें बनाई गई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रश्नगत ब्लाकों में कोई सड़क नहीं बनायी गई। नियोजन विभाग ने विकासक्षेत्र मुरादाबाद में ३५ मील १ फर्लांग नई कच्ची सड़कें तथा ६ १/२ फर्लांग नई पक्की सड़कों का निर्माण कराया।

नैनीताल जिले का तालाब, ग्रामबारी

*३९---श्री इन्द्रासन सिंह (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालाब, ग्राम बारी, तहसील किछा, जिला नैनीताल स्टेट खास का है या तहसील के अन्तर्गत है ? क्या यह सही है कि इस तालाब की मछलियां २० जून, १९६२ को तहसीलदार किछा द्वारा ५,००० रुपये में नीलाम की गयीं ? यदि हां, तो यह सरकारी धन सरकारी खजाने में कब जमा हुआ और कितना ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

यह तालाब खास का है। इस तालाब की मछलियां २० जून, १९६२ को तहसीलदार किछा द्वारा नीलाम नहीं की गई। प्रश्न का तीसरा भाग नहीं उठता।

*४०---श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त तालाब वन विभाग के अधिकारियों की आज्ञा बिना ही नीलाम किया गया था और इसकी शिकायत वन विभाग ने डी० सी० नैनीताल के पास की थी ? यदि हां, तो इस पर अंतिम निर्णय क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

जी हां, वन विभाग से कोई शिकायत नहीं आयी। प्रश्न का तीसरा भाग नहीं उठता।

बहराइच जिले में सड़कों का निर्माण

*४१---श्री ऊदल तथा श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बहराइच में कौन सी सड़कें भारत-नैपाल सरहद पर बनाई जा रही हैं और क्या उनको बहराइच से भी मिलाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस जिले के तराई क्षेत्र के विकास के लिये सरकार ने ६ नई सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया है जिनमें नानपारा के उत्तर की भिनगा, सिरसा, ककरडाही आदि की सड़कें सम्मिलित हैं । यह सभी सड़कें उन वर्तमान सड़कों से मिली हुई है जो बहराइच से मिलाती है ।

१३ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री कल्पनाथसिंह---

[१७ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न सं० २१-२२ के अन्तर्गत हो चुके हैं ।]

*३---श्री कल्पनाथ सिंह---

[२९ अक्तूबर १९६३ को प्रश्न सं० १५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

लेखपाल को खसरे में काबिज लिखने का अधिकार देने के संबंध में समिति की रिपोर्ट

*४---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ५, दिनांक १८ मई, १९६२ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेगी कि उत्तर में उल्लिखित रिपोर्ट अब आ गई है या नहीं ? यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है और अन्य बातें कौन-कौन सी थीं, जिनकी रिपोर्ट आनी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां, अब पूरी रिपोर्ट आ गयी है ।

संक्षेप में समिति की सिफारिशें यह है कि

(१) खतौनी इन्तखाब की प्रतिलिपि प्रत्येक काश्तकार को देना आवश्यक नहीं होना चाहिये ।

(२) लेखपाल का खाना कैफियत में काबिज करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाये ।

(३) लेखपाल के बदले उसी की गोपनीय रिपोर्ट पर कानूनगो पूरी जांच के बाद इन्दराज करे ।

(४) इन्दराज के पूर्व गांव-सभा अथवा काश्तकार से राय लेना आवश्यक नहीं होना चाहिये ।

देवरिया जिले के वृहत जोत कर दाताओं की जोत संबंधी सूची

*५---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले से १ जनवरी, १९६३ से लेकर १ जून, १९६३ तक कितनी ऐसी दरख्वास्तें मुख्य मंत्री तथा जिलाधीश देवरिया के पास पड़ी हैं जिनमें शिकायत की गई है कि फलां व्यक्ति जो पहले कृषि आय कर, अधिकतम जोत सीमा कर-देता था और जिसकी मृत्यु होने पर मृत्यु-कर भी लगा था उनके खेत हदबन्दी कानून के लागू होने के बाद सरकार को नहीं मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

केवल एक ।

*६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार ने ऐसी दरख्वास्तों पर खुली जांच कराई। यदि हां, तो कब और कौन अधिकारी ने जांच की, क्या उसका विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

हदबन्दी कानून लागू होने के पूर्व जनपद देवरिया भर में कितने लोग तहसीलवार ऐसे थे जो सन् १९५८ में कृषि आय-कर व बृहत जोतकर देते थे ? और उस समय उनके पास कितने एकड़ जोत थी और अब कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूची सदन की मेज पर रक्खी है ?

*८—१०—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिये गये।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय अनुदान

*११—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये गत विगत चार वर्षों में कौन कौन से ग्रांट्स किस-किस कार्य के लिये दिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०७५ पर)

*१२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ग्रांट, जिस कार्य के लिये प्रदान किये गये थे, उन्हीं कार्यों में ही लगाये गये तथा क्या वे कार्य सभी पूरे हो गये है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(नत्थी देखिये 'छ' आगे पृष्ठ १०७५ पर)

*१३—१५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[६ वें बुधवार के लिये प्रश्न ९—११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भोगांव तहसील में तकावी की वसूली

*१६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार ८ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि जिन विकास क्षेत्र अधिकारियों ने तहसील तथा जिलाधीश के कार्यालय को १६,९७० रुपये ६० नये पैसे की वसूली के लिये इत्तिला नहीं भेजी और करीब करीब ४ साल से सरकारी रुपया वसूली के लिये पड़ा रहा, उनके खिलाफ क्या वह कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिन अधिकारियों ने तहसील व जिलाधीश के कार्यालय को रुपये की वसूली की इत्तिला उचित समय पर नहीं भेजी उनके उत्तरदायित्व के विषय में जांच की जा रही है तथा जांच के पूर्ण होने पर उचित कर्यावाही की जायेगी ।

इन्टरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम में संशोधन करने पर विचार

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंटर शिक्षा विधेयक में संशोधन करने के लिये अभी हाल में ही (गोरखपुर) में हुये प्रादेशिक प्रबन्धक सम्मेलन उत्तर प्रदेश में घोषणा उनके द्वारा की गई है ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इंटरमीडियेट एजूकेशन अधिनियम के संशोधन करने की आवश्यकता व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये तथा कुछ कठिनाई निवारक आदेशों, जिनका समय समाप्त हो गया है, का स्थायित्व प्रदान करने के लिये प्रतीत हुयी । अतः संशोधन का विषय शासन के विचाराधीन है ।

एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये न्यूनतम योग्यता

*१८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

२२ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मिडिल व जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण योग्यता एच०टी० सी० की ट्रेनिंग के लिये निर्धारित करने वाला एजूकेशनल कोड का नियम रद्द नहीं हुआ तो हाई स्कूल व इंटर पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के नाम पर मिडिल व जूनियर हाई स्कूल पास अभ्यर्थियों को उनके इस एक मात्र अधिकार से एकजाई बंचित करने का क्या नियमित आधार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षा निदेशक ने हाई स्कूल व इंटर पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के जो आदेश दिये थे उनका तात्पर्य यह था कि अच्छे किस्म के अध्यापक हमारे स्कूलों के लिये उपलब्ध हों । यह आदेश शासन की अनुमति से निर्गत हुए थे । मिडिल व जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकार से वंचित किये जाने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

*१९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त तिथि के प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद इलाहाबाद ने अपनी अध्यक्षता में एच०टी०सी० का चुनाव एजूकेशनल कोड की उक्त धारा के अन्तर्गत नहीं किया था तो फिर अध्यक्ष के होते हुये शासन ने विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में एच०टी०सी० का चुनाव क्यों कराया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यक्ष, जिला परिषद्, इलाहाबाद ने कोई सूची १९६२–६३ के लिये संबंधित मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को एच०टी०सी० ट्रेनिंग हेतु चुने जाने वाले उम्मीदवारों की नहीं भेजी । अतः शासन के आदेशानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में बनाई गई चुनाव समिति द्वारा चुनाव किया गया क्योंकि इलाहाबाद के नार्मल स्कूलों में छात्राध्यापकों को भेजना आवश्यक था ।

लेखपालों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार

*२०---श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री, दिनांक ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों को अन्य राज्य कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता देने के प्रश्न का क्या निर्णय हो गया ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं । अभी वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के संबंध में नियमों पर विचार

*२१---श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और डिपार्टमेंट्स के अध्यक्षों ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश के विरोध में महान् आपत्ति सरकार को प्रकट की है जिसके द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों म लेकचरर्स और रीडर्स की नियुक्ति के नियम सरकार ने अब बनाये हैं ? यदि हां, तो आपत्ति क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

राज्य सरकार ने लेकचरर्स तथा रीडर्स की नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं के विषय मे जो सुझाव गोरखपुर, लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को भेजे थे उस संबंध मे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आर्ट्स, कामर्स, विज्ञान वला की फैकल्टी बोर्डों तथा सिंडिकेट परिषद व कार्यकारिणी परिषद के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये है जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

*२२---श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी इन नियमों से वहां के लेकचरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स में अधिक असंतोष पाया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

लखनऊ विश्वविद्यालय के टीचर्स ऐसोसियेशन के कुछ प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं । दूसरे विश्वविद्यालयों के संबंध में सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

*२३---श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार अपने इस आदेश पर दोबारा गौर करेगी जिससे कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और रीडर्स और लेकचरर्स का असंतोष खत्म हो ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जैसा कि प्रश्न संख्या २१ के उत्तर में कहा गया है, मामला सरकार के विचाराधीन है ।

सगड़ी तहसील में तकावी की माफी

*२४---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या राजस्व मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि अपनी विधान सभा भवन की घोषणा दिनांक १७ अगस्त, १९५५ के संदर्भ में दैवी आपदा (नेचुरल क्लेमिटी) के कारण आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के किन-किन ग्रामों की तकावी माफ की गई है

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२५—श्री उमाशंकर—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त दैवी आपदा किसी खास (एरिया) क्षेत्र में थी अथवा छुट पुट ग्रामों में ? यदि किसी क्षेत्र में थी, तो उस क्षेत्र या क्षेत्रों का एक नजरी नक्शा क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्कूल माताओं की नियुक्ति

*२६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई तथा अगस्त, ६३ में प्रदेश के ग्रामीण आधारिक विद्यालयों के लिये जिन स्कूल माताओं की नियुक्ति की गई है उनकी संख्या क्या है ? नियुक्ति का उद्देश्य क्या है तथा उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जुलाई, १९६३ से ५०० स्कूल माताओं की नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में बालिकाओं की सहायता करना है जिसमें संख्या बढ़ाना भी सम्मिलित है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९६३–६४) में इन पर ८०,००० रु० तथा आगे १,२०,००० रु० प्रतिवर्ष व्यय होगा ।

बरेली जिला परिषद् का अनुदान, अस्थायी अध्यापक

*२७—श्री हरीशकुमार गंगवार —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली जिला परिषद् को गत ५ वर्षों में शिक्षा के लिय कितना अनुदान दिया गया उसमें परिषद् को कितनी बचत हुई और उसका क्या उपयोग किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि बरेली जिला परिषद् के ४०० से ऊपर ट्रेंड अध्यापकों को स्थायी नहीं किया गया है और न उनके प्राविडेंट फंड आदि की सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा करने के कारण क्या है ? क्या सरकार उनको तुरन्त स्थायी करने के लिये जिला परिषद् को आदेश देगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसे दीक्षित अध्यापकों की संख्या केवल २४३ बतायी गयी है, न कि ४०० । इनके स्थायी करण पर परिषद् विचार कर रही है । स्थायी हो जाने पर प्राविडेन्ट फण्ड की सुविधा भी उन्हें दी जायेगी ।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सैनिक शिक्षक

*२९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के उन अध्यापकों को, जो एन० सी० सी० या अन्य मिलिट्री ट्रेनिंग के लिये स्कूलों, कालेजों में रखे गये हैं, उन्हें चुनाव (पंचायतीराज के चुनाव से लगायत संसद तक के चुनाव) में भाग न लेने का कोई निर्देश गया है ? यदि हां, तो निर्देश क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

संडीला तहसील में चकबंदी

*३०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि तहसील संडीला, जिला हरदोई में चकबन्दी अधिनियम की धारा ५२ के अन्तर्गत गजट में विज्ञप्ति कर-चकबन्दी योजना न लागू करने की घोषणा के बावजूद भी चकबन्दी अधिनियम की धारा २७ के अनुसार रिकार्ड आपरेशन के कागजात बनाये गये जिसे तैयार करने हेतु चकबन्दी कमिश्नर ने अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की थी यदि हां, तो क्यों और अतिरिक्त स्टाफ के रूप में कितने व्यक्ति नियुक्त हुये और उन पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सही नहीं है कि तहसील संडीला जिला हरदोई में किसी ग्राम के चकबन्दी अधिनियम की धारा २६ के अन्तर्गत अन्तिम अभिलेख, उक्त ग्राम के सम्बन्ध में धारा ५२ की विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात बनाये गये हैं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*३१—रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसील में धारा ५२ के अन्तर्गत चकबन्दी न होने की घोषणा के पश्चात् पुनः धारा २७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ? क्या यह २७ के अन्तर्गत की गई कार्यवाही अवैध नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह प्रश्न नहीं उठता।

सिधौली तहसील में कब्जों की जांच

*३२—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मार्च-अप्रैल, १९६३ में सुपरवाइजर कानूनगो परगना दक्षिणीकोणरी तहसील सिधौली (सीतापुर) ने चार हजार व्यक्तियों के कब्जों की (भूमि पर कब्जा होने की) जांच की है ? यदि हां, तो उसमें कितने हजार कब्जों को दुरुस्त किये जाने की रिपोर्ट किस तारीख में किस उच्च अधिकारी को भेजी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जनवरी से मार्च, १९६३ तक लगभग ४००० कब्जों की जांच की गई। अप्रैल मास में यह कार्य नहीं हुआ। १३५८ कब्जों के सम्बन्ध में काबिजदारों के नाम खतौनी के वर्ग ४ और ९ में कृषि काल के आधार पर सुपरवाइजर कानूनगो ने स्वयं करा दिये। शेष कब्जों

की रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजने और उस पर की गई कार्यवाही होने के विषय पर सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३३-३४—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) तथा श्री शीतलप्रसाद—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या १५७-१५८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है]

कोल असला परगना में पक्की सड़कें न बनना

*३५—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के परगना कोल असला पन्द्राह तथा अठगांवां, जिला वाराणसी पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई कच्ची सड़क पक्की पी० डब्लू० डी० द्वारा क्यों नहीं बनाई गई जब कि इन परगनों में जिला परिषद् की सड़क भूजूवीर से सिंडोरा केराकत, मीराशाह से कठिराव होते हुये मड़ियाहूं, बाबतपुर बसनी से ताड़ी होते हुये जमालपुर और चौथी पी० डब्लू० डी० बसनी की सड़क बड़ा गांव अनहोई होते हुये तमाचाबाद जाने वाली बड़ी-बड़ी कच्ची सड़कें हैं जिन पर १०-१० प्राइवेट बसें चलती हैं। क्या अब सार्वजनिक निर्माण विभाग इन सड़कों को जिला परिषद् से लेकर आगे बनवाने का विचार कर रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

धनाभाव के कारण इन सड़कों का निर्माण अभी तक सम्भव न हो सका। इसी कारण से तीसरी योजना के अन्तर्गत भी इन सड़कों का निर्माण सम्भव नहीं है।

रायबरेली तहसील से सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*३६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली की रायबरेली तहसील के चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कितने शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त तहसील के चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार को कोई भी शिकायती-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध ३ शिकायती पत्र बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को प्राप्त हुये थे ? उनमें से एक की जांच हो चुकी है ? और शिकायत सही नहीं पाई गई। अन्य दो शिकायतों की जांच हो रही है।

*३७—श्री रतीपाल—

अब तक रायबरेली तहसील के अन्तर्गत कितने मौजों में चकबन्दी हो चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३० सितम्बर, १९६३ तक उक्त तहसील के ४० ग्रामों में चकबन्दी हो चुकी थी और कब्जा बदला जा चुका था।

हमीरपुर तहसील में किये गये पट्टों के खिलाफ शिकायत

*३८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जिला एवं तहसील हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम बरुआ में जनवरी, ६३ से जून, १९६३ तक किये गये पट्टे नियम एवं संविधान की अवहेलना करके बिना डुग्गी पिटवाये एवं सूचना दिये गुप्त रूप से किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन पट्टों को खारिज करा कर प्रधान के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी शिकायत है। पट्टे रद्द करने का अधिकार हाकिम परगना को है।

*३९—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री को इस आशय की कोई रिपोर्ट किसी विधायक द्वारा अगस्त, ६३ में मिली है जिसमें राजस्व मंत्री से उचित कार्यवाही की मांग की गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। उचित कार्यवाही की भी जा रही है।

सुनार विद्यार्थियों की फीस माफी के लिये आदेश

*४०—श्री श्यामलाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सुनार विद्यार्थियों की फीस विद्यालयों में माफ हैं? क्या इस प्रकार के आदेश सभी स्कूल और कालेजों को भेज दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

इटावा गवर्नमेंट इण्टर कालेज होस्टल में मारपीट

*४१—श्री श्यामलाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गत २९-८-६३ को इटावा गवर्नमेंट इण्टर कालेज होस्टल में शाम को ५ बजे हरिजन एवं सवर्ण विद्यार्थियों में बहुत बड़े पैमाने पर मारकाट हुई है जिसके फलस्वरूप एक दर्जन छात्र अस्पताल में भरती किये गये हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

२९ अगस्त, १९६३ नहीं अपितु १६/१७ अगस्त, १९६३ की रात्रि को सवर्ण और हरिजन छात्रों में मारपीट हुई किन्तु होस्टल वार्डन के शीघ्र ही आ जाने पर मामला तुरन्त ही शांत हो गया। किसी भी छात्र को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

*४२—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालेज के होस्टल में कुल कितने होस्टलर्स हैं और उनमें कितने हरिजन होस्टलर्स हैं और झगड़े फसाद की जड़ क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश—

कुल ४२ छात्र हैं जिनमें ४ हरिजन हैं। झगड़े की जड़ सवर्ण तथा हरिजनों के बीच जाति भेद की परम्परा है।

भेंड़ी ग्राम के हरिजनों की भूमि प्राप्ति के लिये प्रार्थना

*४३—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भेंड़ी, तहसील व जिला देवरिया के बाढ़ पीड़ित हरिजनों ने दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ को रजिस्ट्री द्वारा मुख्य मंत्री के पास प्रार्थना-पत्र भेज कर जिला गोरखपुर तहसील महराजगंज की तराई में बसने के लिये भूमि प्राप्त की याचना की थी? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अध्यापकों की उपलब्धि में केन्द्रीय सहायता

*४४—श्री मंगलदेव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा आदेश प्रदेशीय सरकार को भेजा है कि प्रदेश के अध्यापकों के वेतन वृद्धि के लिये ५० प्रतिशत की सहायता केन्द्रीय सरकार देने को तैयार है?

श्री कैलाशप्रकाश—

योजना आयोग, भारत सरकार ने अगस्त, १९६२ में प्रदेशीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की रूपरेखा निर्धारित करते समय "प्रदेशीय सामान्य शिक्षा योजनाओं" नामक शीर्षक के अन्तर्गत अध्यापकों की उपलब्धि में सुधार हेतु केन्द्रीय सहायता की दर पचास प्रतिशत निर्धारित कर रखी है।

*४५—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि क्या सरकार निकट भविष्य में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

प्रौढ़ शिक्षा योजना

*४६—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा की योजना चल रही है कि नहीं? यदि नहीं, तो बन्द करने का कारण क्या है? और यदि चल रही है, तो कितने जिलों में और कितना धन योजना पर खर्च हो रहा है?

श्री कैलाशप्रकाश—

तृतीय आयोजन में प्रौढ़ शिक्षा योजना, नियोजन विभाग के अन्तर्गत विकास आयुक्त के तत्वावधान में विकास क्षेत्रों में चल रही है। इस योजना पर तृतीय आयोजनाकाल में ६१ लाख रुपये के व्यय होने की सम्भावना है।

अछूत वर्ग के प्रिन्सिपल

*४७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों में कोई अछूत वर्ग के प्रिंसिपल व हेड मास्टर भी हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या नाम और ओहदे क्या हैं तथा उनमें से कौन शिक्षा परिषद् के सदस्य हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

दो ।

१—कुमारी कमला टमटा, प्रधान अध्यापिका, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संडीला (हरदोई) ।

२—श्री रामदास, प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, लोहाघाट, (अल्मोड़ा) । इनमें से शिक्षा परिषद् के सदस्य कोई नहीं हैं ।

*४८—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

[१८ दिसम्बर, १९६३ के प्र० सं० १५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नायब तहसीलदारों की मांगें

*४९—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रधान मंत्री से कोई इस आशय का पत्र हाल में प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्य मंत्री जी से रेगुलर केडर के नायब तहसीलदारों द्वारा की गयी आपत्तियों को सहानुभूतिपूर्वक देखने का आग्रह किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

*५०—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेगुलर केडर के नायब तहसीलदारों ने अपनी नौकरी आदि की शर्तों तथा कलेक्शन विभाग के नायब तहसीलदारों के स्थाईकरण के संबंध में विभाग से क्या मांगें की हैं तथा उस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उनकी यह मांग है कि कलेक्शन नायब तहसीलदारों को उस अन्तिम रेगुलर नायब तहसीलदार के बाद में रक्खा जाय जिसको परीक्षण-काल पर रक्खा जा चुका है अथवा जिसको लोक सेवा आयोग द्वारा नायब तहसीलदारों के मूल कैडर (Cadre) में वर्तमान रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये चुन लिया गया है । इस पर सरकार द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

सिरौरी ग्राम के वर्षा पीड़ितों को सहायता

*५१—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सिरौरी, विकास क्षेत्र सिढ़पुरा, तहसील कासगंज जिला एटा में कितनी ऐसी भूमि है, जिसमें इस वर्ष अति वृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस वर्ष ग्राम सिरौरी में अतिवृष्टि के कारण ९९ एकड़ भूमि में खरीफ १३७१ की फसल नष्ट हुई ।

*५२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में उक्त ग्राम में ग्रामवासियों को शासन की ओर से कुछ सहायता दी गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या अब सरकार उनके लगान की माफी पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, १३० रु० ५० नये पैसे अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किये गये । मालगुजारी में माफी दिये जाने के संबंध में जिलाधिकारी से प्रस्ताव आने पर विचार किया जावेगा ।

उत्तर प्रदेश की सीमा में हिमाचल प्रदेश की सड़क

*५३—श्री हिम्मतसिंह—

क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना ही उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर लगभग २५ मील तक एक मोटर रोड बना ली है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पौंटा-राजवन-मीनस रोहरू सड़क का लगभग २५ मील का भाग उत्तर प्रदेश की सीमा में पड़ता है । हिमांचल प्रदेश सरकार ने इस सड़क के निर्माण की उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी जो उनको दे दी गई और उन्होंने निर्माण-कार्य आरम्भ किया । अब इस सड़क का निर्माण-कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ।

वाराणसी में एच० टी० सी० का चुनाव

*५४—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में एच० टी० सी० का चुनाव जो दो बार कराया गया और उसे रद्द कर दिया गया अब तीसरी बार सितम्बर, १९६३ के अन्त में होने जा रहा है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और विद्यार्थियों को तीन बार बुला कर जन व धन का जो दुरुपयोग किया गया इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस वर्ष अध्यक्ष, जिला परिषद्, वाराणसी की नियुक्ति अवैध घोषित होने के कारण पहली बार का चुनाव स्थगित कर दिया गया, दूसरी बार अल्पसमय की सूचना की आपत्ति उठाने पर साक्षात्कार पूरा नहीं किया जा सका और बाकी चुनाव स्थगित करना पड़ा । बाकी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये तीसरी बार का चुनाव अभ्यर्थियों की तहसीलों में जाकर किया गया । साक्षात्कार के पहले सूचना समाचार-पत्रों से प्रकाशित कर दी गई थी ।

विश्वविद्यालयों से प्राध्यापकों के प्रत्यावेदन

*५५—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्तियों एवं पदोन्नति के संबंध में राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को कुछ निर्देश भेजे हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं और उनको भेजने का क्या तात्पर्य है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

राज्य सरकार ने गोरखपुर, लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को आर्ट्स, विज्ञान, कामर्स तथा लॉ फैकल्टी के रीडर्स तथा लेकचरर्स की नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं के विषय में कुछ सुझाव भेजे हैं जो संलग्न हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर में सुधार करना है।

*५६—श्री इन्द्रजीत यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध क्या राज्य सरकार को कुछ विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं उनके संगठनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनके क्या आधार हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, इन प्रत्यावेदनों (representations) के मुख्य तर्क ये हैं कि सरकार को विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की योग्यता के संबंध में कोई सुझाव विश्वविद्यालयों को देने का अधिकार नहीं है तथा इन सुझावों से उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार न होगा।

चकबन्दी अधिकारियों के लिये आदेश

*५७—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश ने ऐक्ट ८-ए, १९६३ की धारा ४७ की व्यवस्था करते हुए कोई निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों के पास भेजा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्देश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐक्ट ८, १९६३ की धारा ४७ के संबंध में चकबन्दी आयुक्त द्वारा बन्दोबस्त अधिकारियों, चकबंदी को भेजे गये परिपत्र सं० सी-५६/जी—४०२-६३, दिनांक १ मई, १९६३ की प्रतिलिपि† सदन की मेज पर रख दी गई है।

घाटमपुर तहसील के एस० ओ० सी० का जीप से दौरा

*५८—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत एस० ओ० सी० को प्राप्त सरकारी जीप में १ जनवरी, १९६२ से ३१ मई, १९६२ तक किन-किन गांवों का दौरा करने में प्रति मास कितना व्यय हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एस० ओ० सी० को प्राप्त सरकारी जीप में १ जनवरी, ६२ से ३१ मई, ६२ तक जिन-जिन गांवों में दौरा करने में प्रतिमास जितना व्यय हुआ उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इस व्यय में पेट्रोल की कीमत, ड्राइवर का वेतन, मरम्मत, सफाई तथा तेल आदि पर किया गया धन सम्मिलित है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०७६–१०७७ पर।)

*५९—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के एस० ओ० सी० को प्राप्त सरकारी जीप १ जनवरी, १९६२ से ३१ मई, १९६२ तक कितने बार लखनऊ आयी और उसके लखनऊ आने की क्या आवश्यकता थी?

---

†छापे नहीं गये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस अवधि में एस० ओ० सी० को प्राप्त सरकारी जीप केवल एक बार दिनांक २३ अप्रैल, १९६३ को लखनऊ आई जब कि उक्त अधिकारी को लखनऊ में एक मीटिंग में उपस्थित होने का आदेश हुआ था ।

तकुल्ली विद्यालय भवन की छत गिरने से बालिकाओं को चोट

*६०—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या यह सत्य है कि सितम्बर के द्वितीय सप्ताह में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत सब-डिवीजन में स्थित ग्राम तकुल्ली के विद्यालय-भवन की छत गिर जाने से अनेक छात्र घायल हो गये जब कि कई की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (१) पूर्ण विवरण क्या है ? (२) घायल छात्रों को क्या क्षतिपूर्ति दी गयी ? (३) यह जानते हुए कि भवन पुराना हो गया है, छत कमजोर है फिर भी छात्रों को उसके नीचे बैठ कर क्यों पढ़ाया गया ? (४) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। प्रश्नगत भवन की छत का कुछ भाग गिर गया था। उससे दो बालिकाओं को साधारण चोट लगी थी ।

(१) घटना का पूर्ण विवरण संलग्न है ।

(२) चोट बहुत ही साधारण थी। क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

(३) घटना अतिवृष्टि के कारण आकस्मिक रूप से घटी थी। जिला परिषद् ने १९६० में भवन की मरम्मत कराई थी। उसमें कमजोरी के कोई चिन्ह घटना के समय नहीं थे।

(४) स्कूल और स्कूल भवन जिला परिषद् अल्मोड़ा के है। अतएव जिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा ही जांच-पड़ताल कराई गई थी ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०७८ पर ।)

फतेहपुर जिले के माल विभाग में हरिजनों की नियुक्ति न करने पर आपत्ति

*६१—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फतेहपुर में १९६० ई० से अब तक के समय में जो कलेक्शन अमीनों को लगातार अवधि के लिये नियुक्त किया गया है उनमें अधिक समय से सर्विस करने वाले हरिजन उम्मीदवारों को न कर के जूनियर अन्य लोगों को अवसर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । ऐसा नहीं है ।

*६२—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतावेगी कि जिला फतेहपुर के माल विभाग के राजकीय आदेश संख्या १८७३ (एम)/आई० डी०, ५७९ डी/५४, दिनांक ५ अप्रैल, १९५८ के द्वारा हरिजनों की नियुक्ति के विषय में दी गयी हिदायतों का पालन क्यों नहीं किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय सदस्य महोदय द्वारा जिस सरकारी आदेश का उल्लेख किया गया है उसकी सही संख्या १६७३(एम)/१घ–५७९घ-५४ है, जिला फतेहपुर के माल विभाग में प्राप्त हुआ था और उसमें दी गई हिदायतों का पालन किया जाता है ।

*६३—श्री मुरलीधर फुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त जिले में कुल कितने अमीन स्थायी किये गये हैं तथा हरिजनों को अनुपात के अनुसार स्थायी क्यों नहीं किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला फतेहपुर में कुल ७९ अमीन स्थायी किये गये हैं जिनमें तीन हरिजन अमीन शामिल हैं । अनुपात का प्रश्न प्रथम नियुक्ति करते समय ध्यान में रखा जाता है तथा स्थायी करते वक्त इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, आजमगढ़ में प्रसार लिपिक

*६४—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वर्तमान प्रसार लिपिक (Expansion Clerk) कितने वर्ष से इस स्थान पर उक्त पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१ मई, १९६१ से ।

*६५—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पद पर कितने वर्षों तक एक स्थान पर एक लिपिक लगातार कार्य कर सकता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस विषय में कोई अवधि निर्धारित नहीं है ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, आंट के विरुद्ध शिकायतें

*६६—श्री मुहम्मद अली खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के आंट सर्किल के A.C.O. (Assistant Consolidation Officer) की कितनी शिकायतें सरकार को हाल में मिलीं और जिसे उन पर क्या कार्यवाही सरकार ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सहायक चकबन्दी अधिकारी, आंट के विरुद्ध शिकायतों के कुल १९ प्रार्थना-पत्र मिले । १८ जांच होने पर निराधार पाये गये । एक शिकायत की जो सितम्बर में प्राप्त हुई थी और जांच के लिये जिलाधीश को भेजा गया था उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है ।

छिबरामऊ तहसील में लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें

*६७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ तहसील, जिला फर्रुखाबाद के कौन-कौन लेखपालों के विरुद्ध जनता की शिकायतें हैं और उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में १७ लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें थीं। इनमें से सर्वश्री राम प्रसाद, रामचन्द्र, राज बहादुर, महेश चन्द्र, राम सिंह, चन्द्रपाल और भारत सिंह का उस क्षेत्र से जिससे शिकायतें थीं उसी तहसील में तबादला कर दिया है। श्री हर सेवक, लेखपाल का तबादिला तहसील कन्नौज कर दिया गया है। श्री गंगा किशोर को विमुक्त (dismiss) कर दिया गया है। श्री काली चरन के विरुद्ध जो शिकायत थी वह प्रमाणित न हो सकी। श्री बदन सिंह को निलम्बित कर दिया गया था, लेकिन चूंकि उसके खिलाफ जो आरोप थे वह साबित नहीं हो सके, इसलिये उसको बहाल कर दिया गया है। बाकी लेखपाल जिनके नाम सर्वश्री शारदा शंकर, पन्ना लाल, जदुनाथ सिंह, श्रीराम व मुकुट बिहारी लाल हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हाकिम परगना के पास चल रही है। श्री गिरीश चन्द्र के विरुद्ध जो शिकायत थी, वह तहसीलदार के न्यायालय में अनिर्णीत (pending) है।

*६८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में गांव समाज के कागज कितने लेखपालों के पास हैं और कितने प्रधानों के पास हैं? और लेखपालों के पास जो गांव समाज के कागज हैं क्या प्रधानों की राय से हैं या संबंधित अधिकारियों के आदेश पर हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस जिले में समस्त गांव समाज के कागजात संबंधित प्रधानों के पास हैं।

*६९-७०—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

[२९ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय पर व्यय

*७१—श्री सुरेन्द्रविक्रम, श्री विष्णुनप्रतापसिंह (जिला गोंडा), श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री अखंडप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय पर सरकार प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च करती है और क्या यहां के ट्रेन्ड टीचर्स राज्य द्वारा उचित स्थान पाते हैं? यदि हां, तो अभी तक इस विद्यालय से प्रशिक्षित कितने अध्यापकों को सरकार द्वारा स्थान दिया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश—

राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय पर सरकार प्रतिवर्ष औसतन १,८२,५१४.०० रु० खर्च करती है।

अन्य राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अभ्यर्थियों की भांति इस विद्यालय के अभ्यर्थियों को भी राजकीय पद प्राप्ति की सुविधायें हैं। इस महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित कितने अध्यापक प्रदेश में कहां कहां नौकर हैं इस के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं?

*७२—श्री सुरेन्द्रविक्रम, विष्णुनप्रताप सिंह, श्री केशवसिंह तथा श्री अखंडप्रतापसिंह—

क्या सरकार ने कोई ऐसा जी० ओ० निकाला था जिसमें राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय के ट्रेन्ड अध्यापकों को क्राफ्ट एजूकेशन के लिये प्रीफरेंस देने का सुझाव था? यदि हां, तो इस आदेश का पालन कहां तक किया गया तथा जो सामान छात्र अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाता है उसकी बिक्री के लिये क्या नियम हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---

ऐसा कोई आदेश सरकार द्वारा नहीं निकाला गया। छात्र अध्यापकों द्वारा तैयार किये गये सामान की बिक्री कच्चे माल की कीमत तथा उस पर १० या २० प्रतिशत लाभ लेकर की जाती है।

तुलसीपुर विकास क्षेत्र की परती भूमि

*७३---श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने ग्राम सभा पटोहां कोट, विकासक्षेत्र तुलसीपुर (तराई), जिला गोंडा में परती पड़ी हुई जमीन को १८ हरिजनों को जो कि भूमिहीन थे कृषि करने के लिये तथा बसने के लिये आदेश दिया था? यदि हां, तो क्या वे लोग कृषि करने लगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

जी नहीं। शासन से ऐसे कोई आदेश नहीं भेजे गये।

*७४---श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या यह सत्य है कि उक्त आदेश के अनुसार ही उक्त ग्राम समाज की जमीन पर कृषि करने के लिये कुछ लगे हुये पेड़ों को नीलाम किया गया था और उनके कटने के बाद ही उक्त भूमि का केवल एलाटमेंट करना ही अवशेष रह गया था, परन्तु वर्तमान एस० डी० एम० ने उसे रोक रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर शीघ्रातिशीघ्र उक्त भूमि को उन्हीं भूमिहीन हरिजनों को रबी की बोवाई तक दिलाने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल--काठगोदाम--अल्मोड़ा मोटर मार्ग बन्द रहना

*७५---श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)---

क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि माह अगस्त व सितम्बर, १९६३ में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नैनीताल-काठगोदाम व काठगोदाम--अल्मोड़ा मोटर मार्ग कई दिनों तक बन्द रहा जिससे डाक यात्रियों को भारी असुविधा उठानी पड़ी? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाये?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी हां। इन मार्गों को यातायात के लिये खोलने के लिये तत्काल मजदूर लगाये गये, बारूद के द्वारा मलवा हटाया गया, सैनिक सहायता ली गई तथा आवश्यकतानुसार अस्थाई दीवारें बनाई गईं जिसके फलस्वरूप मार्ग खुल सके।

औरंगाबाद--जहांगीराबाद सड़क

*७६---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि औरंगाबाद, रतनपुर, महमूदपुर, इलना, जाडोल, जहांगीराबाद सड़क को पक्का बनाया जाय? यदि कोई ऐसी योजना नहीं है, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्का कराने पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। धनाभाव के कारण चालू योजना काल में इसको पक्का बनवाना संभव नहीं है।

रसूलाबाद—झींझक सड़क पर रिन्द नदी का पुल चौड़ा करने की प्रार्थना

*७७—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले की तहसील देरापुर में रसूलाबाद-झींझक सड़क पर महेरा में रिन्द नदी के पुल के आस-पास सड़क ऊंची हो जाने के कारण पुल में से पानी अब पहिले से कम निकल पाता है ?

७८ *क्या यह सच है कि पानी कम निकल सकने की वजह से रिन्द नदी में बाढ़ आ जाती है जिससे महेरा से पश्चिम की ओर इटावा जिले की तहसील विधूना के ग्राम भूनियापुर, नारमधवापुर, अंधार, मुगरिहा, भरखा, पुरवा कन्हई, शिवगंज, तैयापुर आदि-आदि ग्राम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फसलें प्रायः नष्ट हो जाती हैं ?

७९ *यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल को चौड़ा करने अथवा पुल के आस-पास दो बड़ी-बड़ी पुलियां बनवाने की कृपा करेगी, जिससें नदी का पानी न रुक कर निकल जाया करे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। सड़क के ऊंचे हो जाने के कारण पुल में से पानी निकलने में कोई कमी नहीं हुई है, परन्तु यातायात के बढ़ जाने के कारण वर्तमान पुल के स्थान पर दूसरे नये चौड़े पुल का निर्माण स्वीकृत हो गया है।

हायर सेकेण्डरी स्कूल, बहजोई के प्रधानाचार्य के त्याग-पत्र के सम्बन्ध में जांच

*८०—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद), श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं), श्री सूरज पालसिंह यादव (जिला बदायूं), श्री सुक्खन लाल (जिला मुरादाबाद) तथा श्री हेतराम सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार को इस प्रकार की सूचना मिली है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल, बहजोई, जिला मुरादाबाद के प्रिंसिपल महोदय का त्याग-पत्र दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ को उस विद्यालय के मैनेजर तथा मैनेजर के घर वालों ने प्रिंसिपल को अपने घर में बन्द करके बलपूर्वक लिखा लिया है और उसी दिन उस त्याग-पत्र को कमेटी की मीटिंग में स्वीकार करा दिया, उस मीटिंग की कार्यवाही को दिनांक १८ सितम्बर, १९६३ को जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस सर्किल, बहजोई, तथा एस० डी०ओ० सम्भल ने मिलकर अवैध घोषित कर दिया, परन्तु मैनेजर महोदय प्रिंसिपल साहब को अब भी स्कूल जाने से रोकते हैं ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उस कमेटी को निलम्बित करेगी और प्रिंसिपल साहब को अपनी ड्यूटी पर जाकर काम करने में सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, इस प्रकार की सूचना मिली थी। यह सत्य है कि उपर्युक्त त्याग-पत्र १६-९-६३ की मीटिंग में स्वीकार किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ने इस मीटिंग को

नियमित सूचना न होने के आधार पर अवैध करार दे दिया। प्रबन्धक समिति की बैठक पुनः २३-९-६३ को हुई, जिसमें प्रधानाचार्य के १६-९-६३ के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया। प्रधानाचार्य ने पुलिस स्टेशन, बहजोई, मुरादाबाद में १६-९-६३ को रपट दर्ज कराई थी। उस शिकायत पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, किन्तु अभी निर्णय प्राप्त नहीं हो सका है। यह भी सही है कि मैनेजर महोदय प्रधानाचार्य को स्कूल में नहीं जाने देते, क्योंकि उनका कहना है कि प्रधानाचार्य ने स्वेच्छा से अपना त्याग-पत्र दिया था और प्रबन्ध समिति ने उसको स्वीकार कर लिया। समस्त मामले की जांच हो रही है। पूर्ण जांच हो जाने पर जो भी वैधानिक कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायगी।

*८१—श्री बिशनलाल यादव, श्री उल्फतसिंह यादव, श्री सूरजपालसिंह यादव, श्री सुक्खनलाल तथा श्री हेतरामसिंह—

क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र दिनांक १६ अगस्त, १९६३ को हुई मीटिंग की कार्यवाही को जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ने अवैध घोषित कर दिया है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रबन्ध समिति की १६-९-६३ की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि प्रबन्धक से जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद द्वारा मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये उसे सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

*८२—श्री बिशनलाल यादव, श्री उल्फतसिंह यादव, श्री सूरजपालसिंह यादव, श्री सुक्खनलाल तथा श्री हेतरामसिंह—

क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र प्रिंसिपल तथा अन्य अध्यापकों के हितों की रक्षा करेगी और विद्यालय की प्रबन्धक समिति को इस प्रकार से अध्यापकों के साथ अन्याय करने से रोकेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रबन्धक समिति के द्वारा दूसरे अध्यापकों के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अन्याय की शिकायत नहीं मिली है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

छाता तहसील में चकबन्दी के बकायादारों की गिरफ्तारी

*८३—श्री नखीसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मथुरा जिले की छाता तहसील में चकबन्दी खर्चा जबरदस्ती वसूल हो रहा है और इस संबंध में गिरफ्तारियां की जा रही हैं? यदि हां, तो गिरफ्तारी कितनी हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (३) के अनुसार चकबन्दी खर्चे की वसूली मालगुजारी के बकाया की वसूली की भांति की जाती है। जिलाधीश की २३ अक्टूबर, १९६३ की रिपोर्ट के अनुसार जिला मथुरा में इस संबंध में १५ बाकीदारों को गिरफ्तार किया गया था।

*८४—श्री नखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि मथुरा जिले की छाता तहसील के ज्यादातर गांव पानी से डूब गये हैं, फसल नष्ट हो गयी है, ६० प्रतिशत मकान गिर कर तहस-नहस हो गये हैं और मवेशियों को चारा तक नहीं है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । बाढ़ से लगभग ६१० मकान पूर्ण नष्ट होने की तथा २,३८२ मकानों को आंशिक क्षति पहुंचने की सूचना है ।

यह सही नहीं है कि चारा बिलकुल नहीं है ।

*८५—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या यह सच है कि इस तहसील के ज्यादातर किसान भयभीत होकर गांव छोड़ कर राजस्थान को भाग रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

*८६–८७—श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न १५९–१६० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*८८–८९—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न १३४–१३५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

आगरा जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९०—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष १९६३ में बाढ़ के प्रकोप से जिला आगरा के किन-किन गांवों में फसल, जान माल और पशुधन का कितना-कितना नुकसान हुआ है, बाढ़ के आने के क्या कारण थे और भविष्य में बाढ़ की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये सरकार ने कौन से उपाय किये हैं तथा जिन लोगों को बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है उनको सरकार ने किस प्रकार की क्या सहायता दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चालू वित्तीय वर्ष १९६३ में बाढ़ व गरमी के प्रकोप से आगरा जिले के जिन-जिन भागों में फसल, जान, माल और पशुधन की, क्षति पहुंची, उसका विवरण संलग्न तालिका †'क' में दिया गया है ।

आगरा एवं समीपवर्ती अन्य जिलों में दिनांक १४ व १५ सितम्बर को अतिवृष्टि का होना इस जिले में बाढ़ का प्रमुख कारण था ।

प्रदेश में बाढ़ रोकने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा नये नालों को खोदने, खुदे हुए नालो को गहरा व चौड़ा करने एवं नीचे स्थलों से एकत्र पानी निकालने आदि का कार्य किया जाता है ।

क्षतिग्रस्तों को जो सहायता दी गई उसका विवरण तालिका 'ख'† में दे दिया गया है।

कक्षा ३ से अंग्रेजी की पढ़ाई

*९१—श्री सहदेवसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कक्षा ३ से अंग्रेजी भाषा पढ़ाये जाने की जो योजना लागू की गई थी वह इस वर्ष कक्षा ४ में लागू की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां । गतवर्ष जिन विद्यालयों में कक्षा ३ में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी उनमें इस वर्ष कक्षा ४ में भी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है ।

*९२---श्री सहदेवसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गत शिक्षा-वर्ष में इस योजना पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ ? उसमें से कितना शिक्षकों को दिया गया और कितना अन्य कार्यों में खर्च हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश--

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में इस योजना हेतु २,४०,००० रु० का व्यय स्वीकृत था । उसमें से ट्रेनिंग के समय दो लाख रुपया शिक्षकों को और २० हजार रुपया प्रशिक्षकों को भत्ता आदि देने के लिए तथा २० हजार रुपया अन्य कार्यों पर व्यय हेतु था ।

*९३---श्री सहदेवसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना के कार्यान्वयन से क्या लाभ हुये तथा क्या फल निकले ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह शिक्षा की योजना है । उसके फल तुरन्त नहीं दिखाई पड़ते । जब तक बालक कक्षा १० तक नहीं पहुंचते योजना से क्या फल प्राप्त हुए, बताना संभव नहीं ।

असिस्टेंट केमिस्ट का वेतन

*९४---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि अगस्त, १९६१ में विधान सभा द्वारा पी० डब्लू० डी० स्थापनालय के केमिस्ट आदि का वेतनक्रम की एक निश्चित तिथि १ अगस्त, १९६१ से प्रस्ताव पास किये जाने पर भी उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किये जा सकने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं, क्योंकि नवम्बर, १९६१ में सरकार ने यह आदेश दिया था कि बढ़े हुए वेतनक्रम उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो असिस्टेंट केमिस्ट के पदों के लिये शासन द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हों तथा जो लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये हों । साथ ही बढ़े हुये वेतनक्रम उस तिथि से लागू होंगे जिस तिथि से आयोग द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की नियुक्ति की जायगी ।

कानपुर, उन्नाव जिलों में गंगा के कटाव पीड़ितों को सहायता

*९५---श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गंगा की धारा के कानपुर से उन्नाव की ओर हटने के कारण कुल कितने गांव कटे हैं और उन गांवों के मकानों की कितनी संख्या थी, साथ ही उन गांवों की कुल आबादी कितनी थी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

गंगा नदी की धारा कानपुर से उन्नाव की ओर हटने के कारण उन्नाव जिले को अब तक (पिछले ३ वर्षों में) कुल ६३ ग्रामों को क्षति पहुंची है । इनमें से २७ ग्रामों में कोई आबादी नहीं कटी है । शेष ३६ ग्रामों की आबादी जो कटी है उनके मकानों की कुल संख्या २,७०१

थी जिसमें ९४१ मकान कटाव से नष्ट हो गये। इन्हीं ३६ ग्रामों की कुल आबादी ११,९६२ थी जिसमें ४,६९१ लोग कटाव से प्रभावित हुए।

*९६—श्री गोपीनाथ दीक्षित—

क्या सरकार गंगा की धारा से कटने वाले ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिये मकान की जमीन, इमारती सामान तथा रोजगार के लिये अनुदान देने पर विचार कर रही है और जो जमीन कानपुर की ओर कटरी की शक्ल में पड़ गई है तथा जिस पर प्रभावित ग्रामवासी कृषि करते थे वह उन्हें पुनः कृषि हेतु दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

गंगा नदी की धारा से कटने वाली लगभग सभी ग्रामवासियों को उनकी इच्छानुसार गांव समाज की भूमि या ऊसर भूमि पर बसा दिया गया है। इसके अलावा अहेतुक सहायता, मकान बनाने के लिये अनुदान, इमारती लकड़ी, घास फूस तथा कपड़े आदि भी सरकार की ओर से प्रदान किये गये।

जहां तक कानपुर की ओर पड़ी हुई जमीन दिलाने का संबंध है, यह मामला उन्नाव क्षेत्र के लोग कानपुर की ओर बसने वालों से मिल जुल कर तय कर सकते हैं।

*९७—श्री गोपीनाथ दीक्षित—

क्या सरकार को यह आभास है कि यदि गंगा का कटान निरन्तर होता रहा तो एक वर्ष में ही कानपुर-लखनऊ रोड तथा रेलवे लाइन कटने का खतरा पैदा हो जायगा और मुख्य धारा मगरवारा की तरफ हट जाने से वर्तमान पुल बेकार हो जायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गंगा की धारा पुल के नीचे से ही हो कर बह रही है। पुल व सड़क को अभी कोई खतरा नहीं है।

*९८—श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव) तथा श्री गोपीनाथ दीक्षित—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*९९-१००—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१०१—श्री कमलासिंह यादव—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०२-१०४—श्री ईश्वरशरण तथा श्री शीतलप्रसाद—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न ६५-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०५-१०६—श्री रियासत हुसैन—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१०७—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०८—श्री रघुवीर—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२३ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

नेशनल हाई स्कूल, कासिमाबाद का प्रार्थना-पत्र

*१०९—श्री रघुवीर—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि नेशनल हाई स्कूल, कासिमाबाद १९६३ से इंटरमीडिएट कालेज खोलने का प्रयत्न कर रहा है ? यदि हां, तो उसे इंटरमीडियट खोलने की स्वीकृति क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । विद्यालय ने १९६५ की इंटर परीक्षा के लिये मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिया था । मान्यता बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इंटर एजूकेशन द्वारा दी जाती है । बोर्ड ने मान्यता न दिये जाने के सभी कारण विद्यालय के प्रबन्धक को सूचित कर दिये हैं

*११०—श्री रघुवीर—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१११-११२—श्री विजयसिंह, श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

चकबन्दी में छोड़ी गई भूमि

*११३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश के चकबन्दी प्रभावी क्षेत्रों में जहां कार्य समाप्त हो चुका है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित भूमि के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम में कटौती में ली गई सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि अवशेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्नोत्पादन की दृष्टि से किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे अवशेष भूमि कृषि प्रयोजनार्थ कृषकों में वितरित की जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

ऐसा नहीं है कि प्रत्येक चकबन्दी गांव में सैकड़ों बीघा कटौती की भूमि बिना किसी विशिष्ट कार्य के लिये सुरक्षित किये छोड़ दी गई ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

माडल स्कूलों के एच० टी० सी० अध्यापकों को जे० टी० सी० ग्रेड

*११४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माडल स्कूलों में ५ साल से या इससे अधिक समय से काम करने वाले हाई स्कूल पास एच०टी०सी० तथा बी०टी०सी० अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को जे०टी०सी० ग्रेड देना स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय जूनियर हाई स्कूलों तथा हाई स्कूलों में काम करने वाले हाई स्कूल तथा उसके समकक्ष परीक्षाओं को पास करने वाले एच०टी०सी० तथा बी०टी०सी० अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को जे० टी० सी० ग्रेड देने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, केवल माडल स्कूलों के ऐसे ही अध्यापकों को जे०टी०सी० ग्रेड देना स्वीकार किया गया है ।

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*११५–११६—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*११७–११९—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

माध्यमिक शिक्षा संबंधी मान्यता समिति की बैठक

*१२०—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की ५ जुलाई, १९६३ की अंतिम बैठक के पश्चात् भी Recognition Committee (मान्यता समिति) की २ बैठकें ८ व १३ जुलाई को हुई थीं और उन के द्वारा संस्तुत मान्यताओं को चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वैध मान लिया था । यदि ऐसा हुआ था तो क्यों ? क्या उन बैठकों में उपस्थित सदस्यों को भत्ता दिया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । मान्यता समिति की बैठक १२,१३ जुलाई, १९६३ को हुई थी । यह बैठक इंटरमीडियेड एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धाराओं के अनुसार हुई । अतः इसकी संस्तुतियों को अवैध माने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । बैठक में उपस्थित सदस्यों को भत्ता दिया गया है ।

*१२१–१२२–श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२३—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२५—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२६—श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२८–१३०—श्री दीपनारायणसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३१–१३३—श्री रतीपाल—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में गंगा पर पुल की आवश्यकता

*१३४—श्री शिवनाथसिंह (कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद में दरिया गंगा पर पुल के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन काफी समय से है ? यदि हां, तो इस पुल पर कब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी हां, परन्तु जब तक आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध न हो जाय तब तक निर्माण कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं है ।

*१३५-१३७--श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३८-१३९--श्री शीतलाप्रसाद आदि---

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सांसियागढ़ी में वर्षा से मकानों को क्षति

*१४०---श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार को मालूम है कि जिला बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद के पास जो सांसियागढ़ी में माह सितम्बर, १९६३ की तारीख १३,१४,१५ में भयंकर वर्षा के कारण वहां सब मकान गिर गये हैं ? यदि हां, तो क्या पक्के मकान बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१४१---श्री ऊदल---

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

परगनाधीशों के लिये मुकदमा करने के स्थान

*१४२---श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है कि एस० डी० एम० या एस० डी० ओ० जिले में न बैठकर तहसील हेडक्वार्टर पर ही मुकदमे तै करेंगे ? यदि हां, तो यह आदेश कब जारी हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं, किन्तु ऐसा अवश्य कहा गया है कि एस० डी० एम० व एस० डी० ओ० जब तहसील हेडक्वार्टर या दौरे पर जावें तो जो भी मुकदमे वहां सहूलियत से तय कर सकते हैं, करें ।

*१४३---श्री बांकेलाल---

[हटा दिया गया ।]

विधायक निवास कर्मचारी संघ

*१४४---श्री जगन्नाथ राव---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने विधायक निवास कर्मचारियों को यह आदेश दिया है कि वह विधायक निवास कर्मचारी संघ के सदस्य न बनें जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां ।

विधायक निवासों के मोटर गैराज

*१४५---चौधरी अब्दुल हसीब खां तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला बहराइच)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या विधायक निवासों में इसका इन्तजाम है कि जो विधायक अपनी मोटर लाये वे उनको किसी गैराज में रख सकें ? यदि हां, तो इस वर्ष के लिए कितने गैराज हैं और वे कहां-कहां पर हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा २ (ख) जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है, के अन्तर्गत विधान मंडल के सदस्यों के लिये केवल आवास के लिये स्थान का प्राविधान है। सदस्यों की सुविधा के लिये कुछ गैराज बनाये गये हैं उनकी संख्या ३२ है और वे इस प्रकार हैं :

१---विधायक निवास नं० २	२४
२---विधायक निवास नं० १ में नये कमरों के पीछे बंगला नं० ५ फोर-साइथ रोड का पुराना गैराज	१
३---विधायक निवास नं० ३	७
कुल ..	३२

यह सभी गैराज सदस्यों ने नाम प्रदिष्ट हैं।

*१४६---चौधरी अब्दुल हसीब खां तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त गैराज में कितनों में सदस्यों की मोटरें रक्खी हैं और कितनों में मोटरें न रखकर आदमी रहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इन ३२ गैराजों में केवल १६ गैराजों में सदस्यों की मोटरें रक्खी जाती हैं, ८ गैराजों में मोटर भी रहती हैं तथा कुछ लोग भी रहते हैं, ६ गैराजों में मोटर नहीं रहती हैं तथा कुछ लोग रहते हैं तथा २ गैराजों में उन लोगों की मोटरें रहती हैं जो विधान मंडल के सदस्य नहीं हैं।

*१४७---चौधरी अब्दुल हसीब खां तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि जिन विधायकों के पास मोटरें हैं उनको गैराज दिया जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

उन सभी सदस्यों के लिये जिनके पास मोटरें हैं गैराज की व्यवस्था करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे सदस्यों की संख्या अधिक होगी और गैराजों की कमी है।

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले में ऐडीशनल डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स, श्री नायक के विरुद्ध शिकायत

१---श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में शिक्षा विभाग में अप्रैल, १९६२ से मार्च, १९६३ तक गवर्नमेंट सर्विस के इंपेक्टिंग स्टाफ में से किन-किन लोगों के ट्रांस्फर कब-कब तारीखवार हुये ?

श्री कैलाशप्रकाश---

(१) श्री हरि किशोर, अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, १८-४-६२ ।

(२) श्री [illegible] नायक, अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, २७-७-६२ ।

(३) श्री अब्दुल हमीद खां, अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, ८-१-६३ पूर्वाह्न को ।

(४) श्रीमती एस० मिश्रा सहायक बालिका निरीक्षका, ८-१-६३ पूर्वाह्न को ।

२---श्री द्विजेन्द्रनारायण---

ऐडीशनल डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, श्री नायक ने चार्ज देने के बाद भी अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों के आर्डर ट्रांस्फर इत्यादि के अपने हस्ताक्षर से क्यों जारी करते रहे ?

श्री कैलाशप्रकाश---

श्री नायक ने २७-७-६२ पूर्वाह्न को चार्ज छोड़ने के उपरान्त कोई कार्य नहीं किया ।

३---श्री द्विजेन्द्रनारायण---

सरकार इस अवैधानिकता के विरुद्ध संबंधित कर्मचारी को कौन-सा दंड देना उचित समझेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी, जिले में सड़कों का निर्माण

४---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहली, दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना में वाराणसी जिले में अन्तरिम जिला परिषद् की कितनी कच्ची सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लिया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है ।

(देखिये परिशिष्ट 'ञ' आगे पृष्ठ १०७९ पर)

जमींदारी उन्मूलन कार्यालय, बिजनौर के लिपिक

५---श्री बलवीरसिंह (जिला बिजनौर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर के जमींदारी उन्मूलन के कार्यालय के लिपिक जो परीक्षा लेकर रखे गये थे (१९५२-५३) और जिन्हें कार्य करते हुये लगभग ८ से ११ वर्ष हो गये, संख्या में कितने हैं ? उनमें से कितने स्थायी किये गये और कितने अभी तक अस्थायी हैं ? क्या यह सही है कि इन अस्थायी लिपिकों की पुनः परीक्षा ली जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जौनपुर जिले में चकबन्दी

६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील शाहगंज व जौनपुर, जिला जौनपुर के किन-किन गांवों की चकबन्दी नहर के कारण स्थगित है तथा उन गांवों की चकबन्दी करने की कब तक व्यवस्था होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील शाहगंज के जिन ११७ गांवों को नहर निर्माण योजना के फलस्वरूप चकबन्दी योजना से अलग कर दिया गया था उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ये गांव समस्त तहसील में बिखरे हुये हैं। अतः इनमें चकबन्दी करना सम्भव नहीं है।

तहसील जौनपुर का कोई भी गांव उक्त कारण से चकबन्दी से अलग नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०८०–१०८१ पर)

आजमगढ़ जिले में मधुबन के निकट भूमि पर अनधिकृत कब्जा

७—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-फैजाबाद रोड पर आजमगढ़ से पश्चिम, कन्धरापुर थाने के पूरब, मधुबन के गोदाम नामक स्थान पर कुछ लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और दुकान खुलवा कर दुकानदारों से किराया वसूल कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कुछ लोगों ने इस स्थान पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और एक व्यक्ति किराया भी वसूल कर रहा है।

८—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या उक्त विषय के संबंध में शिकायत सरकार के पास १९६२ या १९६३ वर्ष के शुरू में की गयी थी और सरकार द्वारा इसकी जांच भी करायी गयी ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, एक आदमी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है और अन्य लोगों के विरुद्ध जिलाधीश आजमगढ़ के पास सूची आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जा रही है।

छिबरामऊ में कन्या विद्यालय न होना

९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में कन्या विद्यालय खोलने का विचार सरकार के सम्मुख है, जिससे कन्यायें हाई स्कूल व इन्टर तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बस्ती कलेक्टरेट में हरिजन

१०—श्री श्यामलाल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ ई० में बस्ती कलेक्टरेट में क्या कुछ एपरेन्टिसों की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विलेन—

जी हां, सन् १९५७ ई० में हुई प्रतियोगिता परीक्षा के फलस्वरूप १३ संख्या उम्मेदवारों की नियुक्ति पेड एपरेन्टिसों के पद पर उसी साल कर दी गई थी और शेष एक हरिजन उम्मेदवार की नियुक्ति बाद में की गई थी ।

जिलाधीश नैनीताल के पास भूमिहीनों के प्रार्थनापत्र

११—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश नैनीताल के पास कितने प्रार्थना-पत्र ३१ अगस्त, १९६३ तक बाबत चाहने भूमि मय भूमिहीन प्रमाणपत्रों के पहुंच चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विलेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

१२—श्री खुशीराम—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इतने प्रार्थना-पत्रों में से कितनों को विचार होने के बाद भूमि दी गयी है ? और बाकी प्रार्थना-पत्रों में कब तक विचार होगा ?

श्री हुकुमसिंह विलेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर में जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन निर्माण व्यय की जांच

१३—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर नगर में जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भवन निर्माण में कितनी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी गयी और किन-किन मदों से धन दिया गया और भवन निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

१९५४-५५ में ४,९५० रु० नियोजन विभाग ने केन्द्रीय सरकार की ग्रांट में से भवन निर्माणार्थ दिया तथा १९५६ में ५०० रु० मुख्य मंत्री के कोष से स्वीकृत हुआ । भवन निर्माण पर जनवरी, १९६३ तक कुल ९६,४२४ रु० ३७ नये पैसे व्यय हुए ।

१४—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को इस विषय की जानकारी है कि जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रामेश्वरप्रसाद सिंह ने भवन के निर्माण में सरकारी अनुदान व जनता संग्रह का हजारों रुपया गोल-माल कर दिया है ? क्या इसके संबंध में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सरकार से जांच की मांग की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री रामेश्वरप्रसादसिंह भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा भवन के निर्माण में, अनुदान व जनधन संग्रह के रुपयों के गोलमाल करने के विषय में कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं। केवल श्री श्याम बिहारी लाल ने जिलाधीश से जांच की मांग की थी।

१५—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को पता है कि सन् १९५८–५९ में तत्कालीन, जिलाधीश, श्री बी० के० मिश्र ने श्री श्याम बिहारी लाल के अनुरोध पर हिसाब-किताब की जांच शुरू की थी? यदि हां, तो क्या जिलाधीश के तबादले के बाद जांच जारी रही या बन्द हो गयी? यदि बन्द हो गयी तो क्या सरकार जांच करने पर विचार करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। क्योंकि श्री श्याम बिहारी लाल ने अपने आरोपों के समर्थन में हाकिम परगना के सम्मुख न कोई सबूत दिया और न स्वयं ही उपस्थित हुए अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।

१६—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को पता है कि जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जौनपुर के भवन पर श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ने कब्जा कर लिया है और अपने फर्जी हिसाब पर परदा डालने के लिए मनगढ़न्त संस्था को रजिस्टर्ड करा कर जन-धन से निर्मित भवन पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है और इस बात की सम्भावना पैदा हो गयी है कि दो दलों में संघर्ष भी छिड़ जाय?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह सम्मेलन के अध्यक्ष थे और अब भी हैं, अतः गैर कानूनी तौर पर भवन पर कब्जा करने का प्रश्न नहीं उठता और न कोई संघर्ष की सम्भावना है।

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी कर्मचारियों के स्थानान्तरण

१७—श्री शिवनाथसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत १ अप्रैल, सन् १९६३ से १० जुलाई, १९६३ तक किन-किन चकबन्दी कर्मचारियों के कब-कब स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये और कब उन्होंने चार्ज छोड़ा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब की शिकायत

१८—श्री उमाशंकर—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को जो छात्रवृत्तियां (राजनीतिक पीड़ित, हरिजन तथा पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति, और योग्यता छात्रवृत्ति) जो राज्य सरकार या भारत सरकार देती है उनका भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में पड़े रहने के कारण विलम्ब से होता है? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री इसके लिए संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश भेजेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश---

लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्ति तथा योग्यता छात्रवृत्ति के बिल सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों में प्रति हस्ताक्षर हेतु आते हैं जो शीघ्र ही प्रति हस्ताक्षर कर लौटा दिये जाते हैं। हरिजन तथा पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति बिल जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों में नहीं आते। अतः बिल जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में पड़े रहने से विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

गजरौला निरीक्षण भवन से नलों की चोरी

१९—श्री जसराम सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गजरौला, जिला बुलन्दशहर पी० डब्लू० डी० निरीक्षण भवन से दो चौकीदारों के चौकीदारी करते हुये ६५ नल २ १/२ इंच के चोरी हो गये हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---

गजरौला निरीक्षण भवन से २ इंच के ६५ नल जिस में प्रत्येक की लम्बाई लगभग १८ ३/४ थी चोरी हो गये थे। यह चोरी १३ और १४ मई सन् १९६३ को रात में हुई थी। वहां पर दो चौकीदार रहते थे।

२०—श्री जसराम सिंह—

यह नलों का स्टाक ब्रजघाट के लिये आया हुआ है उसमें कुल कितने नल आये हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---

यह नल गंगा नदी के पुल पर जो approaches हैं उन पर लगाने के लिये अधिशासी अभियन्ता, गढ़मुक्तेश्वर द्वारा खरीदे गये थे। इन नलों की कुल लम्बाई ३०-४९ फुट ९ इंच थी। इसमें चोरी गये माल की लम्बाई भी शामिल है।

२१—श्री जसराम सिंह—

यह किस ओवरसियर के चार्ज में है और वह कहां रहते हैं? उन्हें चोरी की सूचना कब मिली, और उन्होंने नलों की खोज में क्या-क्या प्रयत्न किये? स्थानीय पुलिस से उन्होंने कितनी बार सम्पर्क स्थापित किया? चोरी का कुछ पता चला, यह बताने की कृपा की जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चोरी होने के समय यह सामान श्री जी० एन० जोशी ओवरसियर के चार्ज में था जिनका हेडक्वार्टर गढ़मुक्तेश्वर में था। नलों की चोरी १३ मई की रात को हुई और इसकी सूचना श्री जोशी ओवरसियर को १४ मई की सुबह मिली। सूचना मिलते ही वह गजरौला गये और थानेदार से मिलकर रिपोर्ट उसी दिन (१४ मई को ही) लिखा दी। इसके कुछ दिन बाद पुनः वे सहायक अभियन्ता के साथ गजरौला थाने पर गये और वहां मौजूद एस० इंस्पेक्टर से विशेष खोज तथा प्रयत्न करने की प्रार्थना की। पुलिस कप्तान मुरादाबाद को भी इसकी सूचना भेजी गई। अधिशासी अभियंता ने एक अर्धशासकीय पत्र द्वारा उनसे इस मामले को स्वयं देखने की प्रार्थना की। उपरोक्त प्रयत्नों के बावजूद चोरी का पता नहीं चला।

अल्मोड़ा–पौधार मोटर मार्ग में अध्याप्त भूमि

२२—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा का अल्मोड़ा–पौधार मोटर मार्ग कब से बनना आरम्भ हुआ, इसमें पड़ने वाली भूमि कब हस्तगत की गई, कितना लम्बा यह मार्ग बन चुका है तथा कब यह मार्ग पूरा हो जावेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अल्मोड़ा–पौधार मोटर मार्ग नवम्बर, १९५९ में बनना आरम्भ हुआ। इसमें पड़ने वाली भूमि के अवाप्ति के लिये विज्ञप्तियां जनवरी तथा मार्च, १९६० में जारी की गईं। यह मार्ग ८ मील लम्बा बन चुका है शेष भाग के निर्माण के लिये कार्यवाही की जा रही है।

२३—श्री हिम्मतसिंह—

उपरोक्त मार्ग में जिन लोगों की जमीन कटी है या जिन लोगों की जमीन पर यह मार्ग बना है उनको कितना मुआवजा दिया गया है तथा उनकी जमीनों पर सरकार ने कब कब्जा लिया और कब मुआवजा दिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिन लोगों की भूमि पर यह मार्ग बना है उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि मार्ग के एक रेखण का कहीं-कहीं पर बदलने से फिर से कागजात बनाये जा रहे हैं।

गोरखपुर जिले में सड़कों का निर्माण

२४—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला परिषद् ने बड़हलगंज-डेरवा रोड को पक्का करने का प्रस्ताव सरकार को सन् १९६२–६३ में भेजा है ? यदि हां, तो सरकार उस पर कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं पहुंचा है।

२५—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिला के बड़हलगंज से लार, जिला देवरिया तक जो सड़क बनाने का प्राविजन चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है उसकी क्या प्रगति है तथा उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गोरखपुर जिले में बड़हलगंज से बरहज तक सड़क की कोई योजना सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी है और न इस सड़क के निर्माण के लिये कोई प्राविजन चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है। बरहज से लार तक की सड़क पर निर्माण कार्य चालू है और आशा है कि इस सड़क का निर्माण जुलाई, १९६५ तक पूर्ण हो जायेगा।

२६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अयोध्या से बस्ती, गोरखपुर, जिलों से हो कर जो रामजानकी रोड देवरिया जिला के गुठनी घाट नामक स्थान तक बिहार की सीमा तक जाती है उसको पक्का करने के लिये सरकार ने अब तक कौन-कौन से कदम उठाये हैं ? और उक्त सड़क पर कितने मील कंकड़ पड़ चुका है और कितना बाकी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

यह सड़क कुल १३२ मील लम्बी है। उस में से ७२ मील सड़क का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत है। इनमें से ५९ मीलों में कंकड़ पड़ चुका है १३ मीलों में कंकड़ डालना शेष है।

२७---श्री बाबूनाथसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गुठनी घाट, जिला दवरिया से अयोध्या तक सड़क की कुल लम्बाई क्या है? और उस पर किन-किन स्थानों पर पुल बनाना पड़ेगा तथा उसकी कुल अनुमानित लागत क्या होगी?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस सड़क की लम्बाई लगभग १३२ मील है और इस मार्ग पर निम्नलिखित स्थानों पर पुल बनाना पड़ेगा---

जिला बस्ती---डिड्डूपुरा कुवानों नदी पर लागत ६ लाख रुपया।

गोरखपुर---सिकरी गंज के पास कुआनों नदी पर लागत ६ लाख रुपया और बरहज बाजार के पास राप्ती नदी पर ६५ लाख रुपया। कुल ७७ लाख रुपया व्यय होगा।

पिंडरा ग्राम में कन्या जूनियर हाई स्कूल

२८---श्री इन्दल---

क्या सरकार पिंडरा, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में कन्या जूनियर हाई स्कूल व कुआर बाजार, परगना कोल असला में जूनियर हाई स्कूल खोलने पर विचार करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश---

अगस्त, १९६३ से पिंडरा ग्राम में आनुक्रमिक आधार पर कन्या जूनियर हाई स्कूल परिषद् द्वारा खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिला परिषद् इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

कुआर बाजार, परगना कोल असला में लड़कों के जूनियर हाई स्कूल खोलने हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

देहरादून तथा मन्सूरी के डाकबंगलों का एलाटमेंट

२९---श्री रक्षपालसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून तथा मन्सूरी के पी० डब्लू० डी० विभाग के डाक बंगले मई, जून, जुलाई, १९६३ में किस किस के नाम से तिथिवार एलाट हुये?

श्री जगनप्रसाद रावत---

वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १०८२-१०८३ पर)

बुलन्दशहर जिले में हरिजन अमीन न होना

३०---श्री जसरामसिंह---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में सीजनल और स्थायी कितने अमीन कार्य करते हैं और उनमें हरिजन अमीन कितने हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला बुलन्दशहर के १५५ स्थायी, ३२ अस्थायी (ए० वाई० आर०) तथा ४१ सीजनल अमीन कार्य कर रहे हैं और इनमें कोई हरिजन वर्ग का नहीं है।

३१—श्री जसरामसिंह—

क्या जिला स्तर पर १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थान की पूर्ति का आदेश दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१८ प्रतिशत सुरक्षित स्थान रखे जाने के लिये सरकारी आदेश पहले से ही मौजूद है।

जौनपुर में एच० टी सी० के चुनाव में हरिजन

३२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार चुने गये छात्रों की लिस्ट सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेगी जो कि एच० टी० सी० के लिये मड़ियाहूं व केराकत जिला जौनपुर में सन् १९६३–६४ में भर्ती हुये हैं और उनकी योग्यता अलग-अलग क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

राजकीय दीक्षा विद्यालय, मड़ियाहूं व केराकत जिला जौनपुर में सन् १९६३–६४ में प्रवेश के निमित्त निर्वाचित अभ्यर्थियों की तालिका संलग्न है। अभ्यर्थियों की योग्यता उनके नामों के सम्मुख अंकित है।

३३—श्री जगन्नाथ राव—

उक्त भर्ती किये गये छात्रों में हरिजन व पिछड़ी जाति के कौन-कौन छात्र हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

†सूची संलग्न है।

३४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[१२ सितम्बर, १९६३ को प्रश्न ३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बिन्दकी तहसील में चकबन्दी कार्य के खिलाफ शिकायत

३५—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर की बिन्दकी तहसील के किन-किन ग्रामों में आयताकार चक बनाये गये हैं और किन-किन ग्रामों में नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अक्तूबर, १९६३ के मध्य तक बिन्दकी के ३४१ ग्रामों में चक बन चुके थे। सभी ग्रामों में यथा संभव आयताकार चक ही बनाए गए हैं। ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

---

†छापी नहीं गई।

३६—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मेरी सूचना सही मान कर पता लगायेंगे कि उक्त जिला फतेहपुर की बिन्दकी तहसील के ग्राम मोहीपुर, चक सत्तर, पारादान, बिसौना और जाफराबाद के बने हुये चकों के नक्शे में एक भी चक आकार में आयताकार तथा रकबे के अनुसार सही नहीं है जब कि आयताकार चकों के निर्माण की सरकारी रिपोर्ट दी गई है? क्या उक्त तहसील के किसी ग्राम में नक्शे के अनुसार भी चकों का डिमारकेशन जमीन पर कराया गया है? यदि नहीं तो क्यों और यदि हां, तो बिन्दकी तहसील के किन-किन ग्रामों में?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कथित ग्रामों में यथा सम्भव आयताकार चक ही बनाए गए हैं और रकबे सही हैं। तहसील बिन्दकी के सभी ग्रामों में भूमि पर चकों का डिमारकेशन नक्शों के आधार पर ही किया गया है।

३७—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की तहसील में किन-किन ग्रामों में चकबन्दी की धारा ५२ की घोषणा के बाद भी चकों के मालिक किसानों को वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया? क्या राजस्व मंत्री विशेष तौर पर उक्त तहसील के ग्राम महना व कोंडार के संबंध में वास्तविक व कागजी कब्जे की जांच अपने किसी विश्वस्त अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन कारणों से उक्त ग्रामों के काश्तकारों ने चकबन्दी अधिकारियों द्वारा बनाये गये चकों पर कब्जा नहीं किया और न करने दिया बल्कि अपने पुराने खेतों को जोत-बो रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा कोई ग्राम नहीं है। तहसील बिन्दकी का ग्राम कोडार चकबन्दी में सम्मिलित नहीं किया गया था। अन्य ग्राम महना में नियमानुसार किसानों को चकों पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही हो चुकी है। गांव चकबन्दी के योग्य है। कृषकगण चकबन्दी योजना के विरोध में कोई कारण नहीं बताते बल्कि इस योजना को कृषकों का सहयोग प्रायः चकबन्दी कार्य समाप्त होने तक प्राप्त था। ज्ञात हुआ है कि अब वहां कृषक चकबन्दी योजना के विरोध स्वरूप अपने पुराने खेतों पर ही खेती कर रहे हैं।

आजमगढ़ जिले में सड़कों का निर्माण

३८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले की किन-किन सड़कों को कितनी-कितनी मील कंकड़ से पक्की करने की योजना है?

३९—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में अब तक किन-किन सड़कों पर कितने कितने मील तारकोल किया गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १०८४ पर)

४०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मझबारा, मधुबन, जिला आजमगढ़, बिल्थरा रोड, सिकन्दरपुर, भीमपुरा, नगरा और नवानगर से होकर जाने वाली सड़कों को उक्त स्थानों के सामने तारकोल की कराने की कृपा करेंगे कि जिससे बाजार निवासी गर्दगुब्बार से राहत पा सकें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मधुबन-बिल्थरा रोड सिकन्दरपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क है। इसमें उपर्युक्त स्थानों के ऊपर पड़ने वाले भाग में तारकोल करने की अभी तक कोई योजना नहीं है। आवश्यक धन उपलब्ध होने पर अवश्य उस पर विचार किया जायगा।

बड़हलगंज ब्लाक बनवाने का ठेका

४१—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री १४ सितम्बर, १९६३, के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पत्र-व्यवहार में किस-किस तारीख को ठेकेदार ने किस-किस बात का पत्र लिखा है और विभाग द्वारा किस-किस तारीख को उसका क्या-क्या उत्तर दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

विभाग तथा ठेकेदार के मध्य पत्र व्यवहार का सारांश संलग्न सूची† में दिया है।

४२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग को उक्त ठेकेदारों ने अपना काटा हुआ जुर्माना वापस करने तथा जमानत वापस करने का कोई आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। अपने पत्र दिनांक १९-३-६३ में यह आवेदन अमान्य कर दिया गया।

नार्मल स्कूल, बांदा में लड़की के साथ दुराचार एवं हनुमान जी की मूर्ति हटाने की शिकायत

४३—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

● क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दैनिक जागरण २६ मार्च, १९६३ ई० में इस आशय का लेख छपा था कि बांदा में लड़कियों के नार्मल स्कूल के अन्दर एक लड़की का सतीत्व नष्ट करने की वहां के फर्राश ने कोशिश की तथा अभी हाल में स्कूल के अन्दर मन्दिर से श्री हनुमान जी की मूर्ति हटा दी गई जो उत्तेजना फैलने पर फिर से रखवा दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। ऐसी शिकायत बांदा के एक निवासी से भी आई थी और दैनिक जागरण में भी छपी थी, लेकिन जांच करने पर मालूम हुआ कि शिकायत निराधार है। जहां तक विद्यालय के मंदिर से श्री हनुमान जी की मूर्ति हटाने का प्रश्न है ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

---

†छापी नहीं गई।

४४–४६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[११ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या ५१–५३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

ग्राम प्रधान डेखा का कटाव पीड़ितों के लिये प्रार्थना-पत्र

४७—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान डेखा, परगना चितनूपार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर ने उनको कटाव पीड़ितों के बारे में हाल में लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

४८—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या राजस्व मंत्री को बाढ़ से गिरे घरों के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक १९ अक्टूबर, १९६२ और २३ अक्टूबर, १९६२ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पत्र पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

खेखड़ा नाला, पुल के ठेकेदार का भुगतान व बड़हलगंज-कपरवारघाट सड़क

४९—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को यह मालूम है कि खेखड़ा, नाला पुल जो गोरखपुर टेम्पोरेरी डिवीजन द्वारा बनाया जा रहा था उसके निर्माण के भुगतान में ठेकेदार को अब भी पैसा नहीं मिला है ? यदि हां, तो इस विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उक्त पुल से संबंधित समस्त भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया है।

५०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला परिषद् में कोई प्रस्ताव पास कर सरकार के पास भेजा है कि बड़हलगंज से लेकर कपरवारघाट तक की सड़क पक्की बना दी जाय ? यदि हां, तो गत वर्ष के उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है।

५१—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त सड़क पर सरकार का कुल कितना व्यय करने का अनुमान है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिये इसके निर्माण के व्यय का अनुमान देना सम्भव नहीं है।

रायबरेली–फैजाबाद सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

५२—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत रायबरेली-फैजाबाद कच्चा रोड जो कि ३ मील से १९ मील यानी कि १६ मील कच्चा है उसे सरकार सार्वजनिक सुविधा हेतु कब तक पक्का बनवाने की कृपा करेगी ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्षेत्रीय समिति और अन्तरिम जिला परिषद् की बैठकों के कितने प्रस्ताव अब तक उस सड़क को पक्का बनवाने के लिये सरकार के पास आये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क को पक्का बनवाने की इस समय कोई योजना नहीं है। केवल अन्तरिम जिला परिषद् रायबरेली, (अब जिला परिषद्) ने इस सड़क को अक्तूबर, १९५९ में तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में बनवाने का सुझाव दिया था और इसे सब से नीची प्राथमिकता प्रदान की थी।

जे० टी० सी० महिला ट्रेनिंग, महाविद्यालय, झांसी की बस की मरम्मत

५३—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जे०टी०सी० महिला ट्रेनिंग, महाविद्यालय, झांसी की एक बस कई माह से मरम्मत के लिये पड़ी हुई है, जिसके कारण वहां की लड़कियों को आये दिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? यदि यह सत्य है, तो मरम्मत न किये जाने का क्या कारण है व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह बस १५ मई, १९६३ तक काम में लाई गई। जुलाई, १९६३ से इसने काम करना बन्द किया। अब यह मरम्मत हेतु वर्कशाप में पड़ी है और आशा है शीघ्र ठीक हो जायेगी। अभी तक मरम्मत न होने का कारण आवश्यक औपचारिकताओं का पूरा करना था।

राप्ती पर भकला घाट पुल की आवश्यकता

५४—श्री मुन्नूसिंह, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार आपादकालीन सरहदी सड़क जो बहराइच जनपद में चौधरी डीह से कंकरदरी तक बनाई जा रही है उसको बहराइच से मिलाने के लिये भकला घाट (राप्ती नदी) पर पुल बनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं।

छन्दरौली गूढ़ा–खपुरों सड़क

५५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील के छन्दरौली ग्राम से गूढ़ा खपुरों तक की सड़क पक्का करने हेतु १९६२–६३ में कोई सर्वेक्षण निर्माण विभाग द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पक्का बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं । ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था । धनाभाव के कारण इस सड़क को पक्का कराना इस समय संभव नहीं है ।

५६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क को पक्का बनाने पर कितना रुपया व्यय होगा तथा कितनी जगह पुल-पुलियों की व्यवस्था की जरूरत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

विस्तृत सर्वेक्षण के बिना यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

सूरजप्रसाद राजकीय विद्यालय, झांसी के लिये बस की मांग

५७--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूरज प्रसाद राजकीय बालिका विद्यालय, झांसी में कितने प्रार्थना पत्र इस तरह के विचाराधीन हैं कि वहां पढ़ रही लड़कियों को बस की सुविधा प्रदान की जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

लगभग २०० ।

५८--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त स्कूल में कितनी बसों का इस समय लड़कियों को लाने व भेजने का प्रबन्ध है ? क्या यह भी सत्य है कि दो बसें कई माह से मरम्मत के लिये पड़ी हैं और मरम्मत न होने के कारण सैकड़ों लड़कियों को स्कूल पहुंचने की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है ? यदि यह सत्य है, तो अब तक मरम्मत न होने का क्या कारण है व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

उक्त विद्यालय की बालिकाओं को लाने व भेजने के लिये शासन द्वारा तीन बसें प्रदान की गई हैं । दो बसें सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं । केवल एक बस मरम्मत न हो सकने के कारण कार्य नहीं कर रही है । मरम्मत के लिये आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने हेतु शिक्षा निदेशालय में कार्यवाही की जा रही है । धन स्वीकृत हो जाने पर बस की मरम्मत करा कर उसे पुनः चालू कर दिया जायगा ।

फतेहपुर कलेक्टरी के विभिन्न न्यायालयों में भ्रष्टाचार की शिकायत

५९--श्री दीपनारायणसिंह--

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर की कलेक्टरी कचहरी के विभिन्न न्यायालयों में पक्षपात व भ्रष्टाचार संबंधी तथ्यों की जानकारी व उनके उन्मूलन के लिये सी० आई० डी० व अन्य गुप्त अधिकारी द्वारा कोई जांच करवायेगी ? यदि हां तो कब से ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

अगर माननीय सदस्य कथित न्यायालयों में पक्षपात व भ्रष्टाचार संबंधी तथ्यों की लिखित सूचना दें तो सरकार अवश्य विचार करेगी कि क्या कार्यवाही की जाय ।

ग्राम समाज, रुद्रपुर की मालगुजारी की वसूली

६०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम समाज परगना सिलहट, तहसील व जिला देवरिया के रुद्रपुर कायम हो जाने के एक वर्ष बाद ग्राम समाज रुद्रपुर की लगान मालगुजारी वसूली का पुनः अधिकार भूतपूर्व जमींदारों को दे दिया गया था ? यदि हां, तो किस विधि विधान से यदि नहीं, तो कैसे भूतपूर्व जमींदार उक्त ग्राम समाज की मालगुजारी व लगान सन् १९६० ई० तक वसूलते रहे ? इससे सरकार को और किसानों को कितने का घाटा लगा है और ऐसा करने वाले कर्मचारियों को क्या सजा दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, १९५१ के लागू हो जाने पर रुद्रपुर गांव का कुछ भाग टाउन एरिया मान कर शेष भाग पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू किया गया तथा उस भाग की मालगुजारी सरकार ने एक साल तक वसूल की । परन्तु भूतपूर्व जमींदारों के बाद पर हाई कोर्ट की आज्ञा से पूरे रुद्रपुर को टाउन एरिया माना गया व मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई । पुनः नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम, १९५६, पहली जुलाई, १९६१ को रुद्रपुर टाउन एरिया कृषक भूमि पर लागू हुआ तब से सरकार किसानों से वसूली कर रही है । इसमें किसान व सरकार किसी को घाटा लगने का प्रश्न नहीं उठता ।

६१–६३—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतें

६४—श्री रघुबीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाचार्य विद्यालयों की इमारत में रहने के अधिकारी नहीं हैं ? यदि हां, तो दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के प्रधानाचार्य विद्यालय की इमारत में किस नियम के अन्तर्गत रहते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रशासकीय कारणों से राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को विद्यालय के प्रांगण में रहना आवश्यक है । प्रांगण में आवास न होने के कारण शिक्षा निदेशक ने प्रधानाचार्य को विद्यालय के भवन में रहने की अनुमति दे दी है ।

६५—श्री रघुबीर सहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि उक्त प्रधानाचार्य ने मार्च, १९६३ से अपने चपरासियों में से कुछ को मुअत्तल किया, चेचक जैसी बीमारी में छुट्टी नहीं दिया, वेतन रोका, चोरी का आरोप लगाया ? यदि हां, तो ऐसा करने का मुख्य कारण क्या था और प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, यह सही है कि प्रधानाचार्य ने विद्यालय के निम्नवर्ग के कर्मचारियों को कुछ सजायें दीं क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की थी । प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में टोंस नदी पर पुल

६६—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन एवं आजमगढ़ में टोंस नदी पर बनने वाले पुल का कार्य समाप्त हो गया है और जनता के लिये खोल दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आजमगढ़ में टोंस नदी का पुल तैयार हो गया है और यातायात के लिये १-१०-६३ से खोल दिया गया है । मऊ नाथ भंजन के पास का पुल लगभग पूर्ण हो गया है केवल लोड टेस्ट और एप्रोच रोड पर लेबिल क्रासिंग बनाने का कार्य रह गया है जो इस माह तक पूर्ण हो जाने की आशा है और उस पुल को १-१-६४ से यातायात के लिये खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

६७—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों पुलों के निर्माण का तखमीना पहिले पहिल क्या था और उन पर कितना-कितना व्यय हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

पुल का नाम	ओरिजनल एस्टीमेट	रिवाईज्ड एस्टीमेट	अक्तूबर, ६३ तक का व्यय
	लाख	लाख	
आजमगढ़	१०.५९	१२.१२	११,०१,४१८.४८
मऊ नाथ भंजन	१२.४८८	१४.८१	१२,४५,८५८.६४

६८-६९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

७०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

७१-७२—श्री सुखदेवप्रसाद—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

७३-७५—श्री महरामसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

७६—श्री रामअसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

माध्यमिक शिक्षक परिषद्

७७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक परिषद् में सरकार कुछ माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को भी स्थान देनें पर विचार कर रही है । यदि हां, तो इस विषय में कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । इंटरमीडियेट एकूजेशन (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किये जाने के प्रसंग में यह प्रश्न विचाराधीन है । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस पर निर्णय कब तक हो सकेगा ।

७८—श्री रतीपाल—

[१८ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

७९-८०—श्री दीपनारायणसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मल्होली ग्राम के चकों की दुरुस्ती

८१—श्री भीखालाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मल्होली सरदार नगर, जिला उन्नाव के चक नं० १११(क) १११(ख) रकबे की कमी की बाबत प्रार्थना-पत्र दिनांक २० जनवरी, १९६३ को एस० ओ० सी० उन्नाव द्वारा व १७ अगस्त, १९६३ को डाइरेक्टर चकबन्दी, लखनऊ को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या मौके पर चकों की पैमाइश करके रकबा पूरा कर दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । सरकार की सूचना है कि मौके पर उक्त चकों का रकबा पूरा कर दिया गया

८२-८३—श्री रघुनाथसिंह—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

८४—श्री कल्पनाथसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

८५—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

जे० टी० सी० ट्रेनिंग संस्थायें

८६—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी जे० टी० सी० ट्रेनिंग संस्थायें हैं और इस प्रकार की संस्थाओं की जिलेवार सूची क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस समय उत्तर प्रदेश में कुल १२ सरकारी तथा ४२ गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जे० टी० सी० ट्रेनिंग संस्थायें हैं जिनकी जिलेवार सूची प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ १०८५–१०८८ पर।)

८७–८९—श्री इन्द्रासनसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

९०–९१—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

९२–९३—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

९४—श्री दुर्योधन—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

९५–९६—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

विधान सभा के मुख्य सचेतकों के लिये कमरे

९७—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया दिनांक २४ सितम्बर, १९६३ के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ५९ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जब अन्य दलों के मुख्य सचेतकों को दो कमरे की व्यवस्था नहीं हो सकी, तो एक ही दल को कमरा क्यों दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

स्थानाभाव के कारण अन्य दलों के मुख्य सचेतकों के लिये कमरों की व्यवस्था करना संभव नहीं था । अन्य दलों के मुख्य सचेतकों को दल के नेता के कमरे को प्रयोग करने की सुविधा थी जबकि कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक को ऐसी सुविधा नहीं थी क्योंकि इस दल का नेता मुख्य मंत्री होता है ।

९८—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या मंत्री जी उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि यह कमरा कब दिया गया और इसके पूर्व क्या व्यवस्था थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह कमरा १९ जून, १९६३ से दिया गया । इससे पूर्व सूचना मंत्री जी मुख्य सचेतक थे और वह अपने कमरे में बैठते थे ।

कार्य सूची में अधिक प्रश्न होने के कारण पूरे प्रश्न न लिये जा सकने पर आपत्ति

श्री बद्रीप्रसाद गालीवाल (जिला इटावा)—

मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों की संख्या आम तौर से ढाई तीन सौ के बीच में होती है और उनमें से केवल २५ या ३० पर सप्लीमेंटरीज पूछने का अवसर मिलता है । कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाय कि सबको अवसर मिल सके ।

श्री अध्यक्ष—

उसकी व्यवस्था यह हो सकती है कि सवालों के जवाब सुन लिये जायं और बैठ जायं, कोई सवाल न किये जायं। सदन की सुविधानुसार जो संभव होगा वह किया जायगा।

तृतीय विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री होतीलाल अग्रवाल—

मैं, सभापति, याचिका समिति, तृतीय विधान सभा की १९६३–६४ की याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की ११ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में निम्नलिखित २ याचिकायें उपस्थित की गयीं :—

(१) श्री विपिन बिहारी तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उपस्थित श्री गंगा भक्त सिंह की याचिका, जो सरकार द्वारा सभी मिलों में गन्ने का मूल्य दो रुपया प्रति मन न किये जाने के कारण प्रदेश में व्याप्त असंतोष के संबंध में है।

(२) श्री जगन्नाथ राव, सदस्य, विधान सभा, द्वारा उपस्थित श्री कुंज बिहारी लाल राठी की याचिका, जो सरकार द्वारा गुड़ तथा खंडसारी के निर्माण एवं उसके अन्तप्रांतीय निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध के संबंध में है।

समिति ने १२ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में उपर्युक्त दोनों याचिकाओं पर विचार किया।

श्री गंगा भक्त सिंह की याचिका के संबंध में समिति ने यह निर्णय किया कि १२ दिसम्बर, १९६३ को माननीय मुख्य मंत्री ने जो यह घोषणा की कि केंद्रीय सरकार ने पूर्वी जिलों में भी गन्ने का मूल्य २ रुपया मन करना स्वीकार कर लिया है उससे याचिका का अभिप्राय पूर्ण हो गया है। अतः इस याचिका पर किसी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री कुंज बिहारी लाल राठी की याचिका के संबंध में समिति ने यह देखते हुये कि सदन १० दिसम्बर, १९६३ को यह निश्चय कर लिया था कि १३ व १४ दिसम्बर, १९६३ को गन्ने के मूल्य, गुड़ तथा खंडसारी पर प्रतिबन्ध, चीनी के वितरण तथा रिजर्व एरिया के किसानों के ऊपर दो तिहाई गन्ना मिलों में देने वाले प्रतिबन्ध के विषय पर चर्चा की जाय, यह निर्णय किया कि इस याचिका को सविस्तार रूप में सदन के सदस्यों में परिचालित कर दिया जाय जिससे कि वे उक्त विषय पर विवाद के समय याचिका में निहित भावनाओं से अवगत रहें चूंकि प्रतिवेदन मुद्रित होने में विलम्ब हो सकता है इसलिये उक्त याचिका को पृथक से मुद्रित करा कर सदस्यों को वितरित कर दिया जाय।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में न्याय मंत्री द्वारा खेद प्रकाशन

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)

अध्यक्ष महोदय, १० दिसम्बर को प्रश्न संख्या १३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने इस सवाल के जवाब में कि किस पार्टी से उनका सम्बन्ध था कहा था कि पार्टी के सम्बन्ध में मुश्किल है कहना। इसके बाद दूसरे अनुपूरक सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि मैं कुछ जानता नहीं। मुझे ठीक नहीं मालूम है। उसके बाद एक दूसरे प्रश्न में यह पूछा गया कि जिनके खिलाफ मुकदमा वापस लिया गया वह कांग्रेस विधान सभायी दल के एक सदस्य थे। उसके जवाब में मैंने कहा था कि वह विधान सभा के मेम्बर नहीं थे। वह नोटिफाइड एरिया चेयरमैन थे। इससे मेरी मुराद श्री मदनलाल सिरोठिया से थी, जिनके खिलाफ मुकदमा वापस लिया गया था।

[श्री सैकद अलीजहीर]

अध्यक्ष महोदय, दर अस्ल उस दिन इस विषय पर दो सवाल पूछे गये थे। एक तारांकित सवाल नम्बर १३ और दूसरा अतारांकित सवाल नम्बर ३४। जिस वक्त सवाल नम्बर १३ पर सप्लीमेंट्रीज पूछे गये उस वक्त मेरे पास अतारांकित सवाल की फाइल नहीं थी, जिसमें यह सब बातें तफसील से लिखी गयी थीं। मेरे पास सिर्फ सवाल नम्बर १३ की फाइल थी और मैंने उसी के हवाले से अपने जवाब दिये थे और इस लिये मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ठीक नहीं मालूम है। मेरा मंशा इन जवाबों से न तो किसी बात को छिपाने का था और न कोई गलतबयानी करने की नीयत थी क्योंकि सब बातें तफसील के साथ सवाल नम्बर ३४ के जवाब में दे दी गयी थीं। लेकिन अगर बावजूद इसके माननीय सदस्यों को कोई गलतफहमी हुई है तो मुझे उसका अफसोस है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मुझे एक सवाल करना था कि सरकार के पास सवाल नम्बर १३ . . .

श्री अध्यक्ष —

मैं समझता हूं कि माननीय सदन और सदस्यों का गौरव इसी में रहा है कि जब किसी सदस्य या मंत्री द्वारा खेद प्रकट कर दिया जाता है तो उस पर फिर प्रश्न नहीं किये जाते।

अब विशेषाधिकार का प्रश्न समाप्त होता है।

बापू इंटर कालेज, कोपागंज के एक विद्यार्थी के पुलिस द्वारा गायब किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ की कई सूचनायें मेरे पास आई हैं उनमें से मैंने श्री रामसुन्दर पांडेय और श्री दौलत लाल की सूचना स्वीकार की है। एक श्री बसंत सिंह जी की सूचना नियम ५२ में कल आयी थी उसको कल मैंने उनकी अनुपस्थिति के कारण अस्वीकार कर दी थी लेकिन आज उसको भी मैंने नियम ५२ में तो नहीं स्वीकार की है लेकिन उस पर मैं वक्तव्य दिला रहा हूं। एक और सूचना है श्री सूरज लाल जी की। जिसको अविलम्बनीय विषय न होने के कारण, मैंने अस्वीकार कर दिया है लेकिन यह भी मैं मंत्री जीके पास कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय की सूचना इस प्रकार से है: "मैं आपके आदेश से लोकमहत्व के एक निश्चित प्रश्न पर प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली की धारा ५२ के अन्तर्गत गृहमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री राजेन्द्र कुमार जैन विद्यार्थी बापू, इंटर कालेज, कोपागंज (आजमगढ़) को पुलिस स्टेशन कोपागंज के कर्मचारियों ने निरपराध हाथ पैर बांध कर बुरी तरह पीटा और उनके बेहोश हो जाने पर पुलिस स्टेशन की हवालत में रात को बन्द कर दिया गया। श्री जैन को मरणासन्न जानकर पुलिस ने उन्हें कहीं गायब कर दिया। श्री जैन के अभिभावकों एवं हितैषियों द्वारा खोज होने पर भी अब तक श्री जैन का पता नहीं चला है। इस घटना से कोपागंज विद्यालय तथा सरहदी गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के जिले के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों में पुलिस के प्रति क्रोध एवं क्षोभ व्याप्त है।"

इस पर माननीय गृह मंत्री जी कब वक्तव्य दे सकेंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह—)

१७ तारीख को दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है १७ को दे दीजियेगा।

बिजनौर जिले तथा गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील में धान (सहठी) पर लेवी लगने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री बंसत सिंह का इस प्रकार से है कि "बिजनौर जिले तथा गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील में धान (सहठी) पर लेवी लगने के कारण किसानों ने बाजार में धान लाना बन्द कर दिया है तथा बाहर से व्यापारी तेज भाव होने के कारण सहठी ला नहीं पा रहे हैं. . . .," आदि। इस पर मंत्री जी कब तक वक्तव्य देंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

गाजीपुर की जमानियां तहसील में भी लगाई गई है उसको भी इसमें ही जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप जोड़ना चाहते हैं तो आकर चुपचाप जोड़ दीजियेगा ।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

आज तो दूसरा वक्तव्य एक मुझे देना है इस को कल रख दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष --

ठीक है, तो यह कल के लिये रखा गया ।

प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष --

अब प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में श्री रियासत हुसैन श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री शराफत हुसेन रिजवी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य होगा ।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि हुई है जैसा कि इससे पता चलता है कि गेहूं का भाव पिछले साल नवम्बर में करीब ३९.५४ प्रति क्विन्टल था जो इस साल ४९.१० है यानी १० रु० के लगभग वृद्धि हुई है। चने में साढ़े ६ रु० के लगभग की वृद्धि मालूम होती है। यह मैं सब क्विन्टल के हिसाब से बता रहा हूं। जौ में १२.०६ की वृद्धि मालूम होती है। चावल में ढाई रु० के करीब वृद्धि हुई है ज्वार में ३.३९ की वृद्धि है, मक्का में ५,२९ बाजरा में लगभग ५ रु० की वृद्धि है। तो इससे ऐसा मालूम होता है कि वृद्धि जरूर है। मगर मैं एक बात देख रहा था माननीय सदस्यों को इस पर गौर करना चाहिये कि १९४८ को अगर १०० को बेस मान कर खाद्यान्नों की वृद्धि देखें तो प्लस १.६ आता है। गेहूं और चावल में अलग-अलग तो ज्यादा है, लेकिन ऐवरेज १.६ की वृद्धि आती है। मगर दालों में ८ की, उर्द में १४ रु० की वृद्धि है, मूंग में २ रु० के करीब है, आलू में १८ रु० की है, दूध घी में २ से ५ रु० की है यानी

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

दूध में २ और घी में ५ के करीब वृद्धि है। १९४८ को बेस ईयर मानकर १०० मानकर शुगर क्रिस्टल में ४ रु० की वृद्धि है इलेक्ट्रिसिटी में ३.१ है। शर्टिन्ग में ४.९ कोटिंग में ९ रु० की वृद्धि है। गूज में ५ रु० की वृद्धि है।...

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह सब चीजें खाद्यान्नों में हैं?

श्री अध्यक्ष —

इस तरह से तो आप अपना नुक्सान कर रहे हैं। मैं २० मिनट के बाद रोक दूंगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

हल्ला मचाने से तो भाव ठीक होंगे नहीं। मेडिसिन में ४.९ की वृद्धि है, साइकिल टायर में १०, वाशिंग सोप में ११ रु०, पोस्ट कार्ड में २० की, टुबैको में १३ की शुगर में—

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

यह भी बता दें आमदनी में कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

४.९ शुगर में...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जरा शान्त बैठें, बहुत ही अहम प्रश्न है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गुड़ में ४३.६ की है।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था खाद्यान्नों के बारे में इस पृष्ठ भूमि में और आपका शोर इससे कुछ कम हो जाना चाहिये उपभोक्ताओं को चीज ठीक हिसाब से मिलती रहे इसके लिये हमने भरसक प्रयत्न किया है और क्या उपाय किये इसको रखने के पूर्व मैं अपने लिमिटेशंस आपके सामने रख दूं। फूड आल इंडिया विषय है और हमारी स्टेट अकेले कोई काम नहीं कर सकती। हमारी स्टेट में चावल पर प्रतिबन्ध था और अभी हाल में गुड़ तथा खांडसारी पर भी सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने प्रतिबन्ध लगाया है और हम अपने यहां से कोई कदम नहीं उठा सकते। जब तक सब पावर्स डेलीगेट न हों तब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। शुगर की प्राइसेस बढ़ गयीं। हमसे कोई कंसलटेशन नहीं किया गया। लेकिन मैं उनकी तरफ से भी कहता हूं कि अगर सेंटर स्टेट् गवर्नमेन्ट को पूरी पावर्स दे दे और चने का जाना रोक दें, हम तो अपने यहां भले ही ठीक कर लें, लेकिन दूसरी स्टेट्स में इसका क्या असर पड़ेगा यह सेंटर के लिये सरदर्द हो जायगा। इसके लिये सेंट्रल गवर्नमेन्ट दोषी नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंटली सारी स्टेटस के लिये वर्क करना देश के लिये खतरनाक और हानिकारक है। हमारी लिमिटेशंस हैं और उनकी भी लिमिटेशंस हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री को पता नहीं है कि नियम ५२ में बयान लिख कर पढ़ा जाता है। वह स्पीच दे रहे हैं। हम लोगों को प्रश्न करने का मौका भी मिलेगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रोडक्शन यद्यपि कुछ बढा नहीं है, लेकिन देखें कम्पेरेजिन करके कि उसके क्या कारण हैं ? एक तो पिछले साल बाढ़ आई और उससे वाटर लागिंग हुआ जिससे दोनों फसलों पर कुप्रभाव पड़ा। आप देखें कि चावल १९६२–६३ में ३० लाख ८० हजार मीट्रिक टन पैदा हुआ और इस साल ३० लाख २७ हजार मीट्रिक टन पैदा हुआ। गेहूं पर भी उसका असर हुआ। वाटर लागिंग की वजह से १३ लाख ३६ हजार टन कम पैदा हुआ। तो भाव पर कुप्रभाव पड़ना लाजमी था और इतने कम भाव बढ़े इसके लिये आपको तारीफ करना चाहिये नहीं करते तो आपकी अनुदारता है।

जब कि ये मिलों को बन्द करना चाहते हैं फिर चीनी मिलों को धन्यावाद देने की बात है। आंकड़े मेरे या किसी के घर के नहीं होते। ये तो हर महकमे के होते हैं और उन्हीं को ले कर आप लोग भी यहां बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मंडियों में एराइवल्स पिछले साल के मुकाबले इस साल कितने गिर गये। सितम्बर में लगभग १२१३ क्विं० व्हीट के एराइवल्स रोजाना कम हुए। मैं ज्यादा आंकडों में नहीं जाता, लेकिन एरावइवल्स भी कम हुये गत वर्ष की अपेक्षा। इसलिये भाव पर असर होना लाजमी था और आप लोगों को इससे इतनी नाराजगी भी नहीं होनी चाहिये क्योंकि काश्तकार को और चीजें बड़ी मंहगी लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा भाव बढ़ने का एक यह भी कारण है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी भाव बढ़ा करते हैं। अगर पत्रकार या माननीय सदस्य बात का बतंगड़ बना दें तो उसका बड़ा कुप्रभाव बाजार पर पड़ता है।

श्री दीपनारायणसिंह—

'बात का बतंगड़' कहना संसदीय है, श्रीमन्, ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

'बात का बतंगड़' के माने हैं बढ़ा चढ़ा कर कहना। भावों को नीचे रखने के लिये हम बराबर चेष्टा कर रहे हैं फैयर प्राइस शाप्स के जरिये जो इस वक्त ४,६२३ फंक्शन कर रही हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यह आज्ञा है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी खोल दें और आर० एफ सीज० को आर्डर कर दिया है कि जितना भी गेहूं मांगे दें। इसके अलावा हर जिले में फूड ऐडवाइजरी कमेटी बना दी है। इसलिये ग्रेन्स के बारे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब बाजार में भाव एक स्तर से ऊंचा बढ जाता है तो हमारी फेयर प्राइस शाप्स काम करने लगती हैं और जब तक बाजार में अच्छा गेहूं उचित भाव पर मिलता रहता है तब तक वे काम नहीं करतीं। अब हमने देखा है कि हमारी दुकानों से आफ–टेक बढ़ रहा है। अभी तो हमारे पास रिजर्व में करीब ६१ हजार टन माहवारी रोलर फ्लावर मिल्स में आटा है मुझे कुछ माननीय सदस्य मिले थे उन्होंने कहा कि आटा क्यों भेज रहे हो। मुझे आटा भेजने का शौक नहीं है, लेकिन जब प्राइसेज बढ़ेगी तो मैंने हिसाब लगाया कि रोलर फ्लावर मिल्स का आटा कम से कम २ से ४ छटाँक का बिकना चाहिये और वह आटा बिक रहा है उनके एजेन्ट्स के जरिये। लेकिन अगर वह आटा २ सेर या उससे कम बिकने लगा तो मैं उनको भी और आपको भी आगाह आज कर देना चाहता हूं कि हम अपनी फेयर प्राइस शाप्स से आटा बटवाना शुरू कर देंगे। वह २ सेर ६ छटाँक फी रुपया पड़ता है। दो सेर ९ छटांक रिजल्टेंट होता है। हमारी सब चीजें ठीक हैं। डी० आई० आर० में मैंने बहुत ताकत ले ली है। अगर कोई व्यापारी गड़बड़ करेगा तो हम उसको देखेंगे। हमने लाइसेन्स कर दिये हैं और होल्डिन्ग नहीं हो सकती है अगर जरूरत पड़े तो हम कीमत निर्धारित कर सकते हैं। हमने डी० आई० आर० में जो कार्यवाही की है उसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। हमने डी० आई० आर० के अन्तर्गत १५६ केसेज पकड़े। उनमें से एक छूटा, ३८ को सजा हो गई ११७ अभी पेंडिंग हैं। स्मगलिंग के ७९ केसेज में से ३३ को सजा हो गई है, १२ छोड़ दिये गये हैं, ३ को तम्बीह की गई है और बाकी पेंडिंग हैं। आप बेफिक्र रहें किसी तरह से खाद्यान्नों की कीमत नहीं बढ़ सकती है। अगर बढ़ेगी तो उनका नुक्सान होगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

श्रीमन्, मंत्री जी ने भाव पढ़े और कीमतों का ब्योरा पढ़ा। जैसा उन्होंने बताया कि कहीं ४ बढ़े, कहीं ६ बढ़े और कहीं १२ बढ़े और जो उन्होंने ऐवरेज १ कुछ बताया वह मेरी समझ में नहीं आया। वह नहीं हो सकता है इसलिये मंत्री जी उसको रिवाइज करें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी ---

श्रीमन्, जो टेबिल मेरे पास है उससे मैंने बताया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, वक्तव्य बटवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष ---

वक्तव्य बंटवा दिया जाय तो सवाल नहीं होंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मंत्री जी के बयान से साफ जाहिर है कि हर चीज की कीमत बढ़ी है और मंत्री जी ने विवशता जाहिर की है कि यह सेंट्रल गवर्नमेन्ट के अधिकार का विषय है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कीमतों की बढ़ती हुई हालत को देखकर उन्होंने केन्द्रीय सरकार को क्या लिखा जिससे कीमतें न बढ़ सकें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी ---

मैंने प्रर्ज कर दिया एसेंशल कमोडिटीज जैसे गेहूं चावल के लिये पावर्स डेलीगेट कर दी हैं और जो हमने स्टेप्स लिये थे वह मैंने आपको बता दिये। चना बगैरा को एशेन्शियल कमोडिटीज नहीं मानते हैं और मूवमेन्ट जारी है और हम भी लिखना नहीं चाहते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि नवम्बर में झांसी में एक सेर ९ टाँक का गेहूं बिका जिसकी सूचना उनको दे दी गयी है, इस पर मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी ---

आज सुबह कुछ और भी बातें हुईं। मुझ से यह कहा गया कि रामपुर में एक सेर ९ छटाक का गेहूं बिक रहा है। मैंने पूछा कि कितने की तौल है तो मालूम हुआ कि ९६ की तौल है। तो ९६ की तौल से वह एक सेर १४ छटाँक पहुंच गया। तो पता नहीं झांसी में किस तौल की बात कर रहे हैं। आपने जो मुझे दिया मैंने डी० एम० को लिख दिया है कि जितनी दूकानें चाहें खोलें किसी तरह से भाव न बढ़ने पाये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री की सेवा में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट का यह मंथली बुलेटिन मुलाहजा करने के लिये आया या नहीं जिसमें से कुछ आंकडे मैं उनके सामने रखना चाहता हूं? इसका उत्तर वह मेहरबानी करके दें। कृषि के क्रय का भाव १९५८ में ९९.४ और जो कृषि करने वाला खरीदता था उसका भाव १०३.५ था और १९६३ में कृषि क्रय का भाव ८३.८ हो गया और कृषि करने वाला जो खरीदता है उसका भाव १३० हो गया। क्या माननीय मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया कि कृषकों का ध्यान रख कर भाव बढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती तो इसको मेहरबानी करके देखें और इसका उत्तर देने की कृपा करें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं उनकी बात से बिलकुल इत्तफाक करता हूं जो माननीय गेंदासिंह ने कहा। माननीय गेंदासिंह यह मान रहे हैं कि जो चीजें किसान को खरीदनी पड़ती हैं उनके दाम ज्यादा बढ़े हैं। मैं अपनी तरफ से अपने लिमिटेशंस के अन्दर पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाकी सेंटर की चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने एक स्पेसिफिक क्वैश्चन किया है और आपका ध्यान आकृष्ट किया है, कुछ आंकड़ों की ओर। तो वह जानना चाहते हैं कि उन आंकड़ों को देखते हुए आप अपने वक्तव्य को कैसे रिकंसाइल करते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी ---

वह आंकड़े जो उन्होंने कहा और वह चीजें जिनको किसान इस्तेमाल करता है उनकी प्राइसेस ज्यादा बढ़ी हैं। मैंने स्वतः ही यह पढ़ कर बताया कि खाद्यान्नों की कीमत उनके मुकाबले में बहुत कम है। मैंने यह कहा।

श्री काशीनाथ मिश्र ---

उन्होंने न आपके सवाल को समझा और न माननीय गेंदासिंह के सवाल को समझा। अगर कोई मंत्री किसी सवाल को न समझें तो क्या मंत्री के लिये कोई दंड है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---

वह दंड यही है कि मैं आपको इजाजत दे दूं कि आप फिर से सवाल कीजिये।

श्री गेंदासिंह ---

मैं कहता हूं कि जो आपने पूछा था उसीका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें....

श्री अध्यक्ष---

माननीय गेंदा सिंह जी, आप तो इतने अनुभवी आदमी हैं। जब वह उत्तर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो अब बेकार उसके ऊपर....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। जब माननीय गेंदा सिंह जी ने प्रश्न किया और आपने उसको स्वीकार कर लिया और माननीय मंत्री जी को आपने बुला लिया उत्तर देने के लिये तो अब यह आपका अधिकार है कि माननीय मंत्री जी को आप बाध्य करें कि वह उत्तर दें। अगर आप स्वीकार न करते, माननीय गेंदा सिंह जी को कहते कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, तो बात दूसरी थी। लेकिन जब आपने स्वीकार कर लिया तो उसका उत्तर न देना यह सदन का अवमान है, आपका अवमान है और माननीय सदस्य का अवमान है।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय टंडन जी की व्यवस्था इस संबंध में आपके सामने रख रहा हूं और वह यह है कि प्रश्न करने का अधिकार सदन के सदस्यों को है। उत्तर देने का कर्त्तव्य सरकार का है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर वह ठीक तरह से नहीं दे पा रहे हैं तो मैंउनको विवश नहीं कर सकता कि तुम ठीक उत्तर दो, इस वास्ते कि उनके पास है नहीं। जो इन्फार्मेशन उनके पास न हो या किसी क्वेश्चन को वह मीट न कर सकें तो We have to draw an inference, we cannot compel an answer.

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि बात स्पष्ट हो जाय। मैं समझा नहीं बात को। मैं फिर से जवाब देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गेंदासिंह जी, आप अपना सवाल फिर से कर लीजिये और जरा विस्तारपूर्वक पूछ लीजिये।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, यह मन्थली बुलेटिन है स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की, जून, १९६३ की। यह अभी मैं उनके पास भेज दूंगा। (व्यवधान) इसमें यह अंक है—१९५८ में कृषि क्रय विक्रय समता के आधार पर ९९.४ अंक था कृषि संबंधी वस्तुओं का जो कि किसान बेचते हैं और उनको १०३.५ पर जो वह खरीदते थे वह चीजें मिलती थीं।

श्री अध्यक्ष—

मतलब आपका यह है कि उनकी आय का अंक ९९ और उनके व्यय का अंक १०३ इस प्रकार है इस रिपोर्ट के अनुसार।

श्री गेंदासिंह—

जी हां, और अब मैं अर्ज करूं कि १९६३ के जून में उसकी चीज जो बिक गई ८३.८ में और उसको जो खरीदना पड़ा वह १३० में खरीदना पड़ा। तो इन बातों के ऊपर अगर आपका ध्यान है तो जो बयान आपने दिया है उसके अनुसार जून से इधर जो हालत है उसमें क्या इतना फर्क पड़ा है कि अब किसान उसमें से कुछ ज्यादा फायदा उठाने लगा?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गेंदा सिंह जी, आपका प्रश्न यह आ जाता है कि जून में यह स्थिति थी तो अब दिसम्बर में क्या स्थिति है। जून में यह स्थित थी कि ८३ आय और १३० खर्च, तो अब इस वक्त क्या स्थिति है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था, यद्यपि अभी उसको मैंने देखा नहीं है और न मेरे सामने यह कागज था लेकिन यह बात सही है जो कही गई। वह गलत नहीं है। सही बात है और निश्चित रूप से जब सरकारी आंकड़े हैं तो सही होंगे। मगर मैं यही कह रहा था कि हम तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारी लिमिटेशंस हैं उनमें अगर किसानों का दस रुपये से नीचे पैदी बिके तो हम उसको उसमें प्राइस सपोर्ट देते हैं, १३ रुपये से नीचे गेहूं आयेगा तो प्राइस सपोर्ट देंगे, मगर और तरीके से और चीजों के ऊपर तो कोई खास प्रतिबन्ध मेरे हाथ में है नहीं। यह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार की बात है और जो प्राइस बोर्ड बनेगा सारे देश का उसके सामने यह चीजें होंगी। वह इसको कर सकते है। हम तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। आजकल आप यह समझिये कि रेल का भाड़ा बढ़ा है, कई किस्म की एक्साइज ड्यूटीज आक्ट्राय, इत्यादि कितनी चीजें बढ़ गई हैं। तो पचासों फैक्टर्स हैं जो प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। हमारा जहां तक संबंध है, हम काश्तकार को प्राइस सपोर्ट देने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज यह कर सकते हैं कि जब वह उपभोक्ता के रूप में हो तो वह चीजें उसको सस्ते दामों पर दे दें सीमेन्ट दे दें चीनी दे दें, यही कर सकते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह जो खाद्यान्नों के भाव में बढ़ती हुई है उसका पूरा का पूरा मुनाफा ट्रेडर्स की जेब में गया है, काश्तकारों को उससे कोई मुनाफा नहीं हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसीलिये मैंने मंडियों में अराइवल के फिगर्स पढ़े कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वक्त अराइवल कम है। यद्यपि मैंने यह भी कहा कि उत्पादन भी घटा है, लेकिन अराइवल बहुत कम हुआ है। काश्तकारों के यहां से बहुत कम आया है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जैसा उन्होंने ब्यौरा प्रस्तुत किया है उससे यह तस्वीर साफ है कि जो भी उनके द्वारा अभी तक प्रयास किया गया है उन प्रयासों के करने के बावजूद भी इन कीमतों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है जो इस बात की साक्षी है कि आपकी पुरानी नीति इस वृद्धि को रोकने में असमर्थ है। आगे यह वृद्धि न हो सके इसके लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि वृद्धि हुई है और उस वृद्धि का कारण मैंने बतला दिया। आप कहते हैं कि जितने हमारे प्रयास थे वह असफल रहे। मैं समझता हूं हमारे प्रयास असफल नहीं रहे बल्कि सफल रहे हैं।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ग्रोवर्स को रबी सीरियल्स के जो भाव दिये गये उससे आज उनकी रबी सीरियल्स के भाव ज्यादा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में सीड स्कीम को सफल बनाने हेतु उन रजिस्टर्ड ग्रोअर्स के नुकसान को रिइम्बर्स करने का विचार रखती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

असल में मैं इसको डील नहीं करता हूं। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको डील करता है। इसलिये इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं खाद्यान्न मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आंकड़ों के अनुसार इस बात को स्वीकार किया है कि सन् १९४८ की अपेक्षा हर एग्रीकलचरल प्रोडयूस, गेहूं चावल, जौ के भावों में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के भावों में अधिक वृद्धि हुई है। तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों पर अधिक नियंत्रण न करने की बात वह सोचेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यही तो मैंने भी कहा है जो आप कह रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी सदन में इस बात को कबूल करेंगे कि जो आवश्यक खाद्य सामग्री है उसके निश्चित रेट सरकार की तरफ से गजट में प्रकाशित करके घोषणा की जाय और हर दूकान पर रेट लिख दिये जायं कि हर चीज का क्या रेट रहेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नियम बनाने की बात हो सही है, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से यदि किसी चीज पर कुछ कंट्रोल करने की बात की जाती है तो हल्ला मचता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हम यह चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हर चीज के भाव निश्चित हो जायं और वह खुले बाजार में बिके और इसकी सरकार घोषणा कर दे।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि विभिन्न खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित हो जाय और प्रकाशित हो जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वे निश्चित हैं और लिस्ट लगाने का आदेश है हर दूकान पर।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

अभी मंत्री जी ने बतलाया कि हर जिले में भाव ठीक रखने के लिये एक कमेटी बनायी गयी है। तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उस कमेटी में कौन लोग रखे गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भावों को स्थिर रखने के लिये सलाह देने के लिये एक कमेटी बनायी गयी है जिसमें एम० एल० एज० भी हैं और एम० एल० सीज० भी हैं। वे डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को सलाह दे सकते हैं। बहुत-सी चीजें अनकंट्रोल्ड हैं, इसलिये वे सलाह दे सकते हैं उनके बारे में।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

इस बात को देखते हुए कि खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं और आम तौर से शिकायत है कि जब किसान के पास रहता है माल तो कम कीमत रहती है, बाद में अधिक हो जाती है और इंडस्ट्रियल गुड्स का दाम बढ़ता जाता है, मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगे कि एक आल इंडिया प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड बनाया जाय और उसके कोआर्डिनेटिंग बोर्ड स्टेट्स लेविल पर बनाये जायं ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक चीजों के मूल्य का सम्बन्ध है, हमने एक आदेश डी० आई० आर० में दे रखा है और उसके लिये हर जिले में कमेटी बन गयी है। उसमें आप सलाह दे सकते हैं और ऐसा बोर्ड जब केन्द्र बनायेगी तो यहां भी बन जायगा।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि आप सलाह देंगे कि वे ऐसा बोर्ड बनायें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस पर मैं विचार करके कुछ कह सकूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

जैसा गेंदा सिंह जी ने बतलाया कि ९९ से ८३ और १०३ से १३० हो गया और उस पर आपने प्राइस रिपोर्ट की बात कही, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ९९ से ८३ हुआ तो आपने क्या केन्द्र को लिखा या क्या कदम उठाये उसके लिये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब भाव गिरने लगे तो हमने आगरा की राइस मिलों को स्पेशल परमिट दे कर उन्हें तराई से धान दिलाया ताकि वे कंपिटीशन करके ११ और १२ रुपये में राइस दे सकें और भानुप्रताप जी के इलाके में उसकी आमद बाहर कर दी, इससे भाव बढ़ गये। केन्द्र ने भी कुछ थोड़ा माल खरीदा था।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने फेयर प्राइस शाप्स खोलीं, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है और वही बात मैं बतला रहा हूं। आपकी फेयर प्राइस शाप्स से आदमी को उदर पूर्ति के लिये सामान मिल सकता है, लेकिन सैकड़ों ठेकेदार गवर्नमेंट के हैं जिन्होंने लाखों की संपत्ति सरकार को दी है जंगलात के ठेके लेकर . . .

श्री अध्यक्ष—

आप का प्रश्न क्या है ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

उनके कुली जंगलों में काम करते हैं। और मैंने अपने कानों से सुना है. . (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि बाजार में चावल का दाम १८ रु० है और मेरे सामने एक दूकानदार ने कहा. .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

उस ठेकेदार को १०० मन चावल की जरूरत थी अपने कुलियों को खिलाने के लिये ताकि वह सरकार को लकड़ी निकाल कर दे सके. . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न नहीं करते, इसलिये आप बैठ जायं।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर—

मेरा प्रश्न यह था कि १८ रुपया बाजार का भाव था और २३ रुपये में उसने. . .

श्री अध्यक्ष—

आप को काफी टाइम दिया। तीन मिनट में भी आप एक सवाल नहीं कर पाते इसलिये अब बैठिये।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मुझे कुछ आंकड़े मिले हैं एकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स विभाग से। मई के महीने की गेहूं की होलसेल प्राइस ४० रुपये प्रति क्वीन्टल थी और आज के दिन लखनऊ में उसका भाव ५७ रुपये प्रति क्वीन्टल है। किसान के घर से निकलने के बाद इतनी ज्यादा प्राइस में वृद्धि हो गयी है। यानी जो आज उपभोक्ताओं को देना पड़ रहा है उस में से ५७ १/२ फीसदी किसान को मिल रहा है और साढ़े ४२ फी सदी मध्यवर्ती लोगों को। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुष्टि करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुझे पता नहीं इस भाव का। आपके पास एक कागज में यह भाव नोट है, अगर किताब होती तो देखा जाता। लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि लखनऊ में आजकल भाव गेहूं का १ सेर

[जगमोहनसिंह नेगी]

१४ छटांक का है अच्छे गेहूं का, वैसे दूसरा सवा दो सेर तक का भाव है। मैं भी अपने यहां इसी भाव से मंगा रहा हूं खाने के लिये।

श्री भानुप्रतापसिंह---

मंत्री जी ने चुनौती दी कि वे १० रुपये मन पर धान खरीदने के लिये तैयार हैं। मैं पूछता हूं कि जब सरकार धान की खरीदारी करती ही नहीं, तो उन्होंने ऐसी बात कैसे कही ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

केन्द्रीय सरकार ने जो आश्वासन दिया उसी पर मैंने भी यह कहा था। उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

किसानों की भलाई की बात कई बार मंत्री जी ने कही। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या ऐसा कोई इन्तजाम करेगी जिससे कि कलकत्ता वाली स्थिति यहां पर पैदा न हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं कहता हूं यहां पर कोई स्थिति खराब नहीं होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह---

प्रदेश के कबाल टाउन्स में और गोरखपुर में महंगाई का क्या अनुपात है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसे देखना पड़ेगा, इस समय सूचना नहीं है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डी० आइ० आर० के अन्दर जो चालान हुये हैं वे छोटे-छोटे व्यापारियों के ही हुये हैं और उनमें कितने ऐसे व्यापारी हैं जिनका साल भर में टर्न ओवर १ लाख या ५० हजार के ऊपर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री दीपनारायणसिंह---

उस समय के भाव जो हैं और अब इस समय जब उसे बनिया बेचता है, इन दोनों भावों में पैरिटी लाने के लिये क्या आप एक महीने के अन्दर कुछ कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि वे अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज, मार्केटिंग सोसाइटीज और वेयर हाउसेज बनावें और उनको मिडिलमैनों से बचावें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं और मक्का के काश्तकारों से उनकी हमदर्दी है और गन्ना और बाजरा के काश्तकारों के प्रति वह हमदर्दी नहीं है जिसके कारण आप उनकी चीजें कम भाव पर उत्तर प्रदेश में ले लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

अब गन्ने के दाम बढ़ गये हैं। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री महोदय के आंकड़ों से मालूम होता है कि खाद्यान्नों की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने भावों के बढ़ने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है तो क्या वह यह महसूस करते हैं कि उनके पास स्टाक में और जो कन्जम्प्शन है उसमें क्या है और यह भाव तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि अब की साल पैदावार कुछ कम हुई है। दूसरे मैंने बताया कि लोग फेयर प्राइस शाप्स से तब तक नहीं खरीदते जब तक सफेद गेहूं के बाजार के और फेयर प्राइस शाप्स के भाव में काफी अन्तर नहीं होता। अब इस साल फेयर प्राइस शाप्स में कंजम्प्शन बढ़ा है...

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न दूसरा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं कि कितना कंजम्प्शन है और कितना आपके पास है ?

श्री अध्यक्ष--

आप जानना क्या चाहते हैं कि कितना रिलीज कर रहे हैं ? क्या मतलब है आपका ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी कहते हैं कि इनके पास सीरियल्स का स्टाक काफी है तो कितना कंजम्प्शन है कि विभिन्न चीजों के बढ़ते हुये प्राइस को यह घटा नहीं पा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमारे यहां डेढ़ या २ लाख टन गेहूं बटता था। पिछले साल कुछ कम था, इस साल थोड़ा बढ़ा है और वह ५० हजार टन के करीब गया है। जितना लोगों को जरूरत होगी हम देंगे। मगर प्राइसेज के लिये जिम्मेदार हैं कुछ जो टैक्सेज बढ़े हैं वह भी।

श्री अध्यक्ष--

हो गया। अभी इस पर आगे बहस भी है।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या खाद्य मंत्री जी का ध्यान अभी कुछ दिन पहले नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है कि फर्रुखाबाद जिले में खाद्यान्नों का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ? यदि हां, तो उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सूबेदार सिंह जी, यह जेनरल क्वेश्चन है। आप विशेष स्थान का प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गुड़ २० और २२ रुपये मंडियों में बिक रहा है और उसको सरकार के रीजनल फूड कंट्रोलर और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की परमिट्स पर ले जाकर लोग गुजरात में ८० रुपया और पंजाब में ६५ रुपये के भाव से बेच रहे हैं ? तो जो लोग यह लम्बा मुनाफा कमा रहे हैं उसके सिलसिले में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गुड़ पर कंट्रोल करना हमारे अधिकार में नहीं है, वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है।

श्री अध्यक्ष—

हो गया। उस पर बहस होने वाली है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी के पास ऐसे स्टेटिस्टिकल डाटा हैं कि काश्तकार की क्रापस का प्रोडक्शन कितना खाद्यान्न में है और उसके ६ महीने बाद वहां अनाज कितने में बिकते हैं और उसके रिलेशन में उसे कितने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास हो।

गन्ने के मूल्य, गुड़ तथा खांडसारी पर प्रतिबन्ध, चीनी वितरण तथा रिजर्व एरिया के किसानों के ऊपर दो-तिहाई गन्ना मिल में देने वाले प्रतिबन्ध के विषय पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं आदरणीय सदन से जानना चाहता हूं। अब चूंकि गन्ने की दर इस जैसा कि सदन का खयाल था उतनी बढ़ा दी गई है, तो क्या अब भी हम इस बहस के लिये २ दिन बैठेंगे ? मैं समझ रहा था कि अब एक दिन काफी है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

केवल २ रुपये गन्ने के मूल्य का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब ५ १/२ की जगह ६ १/२ तक कर दीजिये और कल छुट्टी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि २ दिन का निश्चय इस सदन का है और आपको उसे बढ़ाने का अधिकार नहीं है। आप प्रस्ताव ला सकते हैं। यहां गन्ने की कीमत का सवाल नहीं है, सवाल तो सरकार की नीति का है। कल भी बैठें।

श्री अध्यक्ष—

अगर बिल्कुल गलत समझे, मैं अपनी राय किसी पर आरोपित नहीं करना चाहता। मैं हाउस की सेंस जानना चाहता था। अगर सेंस आफ़ दि हाउस यह है तो एक प्रस्ताव आ जावेगा और बहुमत वाले पास कर देंगे। मैं चाहता हूं कि उसे एक्सेप्ट कर लिया जाय। आपको मानना हो मानें, न मानना हो, न मानें।

श्री नेकराम शर्मा—

मुझे आपत्ति है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि मद नं० १० पर आज ही विवाद समाप्त होकर कल सदन न बैठे। कल छुट्टी रखी जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग आपस में बात कर लें और यह प्रस्ताव २ बजे लिया जायगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

आपने स्वयं कहा था कि २ दिन की बहस करना है, इसलिये १३ व १४ रखी जावें, यद्यपि हम १२ या ११ को ही इस पर बहस चाहते थे। हम २ दिन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ कर तय कर लें, और २ बजे वह प्रस्ताव लिया जायगा।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

इसे अभी तय कर लें। यह मुनासिब नहीं है कि २ दिन से काट कर १ दिन किया जाय। बड़े महत्व का प्रश्न है।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, कुछ कहने के पहले मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने २ रुपये मन गन्ने की कीमत कर दी, यद्यपि यह जानकर थोड़ी चिन्ता हुई कि यह टैम्परेरी है। जन संघ की मांग २॥ रु० की थी।

आज का विवाद यह है कि हमारी सरकार की नीति गन्ने के बारे में क्या है, चीनी के प्रति और गुड़ व खांडसारी के प्रति क्या है। चीनी का प्रश्न अखिल भारतीय है। मैं गन्ने की एक कहानी कह जाऊं तो परिस्थिति अच्छी तरह समझ में आ जावेगी। श्रीमन्, जितने चीनी या गन्ने के कारण संकट उत्पन्न हुए वे न होते यदि हमने ठीक तरह से गन्ने का उत्पादन बढ़ाया होता, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की होती और उसका एकरेज बढ़ाया होता प्रति एकड़ तो उपज का योग बढ़ता और यह संकट उत्पन्न ही न होता। हमारी सरकार गन्ने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाने में असफल रही है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े रखना चाहता हूं और इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि यह सरकार इस दिशा में कितनी असफल रही है। सन् १९३४-३५ में यहां ६ लाख टन गन्ने की पैदावार थी वह सन् १९६२ में २७ लाख टन हो गई, यह पैदावार बढ़ी इसलिये दिखाई देती है कि गन्ने का एकरेज बढ़ गया, इसलिये नहीं कि प्रति एकड़ उसकी पैदावार बढ़ गई। यह जो आपका ही बुलेटिन निकलता है उसके ही आधार पर मैं यह आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। सन् १९३१से १९३६ तक १५ टन, १९४१से १९४६ तक १४.१ टन, १९४६ से १९५० तक १३.६ टन प्रति एकड़, १९५१ से १९५६ तक १२.९ प्रति एकड़, १९५६से १९६१ तक १४.१ प्रति एकड़ उपज हुई। जबसे आपने शासन सम्भाला है उपज घटती ही गई है। अब आप इस प्रदेश की स्थिति इस संदर्भ में देखें। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जो क्रमशः अनुपात घटा है उसका कारण यह है कि दूसरी जगह नहीं घटा और यू० पी० ने ही सारे देश के एवरेज को नीचे ला कर डाल दिया। हम सारे देश की ५५ प्रतिशत चीनी यहां पैदा करते हैं। इस ५५ प्रतिशत में यू० पी० की पैदावार है ११.१७। तो सारे देश के उत्पादन को जब हम इस में जोड़ते हैं १४.१ आता है। इस तरह से हमने सब प्रदेशों के औसत को नीचे खींच गिराया। कल ही सप्लीमेंटरी बजट में यह सरकार कह रही थी कि एक विशेषज्ञ हम इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी]

लिये रख रहे हैं, गन्ना विभाग उनका है और वह फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन उनकी डींग शुरू से रही है कि हम गन्ना अधिक पैदा करने के लिये एक विशेष विभाग खोले हैं और वह उनका विभाग इस काम को करता है और गन्ने के प्रोडक्शन की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस पत्रिका से मैं उनके कार्यकलापों का फल दे रहा हूं। यह उन्हीं का बुलेटिन है। होता यह है कि पैसा तो लेते हैं, लेकिन कोई योगदान नहीं देते। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि प्राइवेट फार्म की रिपोर्ट है कि ४० टन गन्ना एक एकड़ में उनका प्रोडक्शन है। हमारी सरकार ने गन्ने के लिये क्या किया? पंजाब सरकार ने कहा कि हम गन्ने का सेस जितना लेंगे वह सब किसानों पर लगाया जायगा। उन्होंने एक कौड़ी उसमें से नहीं ली, लेकिन यह सरकार कदाचित् कुछ भी उनको नहीं देती है....

(व्यवधान)

आप तो मिल मालिकों की मदद करते हैं। आप जरा-सी रिकवरी की हालत भी देखें, वह भी यहां बहुत कम है, यहां की रिकवरी भी एवरेज प्रतिशत को नीचे खींचती है। यदि इस सरकार ने यहां गन्ने की किस्म सुधारी होती तो प्रति एकड़ उपज बढ़ी होती और मिल मालिकों द्वारा यह संकट जो पैदा किया गया है वह पैदा न हुआ होता। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं कहा क्रयकर विधेयक के सम्बन्ध में कि मुझे बड़ी चिन्ता है कि यह मिलें बड़ी साइज में शिफ्ट न कर जायं। मुझे बड़ी चिन्ता है कि यह इंडस्ट्री जो टैक्सटाइल के बाद है, समाप्त हो जायगी। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है। अगर चीनी का संकट हुआ या मिलें दक्षिण में शिफ्ट हुईं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है क्योंकि वह अपनी नीति में असफल रही। अगर साउथ की तरफ मिलें गईं तो न पोलिटिशियन्स, न केन गोवर्स का कसूर है बल्कि मिलवालों की साजिश से सरकार का कसूर है। अगर सरकार की नीति ठीक रहती तो गन्ना भी ज्यादा पैदा होता क्वालिटी भी बढ़ती और चीनी का संकट भी न होता। सरकार के पास क्या जवाब है कि ११ १७ टन प्रति एकड़ उपज है जब कि मैसूर में २० टन प्रति एकड़ है? विशेषज्ञों ने यह कहा है कि अगर सरकार ११ टन प्रति एकड़ से उपज बढ़ाकर १५ टन कर दे और फिर २० टन कर दे तो नतीजा यह होगा कि कई करोड़ रुपये का लाभ किसान को होगा और चीनी का संकट खत्म हो जायगा। सारी विपत्ति सरकार की अदूरदर्शिता, ढिलाई के कारण है। एक बात और कहना चाहता हूं। इसका प्रभाव क्या होगा? जब से सरकार ने बागडोर संभाली यह स्थिति आई है, होगा क्या? किसान सबसे बड़ा पर्चेजर है और उसके पास कैश क्रोप यही है; अगर यह क्रोप उनकी घटी तो आपकी अन्य इंडस्ट्रीज पर उसका असर पड़ेगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष महोदय, गन्ने पर बहस हो रही है और सम्बन्धित मंत्री यहां हैं नहीं, न कोई उनको रिप्रजेन्ट कर रहा है। मिनिस्टर कन्सर्न्ड को होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं माननीय राममूर्ति जी हैं।

नियोजन मंत्री (श्री राममूर्ति)---

मैं आपकी बातें नोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

इधर भी ऐसा ही है, जबकि दो दिन मांगे जाते हैं बहस के लिये और यह दिलचस्पी है।

श्री राममूर्ति—

मैं माननीय त्रिपाठी जी के संतोष के लिये यह बता दूं कि गन्ना पैदा करता हूं और खांडसारी से भी ताल्लुक रहा है। आप फरमायेंगे तो सब बातों का जवाब दे दूंगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे एक बात याद आती है कि जो घोड़े का सवार होता है वह घोड़े को कोड़े से मारता है और फिर उसकी लगाम खींचता है जिसकी वजह से नेचुरल चाल छोड़कर घोड़ा दूसरी तरह की चाल चलता है। तो एक तरफ सरकार किसान को सुविधा नहीं देती और दूसरी तरफ आंकड़े दे कर उसको संतोष दिलाना चाहती है। कहते हैं दो बड़े तीन मिल को दो। यह किसानों के साथ सरकार की हमदर्दी है। पहले १९४८–४९ में गन्ने की कीमत २ रु० थी जब कि चीनी ३२ रु० मन थी। पहले कहा कि गन्ना खूब पैदा करो और जब ज्यादा पैदा हुआ तो मिलों ने कह दिया कि हमारे पास गन्ना रुका हुआ है, इसको खपा नहीं सकते। मिल वालों की बात मान ली, और किसानों का गन्ना बरबाद हुआ। मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं कि मिल वाले कांग्रेस पार्टी को फाइनेंस करते हैं। तो यह मिल मालिकों के हाथ में खेल गये। नहीं लेते तो ठीक है। खड़ा गन्ना खेत में जला दिया गया? ये किसानों के हमदर्द हैं मिल मालिकों के नहीं। आंखों देखी बात बतलाता हूं कि जब सारा गन्ना जल गया तो किसान हतोत्साहित हुआ। दूसरे यह कहा गया कि सीरियल्स की उपज बहुत कम होती जा रही है और गन्ना जब जलाना पड़ता है तो दूसरे अनाज बोये जायं। तो यह समझकर कि गन्ना हमारा कोई लेता नहीं उन्होंने गन्ने को बोना खत्म कर दिया। लेकिन जिस वक्त गन्ना नहीं लिया गया और जो लिया भी गया तो उसकी कीमत अदा नहीं की गयी क्योंकि चीनी की खपत नहीं है तो किसानों ने गन्ना बोना कम शुरू किया। उससे यह भी कहा कि कोल्हू चलाओ। खांडसारी व गुड़ पैदा करो। खांडसारी और गुड़ बनाना शुरू हुआ, कोल्हू चले तो गन्ने की उपज कम हो गई तो मिल मालिकों ने यह कहना शुरू किया गन्ना हमको मिलता नहीं हम पहले ही अपना काम समाप्त कर देते हैं। यह प्रतिबन्ध लगाया गया। अब डी० आई० आर० के अन्दर किसानों को २।३ गन्ना मिलों को देना होगा। उनके मन में यह बात बैठ गयी कि खांडसारी और गुड़ से कम्पीटीशन है, मंत्री महोदय ने यह बात कही थी जो आदमी पैदा करे जहां सबसे अच्छा रेट पाये, बेचे। लेकिन किसानों की हमदर्द यह सरकार उनको छूट नहीं देती। कहती है कि २/३ मिल को देना पड़ेगा। उसे फ्री कर देना चाहिये। दो रुपये मूल्य कर दिया गया, लेकिन मेरा कहना है कि फिर भी फ्री कर देना चाहिये। हर जगह टेम्पोरेरी शब्द आया है भाषणों में, इसलिये २ रुपया पर्याप्त नहीं है, ढाई रुपया पर्याप्त है। डी० आई० आर० इस वक्त लगा तो उस वक्त मिल मालिकों पर क्यों डी० आई० आर० कानून नहीं लगाया गया जब कि खेत में खड़ा गन्ना जलाना पड़ा? उस समय इस सरकार की नीति अदूरदर्शितापूर्ण रही और मिल का पक्षपात करने वाली ही यह सारी नीति इसके लिये जिम्मेदार है। अगर आपकी यही चाल रही तो कुटीर उद्योग समाप्त हो जायगा। काटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में महात्मा गांधी कहते थे कि धन का वितरण हो उसके लिये सबसे अच्छे तरीकों में एक यह भी है कि कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग पनपें। लिहाजा विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाय। सिद्धांत की बात यह है कि कुटीर उद्योग सारी कड़ियों की एक कड़ी है। उस कड़ी में हमारी सरकार क्या करेगी? यही कि गुड़ और खांडसारी को गन्ना मिले या न मिले, लेकिन मिल वालों को गन्ना मिले।

खादी उद्योग बोर्ड है और सर्वोदय है। उन्होंने कहा कि किसानों का सबसे बड़ा अहित हो रहा है क्योंकि सरकार वही चाल चलती है जिधर मिल वाले घुमाते हैं। कुटीर उद्योगों में लुहारों, सुनारों तथा बढ़ई का काम हमारी सरकार न ले लिया। फैक्टरीज लगा कर कुटीर

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

उद्योग खत्म कर दिये गये। कुटीर उद्योग में जो चार परिवार लग जाते थे, कोल्हू चलाने में तो क्या सरकार उनकी ओर भी ध्यान देगी? क्रशर्स द्वारा ४५ परसेंट रस पैदा होता है और मिल वाले ७१ परसेंट रस पैदा करते हैं तो हम ऐसे क्रशर्स क्यों नहीं पैदा करते जो ७५ परसेंट रस पैदा करने लगें और कुशलतापूर्वक उतना ही रस निकाल सकें जितना कि मिल वाले करते हैं? इनका तो किसान की तरफ कभी ध्यान नहीं आया पर किसानों के हमदर्द हैं। ऐसी इनकी हमदर्दी रहती है कि किसान दूसरी चीजें किसी और रेट पर खरीदे और अपनी पैदावार किसी दूसरे पर दे। (लाल बत्ती जलाने पर) श्रीमन्, अभी तो मेरा काफी समय है।

श्री अध्यक्ष--

कितना समय और लीजियेगा?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

अभी तो २० मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं समय तो और दे दूंगा मगर ४० मिनट तो गलत चीज है। आप १५ मिनट बोल चुके हैं। आपने १२ बजकर ४२ मिनट पर शुरू किया था। १० मिनट और ले लीजिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

इतने में नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

कोशिश कीजिये। संकल्पों में केवल १५ मिनट होते हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मैं कुटीर उद्योगों के बारे में कह रहा था। मेरा सरकार को सुझाव है कि वह अपनी नीति में बदली करे। बहुत से लोग गुड़ खाते हैं। उनको जबरदस्ती चीनी मत खिलाइये और अगर जबरदस्ती चीनी खिलाइये तो उनकी जेब में पैसा भी दीजिये। गुड़ और राब के अनेक तरीके एक्सपोर्ट के हैं। वह बाहर जाता है, कलकत्ता जाता है। यह मेरा दूसरा प्वाइंट हुआ।

मेरा तीसरा प्वाइंट यह है कि गुड़ और खांडसारी पर प्रतिबन्ध क्यों। एक और खूबी की बात है कि हमने अपने फार्म में गन्ना बोया, उसमें से जितना हम खर्च करेंगे उस पर भी कर कर देना पड़ेगा। अभी तक सेल और पर्चेज का अर्थ मैं कुछ और समझता था। आज हमें कुछ और अर्थ मालूम हुआ। तो सरकार को चाहिये कि खांडसारी पर लगे हुये प्रतिबन्ध को हटायें। आज किसान जो पैदा करता है उसके मनमाने दाम चाहता है। वह जिस मार्केट में चाहे बेच जाय। अगर उसके पास पैसा आता है तो आपको दर्द क्यों होता है? फिर खांडसारी और गुड़ की इंडस्ट्री उठ जायगी। शीरे पर भी प्रतिबन्ध है। उसकी बाहर बहुत खपत है, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं करती।

एक ऐसा भी वर्ग है जो क्रिस्टल शुगर पैदा करता है। वह प्लांट लगा कर पैदा करता है और हमारी सरकार का विशेष कृपा मात्र है। मिल की चीनी और उस चीनी में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन बूरा, गुड़ और शक्कर को क्यों आपने उस से जोड़ दिया? हम कहते हैं कि निष्पक्ष नीति को ले कर चलिये। अगर आपको प्रतिबन्ध लगाना है तो ऐसे क्रशर्स पर लगाइये जो क्रिस्टल शुगर पैदा करते हैं। खांडसारी और गुड़ पर जो प्रतिबन्ध लगा रखा है उसको हटाइये।

एक बात श्रीमन्, और कहना चाहता हूं। मैं अपने जिले की बात ले कर मापदंड रखना चाहता हूं। मेरे यहां गुड़ का बहुत बड़ा व्यापार होता था। लेकिन अब हमारी सरकार की नीति के कारण गन्ना आधा हो गया अ र गुड़ की हालत यह है कि १ -२ ५ गांव में जाकर कहीं एक को ह लगत है। यह म री सरकार की कृप है। हम री सरकार इन कोल्हुओं के विरोध में है। इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया और जहां प्रतिबन्ध नहीं है वहां भी हवा फैला दी गई है। एक बात और कहूंगा कि आप हमको गन्ना पेरने नहीं देंगे। किसान जो गन्ना मिल को ले जाता है तो उसकी नाप कभी शुद्ध नहीं होती है। आपने २ रुपये मन गन्ने का दाम कर दिये तो आपने समझा कि किसानों को स्वर्ग में पहुंचा दिया ....

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठेंगे। सात मिनट आपको और मिलेंगे। इसके बाद मैं समझता हूं कि १० मिनट से लेकर १५ मिनट से ज्यादा कोई भाषण नहीं होना चाहिये और रहा यह कि जो प्रस्ताव माननीय कृष्णानन्द राय जी ने रखा है, वह केवल उसी सूरत में लाइयेगा जब सब नेता राजी हों अन्यथा दो दिन चलने दें।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, दो दिन बहस चलने दीजिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

श्रीमन्, शाम तक देखिये, अगर यही जोश रहे तो दो दिन रखिये। वरना अपने आप तय हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

जी हां। शाम को तय हो जायगा। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अगर इम्प्रूव्ड फार्म में कोल्हू और क्रशर लगाये जायं तो विशेषज्ञों का यह कहना है कि १५ करोड़ रुपये तक अधिक माल पैदा हो सकता है और किसानों का फायदा हो सकता है।

दूसरी चीज मैं चीनी के वितरण के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी समझ में चीनी के वितरण की विधि गलत है। हमारी सरकार स्वयं अपने मस्तिष्क में किसी निश्चित मत पर नहीं पहुंच पायी है। हमारे नेगी साहब ने कहा कि इनकम की बेसिस पर चीनी का वितरण होना चाहिये किन्तु बनारसीदास जी या किसका स्टेटमेंट निकल गया इसके विरोध में। इससे स्पष्ट होता है कि स्वयं उनके मस्तिष्क में निश्चित बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि चीनी हम कहते हैं कि नहीं मिलती, कंट्रोल की दूकान पर भी चीनी नहीं मिलती, लेकिन जैसा माननीय सदस्यों ने बताया यदि हम ब्लैक मार्केट में चीनी खरीदना चाहें तो जितनी चीनी चाहें उतनी मिल सकती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि चीनी की कमी नहीं है। कोई ऐसी ऐजेन्सी है जो चीनी को विदहो ड किये रहती है। वह एजेन्सी मिल मालिक की है। इसलिये कहा जाता है कि चीनी मिलों को नैशनलाइज किया जाना चाहिए। अगर इस पर से कंट्रोल उठा रहे तो कदाचित् यह संकट न रह जायगा। दाम भी नीचे चला जायेगा और चीनी का वितरण भी अच्छी तरह से होगा। दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

अगर वह अपने को किसानों का हमदर्द कहती है, तो आज किसानों का मिल मालिकों के जिम्मे बकाया पड़ा है उसको वसूल करे। अगर किसानों के जिम्मे पांच रुपया लगान का बाकी है तो उसका घर, खेत और जानवर कुर्क हो जाते हैं, वह गिरफ्तार हो जाता है। तो अगर लगान पे करने के लिये वह अपना रुपया वापस चाहता है तो सरकार कदम क्यों नहीं उठाती? दुख की बात है कि बड़े-बड़े मिल मालिकों पर १० करोड़ रुपया बाकी है। अगर यह गलत है तो माननीय मंत्री जी मुझको ठीक कर दें। सरकार क्यों नहीं उसको वसूल करने के लिये कदम उठाती? सरकार ने कहा कि उसके कुछ कारण हैं जिनसे हमने अटैचमेंट और अरेस्ट और दूसरे कदम नहीं उठाये। लेकिन हम देखते हैं कि जब किसानों से वसूल करना होता है तो सभी कदम उठाये जाते हैं। आप कृपा करके उनका जो बकाया मिल मालिकों पर बाकी है उसको वसूल करवा दें।

आखिरी बात में यह कहना चाहता हूं कि मिल मालिकों का यह कहना कि जो मिलें हैं किसी की कैपेसिटी कम है या कोई अच्छा काम नहीं करतीं, मैं समझता हूं कि बिलकुल गलत है। पहले तो उन्होंने खूब मुनाफा कमाया और जो रुपया किसानों से पैदा किया उसको किसानों के हित में बिलकुल नहीं लगाया।

तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार एक ऐसी कमेटी एक्सपर्ट्स की बनाये जो फैक्ट्रीज का निरीक्षण करे और अपने विशेष ज्ञान के आधार पर सरकार तय करे कि इनकी कैपेसिटी क्या है, इनको चलने दिया जाय या इनको बदल कर दूसरी फैक्टरीज इनकी जगह रखी जायं। अभी कल हमने एक मांग की थी सरकार से कि प्लानिंग जो चल रही है या बनाना डेवलपमेंट चल रहा है, इनके इवैल्यूएशन के लिये कोई कमेटी बनायी जाय और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार एक इवैल्यूएशन कमेटी बनाने जा रही है। तो उसी प्रकार इन फैक्ट्रीज के बारे में भी कोई कमेटी सरकार बना दे जो कि उनका निरीक्षण करे और उनके बारे में निष्पक्ष रूप से सरकार को रिपोर्ट दे और उसके बाद सरकार जो उचित कार्यवाही समझे वह करे, केवल मिल मालिकों के वचन के आधार पर न करे।

*श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उपाध्यक्ष जी, जिस प्रश्न पर आज यह सदन विचार विमर्श कर रहा है उस प्रश्न का उत्तर प्रदेश की आर्थिक जीवन से बड़ा सम्बन्ध है। न केवल २० लाख से ऊपर गन्ना काश्तकारों का ही इससे सम्बन्ध है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सात करोड़ के लगभग इन्सानों को चीनी और मीठे के मिलने और न मिलने के सवाल से भी इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। साथ ही, मान्यवर, यह प्रश्न जुड़ा हुआ है और उसका मौलिक सम्बन्ध है उस बुनियादी विश्वास के साथ जिसका हमारे देश के समाज की उस रचना के सम्बन्ध में है जिसे हम समाजवादी समाज की स्थापना कहते हैं। इन्हीं तीनों दृष्टिकोणों से, मान्यवर, मैं अपने विचार आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सम्मुख उपस्थित करूंगा। यह सवाल गुड़, खांडसारी, चीनी और गन्ना जो कि उद्योग का बुनियादी कच्चा सामान है, उससे सम्बन्धित है। गन्ने का इतिहास इस प्रदेश में बड़ा भयावह इतिहास है। इस माने में कि प्रगति करते-करते इस प्रदेश में पिछले १५ साल में गन्ने के उत्पादन की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि साढ़े पांच सौ, ५५३ मन तक एवरेज (प्रति एकड़ उत्पादन) पहुंचकर वह पिछले वर्ष ३२९ मन पर पहुंच गया। उत्पादन प्रति एकड़ गन्ने का इस तरह से घटा। पन्द्रह साल की सारी व्यवस्था, अधिक पानी, अधिक खाद और अच्छा बीज देने की सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी अगर गन्ने का उत्पादन हमारा घट कर इस बुरी दशा को पहुंचा है तो बहुत विचार करने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी का, मान्यवर, परिणाम है कि सन् १९६०-६१, जिस साल कि उत्तर प्रदेश ने करीब साढ़े चौदह लाख टन चीनी पैदा की, उस साल के मुकाबिले में, जो गन्ना उस साल १०१ करोड़

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन के करीब मौजूद था चीनी मिलों के उस क्षेत्र में, वह गन्ना उतरकर इस वर्ष में ८० करोड़ मन हो गया। अब बुनियादी बात तो यह है कि गन्ना इस साल कम है। क्यों गन्ना कम हुआ, कैसे हुआ, इस सम्बन्ध में, मान्यवर, सबको अपने-अपने गरेबां में मुंह डाल कर देखना चाहिये। १९६०-६१ के गन्ने के उत्पादन और अधिक चीनी के पैदा करने से जितने दिनों चीनी मिलों को कार्य करना पड़ा, मान्यवर, चीनी मिल वालों ने उस लम्बी अवधि तक गन्ना पेरन की बात का गुल मचाकर इधर चाहे एक्साइज की छूट भी ले ली, चाहे अपने नुकसान को मुनाफे में बदलने के लिये तरह-तरह के और कदम सरकार से उठवा लिये, गन्ना काश्तकारों के गन्ने के पैसे देने के संबंध में अनेकों फार्मूले बनवाकर उसको कम पैसे देने की भी व्यवस्था कर ली, लेकिन उस पर उनको संतोष नहीं हुआ। मान्यवर, १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का जो ड्यूरेशन १७६ रोज था वह घटकर पिछले वर्ष में आया ९८ दिन पर। जब १७६ दिन चीनी मिलों ने काम किया तो उस साल के बाद चीनी मिलों के मालिकों की प्रतिनिधि संस्था इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के सामने हाय-तोबा मचाना शुरू किया और उस हाय-तोबा का परिणाम यह हुआ कि एक आदेश केन्द्रीय सरकार के सुझाव से प्रदेशीय सरकार ने दिया। मैं जनवरी १९६०-६१ की बात कह रहा हूं। प्रदेशीय सरकार ने गन्ना काश्तकारों को आगाह किया कि अगले वर्ष तुम जो गन्ना चीनी मिलों को दोगे वह उस वर्ष की सप्लाई से १० प्रतिशत कम गन्ना लेंगे। यानी सोइंग के पहले गन्ना काश्तकारों को इस बात से डरा दिया, धमका दिया, कि अधिक गन्ना यदि पैदा करना है तो वह अपनी जिम्मेदारी पर पैदा करो। यदि ज्यादा गन्ना पैदा करोगे तो उसको नहीं लिया जायगा। १९६०-६१ में यदि तुम १०० फीसदी देते थे तो अगले साल ९० फीसदी लेंगे। इसके प्रचार पर काफी खर्च हुआ। टी० ए० और डी० ए० भी काफी बने होंगे और पर्चे छपवाकर इसकी इत्तिला गांव-गांव में बांटी गई होगी। तो उसका असर क्या पड़ा? मैंने उस बात को केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को याद दिलाई। इस संबंध में टामस साहब ने मुझे लिखा। मैंने उनको लिखा था कि यह आपकी भूलों का ही परिणाम है जो आज यह सारी दुश्वारी सामने आई है। उन्होंने मुझे लिखा--

"You would perhaps agree that it will do us no good to debate on the wisdom or unwisdom of measures taken in the past."

बात सही है। आज इसकी चर्चा से इस वर्ष के लिये कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज इस बात की बहस से ज्यादा गन्ना पैदा नहीं होगा, लेकिन कम से कम सरकार समझती है कि हमारी भूलों से यह स्थिति पैदा है। अगर वह भूल हुई है तो उस भूल को सुधारने के लिये व्यवस्था करनी होगी। मान्यवर, वह केवल १० फीसदी कम गन्ना लेने की धमकी नहीं थी बल्कि और भी बहुत-सी बातें की गईं। इसके साथ-साथ सरकार ने यह किया कि यदि गन्ना ज्यादा पैदा होने से कठिनाई सामने आवे तो गुड़ और खंडसारी यूनिट्स को लिबरली तकावी देकर कोल्हू चलवाने के लिये उत्तर प्रदेश में चारों तरफ लोगों को प्रोत्साहन दिया गया और काफी रुपया सरकार ने उसके लिये बटवाया। माडर्न एलोपैथी का जो ट्रीटमेन्ट का सिलसिला है उसकी नकल सरकार ने की। गन्ना ज्यादा पैदा हुआ तो उसके लिये सोचा गया कि इसको कैसे कम करें। तो लोगों ने खंडसारी और गुड़ यूनिट्स में रुपया लगाकर उनकी संख्या को बढ़ाया और गुड़ खंडसारी की उत्पादन में वृद्धि हुई। उसका नतीजा यह हुआ कि सन् १९६०-६१ में गुड़ और खांडसारी की यूनिट हमारे प्रदेश में जो थी उनकी संख्या और भी ज्यादा हो गई। इनकी संख्या ज्यादा होने का यह भी परिणाम हुआ कि गन्ना काश्तकारोंको उसका कुछ लाभ तो मिला पर उन्होंने गन्ना कम बोना शुरू किया। सन् १९६०-६१ में मिलों की दुश्वारी के कारण, जो उन्होंने खुद पैदा की थी, ५ १/२ करोड़ मन गन्ना बाकी रह गया। काश्तकार उनको गन्ना देता रहा और वे मिल को चलाते रहे।

सरकार ने उनकी वर्किंग कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया। काश्तकारों का रुपया उनके पास जमा होता रहा और वे उससे अपने मिल को चलाते रहे। रा-मैटीरियल भी उनसे लेते

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

रहे और अपना वर्किंग कैपिटल भी बनाते रहे। काश्तकार कच्चा माल और वर्किंग कैपिटल दोनों, मिल मालिक को देता रहा। अब चीनी मिल कहते हैं कि हम ज्यादा काम करेंगे, लेकिन उस समय वह कहते थे कि हम इतना ज्यादा गन्ना नहीं पेर सकते हैं। उनकी पालिसी वही रही कि "हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे और हम तुम्हारे घर आयेंगे तो क्या दोगे।" मिल मालिकों की नीति भी इसी तरह की रही। गन्ने का काश्तकार जो अधिक पैदा करता था उसका उत्साह कम हुआ और उसके हाथ कमजोर हो गये, जिसकी वजह से अच्छी खाद, अच्छा बीज और अच्छा पानी जो उसको मिलता उसमें कोताही हुई। उसका नतीजा यह हुआ कि पर एकड़ गन्ने का उत्पादन घटता गया और आज पैदावार २०० मन गन्ना पर ऐकड़ कम हो गयी और अब यह स्थिति आ गई है कि सरकार दायें-बाये देख रही है और यह सोच रही है कि क्या इन्तजाम किया जाय जिससे चीनी मिलों को पूरा-पूरा गन्ना मिल जाय, यानी उत्तर प्रदेश के केन ग्रोअर्स ट्रस्टी हैं शुगर मिलों के कि शुगर मिल्स को खतरा न आये, हर तरह उनका काम चलता रहे इसलिये उसे ट्रस्टी बनाने की बात होती है। हम सफाई से नहीं कहते कि देश को आज चीनी की जरूरत है, हमको चीनी एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है और देश को चीनी की जरूरत है, इसको कौन नहीं जानता, लेकिन इसके लिये आपने गन्ने का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया? ऐसा क्यों नहीं किया कि एक मन गन्ने में अधिक से अधिक चीनी उतरती? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की कि जिससे गन्ना ग्रोअर्स को, वर्कर्स को और कंज्यूमर को मुनासिब हक मिल जाते? यह सब मैं इसलिये कहता हूं कि गन्ने के संबंध में और चीनी मिलों को चलाने के संबंध में, गुड़ और खंडसारी के उद्योग के संबंध में जितने स्टेप्स सरकार ने लिये हैं वे सब पैच वर्क हैं। गैर मुनासिब पैच वर्क हैं जिसको कोई भी प्रोग्रेसिव आदमी आसानी से मंजूर नहीं कर सकता।

इस वर्ष के लिये एक हुक्म इसके अलावा सरकार ने और निकाल दिया कि हर काश्तकार अपने गन्ने का २/३ भाग चीनी मिलों को देगा, उसे देना पड़ेगा। इस आदेश के संबंध में मैंने स्वर्ण सिंह जी को और अपने मुख्य मंत्री महोदय को लिखा था कि जब डी० आई० आर० में किसान को इस प्रकार बाध्य किया जाता है कि तुमको गन्ना देना ही पड़ेगा चीनी मिलों को, और मुझे खुशी है कि अभी हालमें ही इसमें सुधार हुआ है कि अगर उस काश्तकार ने पर साल चीनी मिलों को गन्ना दिया हो, उसे ही देना पड़ेगा, तो उसको उसका दाम दिलाने की व्यवस्था आप इसके साथ ही क्यों नहीं कर देते? यह तो इसलिये किया गया है ताकि चीनी मिलों को असुविधा न हो, उनको गन्ना मिलता रहे। मैंने उनको लिखा कि क्या जो हमारे नियम हैं गन्ना क्रय-विक्रय के संबंध में, क्या उनमें इसकी व्यवस्था नहीं थी जो यह नया आदेश डी० आई० आर० में निकाल दिया गया। तो हमसे कहा गया कि हम और मजबूती इस संबंध मेंकरना चाहते हैं। चीनी मिलों को गन्ना दिलाने के लिये तो सरकार और मजबूती करना चाहती है, काश्तकार को बांधना चाहती है, लेकिन चीनी मिलों से उसे उसके गन्ने का दाम दिलाने के लिये वह कुछ नहीं करना चाहती। उसकी चर्चा भी उस आदेश में नहीं थी। और जब मैंने कहा कि उसका जिक्र उसमें नहीं हुआ, तो मुझे अफसोस है कि मेरी पहली नवम्बर की चिट्ठी का मुख्य मंत्री की ओर से कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन टामप साहब ने उसका जबाब जरूर दिया, क्योंकि स्वर्ण सिंह जी उस समय कैरों चले गये थे और उन्होंने कहा कि पिछली गलतियों, अच्छाइयों और बुराइयों की बात करने से अब कोई लाभ नहीं होगा। इस एक जुमले में उन्होंने सारा मामला खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि इसका गन्ने के काश्तकार पर बुरा असर पड़ने वाला है। जब उससे गन्ने की सप्लाई के लिये कहा जाता है, उसे बाध्य किया जाता है, तो चीनी मिलों से काश्तकारों को पैसा देने के लिये भी बाध्य करो। मेरा मतलब यह नहीं है कि वह पैसा दिलाना नहीं चाहते। सरकार कहती है कि हम पैसा दिलायेंगे और दिलायेगी भी। मेरा यह लांछन नहीं है कि वह ऐसा नहीं करेगी, लेकिन जब स्पष्ट रूप से बात आयी कि काश्तकार को गन्ना सप्लाई करने के लिये कंपल्शन की बात है तो उसे पैसा पाने का भी उसी तरह से हक है। यह बात तो ऐसी ही हो गयी कि सदरी बेचने के लिये मुझे डी० आई० आर० में बाध्य कर दिया जाय, लेकिन उसका पैसा पाने का मुझे हक न हो। यह अनरीजनेबिल रिस्ट्रिक्शन है किसी भी

सिटीजन पर, उसके बेसिक राइट पर, उसका जो राइट है ट्रेड करने का, यह उसके खिलाफ पड़ता है ।

इसके बाद आपने गुड़ और खांडसारी पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया है। मैंने इसके लिये भी लिखा था । जबाब में टामस साहब ने कहा कि हमारा कतई इरादा नहीं है कि गुड़ और खंडसारी पर कतई कोई चोट आये और उत्पादन में कमी हो । लेकिन आप देखिये कि १९३०–३२ में इस उत्तर प्रदेश में ढाई लाख टन खांडसारी पैदा होती थी और पिछले वर्षों में जो अधिक से अधिक खांडसारी पैदा हुई है वह है १९६१–६२ में । कुल थी ३ लाख टन । यानी १९३०–३२ से लेकर १९६३ तक हम अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सके हैं ५०,००० टन, और इसके बाद वह गिर कर दो लाख टन पर आ गया १९६२–६३ में । जो खांडसारी १९३०–३२ में ढाई लाख टन बनती थी वह १९६२–६३ में दो लाख टन रह गयी । अब १९६३–६४ में वह २ लाख टन से घटकर कितनी नीचे ले जाने की बात सोच रहे हैं, यह मैं नहीं जानता । हम कहां जा रहे हैं ? आप देखें कि खन्डसारी कौन खाता है ? जो खाता है क्यों खाता है ? उसका जो तत्व है कारबोहाइड्रेट, उसके लिये गरीब आदमी उसे खाता है। वह और पायेगा कहां से? शकर को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था हो सकेगी या नहीं ? इन सारी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और जो खांडसारी गरीब पोषक है उस पर रुकावट लगा दी है ।

उधर, मान्यवर, गुड़ और खांडसारी के उत्पादन को घटाने की बात सोची जा रही है । कहा यह जाता है कि उसके उत्पादन को घटाना नहीं चाहते । पर्चेज टैक्स लगाने के लिये विधेयक भी प्रस्तुत हो चुका है, लेकिन, श्रीमन्, ऐसा मैकेनिज्म क्रीएट किया जा रहा है और यह वही बात हो रही है कि मैं कहूं कि आप कुर्सी छोड़ कर बाहर जा सकते हैं, मगर जाने के सभी दरवाजे बन्द कर दूं । नतीजा यह होगा कि आप यहीं एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर तो जा सकेंगे, लेकिन बाहर नहीं जा सकेंगे । इसी तरह से कहते तो यह है कि हम इसके उत्पादन को घटाना नहीं चाहते मगर कोशिश यही हो रही है कि उसका उत्पादन घटे । यह मुनासिब नहीं है। मैंने अपने पत्रों में बार-बार लिख कर यही कहा कि एडीशनल टैक्स से एडीशनल चीनी नहीं बनेगी । जब, श्रीमन्, १४ लाख टन चीनी बनाने के लिये ४७ करोड़ मन गन्ने की जरूरत है, तब उत्तर प्रदेश का हिसाब यह हुआ कि १५–१९ करोड़ मन तक गन्ना चाहिये । इस साल केवल ८० करोड़ मन गन्ना हुआ । अब ८० में से इस मद को घटा दिया जाय, फिर उस मात्रा को घटा दिया जाय जिसकी आवश्यकता चूसने, बीज आदि के लिये है और फिर देखा जाय कि गुड़ और खांडसारी के लिये कितना गन्ना बचता है । उसके लिये २० करोड़ मन से ज्यादा गन्ना नहीं बचेगा ।

श्रीमन्, इन सारी स्थिति के बावजूद हम यह कह रहे हैं कि गुड़ और खांडसारी को हम कम नहीं कर रहे हैं । सरकार का कहना है कि अपने कहा गुड़ और खांडसारी के दाम बहुत बढ़ गये । इसलिये उनके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत आ गयी और यह लोग बहुत ज्यादा कीमत देकर गन्ना बहुत ज्यादा ले सकते थे । मान्यवर, क्या यह सही नहीं है कि अगर गुड़ और खांडसारी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये तो चीनी के दाम भी उसी तरह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गये ? आज २०० से २५० रुपये प्रति बोरी के हिसाब से चीनी बिकी है । इसके बारे में यह कहा गया कि वह तो ट्रेडर के जेब में पैसा गया । तो क्या गुड़ और खांडसारी के ज्यादा दाम केवल उत्पादक के हाथ में आये ? वह भी तो ट्रेडर के हाथ में ही आये । मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप शुगर इन्डस्ट्री में करते हैं तो दूसरी चीज आप सामने रखते हैं, जब गुड़ और खांडसरी इन्डस्ट्री में करते हैं तो दूसरी चीज को सामने रखते हैं । मैं तो कहूंगा कि इस संबंध में हमारी सरकार ने बड़ी भूल की है। चीनी का कोटा मांगने में भी हमारी सरकार ने भूल की है । अक्ल की बात यह थी कि हमारे यहां जितनी चीनी की खपत थी, उसके हिसाब से हमको अपनी मांग रखनी चाहिये थी । उस हिसाब में हलवाइयों और होटलों का हिसाब अलग रखना चाहिये था । हमारी डिमान्ड कम थी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो उत्तर प्रदेश की जेनुइन नीड थी उसके मुकाबले में । उन्होंने परसेन्टेज के हिसाब से दे दिया कि ७५ फीसदी ले लो, यानी सौ रुपये की मांग थी तो ७५

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

उन्होंने दे दिया और २०० की मांग होती तो १५० दे दिया होता। तो मैं कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से हमारी मांग का तरीका गलत रहा है। पिछले चन्द महीनों से उत्तर प्रदेश की सरकार का एक रवैया रहा है कि वह केन्द्रीय सरकार की आड़ में बैठ जाती है लेकिन क्या कोई मंत्री, क्या खाद्य मंत्री केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में बात करने दिल्ली गये और केन्द्रीय सरकार पर जोर डाला? हां, पत्र जरूर चलते हैं सेक्रेटरी टु सेक्रेटरी, लेकिन राजनैतिक स्तर पर, पोलिटिकल लेविल पर, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कंटैक्ट नहीं किया गया कि हमारी चीनी का कोटा कम क्यों किया गया है, ऐसा क्यों हुआ। यह प्रश्न ऐसे हैं जो मिनिस्टर साहबान ही जाकर वहां बात करके तय कर सकते हैं।

गुड़ मान्यवर, २२, २५ और २६ रुपये तक के दाम पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में बिक रहा है। इस पर मेरठ में २६ रुपये और उस पार ५६, ६० ६५ और ७० रुपये मन तक बिक रहा है और गुजरात में जाकर ८० रुपये में बिक रहा है। आपने परमिट निकलवा दिये किसके लिये, किस ट्रेडर के लिये? वह आपके परमिट को लेकर उसे गुजरात ले जाता है। गुड़ यहां २५ रुपये में खरीदता है और ८० रुपये में वहां बेचता है। इतना मुनाफा करता है और यह यू० पी० की सरकार केन्द्रीय सरकार के कहने से करती है, ५०, ४० आदमियों को लखपति बनाने का मौका जरूर दे दिया गया। यह न जनहित में है, न उन उत्पादकों के हित में है जिन गरीबों के कन्धों पर समाज का बोझा है। इसलिये न बुनियादी तौर पर और न सार्वजनिक तौर पर आपकी गन्ने, चीनी, गुड़ और खांडसारी की पालिसी सही है।

हमें धमकी दी जाती है कि गन्ने की मिलें दक्षिण में न चली जावें। हम धमकी की बात बहुत सुन चुके हैं। इस धमकी पर हमें एक पुरानी बात याद आती है। सन् ४७-४८ में मिल वालों की ओर से बराबर कहा जाता था, धमकी दी जाती थी, कि हम मिलों में ताला लगा देंगे। आखिर में जब संपूर्णानन्द जी ने एक बार नैनीताल में कह दिया कि आप चाबी लगाकर हमको दे दीजिये, उस दिन से आज तक चाबी की बात नहीं आयी। तो यह धमकी बिलकुल बेकार है। न यह पूरब जाने वाले हैं, न पश्चिम, न उत्तर जा सकते हैं और न दक्षिण को जा सकते हैं। सरकार को शायद यह पता नहीं है कि अगर इन चीनी मिलों का एक बार पेंच और पुरजा खोल दिया जाय तो दोबारा वह जुड़ने वाला नहीं है। यह धमकी कुछ नहीं है। आज हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के कुछ चीनी के उद्योगपतियों ने अपने यहां के मुनाफे से बम्बई में और बाहर अपनी करोड़ों की सम्पत्ति बना ली है पर यहाँ की मिलों की ओर उनका ध्यान नहीं गया। यहां के मिलमालिक अरबों रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं और इस तरह से धमकी देकर अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं और साथ ही अपनी लापरवाही से हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि गन्ना काश्तकारों से कहो कि इतना गन्ना दे नहीं तो हम मिल नहीं चलावेंगे, सेस को न लगाओ नहीं तो मिल नहीं चलेगी, गुड़ तथा खांडसारी वालों को गन्ना न दो, उन पर टैक्स बढ़ाओ नहीं तो मिल नहीं चलावेंगे, उनकी इतनी "ना" है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक 'ना' हो तो आदमी निपटे, उनकी 'ना' को सीधे रास्तों पर चलकर निपटाना मुश्किल है।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस स्थिति में सख्ती से काम लेना है। उत्तर प्रदेश में गुड़ और खांडसारी उद्योग में १२ लाख आदमियों को रोजगार दिया है। गुड़ और खांडसारी की बिक्री को अगर आप रोकते हैं तो जन-साधारण को भोजन में कार्बोहाईड्रेट की जो कमी होगी, जो उसका सहारा है, हमें उनको चीनी देना पड़ेगा। गन्ने की वर्तमान पालिसी सिर्फ मिलवालों को मदद देने वाली न तो जनहित में है न उद्योग के इसलिये इस तरीके को ठीक करना होगा और आज से ही सोचना होगा कि कैसे हम प्लान करें कि जिससे केनग्रोअर्स का हित हो, शुगर मैनगेट का भी हित हो और कंज्यूमर्स का भी हित हो और उसके अनुसार पाजिटिव इक्विलब्रियम और इक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिये सरकार को एक पालिसी निर्धारित करने में सहायता मिले हमारे पुराने पापों के फलस्वरूप आज यह स्थिति आयी है किन्तु मैं आशा करता हूं कि यह सरकार कोई न कोई वाइज स्टेप उठायेगी और कोई ऐसा कदम नहीं उठायेगी जिससे जनहित का नुकसान हो और लोग कहें कि इससे जनहित की अवहेलना हुई।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की गन्ने और चीनी की नीति इतनी गलत रही है, वह इतनी अदूरदर्शिता की परिचायक है और इतनी किसान विरोधी है कि इसको नीति न कहकर यदि अनीति कह दिया जाय तो ज्यादा सही होगा। कोई नीति होती है तो उसमें परमानेंसी होती है। एक आर्डर निकलता है, वह कभी-कभी उसी साल और नहीं तो दूसरे साल उलट दिया जाता है। सरकार के पास कोई निश्चित लांग टर्म पालिसी नहीं है कि किस प्रकार से उसे चीनी उद्योग को चलाना है। दो वर्ष पहले उसने जो काम किया उसका ठीक उल्टा वह आज कर रही है। जब उसके ऊपर कुछ दबाव पूंजीपतियों का पड़ता है तो एक फैसला करती है और जब किसानों का दबाव दूसरी तरफ से पड़ता है तब उस फैसले को बदल दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि उनकी अपनी कोई निश्चित नीति नहीं है और न इस समस्या का कोई गहरा अध्ययन ही किया गया है और न कोई नतीजा सोचकर निकाला गया है। सरकार तरह-तरह के दबावों के बीच में दायें और बायें घमा करती है।

इस नीति के अन्तर्गत जो ४ नये आपत्तिपूर्ण कदम उठाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं वे पहले तो उन्होंने आदेश निकाले कि रिजर्व क्षेत्र में किसानों को दो-तिहाई अपने गन्ने की उपज का चीनी मिलों को देना होगा और अगर नहीं देंगे तो उनके खिलाफ भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी। दूसरे आदेश के अनुसार गुड़ व खांडसारी बनाने पर तरह तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये है जिसके लिये कि दो दिन पहले एक विधेयक पेश किया गया था और जिसके बारे में अभी वाद-विवाद चल रहा है। तीसरे, गुड़ खांडसारी के निर्यात पर पाबन्दी लगाई गई है और चौथे इन्होंने यह आदेश दिया था कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का मूल्य भिन्न-भिन्न दरों पर दिया जायगा। परन्तु सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार को, यद्यपि देर से ही सही, अब बुद्धि आ गई है और उन्होंने एक सही कदम उठाया है। पक्षपातपूर्ण नीति जो पहले अपनाई गई थी कि पूर्वी जिलों के किसानों को उनके गन्ने की कम कीमत मिले, उस गलत कदम को पीछे हटा लिया है। मैं भारत सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बधाई दूंगा इस सद्बुद्धि के लिये परन्तु साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि इससे ही समस्या हल नहीं होती है और न इतने से ही किसानों को सन्तोष हो सकता है। मूल्यों की बात के अलावा इसमें कुछ बुनियादी सिद्धान्त भी निहित हैं। मूल्य चाहे २ रुपए की जगह ढाई रुपया भी हो जाय लेकिन जो बाकी ३ गलत कदम मैंने सरकार के बताये जब तक वे वापिस नहीं होते, पूर्ण सन्तोष नहीं हो सकता। सरकार को उन्हें वापस लेना चाहिये।

सब से बड़ी दलील जो सरकार की तरफ से दी जाती है वह यह है कि हमें १५ लाख टन चीनी प्रदेश में पैदा करना है। मैं आपके द्वारा इस माननीय सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जरा वह इस बात पर भी विचार करें कि मान लिया जाय कि १५ लाख टन चीनी उत्तर प्रदेश में नहीं बनती तो उससे कौन सी आफत इस प्रदेश पर आ जायगी? जितने भी आदेश निकाले गये हैं, उनके फलस्वरूप चीनी और गुड़ दोनों की मिलीजुली पैदावार १ छटांक भी बढ़ने वाली नहीं है। दस प्रतिशत से कम चीनी का पर्ता होता है और गुड़ का पर्ता इससे कुछ अधिक होता है, तो हमारे पास जो गन्ना इस समय खेतों में है उससे चीनी या गुड़ जो भी मीठा बनना है उसमें इन आदेशों से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। जो मीठा तत्व मिलने वाला, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। यदि अन्तर होगा तो भी केवल यही कि गुड़ कम बने और चीनी अधिक बन जाय। आपको शहर के रहने वालों का बहुत भय है, और गांव वालों को जो गुड़ मिलता था और जिसका मिलना कम हो जागया उसका भय आपको नहीं है। मैं समझता कि सरकार की नीति अच्छी है यदि कुल उत्पादन में कोई वृद्धि दिखाई देती, लेकिन वह तो होने वाला नहीं है। सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि चीनी एक्सपोर्ट की जाय, इसीलिये हम चीनी ज्यादा पैदा करना चाहते हैं। चीनी की प्रति व्यक्ति औसत खपत हमारे देश में संसार में सबसे कम है और इस कमी के होते हुए क्या उचित

[श्री भानुप्रतापसिंह]

है कि यहां से चीनी बाहर भेजी जाय ? मैंने उस दिन भी कहा था कि रूस और चीन इस प्रकार का काम करते थे कि अपने देशवासियों को भूखा रख कर अन्न बाहर भेजते थे। क्या वही यह सरकार भी करना चाहती है ? जब देश के अन्दर लोग गुड़ और चीनी को तरस रहे हों उस समय भारत सरकार चीनी के निर्यात का स्वप्न देखे, यह एक निरंकुश शासन ही कर सकता है, जनतांत्रिक शासन नहीं। चीनी पैदा करने का जो लक्ष्य निश्चित किया गया है उतनी चीनी पैदा करने की क्षमता हमारी फैक्ट्रीज में नहीं है, मैं इसकी चुनौती देता हूं। केवल एक बार पहले १५ लाख टन के करीब उत्तर प्रदेश में चीनी पैदा की गई थी और उस साल हमारी फैक्ट्रीज को १७६ दिन काम करना पड़ा था। यदि १५ लाख टन चीनी बनानी है तो ६ महीने से ज्यादा फैक्ट्रीज को काम करना पड़ेगा। इसका परिणाम सरकार के लिये अच्छा हो सकता है उनको ऐक्साइज ड्यूटी मिल जायगी मिल मालिक के लिये भी लाभप्रद होगा, मजदूरों के लिये भी फायदेमन्द होगा लेकिन किसानों के लिये यह अत्यन्त विनाशकारी सिद्ध होगा। जिसने कभी गन्ना बोया है, वह इस तरह का कानून नहीं बनने दे सकता, ऐसी योजना नहीं बनाई जा सकती कि अप्रैल के बाद गन्ना फैक्ट्रीज में सप्लाई करना पड़े। सरकार अपने विशेषज्ञों से पूछे कि अगर गन्ना अप्रैल तक हारवेस्ट हो कर खत्म नहीं हो जाता है तो उसकी पैदावार कितनी घट जाती है। अप्रैल के बाद जो गन्ना कटता है उसकी २० फीसदी तक पैदावार घट जाती है, जिसका अर्थ हुआ कि किसान को १०० रु० की जगह ६० रु० ही मिलेंगे। यदि सरकार आश्वासन दे कि मई जून में जो गन्ना पेरा जायगा उसमें जिस अनुपात में वजन कम होगा उसी अनुपात में उसका मूल्य बढ़ेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं ; मूल्य दो रुपया मन ही रहेगा। उस किसान के खेती की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है जिसका गन्ना अप्रैल के अन्त तक नहीं काट जाता है। खड़ा रखने के लिये सलाह दी जाती है कि फरवरी तक गन्ना काट लिया जाय। जब किसान को मई जून तक गन्ना खड़ा रखना पड़ेगा तो उसका सारा काम बिगड़ जायगा। यदि सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित करती है तो वह व्यावहारिक होना चाहिये, किसान के हित और देश की जलवायु को ध्यान में रख कर निश्चित होना चाहिये। लक्ष्य मनमाने तौर पर निश्चित कर देना, किसानों के प्रतिनिधियों की राय न लेना उचित नहीं है। क्या इस फैसले को करते समय किसानों से राय ली गई थी ? आप लक्ष्य १५ लाख टन नहीं २५ लाख निश्चित कर दें और यदि मजबूर करेंगे तो किसान को गन्ना खड़ा रखना पड़ेगा लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि किसान अगले साल गन्ना नहीं बोयेगा। कोई भी आप लक्ष्य निश्चित करें वह ऐसा होना चाहिये जिससे किसानों के हितों का बलिदान न हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितना गन्ना पैदा होता है उसका २५.५ प्रतिशत ही मिलों में खपता है और शेष ७५ फीसदी गन्ने की अन्य प्रकार से खपत होती है। तो क्या कारण है कि ८० फीसदी गन्ना आप रिजर्व एरिया में रखते हैं ? ८० से ९० करोड़ मन गन्ना रिजर्व एरिया में खड़ा हुआ है जब कि उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये ४२ से ४५ करोड़ मन गन्ने की आवश्यकता है। मैं यह मान सकता हूं कि गन्ना फैक्ट्रीज के चारों तरफ आवश्यकतानुसार क्षेत्रफल रिजर्व एरिया में रख दिया जाय जिससे चीनी मिलों की आवश्यकता पूरी हो जाय और उसमें कुछ प्रतिबन्ध लगे तो वह उचित कहा जा सकता है लेकिन २५ फीसदी गन्ना मिलों को सप्लाई कराने के लिये ७५ फीसदी गन्ना रिजर्व करना तो सरासर अन्याय है।

कुछ बुनियादी बातें भी हैं। संविधान के अनुसार सभी को रोजगार करने की छूट मिली हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन प्रतिबन्धों के द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी अधिकारों का हनन नहीं होता। कौन सा नैतिक आधार है कि आप एक किसान को मनमाने ढंग से रिजर्व एरिया में लेने का, जिससे आप पूछते तक नहीं और फिर कहते हैं कि जो कुछ

तुमने पैदा किया वह तुम्हें देना पड़ेगा। यह बात जब वह गन्ना बो रहा था उसे मालूम भी नहीं थी। मालूम होता तो शायद वह गन्ना बोता ही नहीं। किसी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिये आपको देखना होगा कि आपके साधन कैसे हैं। हमारी सरकार का कहना है कि वह महात्मा गांधी के चरण चिन्हों पर चलने वाली सरकार है। जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिये साधन भी अच्छे होने चाहिये। जो तरीका आपने अपनाया वह निरंकुशता का है। प्रश्न उठता है कि स्थिति में सुधार कैसे किया जाय। कोई लांगटर्म पालिसी होनी चाहिये लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। यहां जो लेजिस्लेशन आता है वह पीसमील आता है। एक जरा सी फूलझड़ी छोड़ दी जाती है। फिर ६ महीने बाद दूसरा लेजिस्लेशन आता है। मैं मांग करता हूं कि चीनी उद्योग को साउन्ड लाइन्स पर चलाया जाय। तो इसके लिये ऐसा लेजिस्लेशन आना चाहिये जो सारी बातों को देख कर व्यापक ढंक से लाया जाय।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सारी गड़बड़ी का एक मूल कारण है। वह यह है कि भारत सरकार ने एक्साइज की दर चीनी पर बहुत बढ़ा रखी है। सन् ५७ के पर्व कल टैक्स का भार चीनी पर ५ रुपया ६ नये पैसे प्रति मन था और अब १३ रुपये १४ नये पैसे पड़ता है। ८ रुपये से ज्यादा का अन्तर है। यदि इस ८ रुपये प्रति मन के अतिरिक्त कर भार को सरकार हटा ले तो मैं यह कहता हूं कि सारे प्रतिबन्ध जो लगाये गये हैं, जिनका कोई नैतिक आधार नहीं है, जिनसे हमारे बुनियादी अधिकारों का हनन है और जो किसानों के साथ अन्याय-पूर्ण हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। उपभोक्ता को इसी दर पर चीनी मिलेगी और किसान को २ रुपये ८० नये पैसे प्रति मन गन्ने का मिल सकता है। लेकिन हमारी सरकार तथा भारत सरकार टैक्स छोड़ने की बात सोच तक नहीं सकती।

कुसूर चाहे जिसका हो, सरकार का यह नियम है कि सजा हमेशा किसान को दी जाती है। इनकी नीति गलत थी, इन्होंने गलत फैसले किये। आज से दो वर्ष पहले इस सरकार ने आदेश निकाले कि चीनी मिलें १० फीसदी कम चीनी पैदा करेंगी। इन्होंने यह भी फैसला किया कि गुड़ और खांडसारी को प्रोत्साहित किया जायगा, इसी के लिये १० लाख रुपया तकावी बांटी गयी। यह भी फैसला किया कि हम चीनी बाहर भेजेंगे। क्या इन सब कारणों के फलस्वरूप ही आज चीनी की कमी नहीं हुई है? ऐसी दशा में जिसकी गलत नीतियों का यह परिणाम है उसको सजा भुगतनी चाहिये लेकिन जैसा मैंने कहा, सरकार का यही रवैया है कि कसूर चाहे जिसका हो सजा किसान को ही भुगतनी पड़ती है। गन्ने में मूल्य वाली बात तो अपनी जगह पर ठीक हो गयी। उस विषय में सिर्फ यही कहना है कि जितना गन्ना किसान अब तक सप्लाई कर चुके हैं उसकी भी २ रुपये मन पर ही कीमत मिलनी चाहिये और बाकी प्रतिबन्धों को भी हटा लेना चाहिये। यही मैं सरकार से कहूंगा।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उन लोगों में से हूं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की गुड़ और खांडसारी के प्रति जो नीति है उससे असीम असन्तोष है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना कि उसकी कोई नीति गुड़ और खांडसारी के विषय में है, शायद यही गलत होगा। वास्तविकता तो यह है कि इस सरकार की कोई नीति ही नहीं है। जैसी स्थिति सामने आती है उसी तरह से उस वक्त सोच लिया जाता है। एक मौलिक शिकायत मेरी यह है कि जो निश्चय होते हैं उनमें न काश्तकार का ध्यान होता है, न उपभोक्ता का ध्यान होता है। वह न ऐग्रीकल्चरिस्ट ओरिएटेंड स्कीम है, न कंज्यमर्स ओररिएंटेड स्कीम है। वह मिल ओरिएंटेड स्कीम होती है। एक मात्र लक्ष्य यह रहता है कि हम उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को कैसे संरक्षण दें। यह भी अच्छा लक्ष्य हो सकता है अगर उससे प्रदेश, जनता और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

काश्तकार का फायदा हो। जो मिलें गुड़ और खांडसारी जैसी छोटी इकाइयों के मुकाबले में काश्तकार को दाम न दे सके उनका संरक्षण कब तक आप करेंगे? कितने अर्से तक एक मजबूत टैरिफ की दीवार हमने खड़ी रखी उपभोक्ता की कीमत पर इन मिलों के संरक्षण के लिये? एक वक्त आया जब अपने पैरों पर खड़े होने की आशा इनसे की जाती थी लेकिन इन्होंने न अपने उस दायित्व को पूरा किया कि जो उनसे सम्बन्धित एरियाज थे केन के, उनका डेवलपमेन्ट करते, न इन्होंने रिकवरी को बढ़ाया, न इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट हुआ, न एकरेज बढ़ा, न रिकवरी बढ़ी। आज इस विज्ञान के युग में एक तरफ तो हम चन्द्रलोक जाने की बात सोचते हैं और दूसरी तरफ हमारी मिलें किधर जा रही हैं यह जरा देखिये। १९४४-४५ में रिकवरी का ऐवरेज था १०.२०, १९४५-४६ में हुआ १०.९, १९४६-४७ में हुआ १०.३ और १९६०-६१ में वह रह गया ९.५३। तो रिकवरी मिलों की उत्तर प्रदेश में नीचे जा रही है, प्रति एकड़ प्रोड्यूस नीचे जा रही है। इन्टेन्सिव कल्टीवेशन होता नहीं और मांग की जाती है कि गुड़ और खांडसारी को खत्म किया जाय और उसका आधार यह है कि वे कहते हैं कि गुड़ और खांडसारी यूनिट सरकारी नीति के अनुसार कुछ टैक्स डिफरेन्शल एन्ज्वाय कर रही हैं इसलिये उनको यह ताकत पैदा हो गयी कि हमारी बड़ी-बड़ी यूनिट्स के मुकाबले में काश्तकार को ज्यादा प्रतिमूल्य दे सकती हैं उसकी उपज का। अब इस बेसिक चार्ज को मैं चाहता था कि सरकार की तरफ से अध्ययन किया जाता और माननीय मंत्री जी बताते कि यह कहां तक ठीक है। १९५२-५३ का बेसिक ईयर शुगर मिल वाले, सरकार विशेषज्ञ और सभी मानते हैं। १९५२-५३ से अब तक खांडसारी पर जो टैक्स विभिन्न मदों में लगा उसका टोटल इम्पैक्ट एक मन पर ७.३ आता है और जो इंक्रीज हुआ उस पर ५.९७ है। इसके माने हैं कि बेसिक चार्ज ही गलत है। टैक्स डिफरेंशल खांडसारी और गुड़ पर अधिक हो गया। इसके माने यह हैं कि उनकी एकमात्र धारणा यह है कि जितना बड़ा फायदा सरकार की नीति को देखते हुये उठा सकें उठायें। खंडसारी और गुड़ वाले छोटे-छोटे आदमी हैं और उनको छोटे नफे से संतुष्टि हो जाती है, इसीलिये वह गन्ने वालों को ज्यादा पैसे देते हैं। खांडसारी और गुड़ ने कितनी सेवा प्रदेश के काश्तकारों की की है वह इससे स्पष्ट है कि प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार दो रुपया मन गन्ने की कीमत देने के लिये बाध्य हुईं। इसके अलावा जो पूर्वी इलाके में और पश्चिमी इलाके में डिसपैरिटी हो गई थी उसको भी दूर कर दिया गया और दो रुपये मन गन्ने की कीमत देने का निश्चय किया गया।

मान्यवर, यह ठोस कदम था। इसके माने देखने की कोशिश की जाय। पहले गन्ने की कीमत एक रुपये ८ आने मन से एक रुपये दस आने मन तक देनी पड़ती थी। अब दो रुपये दे सकेंगे। तो जो टैक्स डिफरेंशल की बात थी वह बेसिस ही बदल गई। जब दो रुपये मन गन्ने की कीमत देने को बाध्य कर दिया तो वह चार्ज टैक्स डिफरेंशल इंज्वाय करने की बात है या कम नफा करने की बात है। मैं समझता हूं कि टैक्स डिफरेंशल इंज्वाय करने की बात है। खांडसारी और गुड़ की ज्यादा मूल्य देने की क्षमता थी इसीलिये पाबंदी लगाई जा रही थी यह कोई नहीं कहता कि हम इस को खत्म करना चाहते हैं। मंशा शायद यह हो, अगर नहीं तो पालिसी का नतीजा यह है और कहा यह जाता है कि हम इसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अगर प्रोत्साहन देना चाहते तो एक ही बात रह गयी कि इस टैक्स डिफरेंशल को माफ करते। इसके लिये एक कमेटी बनी और उसने यह सिफारिश की और कहा कि जो पहले परचेज टैक्स में कमी की गई थी और लाइसेंस वगैरह रखे थे, वह काफी हैं। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। अब मिल तो अपने पास से देंगी नहीं और इसका भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। अब सारी पृष्ठभूमि ही बदल गई और गुड़ खंडसारी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाये जा रहे हैं। इसका मतलब मैं नहीं समझ सका। मैंने आज कोशिश की जरा गिनूं कि प्रदेशीय सरकार की तरफ से कितने ऐक्ट्स और आर्डीनेन्सेज हैं जिनके अन्तर्गत गुड़ और खांडसारी पर पाबन्दी लगाई हुई है। तो, श्रीमन्, जितना मैं गिन पाया वह ११ हैं। अगर कोई गलती करता है तो डी० आई० आर० में वह अपराधी हो जायगा और इसकी सजा जुरमाना नहीं है बल्कि तीन साल तक की कैद है।

मैं समझता हूं कि मंत्री जी जवाब में यही कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं है कि हम प्रासीक्यूशन करें। हमने इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि किसी का प्रोसीक्यूशन न किया जाय। उनके हृदय में किसानों के प्रति प्रेम है इसलिये उनका कहना ठीक है। लेकिन एक कानून बना दिया कि छोटी सी गलती पर ३ साल की सजा हो सकती है। आपके दफ्तर से जो सरक्यूलर निकला है वह कांफीडेंशल है, उसकी कापी कांग्रेस पार्टी को तथा संबंधित व्यक्तियों को नहीं मिल सकती है। उसमें लिख दिया है आपने कि हम प्रोसीक्यूशन नहीं करेंगे लेकिन इंसपैक्टर तो कानून देखता है। अगर कोई जरा सी भी गलती करेगा तो वह कहेगा कि तुम कानून की गिरफ्त में आ गये तुमने अपराध किया है। इसलिये ५०० रुपये दो वरना जेलखाने जाना पड़ेगा। परन्तु आपकी नीति है कि किसी का प्रोसीक्यूशन नहीं करेंगे। इसका फायदा यह लोग उठायेंगे। इसका फायदा इंडस्ट्री को नहीं पहुंचेगा बल्कि आपके डिपार्टमेन्ट के लोगों को पहुंचेगा। मैं अपने जाती तजुरबे के आधार पर यह निस्संकोच कह सकता हूं कि इन पाबन्दियों से अगर किसी को फायदा होने जा रहा है तो केन डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों के। उनकी तनख्वाहें बीस गुना बढ़ जायेंगी। केन कमिश्नर की जो तनख्वाह वही हैं वही केन इंस्पेक्टर की तनख्वाह हो जायगी।

मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। चारों ओर से मांग होने पर, इस सदन की मांग होने पर, कुछ नीति को स्पष्ट करने के लिये घोषणा की गयी है। उसमें लिखा है कि किसी कोल्हू पर और किसी बेल पर जिसमें छः कोल्हू से कम लगते हैं उस पर कोई रेजिस्ट्रेशन था ही नहीं, छः कोल्हू से जहां ज्यादा लगाते हैं उस पर भी कोई रस्ट्रिक्शन नहीं है। जब हम माननीय मंत्री से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि गुड़ और खांडसारी से ज्यादा हित आपके दिमाग में किसी का है ही नहीं। आपका विभाग बतलाता है कि गुड़ और खांडसारी पर कोई पाबन्दी लगाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब कुछ होता नहीं। आप कहते हैं कि बेल पर कोई प्रतिबन्ध नहीं। ठीक है बेल पर कोई पाबन्दी नहीं, कोल्हू पर कोई पाबन्दी नहीं। सरदार स्वर्णसिंह ने भी बयान दिया कि कोल्हू पर कोई पाबन्दी नहीं लगेगी। केन्द्रीय सरकार ने एक बार कोल्हू पर पाबन्दी लगायी थी। बाबा राघवदास ने सत्याग्रह किया। आपने कैपूफलैंजिग किया है, आप सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए कानून में उस शब्द को बचा देते हैं, कोल्हू पर और बेल पर कोई रस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप देखें रस्ट्रिक्शन आन परचेज आफ शुगरकेन आर्डर १९६३ की धारा ३ में यह प्राविजन है :—

"No sugarcane or sugarcane juice shall be purchased for crushing or for manufacture of gur, shakker, gur, jaggery, rab or khandsari shakar, as the case may be, by a Khandsari unit, in reserved area except under and in accordance with a permit issued under this Order."

खांडसारी यूनिट्स की परिभाषा डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के रूल १२५ (बी) में यह दी हुई है—

"a unit engaged or ordinarily engaged in the manufacture of Khandsari sugar from sugarcane juice."

इसके मतलब यह हैं सारी बेलों को मुमानियत है, वह उनसे गन्ना खरीद नहीं सकतीं, जूस खरीद नहीं सकतीं।

मान्यवर, अब दूसरी बात देखें। डी० आई० आर० में लिखा है कि हर किसान को दो-तिहाई गन्ना अपना देना पड़ेगा। उसमें कोई अन्तर नहीं किया गया है कि चाहे वह केन सोसाइटीज के मेम्बर हों या न हों। मैं उस बात को छोड़दूं कि कितनी व्यावहारिक कठिनाई होगी मैं केवल इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह जो कहा जाता है कि बेलों को छूट है केवल इतनी पाबन्दी है कि उन पर लाइसेन्स है। ऐसी बात नहीं है। उस पर बेसिक जो पाबन्दी है वह यह है कि काश्तकार पर यह पाबन्दी है कि उसको दो-तिहाई गन्ना मिलों को

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

देना पड़ेगा । अगर काश्तकार को स्वतन्त्रता होती कि चाहे वह अपना गन्ना बेल पर ले जाता या मिल को देता तब तो यह कहा जा सकता था। लेकिन जब तक काश्तकार को यह स्वतन्त्रता नहीं है कि अपना गन्ना बेलों पर ले जाय तब तक आपके कहने के कुछ मानी नहीं रहते। आपकी घोषणा में लिखा है कि अगर किसी काश्तकार ने कभी कोई गन्ना फैक्टरी में नहीं दिया है तब हम उस पर छूट देंगे। पहले तो, मान्यवर, ऐसे थोड़े से लोग हैं जो थोड़ा सा अपना गन्ना फैक्टरी को देते हैं और थोड़ा बेल को देते हैं। दूसरे यह कि जो कागज आपने अपने दफ्तर में बांट दिया वह कानून का रूप नहीं ले सकता। इससे करप्शन का दरवाजा खुलता है। मुझे आप क्षमा करें कि करप्शन बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर आती है। हम ऐसे कानून क्यों बनाएं जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता ? उन्होंने खुद कहा है कि हम उसको लागू करने नहीं जा रहे हैं। एक तरफ हम डी० आई० आर० को एक दफा लागूक र दें और दूसरी तरफ अपने कांफीडेंशल रोप्स से कह दें कि रिलेक्स कर दो। इससे करप्शन बढ़ेगा। मैं इस उद्योग से सम्बन्धित होने के नाते सरकार से कहना चाहता हूं कि गांव के स्तर पर चीत्कार हो रहा है। करप्शन अपनी चरम सीमा पर है। बिलकुल नादिरशाही है। इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि कानून बनाने वालों पर है और सदन के सारे सदस्य उस दोष के भागी हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह कर अपना निवेदन समाप्त करूंगा कि गुड़ का एक्पोर्ट रोका जा रहा है, इसके पीछे कोई पालिसी नहीं है। आपको पहले यह करना चाहिये कि कास्ट आफ प्रोडक्शन इकानामिक तय करते और अगर इसके ऊपर गुड़ और खांडसारी का दाम जाता तो रोकते। लेकिन सिर्फ मिलों को प्रोटेक्शन देने के लिये गन्ना देने के लिये आप कम मूल्य दिलवाना चाहते हैं, यह गलत है। परमिट और करप्शन साथ-साथ जाते हैं। उसमें बड़े घोर करप्शन की संभावना है। आज इससे असंतोष बढ़ रहा है।

आखिरी बात यह कि कुछ शार्ट रेंज बातें होती हैं और कुछ लांग रेंज। शार्ट रेंज की बातों को कमेटी को सुपुर्द करने से काम नहीं चलता। खांडसारी और गुड़ पर जितने रेस्ट्रिक्शंस हैं उन सबका अन्त कर दीजिए। लांग रेंज के लिये यह कहना चाहता हूं कि एक हाई पावर कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार को बनानी चाहिये। वह हाई पावर कमेटी गुड़ और खांड-सारी की समस्याओं का अध्ययन करे और टार्गेट निर्धारित करे कि क्रिस्टल शुगर का क्या टार्गेट हो और खांडसारी शुगर और गुड़ का क्या टार्गेट हो। गुड़ और खांडसारी का भी एक टार्गेट होना चाहिये। आज सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है जिससे वह गुड़ और खांडसारी को संरक्षण दे सके। गुड़ और खांडसारी के लिये अलग डाइरेक्टोरेट होना चाहिये। आज उत्तर प्रदेश में गुड़ और खांडसारी को प्रोत्साहन देने के लिये कोई मशीनरी नहीं है। यू० एन० धेबर, जो इस देश के बड़े नेता हैं, उनके साथ मेरी केन कमिश्नर के साथ बात हुई। वह कहते हैं कि गुड़ और खांडसारी का विकास हमारे प्राविंस में नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह किसकी जिम्मेदारी है। आज आवश्यकता है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो इन सारी बातों का अध्ययन करे, अगर गुड़ और खांडसारी को इस प्रदेश में स्थापित रखना है। सिली शेलिंग पालिसी रोज बदलती रहती है, उसको बिदाई दीजिये। और उस कमेटी के आधार पर कदम उठाएं, जिससे कि हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी को दूर करने का अगर कोई साधन है तो काटेज इंडस्ट्रीज है और यह माना जा चुका है कि हम बेरोजगारी के मामले में बहुत फेल हुए हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी इस बात को माना है कि हम बड़ी-बड़ी प्लानिंग में अगर हजारों रुपया लगायेंगे तो उसका फल हमें बहुत दिनों में मिलेगा लिहाजा हमें छोटी-छोटी प्लानिंग और छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज, काटेज इंडस्ट्रीज, को पनपाना है।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आज सदन के सामने उपस्थित है वह जनतांत्रिक सिद्धान्त के लिये एक परीक्षा के रूप में है। कारण यह है कि हर समाजवादी व्यवस्था ऐसी योजना प्रस्तुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करती है कि जिसमें उत्पादकों को लाभ हो। शक्कर, गुड़, खांडसारी का उत्पादक गन्ना का उत्पादक है। अगर गन्ने की कमी होती है तो शक्कर, गुड़ और खांडसारी की भी कमी होती है। इसलिये जबकि इस प्रदेश में इन तीनों के कारण एक महान संकट आया है तो इस सरकार को यह देखना चाहिये कि जो नीति उन्होंने अब तक अपनाई है, जो कानून उन्होंने बनाया है या आगे बनाने वाले हैं, उसको बनाते समय उसको किन चीजों को प्रोत्साहन देने के ऊपर ध्यान देना है। हमारी सरकार ने किसानों को जो गन्ना पैदा करने वाले है उनको प्रोत्साहन नहीं दिया। यही कारण है, जो कि यह सरकारी आंकड़े खुद बताते है कि गन्ने के उत्पादन में बहुत कमी आयी है। ३० परसेंट की उसके ईल्ड में कमी आयी है। जब किसी चीज में किसी को लाभ होता है तो उसका उत्साह बढ़ता है। गन्ना एक कैश क्राप है। इसका उत्पादन करने से किसान को अगर लाभ होगा तो गन्ना उत्पादन करने वाले का उत्साह बढ़ेगा। लेकिन हमारी सरकार किसानों और मजदूरों के नाम पर, उनके वोट पर समाजवादी व्यवस्था के नाम पर पूंजीपतियों की तरफ से वकालत और पूंजीपतियों की दलाली करती आयी है। वकालत दोनों पक्षों की नहीं हो सकती। गन्ना जब किसान ने पैदा किया और जब वह मिल मालिकों के यहां गया तो वह मजबूर है कि एक निश्चित कीमत पर, दो रुपये या डेढ रुपये मन में गन्ना उनको दे। इसमें मुक्त व्यापार की नीति नहीं है। लेकिन क्या सरकार के पक्ष में बैठने वाले माननीय मंत्री और माननीय सदस्यगण यह कह सकते हैं अपने दिलों पर हाथ रखकर कि वह किसान जिसने कि गन्ना पैदा किया है क्या उसको दीवाली दशहरा और होली पर आपके कंट्रोल रेट से शक्कर मिली है ? अगर गन्ना पैदा करने वाला जिसने शक्कर पैदा करने के लिये आपको साधन दिया है उसको कंट्रोल रेट पर आपने शक्कर नहीं पहुंचायी है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आप एजेंट है उन मिल मालिकों क जिन्होंने कि किसानों का गला काटा है। कागज पर सिर्फ नियंत्रण की योजना रख देने से काम नहीं चल सकता। आज हर जगह, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ, कहीं भी आप देख लें किसी भी जगह शक्कर ठीक तरह से नहीं मिलती। किसानों को तो बिलकुल ही नहीं मिलती। उनकी शादी व्याह खत्म हो गए, उनके गौने खत्म हो गए, और उनको शक्कर नहीं मिली।

दूकानें देने के बारे में आप देखिए, सिफारिश किनकी मानी गई ? मेरे ९ दिसम्बर के प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर को आप देखें। तालिबपुर असनी न्याय पंचायत क्षेत्र में जिसको दूकान दी गई उसकी सिफारिश किसने की थी—प्रधान न्याय पंचायत तालिबपुर असनी, बी० डी० ओ० और वाइस प्रेसीडेन्ट जिला कांग्रेस कमेटी। इनकी सिफारिश पर हरि शंकर तिवारी कलेक्टर ने बलभद्र प्रसाद को दूकान दे दी, जबकि रामलला सिंह वैश्य को जो कि पुराने यह काम करने वाले थे और जिनकी सिफारिश रक्षपाल सिंह जी ने की थी, मैंने की थी, बी० डी० ओ० ने की थी ब्लाक प्रमुख ने की थी, प्रधान न्याय पंचायत ने की थी और ग्राम सेवक हुसेनगंज क्षेत्र ने की थी, उसको दूकान नहीं दी। जिसने जाकर कुछ रिश्वत दे दी उसको दूकान मिल गई। मेरे जिले में तेलयानी ब्लाक है जो देहाती क्षेत्र में है। लेकिन आपने सारी दूकानें हरिहरगंज और कलेक्टरगंज के बनियों को दे रखी हैं जिन्होंने एक छटांक चीनी भी खुले बाजार में नहीं बेची है। सारा ब्लैक में बेच डालते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जिन काश्तकारों के गन्ने के बल पर शुगर तैयार करने का ठेका लेते हैं तो उसके लिये आपको यह देखने की जरूरत है कि उसके शादी व्याह के अवसर पर जरूरत की चीजें वक्त पर उसके ठीक टाइम पर मिल जावें। यह आप नहीं करते है इसलिये आप अपराधी हैं। आप पूंजीपति के एजेन्ट इस कारण कहलाते हैं। मैं समझता हूं आप अपने नाम से समाजवाद का नाम हटा दें, नहीं तो, जैसे कि और भाई कहते हैं, समाजवाद बदनाम हो जायगा।

दूसरी बात आप यह देखें कि मिलमालिक शुगर तैयार करते हैं किसानों के गन्ने से और किसान गुड़ और खांडसारी पैदा करते हैं। जो किसान गन्ना पैदा करता है उस किसान के रोजगार को, लघु उद्योग को, आप मिटाना चाहते है। महात्मा गान्धी उसको बढ़ाना चाहते थे। काटेज इंडस्ट्री को आप निरुत्साहित करना चाहते है और मिलों को उत्साहित करना चाहते है। यह आपकी पालिसी है। यह कितनी गलत बात है और आपके सिद्धान्त के अनुसार भी नहीं है।

[श्री दीपनारायणसिंह]

शुगर के दाम भी बढ़े और फिर उसको ब्लैक मारकेट में बेचा जाय। अफीम पर आपका कंट्रोल है, लाइसेंस है लेकिन अफीम का इन्टरनेशनल ब्लैक मारकेट चलता है। देहातों में अफीम पकड़ी जाती है और कभी वह सीमा पर पकड़ी जाती है। वही आज शुगर ने ब्लैक मारकेटिंग का रूप ले लिया है। किसान के यहां थोड़ा गन्ना पैदा हुआ लेकिन ब्लैक मारकेटिंग के वह तेज दाम पर बेची जाती है। किसान को आप रगड़ते हैं। जो गन्ने के किसान हैं उनको परेशान किया जाता है लेकिन जो आपके कायदे और कानून हैं वह ब्लैक मारकेटियर को बढ़ाना चाहते हैं। तो यह सरकार भ्रष्टाचार की उत्पादक है और भ्रष्टाचार प्रसारक है। यही नाम सही नाम इस सरकार का नजर आता है क्योंकि आपके कायदे कानून उन्हीं अधिकारियों को बल देते हैं। आप मद्रास की सी० आई० डी० बुलाइये या गोरखपुर के एम० एल० ए० को मेरे जिले में भेजिये और मेरे जिले के एम० एल० ए० को गोरखपुर भेजिये और तब देखिये कि जितनी भी कंट्रोल की दुकानें हैं उनमें इन्सपैक्टर से लेकर कलेक्टर तक कमाते हैं। मेरे जिले में कलेक्टर हरिशंकर तिवारी हैं। इनको तहसीलदार से कलेक्टर बनाया गया है। सरकार नौकरशाही को मजबूत करती है। यह आज जो नौकरशाही नजर आती है यह अंग्रेजी शासन के पले हुए पट्ठे हैं या इनको बेलगाम ऊंट समझिये। आपको इनके ऊपर शासन करने के लिये जनता ने वोट देकर भेजा है। किसानों को बगैर मनाये आप इसको नहीं कर सकते। अगर पूंजीपतियों को आपने छूट दी है तो किसानों को भी छूट देना जरूरी है। आज छोटे पूंजीपति भी किसानों को खा रहे हैं। यह क्राइसिस आपकी पैदा की हुई है। सरकार ने इस मुसीबत को खड़ा किया है। यह दो मुंही है जो दोनों तरफ से आपको जकड़े हुए है और दूसरी तरफ से जनता को जकड़े हुए हैं। इस लिये जरा सोचें कि यह समस्या विकट होती जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसको सोचें और आपको अगर इस समस्या को हल करना है और शुगर की पैदावार को बढ़ाना है तो गुड़ और खंडसारी की पैदावार को आप बढ़ायें। तभी यह समस्या हल हो सकती है। उनके लिये सहूलियत होनी चाहिये। गन्ने के जो पैदा करने वाले हैं उनके लिये आप सहूलियत दें। अगर मिल मालिक अपना मिल चलाना चाहते हैं तो गन्ने के पैदा करने वाले किसानों की दशा को भी हमको सोचने की जरूरत है। मैं तो यहां तक तैयार हूं कि अगर शुगर मिलवाले मिल चलाने के लिये तैयार नहीं है तो सरकार खुद उनको अपने हाथ में ले ले और उनको चलाये। हमसे भी गन्ना लीजिये और किसानों से भी गन्ना लीजिये. . .और शकर किसानों को पहुंचाये और जब तक सरकार मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करती तब तक यह धांधली और पक्षपात चलता जायगा। मेरी प्रार्थना है कि आप शकर देहातों में पहुंचायें और गुड़ और खांडसारी के नियंत्रण पर से पाबन्दी हटाइये। इसके लिये आप नेता बनिये और हम आपके पीछे चलेंगे। इसके लिये अगर कुछ न हो सके तो "दिल्ली चलो" का एक आन्दोलन होना चाहिये कि यह इंटर स्टेट रोक गुड़ और खांडसारी के लिये समाप्त होनी चाहिये। अगर आप महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के लिये यू० पी० को बलिदान करना चाहते हैं, इसी के लिये आपकी प्लानिंग है, तो बात दूसरी है वरना आप देखिये कि आपके यहां के किसान की आमदनी पिछले सालों में घटी है जबकि पंजाब और महाराष्ट्र के किसान की आमदनी बढ़ी है। तो मेरा कहना है कि आप हमारे अगुवा हों, हम आपके पीछे चलेंगे। "दिल्ली चलो" का नारा लेकर हम केन्द्र में चलें और इसके लिये आन्दोलन करें कि यह रोक समाप्त होनी चाहिये। राम मूर्ति जी मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अन्त में निवेदन करता हूं कि आपको गन्ना उत्पादक को प्रोत्साहन देना चाहिये कि वह गन्ने की पैदावार बढ़ाये और इसके अतिरिक्त आप शकर के वितरण की सही व्यवस्था कीजिये और उसे देहात तक पहुंचाइये। और इसके साथ ही जो ब्लैक मारकट करता हुआ पकड़ा जाय उसे जेल की सजा दिलाइये।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज की डिबेट का विषय बहुत ही विस्तृत है। सर्व प्रथम मैं स्पष्ट शब्दों में सरकार को बतलाना चाहता हूं कि शुगर केन कंट्रोल आर्डर की कीमत क्या किसान को

देनी होगी और क्या प्रदेश की जनता को देनी पड़ेगी। श्रीमन्, मैंने हिसाब लगाया है कि किसान को इस आर्डर से ७ करोड़ रुपये का नुकसान होगा और प्रदेश को १.९५ लाख टन शुगर खोना पड़ेगा। यह हिसाब इस प्रकार से है कि प्रदेश के रिजर्व एरिया के अन्दर गन्ना उत्पादकों के पास गन्ना विभाग के अनुसार ८० करोड़ मन गन्ना इस वर्ष है जिसका २/३ ५४ करोड़ मन होता है। हमारे प्रदेश की ७२ मिलों की मैक्सिमम क्रशिंग कैपेसिटी २५ लाख मन प्रति दिन है, जिसके अनुसार यदि हम इस कंट्रोल आर्डर की तहत में २/३ गन्ना पेरना चाहते हैं तो हमको २१६ वर्किंग डेज मिलों को चलाना चाहिये। पिछले दस वर्षों के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, उनके अनुसार मिलों को दस परसेंट हर महीने में बन्द रहना पड़ता है। इस प्रकार से २/३ गन्ना पूरे गन्ने का, पेरने के लिये डी० आई० आर० की तहत में हमको २३८ दिन मिलों को चलाना पड़ेगा। पहली नवम्बर से हमने मिलों को चलाना शुरू किया है। इसका मतलब यह है कि २० जून तक हमारी मिलों को चलना पड़ेगा। ८ महीनों में पहले ६ महीनों की बात मैं नहीं कहता, लेकिन आखिरी दो महीनों में जबकि हम ५४ करोड़ मन का १/४ गन्ना पेरेंगे तो आप सोचिये कि क्या हालत होगी। श्रीमन्, मैं एक किताब पेश करता हूं जो सरकारी पब्लिकेशन है। उसका नाम है "सर्विंग उत्तर प्रदेश थ्रू रिसर्च इन केन।" इसके अन्दर शाहजहांपुर के रिसर्च स्टेशन पर इस बात का एक्सपेरीमेन्ट पिछले दस, बारह वर्षों में किया जा चुका है कि मई और जून में स्टेंडिंग केन २५ परसेंट सूख जाता है। १४ करोड़ मन गन्ना जो हम मई और जून में डी० आई० आर० द्वारा पिरवायेंगे जो सरकार का प्रोग्राम है, उससे स्पष्ट है कि साढ़े तीन करोड़ मन गन्ना उन महीनों में किसानों का सूख जायगा जिससे रिजर्व एरिया के गन्ना उत्पादक का ७ करोड़ रुपयों का नुकसान होगा। श्रीमन्, इस साढ़े तीन करोड़ मन गन्ने में १.२५ लाख टन चीनी बनती। इसके अतिरिक्त यदि, श्रीमन्, इन दो महीनों में गन्ने की रिकवरी बढ़ जाती है तो यह संतोष होता कि काश्तकार का भले ही नुकसान हुआ, लेकिन प्रदेश को अधिक चीनी प्राप्त हो सकेगी। लेकिन, श्रीमन्, पिछले १० वर्षों के जो आंकड़े हैं वह यह बताते हैं कि मई और जून के महीनों में आपको एवरेज रिकवरी ८.० रही है जब कि पिछले ६ महीनों में एवरेज ९.५ रहा है। इस प्रकार से १.५ रिकवरी घट जाती है। इस रिकवरी के घट जाने से जो नुकसान होगा चीनी के उत्पादन पर वह करीब ०.७५ लाख टन का आयेगा। तो इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा।

श्रीमन्, आपत्ति इस बात की है कि आज जो गन्ने के कल्टीवेशन का हमारा प्रोग्राम है और जो उसकी मार्केटिंग का प्रोग्राम है उसकी तहत में उत्तर प्रदेश की सरकार को किसी हालत में भी उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख टन नहीं मानना चाहिये था।

श्रीमन्, गत वर्ष में भारतवर्ष का शुगर प्रोडक्शन क्या था? पिछले वर्षों में सारे भारत में २१ लाख टन चीनी पैदा हुई थी। इस वर्ष केन्द्रीय सरकार २८ लाख टन चीनी पैदा करना चाहती है जिसमें से ३ लाख टन का फारेन एक्सपोर्ट का कमिटमेन्ट है जो इसमें शामिल है। केवल ७ लाख टन चीनी हम ज्यादा पैदा करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में गत वर्ष ८.५ लाख टन चीनी पैदा हुई थी। पता नहीं इस सारी एडीशनल चीनी का भार हम क्यों उठाने के लिये तैयार हो गये? हम ज्यादा से ज्यादा ३ या साढ़े ३ लाख टन अधिक चीनी पैदा करने की जिम्मेदारी ले सकते थे। श्रीमन्, अगर हम चीनी ज्यादा पैदा करना चाहते हैं तो हमें केन कल्टीवेशन में आमूल परिवर्तन करना होगा। यह नहीं हो सकता कि गन्ना जनवरी फरवरी में बोया जाय और मिलें नवम्बर में कार्य शुरु करें। इसके लिये हमको केन कल्टीवेशन अक्तूबर में ही शुरू करना होगा और मार्केटिंग प्रोग्राम के अन्दर यह निश्चित करना होगा कि नवम्बर दिसम्बर में जो मिलें चलें तो वे पहले अक्तूबर में बोया हुआ गन्ना पेरें। जनवरी फरवरी के अन्दर मिल वेराइटी गन्ना पेरें और मार्च अप्रैल में लेट बोया हुआ गन्ना पेरें। किसी भी हालत में अप्रैल के बाद गन्ना खड़ा नहीं रहना चाहिये किसान के खेत में। अगर यह सब नहीं होगा तो आगे आने वाले वर्षों में चीनी का उत्पादन घट जायेगा।

[श्री शिवराजसिंह]

श्रीमन् ,सरकार दो-तिहाई गन्ना चाहती है। बाकी गन्ना वह कहती है छोड़ दिया है गुड़ और खांडसारी आदि के लिये। जो गन्ना खड़ा है उसमें से दो-तिहाई तो सरकार ले लेगी, उसमें से मई जून तक काफी गन्ना सूख जायेगा तथा काफी जानवरों आदि के कारण भी खराब हो जायेगा। इस सबके बाद तो मैं समझता हूं कि किसानों के पास बीज के लिये भी मुश्किल से गन्ना बच पायेगा। अगर बीज के लिये ही बचा रह जाय तो काफी है।

दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रदेश में गुड़ और खांडसारी का उत्पादन घटता जा रहा है। यह बड़े दुख की बात है। हमारे प्रदेश में शुगर का कन्जम्पशन पर कैपिटा बहुत कम है। इसका कारण यह भी है कि गांव के लोगों को हम दे नहीं पाते। शहरों में ही चीनी की ज्यादा खपत होती है। जब गुड़ और खांडसारी का उत्पादन हम और घटा देंगे तो जो यह इम्बैलेन्स शकर के कन्जम्पशन का आज है यह और अधिक बढ़ जायेगा। श्रीमन्, हमको ध्यान देना पड़ेगा इस ओर और यदि हम यह चाहते हैं कि प्रदेश में हम ज्यादा चीनी पदा करें तो हमें गन्ने के उत्पादन पर जोर देना पड़ेगा और केन डेवलपमेन्ट पर भी। श्रीमन्, केन डेवलपमेन्ट का क्या इतिहास है ? हम पिछले २५ वर्षों से मुख्तलिफ इंस्टीटयूशंस खोलकर केन डेवलपमेन्ट की बात करते रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे प्रदेश में गन्ने की पैदावार प्रति एकड़ बढ़ने के बजाय अक्सर घटी है। जब सदर्न स्टेट्स से मुकाबला किया जाता है तो हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां की क्लाइमेट ट्रापिकल है। मैं चाहता हूं कि मुकाबला करें मंत्री जी सब ट्रापिकल जितने भी स्टेट्स हैं उनसे। आसाम से मुकाबला कीजिये, आसाम एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वहां पैदावार प्रति एकड़ गन्ने की १५ साल पहले कम थी, आज उनकी पैदावार हम से कहीं ज्यादा है। आज उत्तर प्रदेश में भले ही रकबा गन्ने के काश्त की तहत में ज्यादा है लेकिन आल इंडिया एवरेज गिराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है। इसलिये हमें केन डेवलपमेन्ट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

श्रीमन्, एक तथ्य की ओर और ध्यान देना चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने भी कई बार कहा है कि कृषि विभाग की तहत में गन्ने के डेवलपमेन्ट का काम होना चाहिये। परन्तु मुझे खेद है कि गन्ने के साथ एक और भी ज्यादती हो गयी है। इससे पूर्व गन्ने के डेवलपमेन्ट का काम ३ मंत्रालयों के हाथ में था, केन डेवलमेन्ट, केन मार्केटिंग और एग्रीकल्चर, और आज वह बढ़कर ५ या ६ मंत्रालयों के तहत में हो गया है। इसके कारण कोआर्डिनेशन न होने की वजह से कहीं गन्ने की इंडस्ट्री ही नष्ट न हो जाय और अगर वह नष्ट हो गयी तो गुड़, खांडसारी और शकर सब का मामला गड़बड़ हो जायगा। तो वह ५ या ६ मंत्रालय जिनके हाथ में हैं केन डेवलपमेन्ट एन्ड केन, (रिसर्च एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट) मार्केटिंग और डेवलपमेन्ट आफ इंडस्ट्री सब के मंत्रालय अलग-अलग हैं। यों तो कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट के मंत्री जी बैठे हुए हैं। इनके विभाग की तहत में तमाम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का काम विशेषतया होता है लेकिन गन्ने के डेवलपमेन्ट के काम की जिम्मेदारी ब्लाक्स पर नहीं है। गन्ना हमारी शुगर इंडस्ट्री का बेस है। हमारे प्रदेश में केवल २ इंडस्ट्रीज हैं, एक तो काटन मिल्स और दूसरा शुगर मिल्स। शुगर इंडस्ट्री गन्ने के काश्त पर निर्भर है। मैं चाहता हूं कि कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट मिनिस्टर इस बात को अपनी सरकार के सामने रखें कि कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट में ब्लाक्स के अन्दर गन्ने के पैदावार के संबंध में जिम्मेदारी सौंपी जाय।

एक बात मुझे आर्थिक न्याय के सम्बन्ध में कहनी है। किस कदर मुनाफा प्रति एकड़ गन्ने की उपज पर सरकार को होता है और कितना प्रति एकड़ काश्तकार को होता है ? ४४० मन गन्ना प्रति एकड़ उपज होती है जिससे ५२० रुपया प्रति एकड़ एक्साइज ड्यूटी से सरकार को धन मिलता है और काश्तकार को प्रति एकड़ मुश्किल से सौ डेढ़ सौ रुपये की बचत होगी। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने एक्साइज ड्यूटी में से कुछ कम कर दे और गन्ने के मूल्य को बढ़ावे ताकि काश्तकार के पास पैसा बढ़े और तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी

इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में जब उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी गयी थीं तो उन्होंने यही बात वहां कही थी। मैं चाहता हूं कि सरकार एक्साइज ड्यूटी में से काश्तकार के गन्ने का मूल्य बढ़ावे ताकि गन्ने के प्रोडक्शन को बल मिले और गन्ना ज्यादा से ज्यादा उसमें से गुड़ और खांडसारी के क्रशास कोलमि। इस प्रकार की व्यवस्था हो।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज दो तीन बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। किसानों की तरफ सरकार का ध्यान मैं खींचना चाहता हूं। आज से १५ वर्ष पहले जब आगे (यानी मंत्री लोग) के बैठने वाले किसानों की तरह सतंजा की रोटी खाते रहे, तब ठीक-ठीक काम करते थे, लेकिन जब से मिल मालिकों का रसगुल्ला खाने लगे तब से उनकी बुद्धि खराब हो गयी। आज से १५ साल पहले गन्ने का दाम २ रुपया था और उस समय चीनी ३२ रुपया मन थी लेकिन अब गन्ने का दाम पौने दो रुपया मन है, तो चीनी का दाम ५० रुपया मन। उसको बढ़ाकर अब कहीं २ रुपया मन कर दिया गया है लेकिन यह कम से कम सवा तीन रुपया कायदे से होना चाहिये। आज कल खाद भी महंगा है, बीज भी महंगा है लेकिन फिर भी गन्ने का दाम नीचे ही गिरता जा रहा है। आज गन्ने का दाम २ रुपया हो गया है लेकिन लोग उस कुतुवा दाम पर खुशी मना रहे हैं। हिसाब से देखा जाय तो किसी भी हालत में वह सवा तीन रुपया से कम नहीं होना चाहिये। इसलिये सोशलिस्ट पार्टी का ऐलान है कि गन्ने का दाम ढाई रुपये से कम नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिये सोशलिस्ट पार्टी लड़ेगी। एक ओर तो गन्ने के दाम पर प्रतिबन्ध है दूसरी ओर चीनी के दाम पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हम गन्ना देते हैं और चीनी भी खाते हैं। इसलिये अगर गन्ने का दाम थोड़ा सा बढ़ा कर चीनी का दाम और ज्यादा बढ़ा दिया जायगा तो क्या फायदा होगा ? इसलिये सोशलिस्ट पार्टी इस कुतुवा दाम को नहीं मानती है। जिस तरह से मिल मालिक की लागत खर्चा वगैरह जोड़ा जाता है, उसी तरह से किसान का भी जोड़ा जाना चाहिये। हमने गन्ने का बीज ४ रुपया और ३ रुपया मन खरीदा, मजदूरी ज्यादा दी, खाद ज्यादा की ली लेकिन उसको तो जोड़ा नहीं जाता है और दो रुपया मन दाम हो जाने पर आज खुशी मनायी जा रही है। इस कानूनी डंडे से काम चलने वाला नहीं है। मालूम पड़ता है कि उधर आगे की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों की बुद्धि खराब हो गयी है। जिन लोगों ने कुर्सियों को छोड़ दिया है उनकी बुद्धि तो बिल्कुल ठीक हो गयी है। उनके भाषणों को यदि सुना जाय तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इधर के बैठ ने वाले हैं। चीनी जब बढ़ेगी तो किसान का मन बढ़ेगा। अगर किसान का मन टूटा तो चीनी जरूर घटेगी। किसान का मन बढ़ेगा तो चीनी बढ़ेगी। आज लोग इसलिए रोजगार करते हैं कि हमारी बीबी और बच्चों को कपड़ा मिले, बढ़िया भोजन मिले लेकिन एक किसान है वह जो भी रोजगार करता है उस पर सब मुसीबतें आती हैं, पाला पड़ता है, पत्थर पड़ता है और सूखा आता है, पर आप देखेंगे कि कपड़े पर न कभी पाला आता है न पत्थर पड़ता है। लेकिन जो किसान पैदा करता है उस पर बाढ़ भी आती है, ओला भी पड़ता है। तो किसानों पर दो तरह की आपत्तियाँ आती हैं। भगवान भी रिसिया कर चोट देते हैं और मंत्री लोग भी उसी पर चोट करते हैं। ये सब चोटें न किसानों पर ही पड़ती हैं। किसान रीढ़ की हड्डी है और अगर वह रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो यह सरकार भी टूट जायेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मिले हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। इस वक्त दो गोल हैं, एक तो किसानों का और दूसरी चीनी कारखानों के मालिकों का। आप मंत्रिगण किसान से वोट पाते हैं और मिल मालिकों से चनाव में इकट्ठा किया हुआ धन पाते हैं। अगर आपकी यह हालत रही तो उत्तर प्रदेश का किसान उनको चकनाचूर कर देगा। मैं बड़े अदब के साथ

[श्री कृष्णा]

कहता हूं कि इस तरह से उनके मिल नहीं चलेंगे। गुड़ बनेगा और राब बनेगी। गुड़ का भी वही हाल होगा जो चावल का। हमारे प्रदेश से गुड़ भी बाहर चला जायेगा। श्री नेगी जी ने बिहार को चावल भेजना बन्द कर दिया लेकिन उन्हीं के सिपाहियों ने अपने कन्धे पर रख कर चावल बिहार भेजा। गांजा नैपाल में पैदा होता है परन्तु यह बनारस तक चलता है। यही दृष्टिकोण हमारे गुड़ का होगा। हमारा गुड़ १ १/२ रु० सेर बिकेगा सिपाही के कन्धे पर। मैं अन्त में फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने का दाम २१/२ रु० प्रति मन करें अगर चाहते हैं कि चीनी की पैदावार बढ़े और सरकार को लाभ हो और राष्ट्र का लाभ हो। यदि न हुआ तो इसके लिए सोशलिस्ट पार्टी लड़ेगी।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें एक ऐसे गम्भीर विषय पर वाद विवाद कर रहे हैं जिसका सीधे सीधे हमारे २५ लाख किसान परिवारों से सम्बन्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने गन्ने का मूल्य २ रुपया प्रति मन करवा दिया बल्कि इसलिए कि कम से कम इस सम्बन्ध में सेन्टर से बड़ी दृढ़ता से लड़ी और उन्हें कामयाबी हुई। जहां तक २ रुपये मन गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह कीमत अनुचित है। कुछ मित्र कहते हैं और बड़ा अहसान दिखलाते हैं, बड़ी बातें करते हैं, कि २ रुपये मन गन्ने की कीमत हमने कर दी या सेंटर से करा दी। मैं अपनी सूचना के अनुसार बताना चाहता हूं कि आज यू० पी० की सरकार के ऊझानी फार्म घाघराघाट फार्म और कुमेर फार्म पर गन्ने की कास्ट आफ प्रोडक्शन २। और २।। रुपये मन के बीच में आती है। तो किसान को २ रुपये मन दिलाने में कौन बड़ा अहसान कर दिया? मैं चाहता हूं कि किसान के गन्ने की कीमत जिस समय मुकर्रर हो, जिस समय हमारे प्रतिनिधि दिल्ली में जाकर बातें करें, तो उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रख कर कीमत गन्ने की निर्धारित करावें, जो २। रु० मन से कम न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमसे कहा जाता है कि हमको चीनी बनानी है, फारेन एक्सचेंज इकट्ठा करना है, और उसके लिये हमारी सरकार निश्चित तरीके से दिल्ली जाकर केन्द्र की सरकार से कमिटमेंट कर आती है, जिसे पूरा करने के लिये हमें १५ लाख टन चीनी इस वर्ष बनानी है। हमारी सरकार ने यह कमिटमेंट किस तरीके से किया? वह यों हुआ। पिछले वर्ष तमाम देश में २१.५० लाख टन चीनी बनी और इस वर्ष केन्द्र ने ३३ लाख टन का लक्ष्य रखा है। हमको यह देखना पड़ेगा कि हमारी यू० पी० की सरकार ने कमिटमेंट करते समय ७६.९ प्रतिशत अधिक चीनी बनाने का वचन दिया, जबकि मद्रास की सरकार ने ५८.५५, आन्ध्र ने ४३.५, मैसूर ने ३२.७५ प्रतिशत अधिक चीनी बनाने का वचन दिया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने क्रम से २६ और १८ प्रतिशत अधिक चीनी बनाने का कमिटमेंट किया। जब और प्रदेशों की सरकारें इतना कम प्रतिशत बढ़ा रही थीं तो कौन परेशानी हमारी यू० पी० की सरकार को थी कि उसने सब सरकारों से अधिक प्रतिशत चीनी बनाने का वादा किया? इसमें बेसिक गलती है कि हमने शक्ति से अधिक चीनी बनाने का वचन केन्द्रीय सरकार को दिया।

उपाध्यक्ष जी, यह बड़े जोर से कहा जाता है, और मैं कभी-कभी बड़ा चिन्तित होता हूं, कि यह प्रदेशीय सरकार से सम्बन्धित बात नहीं है, इसका सम्बन्ध केन्द्र की सरकार से है। सन् ५८ में ठीक इसी प्रकार की स्थिति जैसी कि आज यहां पैदा हुई है, महाराष्ट्र में हो गई थी। वहां मूंगफली की बम्पर क्राप हो गई। केन्द्र की सरकार ने वहां की सरकार को कहा कि इंटर-स्टेट बैन लगा दो। उस समय हमारे रक्षा मंत्री वहां थे, उन्होंने कहा कि आज मेरे किसान के मालदार होने का समय आया है और बैन नहीं लगाऊंगा। तो हमारे मुख्य मंत्री जी को क्या परेशानी थी इस बात को कहने में? हमें इस समस्या को कई पहलुओं से देखना होगा। हमको यह

देखना होगा कि क्या हमारी लांग-टर्म प्लानिंग है और क्या हमारी शार्ट-टर्म प्लानिंग है। जहां तक लांग-टर्म की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें नाकामयाब रही है। उनके पास कोई नीति नहीं है। कभी कंट्रोल होता है, कभी डिकंट्रोल होता है, कभी हम कहते हैं कि किसान से हम इतना गन्ना जरूर फैक्ट्री को दिलावेंगे, दूसरे वर्ष कहते हैं कि १० परसेंट कम होगा और आप स्वयं इसका इन्तजाम कीजिये। इस प्रकार हमारी सरकार का केवल यह काम रह गया है कि अगर फैक्टरीज को ज्यादा गन्ने की आवश्यकता है तो हम ज्यादा गन्ना चाहते हैं और अगर कम की आवश्यकता है तो हम कम चाहते हैं। उसके माने यह हुए कि हम हमेशा उस मिल मालिक के हाथों में खेलते रहते हैं जो किसान का हर तरह से शोषण करना चाहता है।

हमको देखना पड़ेगा कि पिछले १२ या १५ वर्ष में हमने गन्ने की पालिसी में क्या-क्या गलतियां की हैं। मुझसे पहले वक्ता बड़े स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि हमारी समस्याओं का एक मात्र हल केवल इंटेंसिव कल्टीवेशन है। वह बता चुके हैं कि हमने प्रति एकड़ उपज को बढ़ाया नहीं, बल्कि ४४० मन प्रति एकड़ पर करीब-करीब स्टेटिक हैं। हमें गन्ने की पैदावार प्रति एकड़ बढ़ानी चाहिये।

एक पहलू और देखना होगा। पिछले ५, ६ साल के आंकड़े मेरे पास हैं। ५६–५७ में किसान का ४३.२५ फी सदी सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना फैक्टरीज ने क्रश किया, ५७–५८ में ४१.१ और ६०–६१ में वह ३९.८३ प्रति शत रह गया। हमें देखना चाहिये कि यह कमी क्यों हुई? इसका मेरे विचार में एक ही कारण है कि किसान परेशान हो गया है और वह सोचता है कि बेहतर है उन मुसीबतों को उठाने से जो कि उसे फैक्ट्री में जाकर उठानी पड़ती हैं, वह गन्ना औरों को दे या गुड़ बनावे। फैक्ट्री में, मैं पहले भी कह चुका हूं, किसान के साथ बड़ा अन्याय होता है अन्डर-पेमेंट का। क्या सरकार ने इसका कोई इन्तजाम किया है? मैंने मांग की थी कि अगर हम किसान को इस शोषण से बचाना चाहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि अधिक नहीं तो कुछ न कुछ हर वर्ष आटोमेटिक कांटे लगवा दें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है।

उपाध्यक्ष जी, दूसरा पहलू हमारा शार्ट-टर्म है। गन्ने के काश्तकार के प्रति हमारी सरकार की यह पालिसी देखकर बड़ा दुख होता है। आज हमने डी० आई० आर० लगाया। कितना ही आप कहें कि आप इसमें प्रासीक्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन आप २/३ गन्ना काश्तकार से लेना चाहते हैं। कितने समय में आपको मिलें उसे पेर देंगी, यह कोई प्रतिबन्ध आपने मिलों पर नहीं लगाया। क्या आपने इसका कोई इन्तजाम किया है कि किसान को कीमत की अदायगी कैसे होगी? मिल मालिक आज भी हमारा पैसा समय पर नहीं देना चाहते हैं। क्या आपने गुड़ पर इंटर-स्टेट बैन लगा कर किसान के साथ खिलवाड़ नहीं की है? जब उसकी मालदारी का समय आया तो क्या हमारी सरकार ने उसे उससे वंचित नहीं किया है? आज किसान परेशान है।

मैं एक बात बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं। मेरा अपना विश्वास है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बैन तब ही तक है जब तक कि किसान के घर से गुड़ सस्ता निकल रहा है और जब यह निकल कर उसके घर से व्यापारी के पास पहुंच जायगा तो यह बैन नहीं रहेगा और हटा दिया जायगा, यही सरकार की नीति है। इसके लिये आज हाहाकार मचा हुआ है। मैं मंत्री जी से एक बात अवश्य कहूंगा कि अगर हमने इस काले कानून को किसान के ऊपर लागू रखा तो अगले १९६७ के चुनाव में भविष्य अन्धकार में है। सरकार को चलाने के लिये दो तीन चीजें बड़ी आवश्यक होती हैं। एक बार कनफ्यूशस से किसी ने पूछा कि सरकार को चलाने के लिए कौन-कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। तो उसने जवाब किया कि सरकार को चलाने के लिये ३ चीजों की आवश्यकता होती है। पहले तो उसके पास एक मजबूत फौज होना आवश्यक है और दूसरे उसके पास प्रजा के खाने के लिये ठीक से व्यवस्था होनी चाहिये और तीसरे उसको जनता का विश्वास प्राप्त होना चाहिये। लेकिन उससे कहा गया कि किसी एक चीज

[श्री जगवीरसिंह]

को इसमें से छोड़ा जा सकता है तो उसने कहा कि बगैर फौज के सरकार चलायी जा सकती है, फिर कहा गया कि कोई २ चीजें भी क्या इसमें से छोड़ी जा सकती हैं तो उसने कहा कि फौज और खाने के बगैर भी सरकार चलाई जा सकती है, लेकिन तीसरी चीज जो जनता का विश्वास है उसके बगैर कोई सरकार नहीं चल सकती । यह मेरा विश्वास है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आपकी किस्मत भी प्रदेश के गरीब किसान के साथ ही बंधी है और उस पर प्रदेश का भविष्य निर्भर है; इसलिये प्रदेश के भविष्य के लिये इस कानून को आप वापस लें और किसान को हर तरह की सहूलियत दें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान...

श्री उपाध्यक्ष---

सदन मे शोर बहुत हो रहा है, बातें कम की जायं, कांग्रेस की तरफ बहुत बातें हो रही हैं।

श्री बांकेलाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि जब कोई बात इधर से कही जाती है तो उनका ध्यान इधर नहीं रहता है। जिस तरह से वह रामकोला में गये थे और एक गांव के किसानों ने जो स्वागत उनका किया था उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि गुड़ और खांडसारी को लेकर यहां का किसान इस हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलन्द करेगा और उसने किया है। १५ लाख टन चीनी के उत्पादन के लिये ही यह सारे कुकर्म सरकार कर रही है और कहा जा रहा है कि अपने गन्ने का ६६ प्रतिशत किसान चीनी मिल को जरूर दे। अनेक प्रतिबन्ध खंडसारी व गुड़ बनाने वालों पर लगाये गये हैं। आज से ३ साल पहले सरकार और मिल मालिक ने कहा कि गन्ने की पैदावार ज्यादा हो गई है और उसको पेरने से मिल मालिकों ने इंकार कर दिया था और चीनी बनाने से भी इन्कार उन्होंने कर दिया, तमाम गन्ना बरबाद हुआ था। पडरौना में ५० हजार मन, हाटा में ६४ हजार मन, गन्ना फूंक दिया गया और अकेले देवरिया जिले में ३ लाख मन गन्ने की हानि हुई। उस वक्त ३ साल पहले मिल मालिकों ने पर्चियां बांटी और सरकार का भी सर्कुलर निकला कि गन्ना ज्यादा न बोया जाय और एक हल्ला मचा जिसका असर इस साल पड़ गया। अब किसानों का हृदय टूट चुका है, गन्ना किसानों को यह सरकार दबाती जाती है और मिल मालिकों का समर्थन करती है। वह शायद इसलिये करती है कि उसको मिल मालिकों से रुपया मिलता है और इसी के जरिये से यह डरा धमका कर किसानों से वोट मांगते फिरते हैं। किसान को गन्ना पैदा करने के लिये आपने प्रोत्साहित किया? तीन साल पहले तक आपने क्या किया? न उसको प्रोत्साहन मिला और न गन्ने के उचित दाम मिले। तो वह गन्ना क्यों बोये? सरकार ने उचित मूल्य दिलाने में कोताही की। १९४७-४८ में गन्ने का दाम २ रु० मन था और चीनी ३५ रु० मन थी, उसके बाद गन्ने का दाम १ रुपया १२ आना और चीनी साढ़े ३१ रु० मन थी, उसके बाद १ रु० ७ आने गन्ने का दाम हुआ और चीनी का ३६ रु० मन, फिर १ रु० १० आना मन गन्ना और चीनी का ४१.५१ रुपया प्रति मन रहा। हमेशा रियायत मिल मालिक के साथ रही। बड़ी मुश्किल से अब २ रु० मन हुआ है लेकिन वह भी टेम्पोरेरी, हो सकता है अगले साल कम हो जाय। अगर आप १५ लाख टन चीनी पैदा करना चाहते हैं तो किसान को प्रोत्साहित कीजिये, गुड़, खांडसारी वालों को प्रोत्साहित कीजिये। आज भी इतना गन्ना है कि कोल्हू और खांडसारी की यूनिटें न चलें तो मिल वाले खपा नहीं सकते जिससे किसान को बड़ा नुकसान होगा और वह अगले साल गन्ना नहीं बोयेगा। इसलिये डी० आई० आर० गुड़, खांडसारी बनाने वालों और किसानों पर नहीं लगना चाहिये। यह तो देशद्रोहियों के लिये है, न कि उत्पादन करने

वालों के लिये। मैं तो कहता हूं जिन्होंने इस डी० आई० आर० को बनाया है उन्हीं पर इसको लागू किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी प्रकार का प्रतिबन्ध किसानों पर गुड़ और खांडसारी बनाने वालों पर न लगाया जाय।

श्री फूलसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। देश के किसानों का हित तो इससे संबंधित है ही, लेकिन क ज्यूमर्स की कैपेसिटी, देश के सब लोग और दूसरे देशों के लोग भी इससे सम्बन्धित हैं। यह खुशी की बात है कि इस सदन में दोनों तरफ़ के माननीय सदस्य किसानों के समर्थक हैं, सरकार भी है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उन किसानों का समर्थन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उस समर्थन में यह कानून बना देते हैं, कुछ लोग उस ससमर्थन में लोगों को गाली देते हैं। वाकया यह है कि देश में चाहे सोशलिस्ट हों, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के हक में हैं, कैपिटलिस्ट भी इसके हक में हैं और इंडस्ट्रियेलाइजेशन की बुनियाद कच्चे माल मिलने पर निर्भर करती है। दूसरी दृष्टि से इंडस्ट्रियलिस्ट और मिडिल मैन और जो शहरी प्रोलीटेरियट है, इन तीनों का आपस में कोई मेल नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ हित में हैं। लेकिन एक प्वाइंट पर सब इत्तफ़ाक करते हैं कि खाने की चीजें सस्ती मिलनी चाहियें। तो एक तरीके से सारी दुनिया किसान के खिलाफ़ है। नाम किसान का ही लो, जान भी उसी की मारें। अंग्रेज लोग सब काम प्रिन्सिपल पर करते हैं,

"He robs you on commercial principle, He cuts the King's head on democratic principle." यहां भी जो कुछ करना हो किसान के नाम पर करो। यह यहां का सिद्धान्त हो गया।

मुझे दुख है कि थोड़े समय में इस लांग रेंज पालिसी की चर्चा करना असम्भव होगा; और न ही यह आज का विषय है। आज तो प्रश्न यह है कि जो समस्या इस साल खड़ी हो गई है, उसका हल क्या है। ४, ५ पहलू हैं। एक तो गन्ने का भाव, दो-तिहाई गन्ना रिजर्व करना, गुड़ के मूवमेंट पर प्रतिबन्ध लगाना, खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगाना और शक्कर का वितरण यही चीजें हैं जिनकी चर्चा आज होनी चाहिये। मेरे खयाल में गन्ने के भाव से कुछ सन्तोष हो सकता है, लेकिन २ रु० का भाव कब तक के लिये है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। क्या यह इरादा है कि २ रु० मन गन्ना का दाम जुलाई तक मिलेगा? किसान जो अंडा देने वाली मुर्गी है वह जिन्दा रहेगी कि नहीं? तो इसलिये आवश्यकता है कि इस बात को स्पष्ट कर लें कि कब तक फैक्ट्रीज चलेंगी, कितने गन्ने की आवश्यकता होगी, किस दाम पर गन्ना मिलना चाहिये। बिना सोचे यह कह देना कि १० मील के एरिया में कोई क्रशर न लगे, या उन पर परचेज टैक्स बढ़ाया जाय, यह मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि हर १० मील के एरिया में हालत एक सी ही हो यह नामुमकिन है। कहीं १० मील के एरिया में ज्यादा गन्ना है, गन्ना, कहीं कम है। कहीं फैक्ट्री बड़ी हैं, कहीं छोटी हैं। इन सब चीजों को रेशनेलाइज करने की आवश्यकता है, डिटेल में जाने की आवश्यकता है। गन्ने के दाम अगर २ रु० अब हैं, जिस किसान से आप ३० जून तक २ रु० मन में गन्ना मांगते हैं उसका असर देख लिया जाय कि क्या होने वाला है। मेरे दोस्त किसान के बहुत हितैषी हैं, कहते हैं किसान सत्याग्रह करेगा। मैं समझता हूं किसान बहुत भोला है। जब यह भी उनके हित की बात करते हैं और आप भी करते हैं तो वह दोनों की तरफ देखता है, वह झगड़ा करने वाला भी नहीं है, लेकिन उसका असर खराब होने वाला है। जिसका गन्ना जून में खड़ा रहेगा, उसको काटने का क्या साधन होगा, उसको मिल तक ले जाने का क्या साधन होगा, उसका वजन कितना कम हो जायगा, यह बातें सोच कर तब राय कायम करें कि किसान अगले साल गन्ना बोयेगा कि नहीं। इस साल तो भुगत लेगा। अगर कोई कानून ऐसा है जो उसके हित में नहीं है तो वह एक ही

[श्री फूल सिंह]

तरीका अपनायेगा कि गन्ना न बोओ, कुछ और बो लो। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो भाव वाली बात है इसको जरा सोचने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि दो-तिहाई गन्ने का रिजर्वेशन एक अजीब चीज है। मुख्य मंत्री जी ने बड़ी कृपा से कहा कि हम कह देंगे कि डी० आई० आर० में चालान मत करो। आप चाहे जो कह दें, लेकिन जो पतरोल है, दरोगा है, कामदार है, वे सब अपना दांव लगायेंगे। दूसरा चालान वह करेंगे। फिर दो-तिहाई के मानी क्या हैं? कौन तय करेगा? आप ने ऐलान किया कि किसानों की बात मान ली जायगी। वहां किसान ५ गाड़ी लगाता है, लेकिन जिले में २५ गाड़ी लगायी जाती हैं। आपका नोटिस भले ही घूमता रहे, इश्तहार भले ही बटता रहे, जिले का नोटिस कायम रहेगा। लिहाजा कानून आप ऐसा बनायें जिसमें इश्तहार छाप कर तरदीद करने की जरूरत न पड़े।

किसान तैयार हो जायगा और दो-तिहाई गन्ना दे देगा। लेकिन कहां दे देगा? अपने खेत पर देने के लिये तैयार है। आप कहें लाद दो बैलगाड़ी पर, मिल तक ले चलो, लेकिन कैसे लायेगा जब गाड़ी नहीं होगी, बैल नहीं होंगे? तो जब गाड़ी भी न हो, रास्ता भी नहीं और यह दो-तिहाई का कानून आपने बना दिया तो बावजूद केन कमिश्नर के इस फैसले के और कोआपरेटिव सोसाइटीज के फैसले के कि वे ब्रिजेज लगायेंगे, मिल वाले वे ब्रिजेज नहीं लगायेंगे, न लगाये हैं। वे जानते हैं कि डी० आई० आर० का आर्डर कायम है। झक मारेंगे और लायेंगे, और कहीं गन्ना नहीं जा सकता।

मुझे सब जिलों की पूरी इन्फार्मेशन नहीं है, लेकिन सहारनपुर जिले को मैं जानता हूं कि वहां कोई फैक्टरी जून से पहले बन्द होने वाली नहीं है। जून तक ये तब चलेंगी जब गन्ने के सम्बन्ध में दो तिहाई का आर्डर नहीं था और दो रुपये का भाव नहीं था। इधर दो-तिहाई गन्ना रिजर्व हो गया और आपने क्रशर तथा कोल्हुओं को बन्द कर दिया, गुड़ का जाना बन्द कर दिया तो शुगर फैक्टरीज अगस्त तक चलेंगी। अगर यह चीज कायम रही तो किसान पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है।

दो बातों की बड़ी चर्चा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया को हमें १५ लाख टन चीनी देना है, एक्सपोर्ट और एमर्जेन्सी का मामला है। तो यह एक्सपोर्ट और एमरजेन्सी महज किसान के लिये है क्या? कितने ही लोग हैं जो एमर्जेन्सी के लिये सामान देते हैं, उनमें कोई मिसाल है जिसमें यह मजबूर किया गया कि किसी व्यक्ति को इस भाव पर देना होगा? अगर किसी साथी को मजबूर नहीं किया गया तो किसान के साथ यह हमदर्दी क्यों? मेरा यह निवेदन है कि एक कायदे से करो। एमरजेन्सी में अगर कुर्बानी की है तो किसान ने की है। उसके लड़के लड़ाई पर गये हैं। उसने एन० डी० एफ० में रुपया दिया है। तो उसीके रुपया और उसी की जान! मेरे खयाल में एमरजेंसी के नाम पर यह कानून रखना बहुत ही खराब बात होगी। इसको बदलना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट का सवाल है तो शक्कर ही एक्सपोर्ट होगी या और चीजें भी होंगी? एक्सपोर्ट्स के लाइसेंसेज हैं, मुझे थोड़ा अनुभव हुआ इंडस्ट्रीज का भी। जो बर्तन बनाता नहीं, खाली एक्सपोर्ट करता है वह जितने के बर्तन एक्सपोर्ट करता है उतना ही उसको पीतल मिल जाता है। एक्सपोर्ट की चांदी अलग बनाये और पीतल ब्लैक मार्केट में बेचे और यहां किसान की खाल उतार कर चीनी एक्सपोर्ट होने जा रही है। तो यह तरीका ठीक नहीं है। एक ही तरीका है इन्सेंन्टिव का, कोअर्शन का कोई तरीका नहीं है। किसी रोजगार को पनपाने के लिये कोअर्शन इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। इस मामले में किसान से औरों से अलग व्यवहार करना भी मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि दो रुपये मन के इन्सेन्टिव से काफी गन्ना आ जायगा। तो फिर दो-तिहाई की पाबन्दी क्यों? जब आपने कह दिया कि गुड़ सस्ता बिकेगा और जगदीश शरण जी के क्रशर चलेंगे नहीं, तो फिर किसान क्या गन्ने को अपने घर में रखेगा?

एक बात और मैं कहना चाहता हूं—रेस्ट्रिक्शन आन गुड मूवमेंट। यू० पी० का बार्डर कई सौ मील का है। सहारनपुर जिले में ही ५० मील लम्बा बार्डर है और यमुना से इस तरफ २२ रुपये मन गुड़ और यमुना पार ५५ रुपये मन गुड़। तो दो मन गुड़ की भेली अगर आप उठालें, इतना कमजोर कोई लाला ही होगा, गांव वाला तो दो भेली उठा ले जायगा, अगर एक ही मन उठाले और दो मील तक ले जाय तो ३० रुपये की आमदनी है। तो यह कितना पेइंग है। इतना पेइंग कोई बिजनेस नहीं है। तो ५० मील सहारनपुर का बार्डर, ५० मील मेरठ का, ५० मील आगरा का और यह तो झांसी तक सारा बार्डर है, अगर आपने झांसी तक रोक लिया तो इधर को चल देंगे। तो मैं समझता हूं कि बड़ा गलत तरीका है गुड़ के मूवमेंट को रोकने का और फिर हम लोगों में से काफी लोगों को अनुभव है कि जब कोल्हू चलता है तो गुड़ का लदान बन्द हो जाता है और जब गुड़ बनाना बन्द हो जाता है तो लदान खुल जाता है। जब पूज्य बापू जिन्दा थे वे दिल्ली में थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जरा देखो यह क्या बात है, लदान का क्या शोर मच रहा है तो मैं मुजफ्फरनगर गया। वहां देखा कि ६ वैगन वहां खड़े हैं, डेमरेज भी देना पड़ रहा है, बुक कर लिया है, लदेंगे कुछ नहीं, बाजार में कह दिया गया कि लदान बन्द हो रहा है, इसलिये गुड़ सस्ता बिकेगा। अब भी यही होने वाला है। अगर परमानेन्टली बन्द होने की बात होती तो यही करते लेकिन यह लदान आप गर्मियों में खोल देंगे। फिर तो किसान मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि इम्पोर्टर को आप परमिट देते हैं एक्सपोर्टर को क्यों नहीं देते। गैर प्रान्त वाले ले जाते हैं, यहां वालों को उससे दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यह जानता हूं कि खुला रास्ता करो, कोई पाबन्दी की बात नहीं होनी चाहिये। अगर आप या आपके अहलकार के हाथ में परमिट देना है तो जिसका सोर्स है उसी को परमिट मिलेगी बाकी को नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह रास्ता बदलना चाहिये।

अब थोड़ी शक्कर के तकसीम की बात कह दूं। यह भी जरा सोचने वाली बात है। यहां हमारे मित्र ने एनाउन्स किया कि रैशनल तरीका होना चाहिये, जिसकी ज्यादा आमदनी उसको ज्यादा चीनी मिलनी चाहिये और जिसकी कम आमदनी उसको कम मिलनी चाहिये। मेहरबानी है भगवान की कि अनाज पर यही कानून नहीं लगाया गया। पानी और हवा इनके काबू में नहीं है। अगर सब पर लग जाय तो मरे। यह कोई तरीका नहीं है। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आदमी की है। आमदनी कम हो या ज्यादा, उतनी उसको मिलनी चाहिये। गन्ना पैदा करने वाला केवल यू० पी० ही नहीं है, आठ और स्टेट्स हैं। ७ अक्तूबर को गवर्नमेंट ने अखतियार दिया और १४ अक्तूबर को केन कमिश्नर को अखतियार दिया और १७ अक्तूबर को आर्डर जारी कर दिया और सांस नहीं लेनी दी। मुझे तो ऐसा दीखता है कि गवर्नमेंट को भी देखने का मौका नहीं मिला। आपके पड़ोसी पंजाब में शहर के आदमी को ७५० ग्राम चीनी, देहात के आदमी को ४२५ ग्राम चीनी मिलती है और आपके यहां सवा किलो बड़े आदमी को, एक कीलो छोटे आदमी को और देहात में एक ब्लाक में २० बैग देते हैं इसके माने यह ह कि एक किलो २० आदमियों को मिलेगा। तो क्या शक्कर का चूर्ण बनायेंगे या किस काम आयेगी। वहां तरीका यह है कि कोई राशन कार्ड नहीं है। हमारे यहां राशन कार्ड बनाने का काम सिविल डिफेंस के स्टाफ को दे दिया है। यह गलत तरीका है। गवर्नमेंट के पास सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे यह काम कराया जाय। ऐसे आदमी को काम दे देना जो जानते तक नहीं हैं, कहां तक ठीक है? उनके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। अगर कुछ खा लें, तो कोई उसका इलाज नहीं है।

यह जो शक्कर और गुड़ की बात है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ११ घंटे क्रशर चलाने का सवाल है। इससे इंस्पेक्टर की चांदी होगी। वह कहेगा कि मेरा पेट भरते रहो और २४ घंटे चलाओ। क्रशर उतने ही घंटे चलेगा जितना चलता है लेकिन कागज पर ११ घंटे चलेगा। जहां आप इतनी गुरबापरवरी कर रहे हैं वहां किसान के साथ भी कुछ हमदर्दी होनी चाहिये।

[श्री फूलसिंह]

हमारे लिये तो वह छोटी इंडस्ट्री वालों के लिये और मिल वालों के लिये एक ही बात है और दोनों को कायम रखना है लेकिन अगर एक जिन्दा रहे और एक मर जाय तो हम मर जायेंगे। यह रास्ता मेरे खयाल में गलत है। अगर जरूरी है तो कुछ एरिया में पाबन्दी लगा दें कि वहां क्रशर नहीं लगेगा, बाकी में छूट दे दें और यह ११ घंटे वाली बात नहीं होनी चाहिये।

श्रीमन्, इन सब चीजों के दो पहलू हैं। एक तो लोंग रेंज पालसी की बात है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप सब साथी सोचें। इसमें पोलिटिक्स की कोई बात नहीं है प्वाइंट यह है कि इसमें दो पहलू हैं। एक यह कि शक्कर की पालसी को बिलकुल ओवरहाल किया जाय, हर साल नये-नये कायदे बना दें, यह बात ठीक नहीं है। जब गन्ना कम हो तो कायदे का रुख कुछ और हो और ज्यादा हो तो कुछ और रुख हो। ऐसे कायदे बनाये जायें जिन से काम ठीक तरह से चल सके और दोनों तरह की बातों में वे ठीक बैठ सकें। यह निहायत नामुमकिन और गलत बात होगी कि इस सीजन में कानून बना दें और अगले सीजन में भी लोगों की जान खाता रहे। इसलिये इस मामले को बहुत एहतियात से सोचना चाहिए। सब चीजों पर विचार करना चाहिये। मैं तो बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इतना मौका दिया। मैं आशा करता हूं कि इस मामले पर सब साथी कुछ सोचें और ऐसा रास्ता निकालें, कि जिसमें किसान का हित हो।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस गुड़ के मामले पर और खांडसारी के तथा गन्ने के मामले पर बहुत दिनों से चर्चा है और चर्चा नहीं बल्कि जनता में एक जोश है और सरकार को समझाने के लिये, चाहे वह जनता के आदमी हों चाहे नेता हों, चाहे और मातबर, मुअज्जिज और समझदार लोग हों उन्होंने काफी कोशिश की है और मैं यह देखता हूं कि हमारी सरकार में भी ऐसे एम० एल० ए० और मिनिस्टर हैं कि उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की और समझ भी गये, भले ही वह पद से हटने के बाद समझे हों। लेकिन समझ गये। मैं यह प्रार्थना करूंगा आपसे कि आप इस मसले को समझने की कोशिश आज करें। यह मसला ऐसा नहीं है कि उसको आप टाल दें। यह पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का मसला है। गन्ने का आखिर झगड़ा क्या है यह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। जब मुगल सल्तनत खत्म हुई और अंग्रेजों की सल्तनत यहां आयी और ताजीरात हिन्द बना तो एक कहावत है कि किसी किसान ने अपनी बीबी को एक थप्पड़ मार दिया उसने जा कर अदालत में दरख्वास्त दे दी। उसके नाम समन कटा। वह किसान वहां पहुंचा। अदालत ने पूछा कि तुमने इस औरत को मारा है। उसने कहा कि इसे एक चांटा मारा तो है। अदालत ने कहा कि चूंकि तुमने मारा है इसलिये तुम्हारे ऊपर ५ रुपया जुर्माना किया गया। तो किसान ने कहा कि मैंने तो अपनी बीबी समझ कर इसको मारा था, मुझे यह खबर नहीं थी कि यह सरकारी बीबी है। तो मैं सरकार से कहता हूं कि हमने गन्ना बोया, पानी दिया, पूरी मेहनत की। लेकिन जब वह तैयार हो गया तो खबर लगी कि गन्ना हमारा नहीं है। गन्ना तो सरकार का है। और सरकार के भी जितने सदस्य हैं उनका सबका कोई हिस्सा उसमें नहीं है। सब तैयार बैठे हैं इसके खिलाफ बोलने के लिये। सिर्फ दो मंत्री महोदय—राममूर्ति जी और शान्ति प्रपन्न जी—बैठे हुये हैं, केवल उन्हीं दो का यह गन्ना है। कोई कुछ बोलता है तो फौरन लिखने लगते हैं। पता नहीं वह क्या लिख रहे हैं इसके पक्ष में जायेंगे या विपक्ष में जायेंगे। पूरा हाउस एक तरफ है और ये दो महानुभाव एक तरफ हैं। बराबर लिखे जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि बिलकुल सीधी बात है। कोई टेक्निकल बात मैं नहीं जानता। मैं तो केवल सीधी और सच्ची बात जानता हूं। अगर गन्ने को आप हमारा नहीं मानते या आप यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इन्तजाम, उसकी हुकूमत चलाने के लिये आपका हर मामले में दखल है तो हम आपकी बात मानने के लिये तैयार हैं। दखल दीजिये आप हर चीज में, लेकिन आप किसी में बिलकुल दखल न दें और किसी में.....

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

जब आपका गन्ना १ रुपया और चौदह आना मन बिक रहा था उस समय जिसने उसे डेढ़ रुपये मन बिकवाया था उसकी तो आप तारीफ नहीं करेंगे। जिस वक्त १२ आने और १४ आने मन की जगह डेढ़ रुपया मन बिकाया था तो उस वक्त तो आपने नहीं कहा।

श्री विजयपालसिंह--

आपकी इस बात का जवाब तो हमारे सोशलिस्ट भाई देंगे। हम तो आप से जो बात कह रहे हैं उसको आप ठंडे दिल से सोच लीजिये। मैं आप से यह कहता हूं कि तीन चीजें कुल हैं। मैं ज्यादा झंझट में नहीं जाना चाहता--गन्ना, खांडसारी और किसान, यही मुख्य चीजें हैं। मैं कहता हूं देश और प्रदेश की हिफाजत के लिये, उसकी तरक्की के लिये अगर आप कहते हैं तो २/३ के बांड की बात जो कही गयी है, उसको, छोड़िये किसान अपना खून भी देने के लिये तैयार है। २/३ ही नहीं, अगर वाकई आप यह साबित करें कि किसान को संकट में इसलिये डाला जा रहा है कि इससे देश और प्रदेश की तरक्की होगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसान अपना पूरा गन्ना दे देगा। लेकिन किसान यह देख रहा है कि उसकी तो जेब कट रही है, किसान तो लुट रहा है, और सरकार की जेब में क्या जा रहा है? जरा गौर कीजिये। अभी ठाकुर फूलसिंह जी ने बतलाया, इधर हम, बीच में जमुना, उधर पंजाब में बिलकुल बोर्डर पर रहने वाला है। श्रीमन्, गुड़ गया २६ के भाव और वहां जाकर जमुना कूदकर हमारा गुड़ ६०, ६५ के भाव बिका। गुड़ हमने पैदा किया, शक्कर हमने पैदा की और गन्ना हमने पैदा किया, उसका फायदा अगर हमको पहुंचता तो संतोष होता। उसका फायदा अगर सरकार को पहुंचता तो हम को कम से कम यह यकीन होता कि हमारे पास पैसा नहीं आया सरकार के पास गया और सरकार के खजाने में जाकर यह किसी न किसी जनहित के काम में लगेगा। लेकिन हुआ क्या? ३ रुपये इधर के दरोगा ने लिये, ३ रुपये उधर के दरोगा ने लिये और २ रुपया घाट की उतराई में पार करने में लगे और २०,२२ रुपये उस आदमी की जेब में पहुंच गये जिसने कोई मेहनत नहीं की। मिनटों में उसने २०, २२ रुपये फी मन कमा लिया। मैं पूछता हूं कि उस समय आपका डी० आई० आर० कहां गया? मैं कल नेगी जी से मिला था और मैंने उनसे साफ कहा कि नेगी साहब, यह आपका डी० आई० आर० किसके लिये है? सप्लाई आफिसर, हाकिम परगना और हमारी पुलिस आज इस से मालामाल हो रही है। मेरे जिले में जितने परमिट दिये गये, जितने लाइसेंसदारों को लाइसेंस दिये गये उनको ५०० रुपया लेकर दिये गये। फी लाइसेंस ५०० रुपया लिया गया। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी लाइसेंस बगैर ५०० रुपये लिये हुये नहीं दिया गया। अगर एक भी लाइसेंस बिना ५०० रुपये लिये दिया गया हो तो मैं यह हाउस छोड़ने के लिये तैयार हूं। मुजफ्फरनगर में सप्लाई आफिसर कोटा देने के लिये आज सड़क पर खुले आम रिश्वत मांगता है और वह खुले आम रिश्वत लेता है। यह बात इतनी साफ है कि जिले का कोई भी एम०एल०ए० और कोई भी एम०एल०सी० इस बात को जानता है। जिले के अन्दर कोटे के लिये रिश्वत लेना एक आम बात हो गई है। उचित यह था कि उनको सजा दी जाती लेकिन इस दिशा में आपका डी० आई० आर० खामोश है।

मैं देखता हूं कि आपने गन्ने की कीमत के लिये २ रुपये का ऐलान किया है। ढाई, तीन रुपये की बात आगे चलकर की जायगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि २ रुपये आपने चीनी के लिये गन्ने का दाम मुकर्रर किया लेकिन यह नहीं कहा कि यह परमानेन्ट है। आप कहते हैं कि यह अनिश्चित काल तक के लिये है। न मालूम आप इसको कब बन्द कर दें। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वह इस बात का ऐलान करे कि २ रुपये गन्ने का दाम परमानेन्ट है कम से कम इस सीजन के अन्दर। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। आज यह चीनी का विकट मसला है। ठाकुर साहब ने कहा कि जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उनको ज्यादा चीनी मिलेगी और जिनकी तनख्वाह कम है उनको कम चीनी मिलेगी।

[श्री विजयपालसिंह]

में निवेदन करूंगा कि जिसकी तनख्वाह ज्यादा है वह तो ब्लैक मारकेट से भी उसको खरीद सकता है। उनके लिये चीनी देना बिलकुल बन्द कर दिया जाय। जिनकी तनख्वाह कम है, जिनको आप २५,३० रुपया तनख्वाह देते हैं उनके लिये आज चीनी का कोटा दुगना और तिगुना होना चाहिये। आज गांव के अन्दर भी चीनी के लिये बड़ी भारी दिक्कत है। मेरे गांव की मर्दुमशुमारी ४ हजार है और एक महीने में जो चीनी देते हैं वह एक बोरी मिलती है। पता नहीं हम उसका क्या करें? होता भी क्या है? वह गरीब आदमियों को खाने के लिये नहीं मिलती है। एक बोरी केवल दी जाती है वह किसी को भी नहीं मिलती है। प्रधान, पंच और सरपंच में वह बोरी बांट दी जाती है। बस झगड़ा खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं कि कम से कम मर्दुमशुमारी के हिसाब से आप कोटा दें। उसके हिसाब से हर गांव में चीनी जानी चाहिये। उसमें यह तय करना चाहिये कि चीनी लेने के लिये किसी खानदान का अगर एक भी आदमी आता है तो उसको चीनी मिलनी चाहिये। अगर किसी खानदान में ४ आदमी हैं तो क्या वे चारों आदमी चीनी लेने के लिये जायेंगे? मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर १० आदमी में से एक आदमी भी चीनी लेने जाता है तो उसको चीनी मिलनी चाहिये। आप इसके लिये हर जिले के जिलाधीश को नोटिस दें कि वह चीनी उसको मिलनी चाहिये। एक भारी समस्या का संकट मैं यह देखता हूं। मेरे क्षेत्र में आज कोई इस का पता नहीं है कि कोई नक्शा है। न नक्शा है और न कोई मैप है, लेकिन फिर भी उसको रिजर्व एरिया कहा जाता है। सकौती मिल मेरे क्षेत्र से ३० मील दूर है। मेरे क्षेत्र के लोग हलफ से कह सकते हैं कि उन्होंने सकौती मिल नहीं देखी और न सकौती मिल में वह कभी गये। उनको सकौती मिल के मालिक का नाम भी पता नहीं, लेकिन मालूम नहीं कांटा कहां से उठकर वहां आ गया। कांटा उठ कर वहां चला आया और हमारे क्षेत्र में उसको गाड़ दिया गया। बाबा, हमने तुम को गन्ना कभी नहीं दिया, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन उसने कहा कि हो गया वह रिजर्व एरिया मिल का। अब मालूम नहीं कि रिजर्व एरिया है कितना अभी पिछले हफ्ते जो आदेश हुआ उसके अनुसार रिजर्व एरिया ८ मील आगे बढ़ गया, लेकिन उस से भी १५ मील आगे मेरे गांव तक आ जायगा, यह पता नहीं था। जब मैं वहां गया तो लोगों ने बतलाया कि इंस्पेक्टर आये थे, क्रशर बन्द करने को कह गये हैं। खबर लगा कर मैं उनसे मिला और पूछा कि बतलाओ भाई, कहां तक तुम्हारा रिजर्व एरिया आता है तो कहने लगे कि मुझे खबर नहीं थी कि आप यहां पर हैं मैंने कहा कि तब तो तुमने सारा मामला ही तय कर दिया, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, अगर ऐसा ही है तो जहां हम चले जायेंगे वहीं रिजर्व एरिया नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपके इंस्पेक्टर लूट मचा रहे हैं। रिजर्व एरिया हो या न हो, उनको अपनी वसूली से मतलब है इसे आप रोकिये। आप इस पर भी गौर करिये कि किसान आपको गन्ना जरूर देगा, लेकिन हाल यह है कि आप गन्ने के पीछे दौड़ रहे हैं और गन्ना आप से भाग रहा है। उसकी पैदावार गिर रही है। आपने क्या कोई नई वैराइटी पैदा की है? वही पुरानी वैराइटी चली आ रही है। आपका रिजर्व एरिया बढ़ता जा रहा है। तो आपको सोच समझकर काम करना चाहिये। केवल एरिया बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा। इससे तो अच्छा यह होगा कि आप किसान को खाद, पानी, बीज अच्छा दें और थोड़े एरिया में ज्यादा पैदावार करायें। इस से काफी फायदा हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार के किसानों के साथ विश्वासघात न करें जिससे उनके साथ अन्याय हो।

(श्री हेतराम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)—

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मैंने सभी अखबारों में पढ़ा कि कल नरसिंह नारायण जी ने जो बहीखाता पेश किया था और बार-बार कहा था कि एक मिनिस्टर करप्ट है, वह बात

उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में छप गई है। चूंकि मंत्रिमंडल की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है और मुझे ऐसा भान हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के करप्ट मिनिस्टर यहां बैठे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का सवाल नह है।

श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक हफ्ते से ज्यादा लखनऊ में आने का अरसा हुआ और इस बीच में मैंने बड़ी शिकायत सुनी कि किसानों को लूटा जा रहा है, किसान आज मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि जहां किसान लूटा जाता है, पीटा जाता है, मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों में से किसी सदस्य ने भी उसका बयान यहां सदन में नहीं किया है।

आज हर आदमी अपनी अपनी ताक में लगा हुआ है, सरकार अपनी ताक में है शुगर क्रशर वाले अपनी ताक में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कितनी ही मिलें ऐसी हैं जिनके घर में गन्ना पैदा होता है। हर एम० एल० ए० आज कहता है कि वह किसान है आज किसान लूटा जा रहा है ..

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी वक्ता महोदय ने कहा कि हर एम० एल० ए० कहता है कि वह किसान है। क्या यह संसदीय है ?

श्री उपाध्यक्ष —

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री हेतरामसिंह —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि यहां पर तीन चौथाई विधायक देहात से आते हैं और काश्तकारी के काम को देखते हैं। उनका मिलों में गन्ना भी जाता है। मैं बिलारी, अमरोहा और रामपुर की गन्ना मिलों का जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर काश्तकार की २० मन गन्ने की गाड़ी १५–१२ या १६ मन में तोल ली जाती है। किसी सज्जन ने अभी तक यह नहीं कहा कि इस तरह से किसान लूटा जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि २ रुपये मन गन्ने का दाम कम नहीं है अगर उसका गन्ना सही तरीके से तोल कर लिया जाय। आज क्रशर वाले तो डेढ रुपये मन के भाव से गन्ना ले रहे हैं। (व्यवधान) यह भी हो सकता है कि आगे चल कर गन्ना एक डेढ रुपये मन के भाव तक बिके। आपने मिल एरिया के अलावा एक बटा तीन फ्री एरिया घोषित किया है। न सरकार ने कभी उसका गन्ना खरीदा, न वह खरीद सकती है और न ही आपने उनको कोई कर्जा आदि दिया। न आपने उनको सब्सीडी दी। आज आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक ही प्रधान मंत्री के राज्य में दिल्ली में गुड़ ४५ रुपये मन बिक रहा है और उसी के पास चंदौसी में २१ रुपये मन बिके। जब हमारा एक ही प्रधान मंत्री है तो सारे भारत में गुड़ का भाव भी एक ही होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि एक जगह गुड़ का भाव कुछ हो तथा उसी के पास उसका भाव कुछ और हो। हमारे दोस्त कहेंगे और वह नाराज हो जायेंगे कि इसने ऐसी बात कह दी। मैं यह सही अर्ज कर रहा हूं कि किसान उस वक्त खतरे में नहीं था जब आपने क्रशर लाइसेन्स देना बन्द कर दिया था। वह उस वक्त खतरे में नहीं था जब आपने लाइसेन्स देने पर पाबन्दी लगा रखी थी। लेकिन उस वक्त उसके लिये खतरा हो गया जब आपने उसको लाइसेन्स देना शुरू कर दिया। आपके लाइसेन्स देने के वक्त से ही उसके लिये खतरा पैदा हो गया। जब क्रशर का लाइसेन्स दे दिया तो फिर डी० आई० आर० की बात आ गयी। जो हम फ्री एरिया के रहने वाले काश्तकार हैं उनका गुड़ आज १५ रुपये मन पर भी नहीं बिक रहा है लेकिन यह किसी ने सरकार से नहीं बताया। सरकार से

[श्री हेतराम सिंह]

मेरा निवेदन है कि उनके लिये डी० आई० आर० को खत्म किया जाय और उनको की गुड़ जहां वे चाहें बेचने दिया जाय । यह नहीं कि ५० आदमी जिनको गुड़ का माहसेर खरीदने को दे दिया गया है उन्हीं को बेचना हो, उससे किसानों को दाम कम मिलता है । जहां उनकी मर्जी हो वहां ही गुड़ वह बेचें ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि एक शुगर मिल बेलारी में है । इसमें २० सेन्टर्स हैं । इसके दूने यानी ५६ सौ मन गन्ना रोजाना काश्तकार का बेईमानी से मिलों में चला जा रहा है । मैंने गृहमंत्री जी से कहा । उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिये से छापा मारकर उन सेन्टरों का गन्ना पकड़वायेंगे । मैंने किसानों से कहा कि गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है । लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला । आज भी बेलारी में, अमरोहा में और रामपुर की मिलों में लूट हो रही है ।

मैं एक बात और निवेदन करूं । जब से सरकार ने यह २ बटा ३ गन्नेवाली बात कही है तब से क्या गड़बड़ हो रही है । मेरे पास एक पैम्फलेट बरेली शुगर मिल का है । उसमें लिखा है कि बीमारशुदा गन्ना नहीं लिया जायगा । कौन गन्ना का डाक्टर होगा जो यह देखेगा कि कौन सा गन्ना अच्छा है और कौन सा बीमार है ? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, किसान के नाम पर कहना सब को आता है लेकिन सब अपनी अपनी बातें करते हैं । किसने किसान की बात बतलाई है अब तक ? बेईमानी से किसानों का गन्ना रोजाना तौला जाता है । सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं है । किसी एम० एल० ए०, एम० एल० सी० को पावर नहीं है कि वह कांटे की जांच कर सके । पुलिस के आदमी उसकी चेकिंग नहीं कर सकते । कौन चेकिंग कर सकता है ? आर० सी० ओ० के पास दरख्वास्त हो तो वह चेकिंग इंस्पेक्टर को तैनात करेंगे और उससे कहेंगे कि तुम बेलारी के इंस्पेक्टर बनाये जाते हो । अब वह वहां अपना सौदा पटाता है, वह सौ पचास रुपया रोज अपना बनाता है । यह भ्रष्टाचार किस तरकीब से खत्म होगा ? बेलारी मिल के हर सेन्टर पर २००, २५० और ३०० मन रोज ज्यादा गन्ना तौल कर बिक रहा है और किसान की हड्डी सूख रही है । उपाध्यक्ष महोदय, रेट २ रुपया कुछ कम नहीं है । आज सब अपनी अपनी बातों में लग रहे हैं और यह भरपट प्लांट वाले दो रुपये मन भी नहीं देते । कहीं १ रुपये, सवा रुपये, डेढ़ रुपये और पौने दो रुपये मन से ज्यादा तो कोई नहीं दे रहा है । तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस गन्ने की तौल का उचित प्रबन्ध किया जाय । अगर सरकार चाहती है कि किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करें तो उन मिलों पर जहां गन्ना ज्यादा जा रहा है वहां उनकी तौल को देखिये । बेलारी मिल मालिक चौबीस घंटे तौल लगाते हैं । ११ बजे रात को नींद काश्तकार को आ जाती है । दिन भर उसकी बैलगाड़ी खड़ी रहती है उसके बैल जाड़े में खड़े रहते हैं हालांकि नियम है कि वहां टिन शेड होना चाहिये, लेकिन बेलारी मिल में कोई पूछनेवाला नहीं है, काश्तकार से कि क्या उनकी मुसीबत है । किसानों से कहा जाता है कि तुम अपना गन्ना तौल कर चेन में डालो । यह कहां का कानून है ? कभी उसी गाड़ी का गन्ना १६ मन होता है तो कभी १५ मन और कभी १२ मन । यह क्या बात है ? मेरा सरकार से और आप सज्जनों से यह निवेदन है कि अगर सरकार किसानों का भला चाहती है तो ठीक तौल का इन्तजाम कराये । अभी कहा गया कि गांव वाले चीनी खाते हैं । वे चीनी कहां खाते हैं ? वे तो शीरा से जिन्दा रहते हैं । सारनाथ में एक मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया कि गांव वाले चीनी नहीं खाते, शीरा खाते हैं । मैं शहर वाले चीनी खाने वालों से कहूंगा कि आपने गन्ने का दाम २ रुपया मन कर दिया है वह तो ठीक ही है, लेकिन चीनी का दाम जो पौने चार रुपया बढ़ा दिया गया है वह उचित नहीं है । वह नहीं बढ़ना चाहिये ।

श्री रामवरण शाह (जिला खीरी)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकारी नीति के बारे में आदरणीय साथियों ने बहुत सी बातें बतायीं । अब मैं एक नयी बात बताना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में १० साल

से कांटा लगा हुआ था, लेकिन इस साल से सरकार कांटा नहीं लगा रही है। इसका कारण यही है कि सरकारी वर्ग मिलमालिकों का चाकर बना हुआ है। अगर वह किसानों की बात सोचता तो यकतर्फा डिग्री न करता। सन् १९५२-५३ में लखीमपुर जिले में बिलरायां से गन्ना गोला मिल के गेट पर पहुंचाया जाता था, लेकिन भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने सन् १९५७ में बिलरायां सेंटर पर एक कांटा लगवा दिया और वह ६ साल बराबर लगा रहा। पिछले वर्ष जुन्नुल रेन साहब, केन कमिश्नर साहब ने कहा कि वहां कांटा कतई नहीं लगेगा। सरकार की ऐसी पालिसी है। उन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटी से कहा कि जब तक यह लिखकर नहीं दोगे कि हम गन्ना अगले साल नहीं बोयेंगे तब तक तुम्हारा गन्ना नहीं लिया जायगा। सोसाइटी से जबर्दस्ती लिखा लिया गया और उसी बिना पर इस वर्ष कह दिया कि कांटा नहीं लगायेंगे। इसका कारण यह था कि गोला मिल के मिल मालिक नहीं चाहते थे कि बिलारायां में कांटा लगे। उनका कहना है कि वह सेंटर ६० मील दूर है। वहां का गन्ना रास्ते में चोरी चला जाता है। बख्शी का तालाब से गन्ना हरगांव मिल में जाता है और वह वहां से ६२ मील दूर है। इसी तरह से अन्य स्थान भी हैं जो इतनी ही दूरी पर हैं। हमारे अधिकारियों के दिमाग में यह बात है कि मिल मालिकों को खुश रखा जाय पर किसानों को जिन बातों से फायदा हो उन पर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पर पलिया में जहां पर सारे भारत में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है और उससे बड़ा गन्ने का कोई सेन्टर भारत में नहीं है। वहां पर १६ लाख रुपया किसानों ने जमा किया, लेकिन नेवटिया के दलालों ने मिलकर उन किसानों को रुपया वापिस करा दिया और मिल न खुलने देने का कारण यही है कि अगर वहां मिल खुल जाती तो जो धन नेवतिया साहब को मिलता उसमें कमी आती, लेकिन वे किसान कब तक रुके रहेंगे। इस स्थान के आसपास जहां पर गन्ना ही पैदा होता है वहां तराई क्षेत्र है और उसका बार्डर नेपाल से मिलता है। अगर वहां के रहने वालों की आर्थिक दशा ठीक न होगी तो उनमें असन्तोष फैलेगा। उस क्षेत्र में अभी इन्दिरा जी गयी थीं, आश्वासन दिया और श्री संजीवइया जी भी उस क्षेत्र में गये थे उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो भी व्यवस्था संभव होगी की जायगी। हमने उनको और मुख्य मंत्री को भी पत्र लिखे, परन्तु उस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब सरकार इस ओर विचार कर रही है। अभी मुख्य मंत्री जी ने, जो लखीमपुर गयीं थी एक डी० ओ० लिखकर भिजवाया है। आशा है सेन्टर खुलने पर जो उससे मिला हुआ क्षेत्र है उसके लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। यदि ऐसा न हुआ तो ये कभी भी आपके साथ अच्छा रूप प्रकट नहीं कर सकेंगे। जो अधिकारीवर्ग है वे नेवटिया की चापलूसी के कारण वहां पर अपना सेन्टर खोलना नहीं चाहते हैं।

जितना भी उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है उस तराई क्षेत्र में गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है। अगर इस गन्ने को मिल में भेज दिया जाय या कोई कारखाने सहकारिता के आधार पर खोल दिये जायं तो वहां की गन्ने की पैदावार और बढ़ सकती है। इस समय पूरे वर्ल्ड में शुगर की बहुत बड़ी कमी आ गयी है। इसलिये भारत में जो रेट गन्ने का फिक्स किया गया है उसमें भी अन्तर आ गया है। आज देश में गन्ने की जरूरत है और प्रयास यह होना चाहिये कि गन्ने की पैदावार बढ़े, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय, परन्तु हमारी सरकारी मशीनरी आज पिछड़े हुये क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देश में शुगर की पैदावार बढ़ाने के लिये तीन बातों की जरूरत है। एक तो यह कि किसानों का जो गन्ना बोया जाता है उस की नीति को सेट किया जाय पिछले २ सालों में १९६०-६१में मिलें जुलाई तक चलीं और १ रुपया ३ आने मन तक गन्ना लिया गया, जब कि १ रुपया १० आना मन गन्ने का भाव था। यह पोजीशन आज किसानों की है। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से रेट फिक्स किया जाय पूरे सीजन के लिये, जबतक कि गन्ना खत्म न हो जाय।

[श्री रामचरण शाह]

दूसरे हमारा जितना तराई का क्षेत्र है। जहां कोई फसल नहीं होती है और हर साल बाढ़ आती है वहां पर गन्ने की पैदावार को बढ़ाया जाय, और तीसरी बात यह है कि गुड पर जो पाबन्दी लगाई गई है उसको खत्म किया जाय। जो छोटे छोटे किसान हैं वह गुड़ बेचकर पैसा कमाते हैं इसलिये उन का परमिट सिस्टम बन्द किया जाय। यह बहुत जरूरी है कि गुड़ पर से हर प्रकार का प्रतिबन्ध हटाया जाय। जब आप गुड़ और खांडसारी के व्यापार को प्रोत्साहन देंगे तभी अन्य क्षेत्रों को गन्ना प्राप्त हो सकेगा और तभी चीनी मिलों के योग्य जो गन्ना होगा वह मिलों को मिल सकेगा। अतः मेरी अंत में यही प्रार्थना है कि आप सरकार पर प्रभाव डालें कि इन बातों को मानकर प्रदेश में जो गल्ले का प्रतिबन्ध है और जो कंट्रोल है उसको हटाकर ठीक से इस व्यापार को चलाया जाय। आज बिलर यां क्षेत्र के गल्ले के काश्तकार परेशान हैं। वहां पर शक्कर नहीं है। एक है, वह भी ठीक से नहीं चल रहा है, वहां पर २–३ लाख मन गन्ना पड़ा हुआ है उस से काफी शकर पैदा हो सकती है।

श्री जे० पी० मिश्र---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें मैं आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सवाल सब से बड़ा यह है कि १५ लाख टन चीनी पैदा करने के लिये यू० पी० की मिलों को किस मास तक चलाना होगा? इस के सबूत में मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं कि ३१ जुलाई से पहले आप मिलों को बन्द नहीं कर सकते। ३१ जुलाई तक आप को निश्चित रूपसे १५ लाख टन चीनी पैदा करने के लिये अपनी मिलों को चलाना होगा। मैं दलील के साथ आप के सामने साबित करना चाहता हूं कि इस में बिलकुल फर्क नहीं होगा। यू० पी० की मिल्स की टोटल मिलिंग कैपेसिटी १२ लाख टन है और जो शकर यू० पी० में अधिक से अधिक पैदा की गई है वह १४ लाख टन है और उस साल के वर्किंग डेज १७६ हैं। जिस साल यह १४ लाख टन चीनी पैदा हुई है, यह मिलें जून तक चली हैं और एक लाख टन की पैदावार चीनी की और बढ़ाने के लिये आपको जुलाई पूरा शामिल करना होगा। ३१ जुलाई तक इस तरह से यह टारगेट पूरा होगा वर्ना आप नहीं कर सकेंगे।

श्री राममूर्ति---

यह फिगर आपके किस साल के हैं?

श्री जे० पी० मिश्र----

यह सन् १९६० की फिगर हैं। २ रुपये प्रति मन का जो रेट है वह जुलाई तक नहीं रहेगा। जहां तक रिकवरी का प्रश्न है, मुझे बड़ा अफसोस है कि अब रिकवरी साढ़े दस से साढ़े ९ पर आ गई। करोड़ों रुपये सरकार ने अपनी इन तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर खर्च किये। आप उसके लिये फर्टिलाइजर का इंतजाम करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं, लेकिन रिकवरी घटती जाती है। शकर मिल में नहीं होती, वह गन्ने में होती है, खेत में पैदा होती है। अगर जब आप यह सब सुविधायें दे रहे हैं और रुपया भी खर्च कर रहे हैं तो रिकवरी के घटने का कारण क्या है यह बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस को जरा साफ कर दें। सब तरह के नियोजन के बावजूद आप खेत में चीनी नहीं बढ़ा पाये और मिल्स की रिकवरी के ऊपर ही आप निर्भर करते हैं। अपने इंस्पेक्टर के अनालेसिस पर ही आप निर्भर करते हैं। मुझे तो शुबा होता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना आप का नियोजन हुआ है, जो पानी और फर्टिलाइजर का इंतजाम हुआ है उसके बेसिस पर रिकवरी बढ़ना चाहिये। मुझे इसमें मिलों और अनालेसिस करने वालों की सांठगांठ मालूम होती है। अगर मैं गलत कहता होऊं तो आप में से कुछ लोग इस को समझते होंगे, लेकिन किसी भी मैं कहता हूं कि इस में कुछ भेद है और वह भेद यह है कि मिलमालिकों के पास इन ड्यूस करने के बहुत तरीके हैं। यह बहुत बड़ा जाल है और यह एक रैकेट है। आप ७२ मिलों के आंकड़ों को एक तरफ से

टेलीफोन से पूछ लीजिये ,आप कोई तालिका नहीं बना सकते। फैक्टरीज सरकार की तरफ से नियंत्रित हैं गवर्नमेंट का विभाग है फिर भी वह सब कुछ करती है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि गुड़ का कन्जम्पशन सन् १९५२–५३ में १७.९१ था और १९६०–६१ में १५.८ और शकर का कन्जम्पशन १९५२–५३ में था १०.०४ और १९६०–६१ में वह था १२.९५। इस तरह से शकर का कन्जम्पशन तो बढ़ा और गुड़ का कन्जम्पन घटा है। आप शकर से फारेन एक्सचेंज कमाना चा ते हैं, यह बहुत बड़ी चीज है। इस सदन में माननीय मंत्री जी ने ऐलान किया था कि हम फारेन एक्सचेंज कमाना चाहते हैं और सफेद क्रिस्टल शकर को हम बाहर भेजना चाहते हैं। दहात के किसान शकर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वह तो परिश्रम करने के बाद पाव आधा पाव गुड़ या शीरे का शर्बत पीकर अपने को ताजा करते हैं। उस के पानी पीने का साधन गुड़ है। उसका कन्जम्पशन तो घटा है। मेरा कहना है कि फारेन एक्सचेंज तो आप कमायें, लेकिन वह कैसे कमायें? आदमी मीठा तो खायेगा ही, अगर गुड़ मिलेगा तो वह खायेगा नहीं तो उसको चीनी ही खाना पड़ेगा और नहीं मिलेगी तो वह ब्लैकमार्केटिंग से खरीदेगा। मेडिकल आफ़िसर ने क्या बतलाया है? गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया में बैठे यह जो प्लानिंग वाले हैं उन्होंने बता दिया कि चीनी बाहर भेज कर फारेन एक्सचेंज कमा लिया जाय।

तीसरे यह दस मील की जो सीमा मुकर्रर की गई है, अगर ७२ मिलों का हिसाब लगाया जाय तो यह साढ़े ४ लाख वर्ग मील का रिजर्व क्षेत्र उनका हो जाता है। मैं तो हिसाब नहीं लगा सकता कि वह कितने एकड़ हो जायगा, मंत्री जी ही इसका हिसाब लगाकर बता देंगे और अगर एक एकड़ में ३०० मन गन्ना होता है तो उस रिजर्व क्षेत्र में कितने मन गन्ना कुल हो जायगा। बड़ी बदकिस्मती है और भगवान मालिक है काश्तकार का जिसको दो-तिहाई गन्ना देना होगा और जिस का गन्ना जुलाई तक भी पिरना कठिन है। २ रुपया मन की क्या बात है, वह डेढ़ रुपया मन ही होगा। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद है कि वह २ रुपए केन्द्र से करा लाईं और मैं यही कहूंगा कि "खूब लड़ी मर्दानी, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्राणी, नाम है सुचेता कृपलानी," लेकिन मेरा विचार है कि बगैर ढाई रुपया प्रतिमन का रेट दिलाये यहां का किसान जिन्दा नहीं रहेगा। मैं अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सरकार का बड़ा समर्थक हूं और सरकार की नीतियों का समर्थन करता हूं, लेकिन उस की गन्ने की नीति का मैं समर्थन नहीं करता।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष जो आज गन्ने के प्रश्न को लेकर यहां बहस हो रही है उस से कम से कम मैं यह समझता हूं कि आज वह किसान जो गन्ना पैदा करता है उस के हितों की रक्षा नहीं हो रही है। प्रश्न यह है, जैसा कि अभी माननीय मिश्र जी ने आप के सामने इशारा किया, उस इशारे का भी हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनसे सम्बन्ध है। जो कुछ उन की नीति है उसे वही जानते हैं और वही खुलासा करेंगे। स्थिति वास्तव में यह है कि गन्ने का प्रोडक्शन बढ़े, जैसा कि सभी लोग मानते हैं कि गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा और हमारी मिलों में चीनी पैदा हुई लेकिन स्केयरसिटी दिखाई गयी। इसी कारण से जो उद्योगपति, मजदूर व किसान और सरकार के बीच में बैठे हैं वे लोग चीनी को आज ढाई रुपये सेर हजरतगंज में बेच रहे हैं। तो यह चीनी कहां से आती है? आप कहते हैं कि हमारे प्रदेश में चीनी की स्केयरसिटी है। एक तरफ आप स्केयरसिटी शो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चाहें तो ३० बोरी मंत्री जी के यहां पहुंचाई जा सकती हैं। वास्तविकता यह है कि जो वास्तविक प्रोडक्शन होता है उसको मिलें पूरा नहीं दिखातीं, जो एक्सेस होता है उसको बचा कर मिल ब्लेक में बेचती है। एक ही मिल में इस तरह से दो तरह की चीनी का उत्पादन होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार

[श्री भगवानदास माहौर]

और उसके अधिकारी मिल वालों के साथ मिले जुले हैं। उसका उदाहरण यह है कि दीपावली के त्योहार पर हमारे क्षेत्र में १ हजार बोरियां चीनी की लाई गयीं और १ हजार बोरियों में से ५०० बोरियां ऐसी थीं जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के यहां के परमिटों के जरिये आईं और ५०० बोरियां ऐसी थीं जो जखीरेबाजी के पास अलग थीं। उन्होंने कहा कि आज दीवाली के दिन चीनी नहीं बटेगी। शहर के गरीब मजदूर समाज के लोग जिनको पूरे साल में मीठी चीज खाने को नहीं मिलती वह इस तरह के त्योहार में अपने बच्चों के साथ पहुंचे, लेकिन चीनी नहीं दी गयी। इस पर २०० आदमियों का जत्था तहसीलदार के यहां खड़ा हो गया। पूछा तो पता चला कि छोटे छोटे डीलर हैं उनको स्टाकिस्ट चीनी होते हुये भी चीनी नहीं दे रहे हैं। नियम इस तरह का है कि जिला सप्लाई आफिसर पहले उसका रेट फिक्स करेंगे और जब रेट फिक्स हो जायगा उसके बाद में छोटे छोटे डीलर को वह चीनी देंगे। मैंने कहा कि इस तरह का नियम है, कल इतवार है और सोमवार की दीवाली है। इसका मतलब यह है कि जो १०० बोरी जखीरेबाजों के पास थीं उसको ३ रुपये किलो बेचा जा सकता है। मैंने जिलाधीश से टेलीफोन पर कहा कि डी० आई० आर० का इस्तेमाल होना चाहिये। जो लोग चीनी स्टाकिस्ट हैं उनको डी० आई० आर० में बन्द कीजिये, क्योंकि चीनी होते हुये भी मूल्य निर्धारित कराने का बहाना लेकर जनता को वह चीनी नहीं देना चाहते।

एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों से गन्ना लेने का तो एक निश्चित रेट है, लेकिन जो उपभोक्ता हैं उनको चीनी मिलने का रेट निश्चित नहीं। १२३ नये पैसे और कभी १२६ नये पैसे में डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है। इस पालिसी से मिल ओनर्स का मुनाफा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और इधर दिन प्रति दिन जो उपभोक्ता की आमदनी है उसके जीविकोपार्जन में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आज जन साधारण की यह स्थिति है। आगरा नगर जहां पर दो दो मंत्री हों, एक कैबिनेट मिनिस्टर हो और दूसरा होम में डिप्टी मिनिस्टर हो उनके होते हुए राजस्थान में आगरा से सैकड़ों मन गुड़ रोज निकल जाता है और प्रत्येक ट्रक पर रिश्वत खुलेआम दी जाती है और अगर २२ रुपये मन खरीदा जाता था तो ५० रुपये बेचा जाता था। इस प्रकार एक मोटर गुड़ पर लगभग ८ हजार रुपये का ब्लैक होता है। इसपर राज्य सरकार को शीघ्र कोई कदम उठाना चाहिये। एक आध केस पकड़ा भी गया तो कहा गया कि यह बटेश्वर के मेले में जा रहा था। अध्यक्ष कांग्रेसी हैं इस लिये उन्होंने भी कह दिया कि हां, वहीं जा रहा था। हमारी सरकार चीनी और गुड़ की समस्या में फेल हुई है बुरी तरह से। मंत्री जी का यह मारल कर्तव्य है और उन्हें परम्परा कायम करनी चाहिये, जैसी कि सेन्टर में हमारे माननीय शास्त्री जी, रेल मंत्री ने एक ऐक्सीडेंट होने के बाद इस्तीफा दे कर कायम की थी। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं, लेकिन मैं आप को भारतवर्ष के एक मंत्री की मिसाल दे रहा हूं। लेकिन यहां गर्मी देखते हैं। उन्हें इस बात पर जरा भी शर्म नहीं आती कि प्रदेश के करोड़ों किसान यह कहते हैं कि सरकार चीनी की समस्या का समाधान नहीं कर पायी। मंत्री लोग सौ, दो सौ आदमियों की दावतें करते हैं, मुख्य मंत्री जी के सम्मान में जो दावतें दी जाती हैं उनमें भी ब्लैक की चीनी का इस्तेमाल होता है और मंत्री लोग बड़ी शान से वह चाय पीते हैं। यह चीनी की समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक मंत्री लोग यह तय नहीं कर लेंगे कि वे कोई मीठी चीज नहीं खायेंगे। कुछ लोग मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे जिले में एक एक आदमी ढाई ढाई सेर गुड़ और एक एक सेर बूरा खा लेता है और मैं उन माननीय सदस्यों से अब भी ज्यादा खा लूंगा। लेकिन फिर भी मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं ब्लैक की चीनी इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं अपने घर पर चाय बना कर नहीं पीता हूं, कहीं चला जाऊं तो शायद पी लूं। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी, कम से कम गुड़ और शक्कर के मंत्री यहां इस बात की घोषणा करें कि जब तक वे इस समस्या का हल नहीं कर देंगे तब तक वे चीनी का उपभोग नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त।

*श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रस्तुत विवाद पर मैं कोई ज्यादा जानकारी नहीं रखता, न गन्ने का एरिया मेरे यहां है, पर उसूलन एक बात मेरे दिल को खटकी। वह यह कि सन् ३१ से लेकर जिस कांग्रेस ने कुटीर उद्योगों को पनपाने और समाजवादी व्यवस्था को लाने का अपना ध्येय मान कर आगे कदम बढ़ाया था और जिन लक्ष्यों को अपना कर स्वराज्य हासिल हुआ और उसके बाद जिन लक्ष्यों को लेकर गरीबी मिटाने का इरादा कांग्रेस ने किया, मेरी समझ में नहीं आता कि आजादी प्राप्ति के बाद वही सिद्धांत और वही नियम आज क्यों हमारी कांग्रेस सरकार भुलाने जा रही है। खांडसारी और गुड़ बनाना कुटीर उद्योग है। उसको मिटा कर हम कैसे किसान को खुशहाल बना सकते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मुझे भी आश्चर्य हुआ जब उस किसान पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है जो हमेशा देश की रीढ़ रहा है, जिस पर देश का भविष्य कायम है, जिसके परिश्रम और बल बूते पर कितने ही निकम्मे लोग अपनी तिजोरियां भरते हैं, तिमंजिले मकान खड़े करते हैं, अपना ऐश का तमाम सामान इकट्ठा करते हैं। हम किसान को भूलते जा रहे हैं।

श्रीमन्, मुझे याद आती है उस समय की जब हैजा या प्लेग फैलता है तो दवाओं के स्टाकिस्ट के ऊपर हम प्रतिबन्ध नहीं लगा पाते हैं कि तुम अपनी शीशी में से चार बूंद दवा मरते हुये गरीब आदमी के गले में डाल दो। हम गल्ले के व्यापारियों के ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगा पाते हैं जबकि किसान और मजदूर भूखे मरते हैं कि तुम उनको ज्वार और बेझड़ पेट भरने को दे दो सही मूल्य पर। लेकिन आज हम किसान के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं। इमर्जेन्सी पीरियड में जब आपने मांग की तो किसान उबल उठा। मैंने देखा कि मीटिंगों में मैं माननीय धर्मदत्त वैद्य और जयराम वर्मा जी को लेकर गया तो वहां जो पैसे वाले लोग थे वे इसलिये चले आये कि हमको चन्दा देना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता इससे बड़े निराश हुये, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जिन किसानों के बल पर आजादी ली गई है वह पीछे नहीं हटेंगे और इस मीटिंग को सफल बनायेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों ने वैद्य जी और जयराम जी वर्मा की मालायें हजार हजार, दो-दो हजार रुपयों में लीं और भारत माता के चरणों में अर्पित कीं। इसलिये मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि क्यों आज किसानों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।

मैं आप से निवेदन करूं कि चीनी की समस्या के ऊपर हमने जिला अधिकारियों से बातचीत की तो हमें निराश होना पड़ा। इसके बाद हम नेगी साहब की शरण में आये। हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी तथा अन्य एम० एल० एज० थे। हम से मंत्री जी ने कहा कि देहात में अब से ३० प्रतिशत कोटा कर देंगे। इसको सुन कर हम लोग शान्ति से सुन कर लौट गये, लेकिन देखा कि शहर के कोटे की दस परसेंट शकर दी जाने लगी। हालत यह हुई कि परेशानी बहुत बढ़ गई। जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास किया और अधिकारियों से मिले तो उन्होंने बताया कि सरकार का ऐसा खयाल है कि देहात में १०० आदमियों में से केवल दस आदमी शकर का इस्तेमाल करते हैं, यानी १० आदमियों में एक आदमी और हजार आदमियों में १०० आदमी। अब यह सोचिये कि यह कहां का सामाजिक न्याय है? क्या यह समाजवाद की ओर बढ़ना कहा जायगा? यह कितना अन्याय है? यह हमारी सरकार का न्याय है कि पैदा करने में तो किसान आगे रहें और शकर सारी शहरों में दी जाय। शहरों में आज हलवाइयों की और चाय की दूकानें खुली हुई हैं। शहरों में जितना उपयोग चीनी का होता है उतना ही देहात में भी होता है। मुझे अधिकारियों की बात से आश्चर्य हुआ। इसलिये मैंने नेगी जी को लिखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ज्वाला प्रसाद]

कि अगर इसको सरकार मानती है तो खुल कर कहना चाहिये। हमारे जिले की आबादी १५ लाख है और शहर की ९ लाख है फिर भी देहात में केवल १४,०० बोरे शकर दी जाती है। इसके साथ ही चीनी के वितरण में बड़ी परेशानी है। सभापति को वितरण का अधिकार दिया गया है। कुछ सभापतियों ने यह किया कि कुछ लोगों को परची बना दी। उन्होंने कहा कि पचास किलो शकर आती है, आधी-आधी किलो ले लो। उनमें से कुछ तो जाते ही नहीं, कुछ कई व्यक्तियों की परचियां लेकर शकर ले आते हैं। शकर के लिए देहात में त्राहि-त्राहि मची हुई है। चार महीने के बाद होली आने वाली है। हमें उम्मीद नहीं है कि होली में हमारी सरकार पचास प्रतिशत परिवारों को भी आधा किलो शकर बांट पायेगी, क्योंकि जो देते हैं उसमें कुछ बेईमानी हो जाती है और कुछ और गड़बड़ हो जाती है। आप यह कह दें कि इमर्जेंसी है शकर मत खाओ तो हम शकर नहीं खाएंगे। हमारे यहां यह हालत है कि त्यौहार के दिनों हमारे बच्चे जब अपनी मां के सामने जाते हैं तो उनकी मां उनके हाथ पर दो दाने शकर के नहीं रख सकती और दूसरी तरफ चोर बाजार में शकर बिकती है। किसी भी दूकान पर देख लीजिये, मनों मिठाई मिलेगी। चोर बाजार में ठेले पर ठेले शकर मिल सकती है। यह सरकार कतई भी सामाजिक न्याय नहीं कर रही है। न इसको सामाजिक न्याय कहा जा सकता है और न इसको समाजवाद की तरफ बढ़ना कहा जा सकता है।

नेगी जी को और दूसरे मंत्रियों को सलाह देने वाले ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को मिटा देना चाहते हैं। यह ऐसी सलाह देते हैं कि गरीब नाराज हो, किसान नाराज हो, और यह कांग्रेस सरकार पनपने न पाये। कांग्रेस अपनी सरकार न बना पाये। मुझे कोई दुख न होता अगर गरीब और किसान की सरकार बन जाती। नेहरू जी गरीब-गरीब अखबार में चिल्लाते हैं। वह भुवनेश्वर में प्रस्ताव लाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग इस गरीब शब्द को भूल रहे हैं। अगर आप का समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा होता तो बार बार समाजवादी ढंग के उसूल का प्रस्ताव लाने की क्यों कोशिश करते? सरमायादारी के चक्कर में पड़ कर हमारे मंत्रिगण समाजवाद को भूलते जा रहे हैं। हमें दुख न होता अगर हमारी गरीब किसानों की सरकार बन जाती। दुख यह है कि कांग्रेस की जगह लेने वाली कोई पार्टी नहीं है। हमारे जिले में अधिकारियों ने जो दूकानें दी हैं पी० एस० पी० के लोगों को दी हैं और एक-एक आदमी को चार-चार जगह पर दी हैं। एक जगह से कैंसिल किया दूसरी जगह दिया, दूसरी जगह कैंसिल किया तीसरी जगह दिया। अधिकारी कतई सुनने वाले नहीं हैं। किसानों के पास एक दाना शकर पहुंचने वाली नहीं है। होली के समय पर अगर हर किसान को दो तीन किलो शकर मिल जाय तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा।

(श्री रतीपाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष:—

अब साढ़े पांच बज गये हैं। श्री रतीपाल जी, अब आप कल बोलिएगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१३ दिसम्बर, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५८ पर]

११५ ए० दारुलशफा,
लखनऊ।
दिनांक २६-१२-६२।

प्रेषक,

शिव नाथ सिंह,
एम० एल० ए०।

सेवा में,

श्री चकबन्दी आयुक्त महोदय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय

आपके पास श्री देवी प्रसाद, श्री रामगुलाम आदि के प्रार्थना-पत्र श्री रामनाथ, ए० सी० ओ० कुंवरपुर, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर, के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के साथ करीब चार माह से विचाराधीन हैं।

सखेद लिखना पड़ रहा है कि इस प्रकार न्याय पाने के इच्छुक बिना किसी प्रकार का शीघ्र न्याय पाए ही न्यायालय की पेशियों का चक्कर लगाया करते हैं। परिणाम यह होता है कि वे दौड़ धूप से घबड़ा कर अपने न्याय पाने के अधिकार को जानबूझ कर छोड़ देते हैं।

चार माह हुए ए० सी० ओ० कुंवरपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करना तो दूर रहा स्थानान्तरण तक करना मुनासिब नहीं समझा गया। यही नहीं, अधिकारियों ने उक्त शिकायत को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना, ए० सी० ओ० को उन पर अन्याय, आतंक, भ्रष्टाचार मनमाने ढंग से करने की खुली छूट दे दी ताकि भविष्य में पुनः कोई व्यक्ति सामने आकर शिकायत करने का साहस न करे।

निवेदनकर्ता अब आप से न्याय में देर लगाने का तात्पर्य न्याय देने से इन्कार ही समझता है और न्याय की आशा के विपरीत निराश है।

निवेदक अनुभव करता है कि न्याय की मांगें करना ही मेरे लिए अभिशाप का कारण बना। उसे आज की संकट की स्थिति में चकबन्दी अधिकारियों को राजी रखने में ही कल्याण है।

अतः उन अनगिनत मुसीबतों से बचने एवं जीविका के लिये साहसहीन एवं बाध्य होकर भाग्य विधाता चकबन्दी अधिकारियों के समक्ष आत्म-समर्पण करने के लिये विवश है। आज की परिस्थिति में यही उसके लिये अन्तिम रास्ता है।

आपका
शिवनाथसिंह,
सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि :—

१—श्री चन्द्रभानु गुप्ता, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
२—श्री हुकुमसिंह जी, राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ।
३—श्री चकबन्दी आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५८ पर]

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION, VII REGION, GORAKHPUR

Order no. A/ /V-1(3)8/62-63 dated September , 1962.

NOTIFICATION

Recruitment of Head and Assistant Teachers for Government Model Schools

A regional Selection will be held in the office of the undersigned in the month of October, 1962 (exact date and time will be communicated in the letter of notice for inferview to be issued by this office) for the following posts :

(1) Appointment of Head Teachers in the grade of Rs. 75—4—95—E.B.—5—130 (Vacancy—Three).

(2) Appointment as Assistant Teachers in the J.T.C. Grade of Rs. 60—4—80—E. B.—5—120.

(3) Appointment as Assistant Teachers in the grade of Rs. 45—2—55—E. B.—3—80.

(4) Forming a list of approved candidates in order of merit for appointment of such teachers as at 1, 2 and 3 above in future vacancies.

The selected candidates will be made permanent in due course as and when clear vacancies occur.

(*I*) *Qualifications and eligibility* (*Vacancy—three*)*Head Teacher*

1. H. T. C. (including V.T.C. and J.T.C.) Headmasters of District and Municipal Board/Junior High Schools.

2. Assistant Teachers of Board's Junior High Schools and Primary Schools who are trained in the principles of Basic Education or have received refresher course training in Basic Education conducted by the Department.

3. Headmasters of Board's Primary Schools.

4. Headmasters of Government Primary Schools.

5. Permanent Assistant Masters of Government Model Schools and Primary Schools.

Age—The minimum and maximum age limits shall be 30 and 40 years respectively.

6. Preference shall be given to those who hold the High School Examination Certificate or a certificate of Hindi Examination, viz. Sahitya Ratna Certificate, etc.

*II—Teachers in J.T.C. Grade of Rs.*60—120 *Posts Temporary* (*Vacancy*—16)

1. *Minimum qualifications*—High School from Board of High School and Intermediate Education, U. P., Allahabad or equivalent Examination and J.T.C. Examination from Departmental Examination, Uttar Pradesh, Allahabad.

2. *Age*—Minimum 22 and Maximum 32 years on January 1, 1962.

III—Teachers in the grade of Rs. 45—80 *Post permanent* (*Vacancy*—5)

1. *Minimum Qualifications*—H.T.C./V.T.C.

Assistant Masters of local Boards and Primary Schools having Basic Training.

2. The candidates should have put in at least 5 years approved service under the District or Municipal Board.

Age—The lower and upper age limit shall be 30 and 40 years respectively on January 1, 1962.

18% of the above posts shall be reserved for the candidates of Scheduled Castes. The upper age limit of such candidates will be 5 years more than the maximum prescribed for other candidates.

Relaxation to the extent of 4 years in the upper age limit shall be allowed to Political sufferers.

Preference will be given to candidates possessing High School Examination certificates.

Application on the prescribed form (Specimen copy enclosed with attested copi.s of certificates and testimonials, etc. should be submitted to the Deputy Direrector of Education, VII Region, Gorakhpur by October 10, 1962. Delayed and incomplete applications will not be entertained.

Serving applicants must submit their applications through their employers, otherwise they are liable to be disqualified.

These posts pertain to Regional Service and as such only those may apply who wish to serve in the VII Region, Gorakhpur, permanently.

Application form may be had free of cost from the office of District Inspector of Schools, VII Region, Gorakhpur.

(R. R. LAHIRI),
Deputy Director of Education,
VII Region, Gorakhpur.

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६० पर]

ब्लाक का नाम	स्कूल का नाम
१	२
१--कुड़वार	१--बहमरपुर
२--जयसिंहपुर	२--बमोदरपुर
	३--मीरपुर सरैया
	४--बरौसा
	५--बाहुरपुर
	६--अमदेवा
	७--महमूदपुर
	८--मिश्रौली
३--धनपतगंज	९--जूड़ापटी
	१०--पीपरगांव
४--भदैया	११--महेसुआ
	१२--कैमा
	१३--जमुआवा
	१४--रामगढ़
	१५--धनूपुर
	१६--मुलकी
	१७--करौमी
	१८--सरायअचल
	१९--हरनारायनपुर
	२०--परथीपुर
	२१--बभनगवां
	२२--असवाधनीपुर
	२२-ए--भरथीपुर कन्या
५--भेटुआ	२३--पड़रिका
	२४--गोबरधनपुर
	२५--हरीपुर
६--मादर	२६--बरौटा
	२७--उत्तर गांव
	२७-ए--सहजीपुर
७--मुसा फेरखाना	२८--कचनावा
	२९--टिकरा बेजनाथ
	३०--टाडा
	३१--पलिवा चन्दापुर
	३२--उत्तरमाटी
	३३--भटियारी कला
	३४--चन्दीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब्लाक का नाम	स्कूल का नाम
१	२
	३५—नारा
	३६—धौरी
	३७—दादरा
	३८—गाजनपुर
	३९—पाढ़नपुर
	४०—पिन्डारा
	४१—दुबरिया
८—जगदीशपुर	४२—मटमऊ
	४३—देवकली
	४४—हुसेनपुर
	४५—मखदूमपुर
	४६—मंगरौली
	४७—हरखूमऊ
	४८—बाबूपुर
	४९—बाजगढ़
	५०—इक्काताजपुर
	५१—गड़ेरिया डीह
	५२—कोयलरा मुबारकपुर
	५३—सुकुल बाजार
	५४—खेममऊ
९—जामो	५५—रेसी कन्या
	५६—बरौलिया
	५७—दुल्हापुर
	५८—भीतीपुर
१०—बल्दीराय	५९—दत्तौली
	६०—काकरकोला
	६१—सरायबन्धा
	६२—हलियापुर
	६३—मालपुर सैनी
	६४—महुली
	६५—इंधना खुर्द
	६६—डोमियारा
	६७—गोविन्दपुर
	६८—हंथना कलां
	६९—बड़ाडाड
	७०—सोराव
	७१—मलियाबाद
	७२—देवरा
	७३—बादामपुर नटौली
	७४—दरियापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब्लाक का नाम	स्कूल का नाम
१	२
	७५---सैदुल्लापुर
	७६---भवानीपुर
	७७---गुडबड़ेरी
	७८---दुर्गापुर
११---काजीपुर	७९---माला जगदीशपुर
	८०---नगनाथपुर हसरो
	८१---तबक्कलपुर
१२---दोस्तपुर	८२---मोतिगरपुर
	८३---वोरा जगदीशपुर
	८४---खोजापुर
	८५---मलिकपुर पखरा
१३---अखण्डनगर	८६---नगरी
	८७---महमूदपुर
	८८---वीरी हाजीपुर
	८९---बिरईपुर
	९०---पातर खास
	९१---ताजुद्दीनपुर
	९२---कुम्हई हमजापुर
	९३---खानपुर भिलाई
	९४---ठेगहामीरपुर
१४---प्रतापपुर कमैचा	९५---फुटेला
	९६---धनुही
	९७---दरवरपुर
	९८---डेवाढ़
	९९---मुनीपुर
	१००---फरमापुर
१५---तम्मुआ	---
१६---अमेठी	१०१---सराय खेमा
	१०२---महराजपुर
	१०३---मटियार वधौरा
	१०४---रामनाथपुर
	१०५---गढ़ेरी
	१०६---डेहरा
	१०७---कुशीताली
	१०८---वियसिया
	१०९---मस्तूपुर
	११०---पुन्नपुर
	१११---नरैनी
	११२---रामनगर।
योग ..	११४

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६० पर]

ब्लाक का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या
सिवराही	२२
दुधई	१४
बरहज	२९
लार	९
रुद्रपुर	१४४
बैतालपुर	१६
दाशी	१६
कसिया	३
रामपुर कारखाना	१७
पथरदेवा	२
सदर	४
हाटा	१७
मोतीचरक	७
खादा	१७
कैप्टनगंज	५
रामकोला	१
सुकरोली	१
नवरंगिया	३
योग ..	३२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०१ पर]

साल	ठेकेदारों के नाम जिनके ओवरसियरों के विरुद्ध शिकायत की है	ओवरसियर का नाम जिनके विरुद्ध शिकायत की है	शिकायत का विवरण	कार्यवाही जो की गई
१	२	३	४	५
१९६१--६२	श्री भोलाराम	श्री सूरजपाल गुप्ता	श्री भोलाराम ठेकेदार की यह शिकायत है कि राप्ती पुल के एप्रोच रोड ग्रुप नं० १ के कुछ कार्य उन्होंने सन् १९६१ में अपने मजदूरों से करवाये थे। परन्तु ओवरसियर (श्री सूरज पाल गुप्ता) ने मास्टररोल द्वारा पैसा स्वयं अपने पास बरामद करके रख लिया।	शिकायत की जांच की गई परन्तु श्री भोलाराम ठेकेदार ओवरसियर के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध न कर सके।
१९६१-६२	श्री शम्भू सिंह कर्मचारी गार्डन कन्सट्रक्शन कं०।	श्री राधेश्याम ओवरसियर (प्रथम)।	श्री शम्भू सिंह की यह शिकायत थी कि श्री राधेश्याम ओवरसियर, पी० डब्लू० डी० का कोयला, सीमेंट, लोहा, इत्यादि बाजार में बेचा करते हैं।	शिकायत असत्य प्रमाणित हुई है।
१९६१-६२	श्री विजय प्रताप ओझा	श्री बब्बन लाल	श्री विजय प्रताप ओझा, ठेकदार ने यह शिकायत की थी कि श्री बब्बन लाल, ओवरसियर ने वार्ड में जितने क्वार्टर बनवाये थे उनसे एक क्वार्टर की प्लिन्थ (Plinth) अधिक खोदवा दी।	शिकायत सही निकली। इसके फलस्वरूप ओवरसियर से दो सौ रुपये की वसूली की जा रही है।
१९६२-६३	श्रीमान चन्द्र कन्सल	श्री एम० ए० सिद्दीकी।	श्रीमान चन्द्र कन्सल, ठेकेदार को सरेया में लड़कियों के कालेज की इमारत का कार्य दिया गया था। उन्होंने कार्य को पूरा नहीं किया। अतएव दूसरे ठेकेदारों को कार्य दिया गया। श्री कन्सल ने श्री सिद्दीकी, ओवरसियर के विरुद्ध निम्नलिखित ३ शिकायतें की — (१) ओवरसियर ने उनके किये हुये कार्य की पैमाइश मेजर-	श्री कन्सल द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई। उनकी सभी शिकायतें असत्य पाई गईं।

ब्लाक का नाम		प्रभावित ग्रामों की संख्या
	मेंट बुक पर न लेकर फुटकर कागज के पन्नों पर ली और उनको मेजरमेंट नहीं दिखाया। (२) उक्त कार्य उन ठेकेदारों को दिया गया जो या तो ओवर-सियर के मित्र हैं अथवा उनके सम्बन्धी। (३) जिस सामान को उनके कार्य के लिये अनुपयुक्त बता-कर उक्त बिल्डिंग में लगाने से उन्हें रोक दिया गया था वही सामान ओवरसियर ने श्री कन्सल से खरीदकर नये ठेकेदार को उसी इमारत के कार्य में प्रयोग करने के लिये दिया।	

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६३ पर]

सूची

तहसील	कुल चपरासी	स्थायी चपरासी	परिगणित जातीय	अस्थायी चपरासी	परिगणित जातीय
१	२	३	४	५	६
१—बुलन्दशहर	१२४	४१	..	८३	१
२—खुर्जा	८१	३८	१	४३	१
३—अनूप शहर	८९	३८	..	५१	..
४—सिकन्दराबाद	९२	३९	..	५३	..

नत्थी 'च-१'

[देखिए ता० प्रश्न 'क' उत्तर पीछे पृष्ठ ९६३ पर]

देवरिया जिले के १९५८ के बृहत जोत कर-दाताओं तथा उनकी जोत सम्बन्धी सूची

नाम तहसील	सन् १९५८ के बृहत जोत कर दाताओं की संख्या	सन् १९५८ के बृहत जोत कर-दाताओं द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल	
		१९५८ में	अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के उपरान्त
		एकड़	एकड़
देवरिया ..	५८	५,७०९	४,१९५
सलेमपुर ..	३९	३,७९८	२,७०२
पडरौना ..	४८	१९,८५३	६,२९२
हाटा ..	६२	१०,८७५	५,५५४
योग ..	२०७	४०,२३५	१८,७४३

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ११–१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७२ पर)

गत वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदान की सूची

वर्ष	अनुदान की रकम		
	रू०		
१९५९–६०	८,००,०००		यह अनुदान आवर्त्तक था तथा इन अनुदानों का उपयोग विश्वविद्यालय ने आवर्त्तक आवश्यकताओं पर किया।
१९६०–६१	९,००,०००		
१९६१–६२	९,७६,४००		
१९६२–६३	११,२२,२८७		
योग	३७,९८,६८७		
	अनावर्त्तक अनुदान		
१९५९–६०	५,००,०००	वैज्ञानिक सामग्री पुस्तकों व फर्नीचर के क्रय के लिये	सन् १९५९–६० व १९६०–६१ में जो अनावर्त्तक अनुदान दिया गया था उसका उपयोग विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक सामग्री, पुस्तकों व फर्नीचर के क्रय के लिये किया, सम्पूर्ण धन १३,००,००० रु० का उपयोग विश्वविद्यालय ने उक्त उद्देश्यों पर किया।
	३,००,०००		
१९६०–६१	५,००,०००		
१९६१–६२	८,५५,०००	अमुक्त पूर्व भार के भुगतानहेतु पुस्तकालय भवन निर्माणहेतु तथा नये बी० एस-सी० कक्षाओं के प्रारम्भ करने हेतु।	इस वित्तीय वर्ष में कुल रु० ८,५५,००० का अनावर्त्तक अनुदान विश्वविद्यालय को दिया गया। रु० ६,००,००० पेन्डिग लाइबेलिटीज के भुगतान में एवं रु० २,००,००० पुस्तकालय भवन निर्माण हतु था। इन दोनों धनराशियों का पूर्ण उपयोग निर्धारित उद्देश्यों पर हो चुका है। शेष ५५,००० रु० नये बी० एस–सी० कक्षा के विस्तार हेतु है जो आवश्यकता हेतु व्यय किया जा रहा है क्योंकि योजना का कार्यकाल तृतीय पंचवर्षीय योजना तक है।
१९६२–६३	३,१४,०००	पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु, कला, विद्यालय के निर्माण हेतु, जो ३०–६–६४ तक उपयोग किया जा सकेगा। नये बी० एस-सी० कक्षाओं के प्रारम्भ करने के हेतु।	इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कुल ३,१४,००० रु० का धन विश्वविद्यालय को अनावर्त्तक रूप में दिया गया। जिसमें रु० १,२६,३०० पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु है। इसका उपयोग किया जा रहा है। रु० १,७३,७०० कला विद्यालय के निर्माण हेतु हैं जिसका उपयोग किया जा रहा है तथा ३०–६–६४ तक उपयोग हो जाने की सम्भावना है। रु० १४,०००नये बी० एस-सी० कक्षाओं के प्रारम्भ करने हेतु है, यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक है। इस धनराशि का उपयोग इसी उद्देश्य पर किया जा रहा है।

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८२ पर)

माह	उन गांवों के नाम जिनमें दौरा किया गया	व्यय	माह	उन गांवों के नाम जिनमें दौरा किया गया	व्यय
जनवरी, १९६२	१–पतारा	४१२–१५		३५–रामपुर	
	२–बरेगढ़			३६–कुदौली	
	३–चमर			३७–नौरंग	
	४–रामपुर			३८–कैथा	
	५–हुसैना			३९–कुम्हाडिया	
	६–गिरसी			४०–बैजुपुर	
	७–सरखेलपुर			४१–धरमगदपुर	
	८–सिकौला			१–निमूधा	५९३–९२
	९–वरीपाल		मार्च	२–तिलहेली	
	१०–माहर अलीपुर		१९६२	३–अजौरी	
	११–पंत्रखुरा			४–वरीपाल	
	१२–लौली			५–वेहटा बुजुर्ग	
	१३–भटपुरा			६–पासी खेडा	
	१४–बेहटा बुजुर्ग			७–मडे पुर	
	१५–कुमहपुर			८–हुसैनी	
	१६–मनखानपुर			९–बौहार	
	१७–शाकाहारी			१०–रठगांव	
	१८–कुरखेड़ा			११–गिरसी	
	१९–अरखूरी			१२–सरगांव	
	२०–मकई बच्चन			१३–पतारा	
	२१–इतारी			१४–जैतीपुर	
	२२–रियौना			१५–जहांगीराबाद	
	२३–सतरसा			१६–मुइया	
	२४–बावन			१७–गोपालपुर	
	२५–शाखा जनवारा			१८–चमर	
	२६–रामपुर			१९–रियोना	
				२०–चमरेहटा	
फरवरी, १९६२	१–कमालपुर	४०६-४८		२१–रडौली	
	२–भदरस			२२–दुर्गगंज	
	३–फतारा			२३–इटौरा	
	४–कुंवर पुर			२४–सिरोद	
	५–घुघुआ			२५–तिवारी पुर	
	६–रेहटी ऐमो			२६–शाकाहारी	
	७–रहटी खालसा			२७–हरवंशपुर	
	८–मखौली			२८–बहरौली	

माह	उन गांवों के नाम जिनमें दौरा किया गया	व्यय	माह	उन गांवों के नाम जिनमें दौरा किया गया	व्यय
	९–पतरसा			२९–पसेवा	
	१०–गिरसी			३०–बैरीपुर	
	११–बरीपाल			३१–शिवढोरी	
	१२–गजैला			३२–मऊनखत	
	१३–सिधैल			३३–अमौली	
	१४–हथेई			३४–विरसिंग पुर	
	१५–बलरामपुर			३५–किवडिया	
	१६–चिल्ली			३६–साड़	
	१७–करसेडा			३७–बरेगढ़	
	१८–सेखापुर			३८–पढ़री गंगादीन	
	१९–हुसैना				५२४–२७
	२०–बोहार		अप्रैल १९६२	१–वरेगढ़	
	२१–राजेपुर			२–पतारा	
	२२–रातेपुर			३–गिरसी	
	२३–कचुली पुर			४–वरीपाल	
	२४–पलटू पुर			५–रामपुर	
	२५–जार्जपुर			६–वनहरी	
	२६–बीरपुर			७–तेजपुर	
	२७–बनहरी			८–सिरोमनपुर	
	२८–बेहटा बुजुर्ग			९–बलरामपुर	
	२९–दौलतपुर			१०–पढ़री गंगादीन	
	३०–किराव			११–डोमा	
	३१–वदले शिवनापुर			१२ असिनिया	
	३२–बसोरा			१३–रियोना	
	३३–चौबेपुर				
	३४–साढ़				
मई	१–वरीपाल				४७३–३०
	२–शिवढारी				
	३–बरेगढ़				
	४–वेहटा				
	५–मध्यओना				

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८३ पर)

प्रश्न ६०(१) के उत्तर में उल्लिखित घटना का विवरण

प्रश्नगत स्कूल और स्कूल भवन जिला परिषद् अल्मोड़ा के हैं। परिषद् ने भवन की मरम्मत सन् १९६० में करायी थी। घटना के समय उसमें कमजोरी के कोई चिन्ह नहीं थे। अतिवृष्टि के कारण भवन के एक ओर की भूमि धंस गयी। उसके कारण उस ओर की दीवार टेढ़ी होकर फट गयी। उस दीवार पर जिस शहतीर के बल पर छत की बल्लियां टिकी थीं वे खिसकती हुई नीचे चली गईं। यह घटना ९-९-६३ को हुई थी।

पूरी छत नहीं गिरी थी, बल्कि कंकड़, पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े और मिट्टी गिरी थी। दिनांक १२-९-६३ को परिषद् के कार्यालय में उक्त घटना की सूचना मिली थी और यह मालूम हुआ था कि १५-१६ बच्चे घायल होकर द्वारा हाट अस्पताल में भरती हैं। अध्यक्ष वस्तु-स्थिति जानने और बच्चों को देखने के लिये उसी दिन उस अस्पताल में पहुंचे। वहां ज्ञात हुआ कि केवल ६-७ वर्षीय दो बालिकायें थोड़ी चोट खा गयी थीं। उनमें से एक अस्पताल में भरती की गई थी और चोटें ठीक हो जाने के फलस्वरूप ११-९-६३ को घर भेज दी गई थी। दूसरी बालिका के अभिभावक ने उसे अस्पताल में भरती नहीं किया। दो एक दिन वह भी अस्पताल में दवा लगवाने आयी थी। उसके पश्चात् उसे भी अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

संसद सदस्य सूचना केन्द्र

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९६ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिला परिषद्, वाराणसी की निम्नलिखित कच्ची सड़कें लीं—

पहली पंचवर्षीय योजना में .. १—धानापुर-सकलडीहा,
२—अमारा-कमालपुर,
३—डेरावल-कमालपुर,
४—वाराणसी-सेवापुरी,
५—राजा तालाब-बनारस सड़क (हिन्दू विश्व-विद्यालय तक)।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में .. १—भदोही-शिवदासपुर सड़क।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में .. १—सेवापुरी-शिवदासपुर (केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित)।
२—ज्ञानपुर-दुर्गागंज (जनशक्ति योजना के अन्तर्गत)।
३—धानापुर-छहनिया (जनशक्ति योजना के अन्तर्गत)।
४—सकलडीहा-अलीनगर (जन शक्ति योजना के अन्तर्गत)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९७ पर)

तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के ११७ ग्रामों की सूची जिनको नहर निर्माण योजना के कारण चकबन्दी से पृथक किया गया।

ग्रामों का नाम	ग्रामों का नाम
१	२
१ खेतापुर	३० अशरफपुर उसरहटा
२ पूरा असलत खां	३१ रफीपुर
३ मयारी	३२ गुरारी खलीलपुर
४ परमापुर	३३ अरन्द
५ पान्डेपुर	३४ भदैला
६ लच्छी पट्टी	३५ पुरई कलां
७ बालमीतपुर	३६ खौजीपुर
८ मित्रसेनपुर	३७ बनुआडीह
९ कुकुरगड़ही	३८ मगमलपुर
१० पूरा संभल शाह	३९ शेरपुर
११ रुधौली	४० सेथुआपारा
१२ मिर्जापुर	४१ ऊसरवस्ती
१३ केवट पट्टी-सुइथा कलां	४२ धन्धवारा खुर्द
१४ कुर्मापट्टी	४३ धन्धवारा कलां
१५ मुसलमान पट्टी	४४ चक लालमन
१६ चितय पट्टी	४५ चकसुइथा
१७ करीमपुर बिंद	४६ रानी मऊ
१८ तेली तारा	४७ लवायन
१९ तिसुआनी	४८ विसवन
२० ऊंचवाडीह	४९ कोठी तारा
२१ सुइथा खुर्द	५० अजंनपुर
२२ कितवाई	५१ राजेपुर
२३ पूराभूलन	५२ मानिया
२४ बासूपुर	५३ इटौरी
२५ सखाई	५४ चक नाथूपुर
२६ बघरवारा	५५ धौरइल
२७ रासिकपुर	५६ कैसरपुर माफी
२८ हमजापुर	५७ काफरपुर
२९ शमशुद्दीनपुर	५८ चक सलाही

ग्रामों का नाम	ग्रामों का नाम
१	२
५९ करौंदी	९१ पूरा राजवर
६० खलीलपुर	९२ दुधौरा
६१ हरही	९३ रामपुर
६२ काथर	९४ मालूपुर
६३ कुहिया	९५ सरोखनपुर
६४ झकरिया	९६ ऊदपुर घेलुआ
६५ मखमेलपुर	९७ ऊदपुर घाटमपुर
६६ पकड़ी	९८ मुरादपुर कारटला
६७ मोटरिया	९९ नेवादा मुखलिसपुर
६८ करेला	१०० मिशरदपुर
६९ अतरौरा	१०१ चन्दापुर
७० नदौली	१०२ कमालपुर
७१ बरंजी	१०३ चक सेमरहा
७२ टिकरी कलां	१०४ सारी गजां
७३ चकडांडी डीहा	१०५ बनगांव पट्टी
७४ बरनपुर	१०६ बलुआ
७५ इतखोरा	१०७ सालिसपुर
७६ हरिहरपुर	१०८ बलीपुर घनश्यामपुर
७७ कुमार पट्टी	१०९ वेनुआ
७८ तुरकौली	११० बूढपुर
७९ बधुआर	१११ फूलपुर
८० बाबापारा	११२ खालिसपुर
८१ बरंया	११३ कोहंडा
८२ गोनौली	११४ सूरिस
८३ बहारीपुर कलां	११५ बड़ागांव
८४ मेउला	११६ पखनपुर
८५ केउटली कलां	११७ सवरहद
८६ जमाउपट्टी	
८७ फीरोजपुर	
८८ डंडारी	
८९ डीह डंडारी	
९० डंडारी गोपालपुर	

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १००२ पर)

सूची उन अधिकारियों की जिनको निम्नलिखित तिथिवार देहरादून तथा मसूरी के पी० डब्लू० डी० विभाग के डाक बंगले मई, जून, जुलाई, १९६३ को एलाट हुए थे।

क्रम-संख्या	नाम अधिकारी	एलाटमेंट की तिथि
	देहरादून निरीक्षण भवन	
१	श्री ए० के० खन्ना	४ मई, १९६३।
२	श्री आर० ए० रहमान, डिस्ट्रिक्ट जज, सहारनपुर	१४ मई, १९६३ से १६ मई, १९६३
३	श्रीमती आर० सरीन	२१ मई, १९६३ से २४ मई, १९६३
४	श्री कैलाश प्रकाश, जनरल सेक्रेटरी, यू० पी० सिटीजन्स स्टेट कौंसिल	८ जून, १९६३ से ९ जून, १९६३
५	श्री ए० आर० पचौरी, डिप्टी डाइरेक्टर ऐजूकेशन प्रथम रीजन, मेरठ	९ जून, १९६३ से १३ जून, १९६३
६	ले० कर्नल रतन सिंह	२७ जून, १९६३से २८ जून, १९६३ तक।
७	श्री अब्दुल कादिर ए०डी०एम० जे०, सहारनपुर ..	२६ जून, १९६३ से ३० जून, १९६३।
८	श्री जस्टिस ज्ञानेन्द्र कुमार	३० जून, १९६३ से १ जुलाई, १९६३।
९	श्री एस० एल० गोयल, एस० ई० सा० नि० वि०, लखनऊ	६ जुलाई, १९६३ से ७ जुलाई, १९६३।
१०	श्री कर्नल मुदलियर	१० जुलाई, १९६३ से १२ जुलाई, १९६३।
११	श्री माननीय मिस्टर जस्टिस डी० एस० माथुर, जज, हाई कोर्ट	२० जुलाई, १९६३ से २४ जुलाई, १९६३।
१२	श्री एस० ए० मक्तादिर, ए० डी० एम० जे०, डी० ए० डी०	२६ जुलाई, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६३।
१३	डिप्टी डाइरेक्टर, पशु पालन मेरठ ..	१० मई, १९६३ से ११ मई, १९६३।
१४	श्री महाबीर प्रसाद, चीफ इंजीनियर एक्सप्लोरेटरी ट्यूब-वेल, नई दिल्ली	५ मई, १९६३ से १६ मई, १९६३।
१५	ब्रिगेडियर नेगी	४ मई, १९६३ से ५ मई, १९६३

क्रम-संख्या	नाम अधिकारी	एलाटमेंट की तिथि
१६	श्री वी० एस० सिन्हा, एडमिनिस्ट्रेटर आफिसर पेट्रोलियम	१६ मई, १९६३ से १८ मई, १९६३ ।
१७	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ई० एम०, मेरठ ..	२० मई, १९६३ से २१ मई, १९६३ ।
१८	श्री प्रतापसिंह, कलेक्टर शाहजहांपुर ..	२१ मई, १९६३ से २२ मई, १९६३ ।
१९	सेक्रेटरी लेजिस्लेचर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ..	२७ मई, १९६३ से ६ जून, १९६३ । [स्थगित कर दिया गया, प्रधान मंत्री के आगमन के कारण प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये सुरक्षित (रिजर्व) कर दिया गया और उसमें पुलिस अधिकारी रुके थे ।]
२०	श्री सी० एम० एल० भट्ट	७ जून, १९६३ को
२१	श्री विद्या भूषन, सहायक अभियन्ता, लखनऊ ..	८ जून, १९६३ से ९ जून, १९६३
२२	निरीक्षक, सरकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश ..	२५ जून, १९६३ से २८ जून, १९६३
२३	डा० एम० वी० म्मगेन, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य विभाग	८ जुलाई, १९६३ से ९ जुलाई, १९६३ ।
२४	प्रिंसिपल आई० टी० आई०	१० जुलाई, १९६३ से १३ जुलाई, १९६३ ।
२५	श्री सी० ई० विलसन जू० मैनेजर रोडवेज ..	२७ जुलाई, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६३ ।
२६	सहायक रिक्रूटिंग आफिसर	२६ जुलाई, १९६३
२७	डिप्टी डाइरेक्टर पशुपालन, मेरठ ..	२६ जून, १९६३
२८	श्री विद्याभूषन, सहायक अभियन्ता, लखनऊ ..	३ जुलाई १९६३ से ६ जुलाई, १९६३ ।

मसूरी निरीक्षण भवन

१	आचार्य जुगल किशोर, शिक्षा मंत्री ..	७ मई, १९६३ से ८ मई, १९६३
२	,, , ..	१४ जून, १९६३ से १५ जून, १९६३ ।
३	श्री वी० एस० आर्य, सहायक मंत्री ..	२७ जून, १९६३ से ३० जून, १९६३ ।
४	डा० पी० डीश, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, देहली ..	७ मई, १९६३ से १२ मई, १९६३ ।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३८-३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १००४ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में घोसी-मुहम्मदाबाद ११ १/२ मील लम्बी कच्ची सड़क को डामर से पक्का कराने तथा जन शक्ति योजना में निम्नलिखित सड़कों को कंकड़ से पक्की कराने की योजना है

सड़क का नाम	लम्बाई	
१	२	
	मील	फ०
१—आजमगढ़-अमिला मार्ग	२	४
२—बिलरियागंज-रौनापर मार्ग	२	४
३—बाबा गोडाउन-काझा मार्ग	३	०
४—कप्तानगंज-थहवरपुर मार्ग	४	०
५—बिलरियागंज-रौना पार मार्ग	४	४
६—दोहरीघाट-सूरजपुर मार्ग	६	०
७—आजमतगढ़-अमिला खास मार्ग	६	०
८—कप्टेनगंज-थहवरपुर मार्ग	३	४
९—कप्तान गंज-महाराजगंज मार्ग	२	४
१—इलाहाबाद-गोरखपुर	४४	०
२—लखनऊ-बलिया मार्ग	१८	०
३—मऊ यूसुफपुर मार्ग	१	०
४—फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग	१	०
५—वाराणसी-गोरखपुर मार्ग	२८	०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१२ पर)

संस्थाओं की जिलेवार सूची

क्रम-संख्या	जिले का नाम	संस्थाओं की संख्या: सरकारी बालक	सरकारी बालिका	गैर-सरकारी बालक	गैर-सरकारी बालिका	योग	संस्थाओं का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
१	देहरादून	..	१	..	..	१	सा० जू० बे० ट्रेनिंग कालेज देहरादून ।
२	मेरठ	१	..	२	..	३	राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज सरधना, मेरठ । २—किसान हा० से० स्कूल मोहीद्दीनपुर, मेरठ । ३—इन्ग्राहम इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद, मेरठ ।
३	बुलन्दशहर	..	..	१	..	१	ए० एच० जनता हा० से० स्कूल, दादरी, बुलन्दशहर ।
४	मुजफ्फरनगर	..	..	१	..	१	कल्याणकारी हा० से० स्कूल बघारा, मुजफ्फरनगर ।
५	सहारनपुर	..	..	१	..	१	वी० एस० एन० वी० इंटर कालेज, सहारनपुर (रूड़की) ।
६	अलीगढ़	..	..	..	१	१	सेठ हरचरनदास गर्ल्स इंटर कालेज हाथरस, (अलीगढ़) ।
७	मथुरा	..	..	१	..	१	चम्पा अग्रवाल हा० से० स्कूल, मथुरा ।
८	मैनपुरी	..	..	१	..	१	नारायण हा० से० स्कूल शिकोहाबाद, मैनपुरी ।
९	एटा	..	..	१	..	१	अविनाशी सहाय आर्य हा० से० स्कूल, एटा ।
१०	बिजनौर	..	..	..	..	..	..
११	आगरा	१	..	..	१	२	रा० जू० ट्रेनिंग कालेज, आगरा । श्री के० कालेज फिरोजाबाद, आगरा ।
१२	मुरादाबाद	१	..	२	२	५	रा० जू० ट्रेनिंग कालेज, काठ, मुरादाबाद ।

अविभाजित प्रदेश सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	संस्थाओं की संख्या: सरकारी बालक	सरकारी बालिका	गैर-सरकारी बालक	गैर-सरकारी बालिका	योग	संस्थाओं का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
							श्री के० जी० के० हा० से० स्कूल, मुरादाबाद । बारहसैनी हा० सै० स्कूल चन्दौसी, मुरादाबाद । मेथडिस्ट मिशन हा० से० स्कूल, मुरादाबाद । बल्देव आर्यकन्या हा०से० स्कूल, मुरादाबाद ।
१३	बरेली	..	..	१	..	१	श्री गुलाबराय हा० से० स्कूल, बरेली ।
१४	बदायूं	..	..	१	..	१	श्री कृष्ण हा० सै० स्कूल, बदायूं ।
१५	पीलीभीत	..	..	..	..	..	
१६	शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	
१७	रामपुर	..	..	..	..	..	
१८	नैनीताल	..	..	..	..	..	
१९	पौड़ी गढ़वाल	..	..	..	..	..	
२०	टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..	
२१	अल्मोड़ा	१	..	..	१	२	१—राजकीय जू० ट्रे० कालेज, अल्मोड़ा । २—आर्य कन्या हा० से० स्कूल, अल्मोड़ा ।
२२	चमोली	..	..	..	..	..	
२३	पिथौरागढ़	..	..	..	..	..	
२४	उत्तरकाशी	..	..	..	..	..	
२५	फर्रुखाबाद	..	..	१	..	१	डी० एन० एंड ए० के० कालेज तिर्वी, फर्रुखाबाद
२६	इटावा	..	..	..	..	..	
२७	कानपुर	..	..	१	..	१	कान्य कुब्ज इंटर कालेज, कानपुर ।
२८	फतेहपुर	..	..	..	..	..	
२९	बांदा	..	..	१	..	१	हायर सेकेन्डरी स्कूल, बवेरू, बांदा ।
३०	हमीरपुर	..	..	..	..	..	

क्रम-संख्या	जिले का नाम	संस्थाओं की संख्या सरकारी-गैर सरकारी				योग	संस्थाओं का नाम
		—	बालिका	बालक	बालिका		
१	२	३	४	५	६	७	८
३१	जालौन	..	..	१	..	१	श्री गांधी इंटर कालेज, ओरई, जालौन ।
३२	इलाहाबाद	..	..	१	१	२	१—सेन्ट्रल ट्रेनिंग कालेज झूंसी, इलाहाबाद । २—महिला सेवासदन हा० से० स्कूल, इलाहाबाद ।
३३	झांसी	१	१	१	..	३	१—टा० जू० ट्रे० कालेज, झांसी । २—रा० क० जू० ट्रेनिंग कालेज, झांसी । ३—डी०वी० इंटर कालेज. मेरठ ।
३४	वाराणसी	१	..	२	..	३	रा० जू० ट्रेनिंग कालेज सकलडीहा, वाराणसी । २—महाबोध हा० से० स्कूल, सारनाथ, वाराणसी । ३—श्री बल्देव इंटर कालेज, बड़ा गांव, वाराणसी ।
३५	मिर्जापुर	..	१	..	..	१	रा० जू० ट्रेनिंग कालेज, (बलिया) मिर्जापुर ।
३६	जौनपुर	..	..	५	..	५	१—किसान आ० हा० से० स्कूल प्रताप, जौनपुर । २—गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, समोगपुर जौनपुर । ३—आर० यस० के० डी० हा० से० स्कूल, जौनपुर । ४—वी० आर० पी० इंटर कालेज, जौनपुर । ५—नागरिक इंटर कालेज, जंघई, जौनपुर ।
३७	गाजीपुर	..	..	२	..	२	१—सर्वोदय इंटर कालेज, खरडी, गाजीपुर । २—हिन्दू इंटर कालेज जमनिया, गाजीपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	संस्थाओं की संख्या: सरकारी बालक	सरकारी बालिका	गैर-सरकारी बालक	गैर-सरकारी बालिका	योग	संस्थाओं का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
३८	बलिया	..	..	१	..	१	टाऊन हा० से० स्कूल, बलिया ।
३९	रायबरेली	..	..	..	..	..	
४०	सीतापुर	..	..	..	..	..	
४१	हरदोई	..	..	..	..	..	
४२	खीरी लखीमपुर	..	..	१	..	१	वाई० डी० हा० से० स्कूल, खीरी ।
४३	उन्नाव	..	..	१	..	१	श्याम लाल गुप्ता हा० से० स्कूल, नवाबगंज, उन्नाव ।
४४	सुल्तानपुर	..	..	१	..	१	बी० यस० इंटर कालेज, झारखेरा, सुल्तानपुर ।
४५	बाराबंकी	..	..	..	..		..
४६	लखनऊ	..	..	..	..		..
४७	प्रतापगढ़	१	१	..	..	२	१—रा० जू० ट्रेनिंग कालेज, प्रतापगढ़ । २—प्रताप बहादुर हा० से० स्कूल, प्रतापगढ़ ।
४८	देवरिया	..	..	१	..	१	मारवाड़ी हायर से० स्कूल, देवरिया ।
४९	बस्ती	..	..	१	..	१	हीरा लाल राम निवास हा० से० स्कूल खलीलाबाद, बस्ती ।
५०	आजमगढ़	..	..	..	..		..
५१	बहराइच	..	..	..	..	..	
५२	गोंडा	..	..	१	..	१	ए० पी० इंटर कालेज, गोंडा (मानिकपुर) ।
५३	गोरखपुर	१	..	१	..	२	रा० जू० ट्रेनिंग कालेज, गोरखपुर । २—सेन्ट एंडरूज हा० से० स्कूल, गोरखपुर
५४	फैजाबाद	१	..	..	..	१	रा० जू० ट्रेनिंग कालेज, फैजाबाद ।
	योग	९	३	३७	५	५४	